लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २६, १९५९/१८८० (शक)

[२३ फरवरी से ५ मार्च १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit.
Fumigated On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २६ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २६, अंक ११ से २०—२३ फरवरी से ५ मार्च, १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)

अंक ११—सोमवार, २३ फरवरी, १९५९/४ फाल्गुन, १८८० (शक)

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५१९, ५२०, ५४७, ५२१ से ५२६, ५२८, ५२९, ५३१, ५३२, ५३४, ५३५ और ५३७ . .	११९७—१२२१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१२२२—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५३०, ५३३, ५३६, ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४६, ५४८ से ५६८	१२२४—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ से ६९१ और ६९३ से ७३४ . .	१२३७—७२
श्री बेदलपतला गंगाराजू का निधन—	१२७२
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना . .	१२७२—७४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२७४—७५
राष्ट्रपति से सन्देश . .	१२७५
राज्य-सभा से सन्देश	१२७५
चल-चित्र (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया	१२७५
प्राक्कलन समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन . . .	१२७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से अलग किया जाना	१२७६
तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तरों की शुद्धि	१२७६
विधेयक पुरःस्थापित किये गये . . .	१२७७
१. भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक . . .	१२७७
२. बैंकिग समवाय (संशोधन) विधेयक	१२७७
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक	१२७७—८४
खण्ड २ से २० तथा १	१२७७—८१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२८१—८४

पृष्ठ

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . . १२८४—१३११

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १३१२—१८

दैनिक संक्षेपिका . . . . १३१९—२५

अंक १२—मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९/५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७५, ५७७, ५८१, ५८३, ५८५, ५८६, ५८८, ५८९ और ५९३ . . . १३२७—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८ से ५८०, ५८२, ५८४, ५८७, ५९० से ५९२ और ५९४ से ६२१ . . . . १३५२—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७९७ और ७९९ से ८४१ . . १३६७—१४१९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १४१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १४१९

विनियोग विधेयक—पुर:स्थापित . . . १४२०

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . . . १४२०—२६

भारतीय आय कर (संशोधन) विधेयक . . १४२७—४०

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४२७—३९

खण्ड २ से ५ और १ . . . . . १४३९—४०

पारित करने का प्रस्ताव १४४०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक— . . . . १४४०—५९

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव . १४४०—५७

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . . १४५७—५९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १४६०—६६

पृष्ठ

अंक १३—बुधवार, २५ फरवरी, १९५९/६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ से ६३० और ६३२ से ६३४ . . . १४६७—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १४९१—९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१ और ६३५ से ६६२ . . . १४९३—१५०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ९३४ . . . १५०६—४४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५४४-४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन . . . १५४५

तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के अनुपूरकों के उत्तर की शुद्धि . . . १५४६

विनियोग विधेयक—

पारित . . . १५४६-४७

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १५४७—८३

दैनिक संक्षेपिका . . . १५८४—९०

अंक १४—गुरुवार, २६ फरवरी, १९५९/७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ से ६७०, ६७२ और ६७४ से ६७८ . . . १५९१—१६१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७३ और ६७९ से ७२१ . . . १६१२—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९४८ और ९५० से १०३१ . . . १६३७—७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . १६७८-७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १६८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राज्य व्यापार निगम द्वारा एक संस्था को कास्टिक सोडा देने से कथित इन्कार . . . १६८०

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १६८१—१७२२

दैनिक संक्षेपिका . . . १७२३—२९

पृष्ठ

अंक १५—शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९/८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२५, ७२७, ७२९ से ७३४, ७३७, ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४७ और ७५१ . . . १७३१—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८, ७३५, ७३६, ७३९, ७४१, ७४२, ७४५, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५४ से ७६२ . . १७५६—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३२ से १११०, १११२ और १११३ . १७६४—१८०२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . १८०२—०३

विधेयक पर राय . . १८०३

राज्य-सभा से सन्देश . . . १८०३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया १८०३

प्राक्कलन समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८०३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति —

बारहवां प्रतिवेदन . . . १८०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गंडक परियोजना के बारे में बिहार के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य . १८०४

सभा का कार्य . . . . १८०४—०५

रेलवे आयव्ययक सामान्य चर्चा . . . . १८०५—२२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन १८२३

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के सम्बन्ध में संकल्प—अस्वीकृत . . . . १८२३—४१

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प . १८४१—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . १८४३—४९

अंक १६—शनिवार, २८ फरवरी, १९५९/९ फाल्गुन, १८८० (शक)

सामान्य आय व्ययक, १९५९-६० का उपस्थापन . . १८५१—७३

वित्त विधेयक—पुरःस्थापित किया गया १८७३

दैनिक संक्षेपिका . . १८७४

पृष्ठ

अंक १७—सोमवार, २ मार्च, १९५९/११ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ७६७, ७६९, ७७१ से ७७३, ७७५ और ७७६ . . . १८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . १८९६—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७७ से ७९२, ७९४ से ७९६ और ७९८ से ८२० . . . . १८९७—१९१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १११४ से ११९१ १९१४—४५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १९४५—४७

अनुपस्थिति की अनुमति . . . . १९४७—४८

सामान्य आयव्ययक पर चर्चा के बारे में प्रक्रिया . . १९४८

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १९४९—९२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १९९३—९८

अंक १८—मंगलवार, ३ मार्च, १९५९/१२ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ से ८२३, ८२५ से ८२८, ८३०, ८३१, ८३३, ८३५, ८३७ और ८४० से ८४३ . . १९९९—२०२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४, ८२९, ८३२, ८३४, ८३६, ८३८, ८३९, ८४४ से ८४७, ८४९ से ८६१ और ८६३ से ८७१ . . २०२५—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से १२०१, १२०३ से १२५० और १२५२ २०४१—६७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची में हुई भारत पाकिस्तान वार्ता . . . २०६८—६९

चलचित्र (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . २०६९—७०

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २०७०—९०

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९५९-६० . . . . २०९०—२१२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २१२७—३१

अंक १९—बुधवार, ४ मार्च, १९५९/१३ फाल्गुन, १८८० (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७३, ८७६, ८८०, ८८४, ८८६, ८८७, ८९१, ८९३, ९२१, ८९४, ८९५, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०८ और ९१० . २१३३—५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ से ८ २१५५—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२, ८७४, ८७५, ८७७ से ८७९, ८८१ से ८८३, ८८५, ८८८ से ८९०, ८९२, ८९६ से ९००, ९०५, ९०७, ९०९, ९११ से ९२० और ९२२ से ९२४ . २१६१—७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १३७३, १३७५ से १३८७ . २१७४—२२२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ दिनांक १७ १२-५८ के उत्तर में शुद्धि २२३०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २२३०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २२३१

राज्य-सभा से संदेश २२३१

प्राक्कलन समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन २२३१

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन . २२३१

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—

पुरःस्थापित २२३२

अनुदानों की मांगें—रेलवे १९५९–६० २२३२—७२

दैनिक संक्षेपिका . २२७३—८०

अंक २०—गुरुवार, ५ मार्च, १९५९/१४ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ से ९२९, ९३२ से ९३५, ९३७ से ९३९ और ९४२ २२८१—२३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३०२–०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३६, ९४०, ९४१, ९४३ से ९५७ और ९५९ से ९६३ २३०३—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८८ से १४८१ २३१२—५०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

डॉक लेबर बोर्ड कलकत्ता में कर्मचारियों की मुअत्तली २३५१–५२

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	२३५२
राज्य-सभा से संदेश	२३५३
रेलवे आय-व्ययक अनुदानों की मांगें, १९५९–६० . . .	२३५३—२४१३
स्ट्रैप्टोमाइसीन तथा डीहाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिये करार के सम्बन्ध में प्रस्ताव .	२४१४—२८
कार्य मंत्रणा समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन	२४१७
दैनिक संक्षेपिका	२४२९–३५

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

388 (Ai) L.S.D.—12.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ५ मार्च, १९५९

१४ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी

+

†*९२५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी को शनैः शनैः दिल्ली प्रशासन के काम काज की भाषा के रूप में अपनाने के लिये समय-सूची निर्धारित करने के लिये नियुक्त की गई छः सदस्यों वाली समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). छः सदस्यों वाली समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राम कृष्ण गुप्त : दिल्ली प्रशासन में हिन्दी अनुमानतः कब से लागू हो जायेगी ?

†श्री गो० ब० पन्त : अभी से इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में हिन्दी के अपनाये जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

†श्री गो० ब० पन्त : सरकार की नीति कई बार बतायी जा चुकी है। यही नीति केन्द्रीय सरकार अपना सकती है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, समिति की रिपोर्ट के बारे में अगर पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता तो कम से कम यह बताने की कृपा तो की जाय कि मोटे तौर से उस ने क्या सिफारिशें की हैं ?

श्री गो० ब० पन्त : उन्होंने कई तजवीजें की हैं, जो लोग हिन्दी नहीं जानते उनको हिन्दी सिखायी जाये, अगर मुमकिन हो सके तो हिन्दी में कुछ काम शुरू करने की कोशिश की जाये, कुछ अरसे के बाद या तुरन्त ही। और जो स्टेट के बारे में जनरल पालिसी है उसके बारे में सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट इश्यू हुआ था जो कि पबलिश भी हुआ था। उसी के आधार पर उन्होंने कमेटी को मुकर्रर किया था और उसी के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी है। अभी डिटेल तै नहीं हुई है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि जो सिफारिशें कमेटी ने की हैं और जो सरकार के विचाराधीन हैं उन पर सरकार कब तक अन्तिम निर्णय दे सकेगी ताकि उनको कार्यान्वित किया जा सके ?

श्री गो० ब० पन्त : कोई खास तारीख तो इस के लिए सरकार ने मुकर्रर नहीं की है। मगर मैं समझता हूं कि इस निर्णय को करने में कोई बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी। कुछ इसलिए भी कि शायद सारा मामला इस बारे में लेंग्वेज कमेटी की रिपोर्ट आने पर पार्लियामेंट में डिसकस होगा। इसलिये समझा गया है कि अगर कुछ दिन ठहर जायें तो अच्छा है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि उर्दू जो कि कई सौ सालों से दिल्ली की असली और पुरानी जबान है, मौजूदा दिल्ली में उसका क्या दरजा होगा ?

श्री गो० ब० पन्त : दिल्ली में उसका माकूल दरजा होगा।

श्री ब्रजराज सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सब के अतिरिक्त कि दिल्ली स्टेट में हिन्दी को राज भाषा के रूप में कब से लागू किया जायेगा, क्या दिल्ली स्टेट में हिन्दी के विकास और उत्थान के लिए भी कोई प्रस्ताव है ?

श्री गो० ब० पन्त : और सिफारिशों के अलावा यह एक खास सिफारिश है कि दिल्ली में काम करने वाले जितने अहलकार हैं उनको हिन्दी सिखलायी जाये।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि इस प्रतिवेदन में इस बात को मंजूर कर लिया गया है कि दिल्ली के शासन का सारा कार्य हिन्दी और देवनागरी लिपि में ही चलेगा? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि संसदीय हिन्दी समिति की रिपोर्ट के लिए ही इस संबंध में निर्णय को रोका गया है। तो यह रिपोर्ट हमारे इस सदन में कब तक आ जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गो० ब० पन्त : दिल्ली की रिपोर्ट या संसदीय कमेटी की रिपोर्ट ?

सेठ गोविन्द दास : आपने संसदीय हिन्दी समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में यह कहा था कि दिल्ली के सम्बन्ध में निर्णय उसी के लिए रोका गया है।

श्री गो० ब० पन्त : मैंने तो यह कहा कि कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है, उस पर निर्णय रोका गया है। जो तफसील की बात है वह कमेटी की रिपोर्ट में आयी है कि हिन्दी को किस तरीके पर प्रोग्रेसिवली बढ़ाया जाये। उन मंजिलों की जो बात उस में आयी है उस पर डिटेल में गौर करना रोक दिया गया है। जहां तक प्रिंसिपल और पालिसी की बात है उसका स्टेटमेंट पहले दे दिया गया है, और यह कहा गया है कि दिल्ली की ज़बान क्या होगी, किस तरह पर यहां काम होगा, वह सब प्रिंसिपल्स उस स्टेटमेंट में दिये गये हैं। और जो संसदीय कमेटी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि वह कब आयेगी, तो वह तो इस हाउस के बिजनेस पर मुनहसिर है। आजकल तो बजट चल रहा है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि इसी सेशन में वह आ जायेगी।

निवेली तापीय बिजली घर[1]

+

†*६२६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वाजपेयी :
श्री इलयापेरुमाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली तापीय बिजली धर के लिये काम में आने वाली ड्राइंगें, संयंत्र और मशीनें प्राप्त करने के लिये सोवियत संगठन के साथ ठेका करने के लिये पत्र-व्यवहार पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या ठेका करने के पश्चात कोई मशीनें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) निर्माण-कार्य में अब तक क्या प्रगति की गयी है ; और

(ङ) अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री सुबोध हंसदा** : पत्र-व्यवहार के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Neyveli Thermal Station.

†**श्री के० दे० मालवीय :** काम में आने वाली ड्राइंगें, संयंत्र, मशीनें और उपकरण खरीदने के लिये निगम और सोवियत संगठन में पत्र-व्यवहार जारी है। कुछ बातों को छोड़ कर जिन पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा, अधिकांश बातों पर सहमति हो गयी है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस परियोजना को स्थापित करने में सोसियत संघ से कितने ऋण की आशा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह भी उन बातों में से एक बात है कि जिस पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय होना है क्योंकि यह बात अभी तै होनी है कि क्या निर्माण के लिये आवश्यक उपकरण भी ५ करोड़ रूबल के रूसी ऋण में से दिये जायेंगे।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस समय कितने टेक्निकल पदाधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण पा रहे हैं और उनको कितने समय तक प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया था कि परियोजना प्रतिवेदन अक्तूबर, १९५८ में प्राप्त हो गया था। क्या मैं जान सकती हूं कि फिर करार को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** निवेली निगम ने परियोजना प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है और यह उस ही परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर बातचीत कर रहा है।

†**श्री वाजपेयी :** वे कौन सी बातें हैं जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** कुछ बातें जिन पर अभी विचार हो रहा है, ये हैं : सोवियत संगठन द्वारा दी जाने वाली मशीनों और उपकरणों की वास्तविक लागत क्या होगी और क्या निर्माण-कार्य उपकरण भी उस ऋण में सम्मिलित किये जायेंगे जो कि सोवियत सरकार ने दिया है, आदि।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या तापीय संयंत्र के लिये विस्तृत काम में आने वाली ड्राइंगों, डिज़ाइनों के लिये और मशीनों और उपकरणों का सम्भरण करने के लिये लागत के पृथक पृथक अनुमान लगा लिये गये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ? क्या विदेशी परामर्शदाताओं के लिये कोई पृथक कमीशन या फीस निश्चित की गयी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस समय में किसी मद पर पृथक रूप से आवंटन के बारे में नहीं बता सकता।

†**श्री तंगामणि :** एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि तापीय बिजली घर के पांच यूनिटों में से पहला यूनिट मार्च १९६१ से चालू हो जायेगा और बाकी यूनिट मार्च, १९६२ से चालू हो जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे तिथि अब भी निश्चित हैं या उन में कोई हेर फेर हो गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** तापीय बिजली घर से संबंधित प्रारम्भिक निर्माण कार्य जारी है। हम काम को निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दासप्पा : क्या सरकार नगदी के रूप में ऋण नहीं ले रही है परन्तु सब संयन्त्र और मशीनें रूस से खरीदी जायेंगी और विश्व व्यापी टेंडर आमंत्रित करने की कोई गुंजाइश नहीं है ?

†श्री के० दे० मालवीय : चल रही वार्ता के अनुसार, जो मशीनें भी खरीदी जायेंगी वह रूस से आयेंगी ?

†श्री स० चं० सामन्त : हमें बताया गया था कि इस बीच में 'ब्रिकेटिंग' और 'कार्बोनाइजिंग' योजना को लिया जायेगा ? इस में कितनी प्रगति हुई है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में से कैसे उत्पन्न होता है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी, हां। मैं बता चुका हूं कि उन कुछ छोटी छोटी बातों को छोड़ कर जिन पर अभी विचार किया जा रहा है, सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है।

†श्री प्र० चं० बोस : बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में संयंत्र का क्या साइज़ होगा ?

†श्री के० दे० मालवीय : साइज़ ?

†अध्यक्ष महोदय : श्री त० ब० विट्ठल राव ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : जब तक यह तापीय बिजली घर स्थापित नहीं हो जाता है, इन खानों से निकाले गये लिग्नाइट का कोई प्रयोग नहीं होगा। यह बात ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का इस में यथासंभव शीघ्रता करने का विचार है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी, हां। हम सब चीज को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जिन भी कुछ थोड़ी बातों पर दोनों दलों में सहमति होनी बाकी है, वह भी जल्दी ही हो जायेगी।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या उनके पास इस संयन्त्र को स्थापित करने के लिये वार्षिक अनुसूची है कि १९५९ के अन्त तक इतना कार्य किया जायेगा, १९६० तक इतना कार्य किया जायेगा और १९६१ में संयंत्र चालू हो जायेगा ।

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये कि क्या विस्तृत सूची बनायी गयी है, पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री नरसिंहन् : जैसे प्रश्न उत्पन्न हुआ मैं ने प्रश्न पूछना चाहा। वार्ता यहां पर किसी सोवियत एजेन्ट से हो रही है या केवल पत्र व्यवहार द्वारा ?

†श्री के० दे० मालवीय : मेसर्स टेक्नो एक्सपर्ट, मास्कों के प्रतिनिधि हमारी सरकार के प्रतिनिधियों से बात करते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा

+

†*९२७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेवा के बारे में योजना पर राज्य सरकारों की और क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ख) इस समय यह विषय किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) और (ख). राज्यों के सामान्य व्यवहार को ख्याल में रखते हुए इस विषय में और आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया। इसके बजाय केन्द्रीय सरकार इंजीनियरिंग विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय संघ की स्थापना के बारे में प्रश्न की जांच कर रही है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : जिन राज्यों ने योजना का विरोध किया है, उन के क्या नाम हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : कठिनाई से ही किसी ने योजना का अनुमोदन किया है ।

†**श्री दी० च० शर्मा** : क्या यह राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के प्रतिकूल नहीं है कि इस प्रकार की सेवायें और अन्य प्रकार की सेवायें अखिल भारतीय आधार पर बनायी जायें और यदि हां तो, क्या राज्यों ने इस प्रस्ताव पर असहमति प्रगट की है ? केन्द्रीय सरकार का क्या रुख है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : केन्द्रीय सरकार राज्यों पर उन के सर्व प्रतिरोध के विरुद्ध कोई चीज थौपना नहीं चाहती ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या मैं उनकी इन्कारी के कारण जान सकता हूं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उनका कहना है कि उन के अपने राज्यों में सेवाओं पर उनका पूरा नियंत्रण है और यदि सेवायें, चाहे वे इंजीनियरों की हो या चिकित्सकों की या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की, अखिल भारतीय पदाली के अन्तर्गत लायी गयीं, तो उस पर से उनका अपना नियंत्रण हट जायेगा ।

†**श्री च० द० पांडे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश बड़ी परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकार धन लगाती हैं और भविष्य में इन परियोजनाओं में इतने अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी कि भारत सरकार अखिल भारतीय आधार पर इंजीनियरों की अपनी सेवा बना सकती है, क्या सरकार, राज्य सरकारों की इन्कारी के अतिरिक्त, अखिल भारतीय आधार पर इंजीनित ों की सेवा की एक पदाली बनाने की संभावनाओं पर विचार करेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : केंद्रीय सरकार की इंजीनियरों की एक सेवा है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग केंद्रीय सेवाओं में बहुत अधिक इंजीनियर लगाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री च० द० पांडे : सिंचाई के लिय भी ?

†श्री गो० ब० पन्त : सम्भवत: सिंचाई इंजीनियर भी हैं और सिविल वर्क्स आदि के भी इंजीनियर हैं ।

†श्री च० द० पांडे : ये इंजीनियर राज्यों से आते हैं । ये केन्द्रीय सरकार को दिये जाते हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार की सीधी सेवा में कोई अन्य नहीं हैं ।

†श्री गो० ब० पन्त : ऐसा नहीं है । केन्द्रीय सरकार के अपने इंजीनियर भी हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : राज्य सरकारों से केवल पत्र व्यवहार द्वारा परामर्श किया गया था या गृह मंत्री महोदय ने मंत्रियों अथवा अन्य व्यक्तियों से कोई व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से बातचीत की ?

†श्री गो० ब० पन्त : मैं ने स्वयं कई बार उनको राजी करने का प्रयत्न किया है ।

†श्री तंगामणि : क्या सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों से अर्हता प्राप्त किये इंजीनियरों का एक पूल बनाने का इरादा छोड़ दिया है ; और यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं और उनको क्या राज्य-सहायता दी जा रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ? यह प्रश्न राज्यों को नियुक्त करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में न हो कर अखिल भारतीय पदाली के बारे में है ।

†श्री हेम बरुआ : जिस सेवा की अखिल भारतीय पदाली केन्द्रीय सरकार बनाना चाहती है क्या वह इंजीनियरों के केन्द्रीय पूल में से बनायी जायगी; यदि हां, तो शिक्षण अर्हता, अनुभव और आयु के बारे में कोई स्तर निर्धारित किया जा रहा है ?

†श्री गो० ब० पन्त : यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन है कि इंजीनियरों का केन्द्रीय पूल किस प्रकार स्थापित किया जाये । ऐसा भी हो सकता है कि सब राज्यों से सर्वोत्तम इंजीनियरों का चुनाव किया जाय और राज्यों से अपने कुछ इंजीनियरों की सेवाओं को एक निश्चित काल के लिये केन्द्रीय सरकार को सौंपने अथवा उनको केन्द्रीय पूल में स्थानान्तरित करने के लिये कहा जाये। ऐसे इन्जीनियरों के नाम एक सामान्य सूची में भी लिखे जा सकते हैं । यह भी हो सकता है कि विभिन्न राज्यों से यह तय हो जाये कि उन की सेवायें आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों में भी बड़ी परियोजनाओं के लिये उपलब्ध हो सकेंगी ।

यमुना के किनारे वाले गांवों का हटाया जाना

+

†*९२८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या गृह-कार्य मंत्री २० दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गांवों के लोगों का पुनर्वास करने के बारे में क्या प्रगति हुई है जिन्हें यमुना के किनारे से हटा कर अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बसाया जाना है ; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) सब नई जगहों के लिये योजना तैयार कर लेने और प्लौटों और ब्लौकों के सीमांकन के पश्चात् सम्बन्धित ग्रामीणों को प्लौट आवंटित किये जायेंगे। केवल एक गांव के बाशिन्दों को छोड़ कर जिन्होंने नई जगह की उपयुक्तता के बारे में संदेह किया था--सब ग्रामीणों ने प्लौटों के आवंटन को स्वीकार कर लिया है। इस पर विशेषज्ञों की राय भी ली गई थी। उन्होंने नई जगह को उपयुक्त बताया। ढाका धीरपुर गांव में (शहरी क्षेत्र में) विकास कार्य के सम्बन्ध में, भूमि को समतल बनाने का कार्य, और बरसाती पानी को निकालने के लिये नालियां डालने का कार्य, जो अगस्त, १९५८ में आरम्भ किया गया था, करीब करीब पूरा हो गया है। सम्बन्धित ग्रामीणों को मकान बनाने के लिये ऋण देने की व्यवस्था कर दी गयी है। खंड विकास पदाधिकारियों को सम्बन्धित ग्रामीणों के नये मकानों का निर्माण-कार्य संभालने को कहा गया है।

(ख) लगभग ३.०९ लाख रुपये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : एक परिवार को कितना ऋण दिया जायेगा और उस पर व्याज किस दर पर वसूल किया जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : हर परिवार को भूमि का प्लौट दिया जायेगा। इस प्लौट के लिये जो मूल्य वसूल किया जायेगा वह उस में लगाये धन से बहुत कम है अर्थात् भूमि के अर्जन पर जो मूल्य दिया गया है और प्लौट के विकास पर जो खर्चा किया गया है वह उस मूल्य से बहुत अधिक होगा जो ग्रामीणों से देने को कहा जायेगा। उनको सामान्य दरों पर मकान बनाने के लिये धन दिया जायेगा जो ५ प्रतिशत है।

†**श्री नवल प्रभाकर** : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि उन गांवों में जो लोग रहते थे और जिन को दूसरे गांवों में प्लौट दिये गये हैं, उन में से जो हरिजन हैं उन को भी कोई अनुदान देने की बात सरकार सोच रही है, जिस तरह से कि हरिजन कल्याण बोर्ड की ओर से उन को मकान बनाने के लिये सहायता और अनुदान के रूप में रुपया दिया जाता है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : इस वक्त जो तजवीज थी वह तो सारे गांव वालों के लिये एक ही पैमाने पर थी। अगर हरिजनों के लिये कोई खास सवाल हो और उस के लिये कोई खास रियायतें आम तौर से दी जातीं हों, तो दर्ख्वास्त आने पर गौर किया जायगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : खंड विकास पदाधिकारी इन मकानों के नक्शे तैयार करेंगे या इन ग्रामीणों को अपने मकानों के नक्शे तैयार करने की छूट दी जायेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : एक आदर्श नक्शा होगा जिसके ग्रामीणों द्वारा स्वीकार किये जाने की आशा है। परन्तु उन को वह स्वीकार करने के लिये मजबूर नहीं किया जायेगा।

राजा महेन्द्र प्रताप : क्या मैं जान सकता हूं कि संख्या कितनी है उन आदमियों की जो दूसरी जगह हटाये जा रहे हैं।

श्री गो० ब० पन्त : संख्या तो मुझे याद नहीं, मगर कोई १२ गांव हैं। उन १२ गांवों के जितने रहने वाले हैं उन सभी के लिये इन्तजाम है।

†**श्री राधा रमण** : क्या इन ग्रामीणों के वहां बस जाने पर या ग्रामीणों के पुनस्संस्थापन के लिये, अथवा ग्रामीणों के पुनर्वास करने के लिये योजना तैयार करने में सरकार ने वहां पर बिजली स्कूल और डिस्पेन्सरी आदि की सुविधायें देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री गो० ब० पन्त** : जी हां, । मेरे विचार में विकास योजना में इस बात की व्यवस्था है कि स्कूल के भवन बनाने और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिये जगह छोड़ी जाय और ये सुविधायें देना सम्बन्धित प्राधिकारियों का काम हैं ।

श्री नवल प्रभाकर : इन गांवों वालों को जो प्लौट अब दिये गये हैं क्या मैं जान सकता हूं कि उन की कीमत उतनी ही है जितनी कि उन प्लौटों की जो कि उन के पास अपने गांवों में थे जिन के बदले में नये प्लौट दिये गये हैं ?

श्री गो० ब० पन्त : अभी मैं ने कहा कि जितनी उन में लागत लगी है उस से काफी कम कीमत में वह गांव वालों को दिये जायेंगे, और जो उन की जमीन है, वह उन की रहेगी ।

श्री नवल प्रभाकर : जमीन जो तो बांध के बीच में आ गई है । वह उन के किसी काम में आ सकती तभी तो उन को देने का सवाल उठता ।

श्री गो० ब० पन्त : तब भी वे उस के मालिक रहेंगे और जब वह उन के काम आ सकेगी तब वे ले सकेंगे ।

प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति

\+

†*९२९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं तो, क्या प्रतिवेदन के लिये समय बढ़ा दिया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां । ३० सितम्बर, १९५९ तक ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सरकार को अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी, नहीं । सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् इस समिति ने अब तक क्या क्या कार्य किया है, क्या इस को बताने की कृपा की जायेगी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सब से पहले तो इस कमेटी ने सवाल पूछे थे । सैकड़ों सवाल पूछे गये थे । और उन के जवाब आये । उस के बाद जितने चैम्बर्स हैं, जितने एसोसिएशन्स हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

उन लोगों से उस ने ओरल एविडेंस ली। उन लोगों ने कमेटी के सामने जा कर बयान दिये हैं। कमेटी ने करीब करीब सभी प्रदेशों का दौरा किया और अब कमेटी अपने सुझावों की जांच पड़ताल कर रही है ।

श्री वाजपेयी : अब तक समिति को कितने स्मृति पत्र मिले हैं और जिनका मौखिक साक्ष्य लिया गया है, उन की संख्या क्या है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : स्मृति पत्र जो मिले हैं उन की संख्या ४७६ है। मौखिक कितने मिले हैं इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समिति के सभापति इस सदन में सदैव बातों के शीघ्र निबटारे के बारे में कहते रहते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निर्धारित तिथि पर दृढ़ रहा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह आज यहां नहीं हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सभापति महोदय स्वयं अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक हैं और समूचे विषय की विषम समस्याओं को देखते हुए, उन्होंने समय में वृद्धि की मांग की और समय बढ़ाया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उन माननीय सदस्य के उस समिति में रहे आने से क्या उन के यहां के कार्य में बाधा पड़ेगी ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ऐसा नहीं समझती ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं जानना चाहता हूं कि प्रतिवेदन देने के लिये निर्धारित की गयी तिथि पर दृढ़ रहा जायेगा। अथवा समय में कुछ और वृद्धि की जायेगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** । मैं यह नहीं बता सकती कि भविष्य में क्या होगा ; परन्तु जहां तक हमें आशा है, हम यह नहीं समझते कि रिपोर्ट पेश करने की निर्धारित अवधि बढ़ायी जायेगी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस समिति के निदेश पद क्या हैं और इसके कौन कौन सदस्य हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस समिति का गठन इस प्रकार है जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, लोक-सभा के सदस्य, श्री त्यागी, इस समिति के सभापति हैं। श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा, सदस्य, राज्य सभा सदस्यों में हैं, श्री बी० एम० गुप्ते, श्री जी० पी० कपाडिया और श्री के० सुन्दरराजन् समिति के अन्य सदस्य हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसे ही समिति नियुक्त होती है, क्या उसके सदस्यों के बारे में सूचना गज़ट में नहीं दी जाती ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जी, हां। यह दी जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पुस्तकालय में गज़ट की कई प्रतियां मौजूद रहती हैं। माननीय सदस्य को वह देखनी चाहिये थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खाडिलकर** : इस समिति को कुछ प्रशासनिक सुधार और कर सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है ; मैं जानना चाहता हूं कि बजट में कम्पनियों के धन कर में छूट देने के बारे में जिन नये उपायों का सुझाव दिया गया है ; क्या उन के बारे में इस समिति से परामर्श किया गया था ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं नहीं कह सकती कि समिति क्या प्रस्ताव करेगी । परन्तु समिति करदाताओं को होने वाली असुविधाओं को दूर करने और विलम्ब दूर करने की आवश्यकता पर उचित ध्यान देते हुए प्रत्यक्ष कराधान की समेकित योजना को लागू करने के लिये प्रशासनिक संगठन और आवश्यक प्रक्रिया के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिये बनाई गई है ।

†**श्री खाडिलकर** : मेरा प्रश्न यह है कि बजट में जो परिवर्तन किये गये हैं क्या वे समिति के परामर्श से किये गये हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं बता चुकी हूं कि समिति ने अभी तक कोई अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या उन से अनौपचारिक रूप से परामर्श किया गया था ?

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

+

*९३२. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री हेम राज :
श्री झूलन सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनैतिक पीड़ितों के आश्रितों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें देने का जो निश्चय किया गया था; उसे किन-किन राज्य-सरकारों ने कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) शेष राज्य-सरकारों को उक्त निर्णय लागू करने के लिये राजी करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य व संघ-राज्य क्षेत्रों के अनुमानतः कितने-कितने राजनैतिक पीड़ित इन रियायतों से लाभ उठा सकेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से जनवरी १९५९ में पूछा गया था, परन्तु उन के प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से सूचना पाये बिना केन्द्रीय सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि वह इस से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगा सके ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, मेरे पास जो भी इत्तिला उपलब्ध है, उसको मैं सदन की टेबल पर रख दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली में इसी सम्बन्ध में एक उप-समिति बनाई गई थी और वह अभी भी कार्य कर रही है और उस उप-समिति ने शिक्षा मंत्रालय को एक से अधिक ज्ञापन दिये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यदि उसने आपको ज्ञापन दिये हैं तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे मालूम नहीं कि सदस्य महोदय किस कमेटी का ज़िक्र कर रहे हैं........

श्री नवल प्रभाकर : इन्हीं पोलिटिकल सफरर्स के बारे में ।

डा० का० ला० श्रीमाली : लेकिन जहां तक स्कीम का ताल्लुक़ है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके सम्बन्ध में लिखा गया है और उनका उत्तर आने पर इसको कार्यान्वित किया जायेगा ।

श्री जगदीश अवस्थी: क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि हमारे देश में कुछ राजनीतिन पीड़ितों की आर्थिक स्थिति गुलाम भारत की अपेक्षा स्वतन्त्र भारत में अच्छी हो गई है ? क्या ऐसे राजनीतिक पीड़ितों को भी जिन की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, आप कुछ शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने का विचार कर रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक.....

श्री जगदीश अवस्थी : मेरे प्रश्न का हिन्दी में उत्तर दीजिये ।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, हिन्दी में ही देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अंग्रेज़ी भी जानते हैं ।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं ने प्रश्न हिन्दी में ही पूछा है और यदि अंग्रेज़ी के बजाय हिन्दी में ही उत्तर दिया जाय तो अच्छा रहेगा ।

डा० का० ला० श्रीमाली : आपको शायद यह मालूम है कि पिछली बार मैं ने स्कीम के बारे में बताया था कि राजनीतिक पीड़ित उन्हीं को माना जायेगा जिन की आय तीन सौ रुपये से अधिक नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या राज्य सरकारों से यह भी प्रार्थना की गई है कि अपने सुझाव देने से पहले वे इस बात का सर्वेक्षण करें कि उन के राज्य के अन्दर कितने राजनीतिक पीड़ित हैं, उन की क्या आर्थिक स्थिति है और कितने स्कालर्शिप्स की आवश्यकता है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वह तो करना ही होगा, उस के बाद ही कुछ किया जा सकता है ?

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि आसाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की योजनायें पहले से चालू हैं पर कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी सदन की मेज पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में कुल किस प्रकार की योजनायें चल रही हैं, और जिन राज्यों में अभी तक वे नहीं चल रही हैं, वे उन का क्या कारण देते हैं ?

†मुल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुग्रा :** क्या यह सच है कि राजनीतिक पीड़ितों को ग्रपनी पहिचान कराने के लिये कांग्रेस के प्रधानों तथा सचिवों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पड़ते हैं ? क्या सरकार ने यह विचार किया है कि इस प्रक्रिया में उन्हें कितनी ग्रधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार ने पहले ही 'राजनीतिक पीड़ित' व्यक्ति की परिभाषा कर दी है। उसके ग्रनुसार राजनीतिक पीड़ित से तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के राष्ट्रीय ग्रान्दोलनों में भाग लेने के परिणामस्वरूप कम से कम ६ मास का कारावास दिया गया हो, ग्रथवा जिसने राष्ट्रीय काम करते हुये ग्रथवा कारावास में ग्रपने प्राण दे दिये हों, ग्रथवा उसे प्राण दण्ड दिया गया हो, ग्रथवा जो गोली चलाये जाने या लाठी चार्ज किये जाने के परिणामस्वरूप पंगु बन गया हो ग्रथवा जिसकी नौकरी छूट गयी हो या ग्राजीविका जाती रही हो ग्रथवा जिसकी सब या कुछ सम्पत्ति को सरकार ने ज़ब्त कर लिया हो। राज्य सरकारों ग्रौर संघ राज्य-क्षेत्रों से यह कहा गया है कि वे 'राजनीतिक पीड़ित' की परिभाषा को ध्यान में रखते हुये इस सम्बन्ध में सुझाव भेजें।

†**श्री हेम बरुग्रा :** क्या राजनीतिक पीड़ितों के लिये उन शर्तों की पूर्ति को सिद्ध करने के लिये प्रमाण पत्र प्राप्त करना ग्रनिवार्य है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इसका निर्णय तो राज्य सरकारें ही करेंगी। हमारा सम्बन्ध किसी एक राजनीतिक दल से नहीं है। इस बात का निर्णय करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि उक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुये किस किस व्यक्ति को राजनीतिक पीड़ित माना जाये।

†**श्री रंगा :** क्या केन्द्रीय सरकार राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की सम्पूर्ण राशि देगी ग्रथवा उसमें से केवल कुछ राशि देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** संघ राज्य-क्षेत्रों में दी जाने वाली सम्पूर्ण राशि केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ग्रौर राज्यों में केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत राशि देगी।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** कुछ एक मंत्रियों के समर्थन से दिल्ली में हमने एक 'क्रांतिकारी समिति' बनायी है। क्या सरकार राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये उनसे परामर्श करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार पहले ही इस प्रश्न के सभी पहलुग्रों पर ग्रच्छी प्रकार से विचार कर चुकी है ग्रौर इसलिये इस बारे में किसी ग्रौर समिति की कोई ग्रावश्यकता नहीं।

†**श्री थानू पिल्ले :** क्या राज्य सरकारें छात्रवृत्तियों के रूप में ग्राधी राशि देने के लिये तैयार हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमने राज्य सरकारों को लिख दिया है। उनका उत्तर ग्रभी नहीं ग्राया है।

श्री खादींवाला : क्या केन्द्रीय सरकार राजनीतिक पीड़ित जो हैं, उनके लिये कोई एक ऐसी पालिसी बना रही है जो कि सब राज्यों में चालू की जा सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसी मंशा से यह स्कीम बनी है ताकि सब राज्यों में एक सी स्कीम चल सके।

---

† मूल ग्रंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ राय :** राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने के अतिरिक्त उनके स्कूलों और कालिजों में दाखिले में सहायता देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** राज्य सरकारों ने इस बारे में कई कार्यवाहियां की हैं। कई राज्यों में उन्हें कई प्रकार की रियायतें दी गयी हैं जैसे दाखिले के सम्बन्ध में विशेष रियायत, और सभी मान्यता प्राप्त प्राइमरी, बेसिक, मिडल और हाई स्कूलों में आधी तथा सारी फीस माफी, कुछ एक विद्यार्थियों को अभिस्वीकृत स्कूलों और कालिजों से सम्बद्ध छात्रालयों में निःशुल्क प्रवेश भी दिया जाता है और प्राइमरी तथा अन्य सहायता प्राप्त स्कूलों में किताबें भी दी जाती हैं। कुछ एक राज्यों में ये रियायतें दी जाती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या उन्हें छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त दाखिले में भी कोई प्राथमिता दी जाती है। क्या कोई राज्य सरकार वैसा कर रही है, अथवा क्या केन्द्र ने उन्हें कोई हिदायत भेजी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस मामले पर भी विचार किया जायेगा।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि केन्द्र अथवा राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के ही परिवारों को आप कोई शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने का विचार कर रहे हैं या खाली उन्हीं को मिल रही हैं ?

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री महोदय ने पहले बताया था कि यह योजना जुलाई, १९५९ से सभी विद्यालयों में लागू हो जायेगी लेकिन अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकारों के उत्तर भी नहीं आए हैं। इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों से प्रार्थना की जायेगी कि जल्दी से जल्दी सूचना भेज दें ताकि कार्रवाई की जा सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं ने लिखा है और फिर याद दिला दिया जायेगा और कह दिया जायेगा कि जितनी जल्दी हो सके वे अपनी स्कीम्स भेज दें।

नेवेली लिगनाइट परियोजना

+

†*६३३. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवेली लिगनाइट परियोजना के लिये विशेष खान खोदने वाली मशीनरी का संभरण करने वालों ने उस मशीनरी की डिलिवरी के लिये जो तिथियां बतायी हैं वे मूल रूप से निर्धारित तिथियों के बाद की हैं ;

(ख) क्या इस अवधि को बढ़ा देने से पुरानी मशीनरी को लगाने पर कुछ अतिरिक्त खर्च करना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो वह अतिरिक्त खर्च कितना था ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ६५ लाख रुपये।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** इस विलम्ब का कारण क्या था ? क्या उसका एक कारण यह नहीं था कि संभरण कर्ताओं को इस प्रकार की मशीनरी तैयार करने का वास्तव में अनुभव नहीं है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** विशेष सामान के पहुंचने से पहले मूल प्राक्कलनों में यह अनुमान लगाया गया था कि पुरानी मशीनरी से हमें २७० लाख घन गज मिट्टी में से केवल ९० लाख घन गज मिट्टी हटानी पड़ेगी। और यह अनुमान था कि उस पर केवल ९३ लाख रुपयों की लागत आयेगी। परन्तु बाद में ठेकेदारों ने यह महसूस किया कि विशेष प्रकार की मशीनरी समय पर नहीं पहुंच सकेगी। इसलिये काम को जारी रखने के लिये ३० लाख घन गज और अधिक जमीन खोदने के लिये पुरानी मशीनरी का कुछ और सामान भी खरीदना पड़ा। उसके लिये ६२ लाख रुपयों की और अधिक आवश्यकता थी। इसीलिये उस पर आने वाला कुल खर्च ९३ लाख रुपयों से बढ़ कर १५५ लाख रुपये हो गया था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह फर्म, जिसे मशीनरी का संभरण करना था, उस प्रकार की मशीनरी को तैयार करने के अनभ्यस्त थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हमें आशा तो थी कि वह विशेष प्रकार की मशीनरी समय पर पहुंच जायेगी, परन्तु फर्म समय पर भेज न सकी। उसके कई कारण थे जिन्हें हम स्वीकार नहीं करते। अतः केवल मात्र यही तथ्य है कि वे समय पर भेज नहीं सके और इसीलिये हमें कुछ और राशि खर्च करनी पड़ी।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का यह कहना है कि इस विशेष प्रकार की मशीनरी भेजने का ठेका जिस फर्म को दिया गया था, उस फर्म को उसका अभ्यास नहीं था और इसीलिये देर हो गयी थी।

†**श्री के० दे० मालवीय :** उन्होंने किसी और पार्टी को भी सामान देना था, इसीलिये हमें पूरे समय पर मशीनरी का संभरण नहीं कर सके। यदि माननीय सदस्या उस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहती हैं, तो मैं निश्चय ही उस बारे में पता करके उन्हें जानकारी दे सकता हूं।

†**श्री मुरारका :** क्योंकि मशीनरी के समय पर न पहुंचने के कारण हमें ६० लाख से अधिक रुपयों की हानि हुई है, सरकार ने उस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** पहली बात तो यह है कि हमें कोई हानि नहीं हुई है। हमें तो केवल कुछ अतिरिक्त उपकरण खरीदने पड़े हैं जो कि अन्य किसी भी स्थान पर इस्तेमाल किये जा सकते हैं। हां, इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या वास्तविक ठेकेदारों पर इसकी जिम्मेदारी निश्चित की जा सकती है या नहीं। इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानकारी प्राप्त करने के लिये स्वाभाविक रूप से उत्सुक हैं। इसलिये माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे किसी पार्टी को ठेका देने से पूर्व इस सम्बन्ध में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लिया करें कि वह सामान किस प्रकार की फर्म से तैयार करवाया जा रहा है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जहां तक मुझे इस समय ज्ञात है, मशीनरी की डिलिवरी में और उसे वास्तव में जहांज से भेजने में कोई अधिक देर नहीं लगी थी। सम्भव है कि उसके कुछ सामान के आने

---

† मूल अंग्रेजी में

में देर लग गयी हो। परन्तु यदि माननीय सदस्य इसका उत्तर विस्तारपूर्वक चाहते हैं तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करूंगा।

†**श्री थानू पिल्ले** : उन्होंने यह कहा है कि कुछ अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता थी और इसलिये अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल सामान के लिये कोई अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं।

†**श्री नरसिंहन्** : उस मशीनरों के समय पर पहुंचने के सम्बन्ध में कैसी आशा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उसके उपकरण यहां पहुंचने प्रारम्भ हो गये हैं। उसकी पहली किस्त पहुंच गयी है।

†**श्री बोस** : क्या वे ठेकेदार मशीनरी के निर्माता हैं या कि कोई और एजेन्ट ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं जर्मन निर्माताओं की ओर निर्देश कर रहा हूं।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या फर्म के साथ जो ठेका किया गया था, उसमें क्षतिपूर्ति का कोई खण्ड है, ताकि हम उस से क्षतिपूर्ति के लिये मांग कर सकें ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

सेना की मोटर गाड़ियों की मरम्मत

†*९३४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जैन मोटर वर्क्स, दिल्ली को सेना की मोटर गाड़ियों की मरम्मत का कोई ठेका दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस ठेके की क्या क्या शर्तें थीं ;

(ग) क्या वह फर्म अपना काम पूरा नहीं कर सकी है ; और

(घ) क्या वह ठेका रद्द कर दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां। मैसर्स जैन मोटर्स दिल्ली के साथ २४-३-१९५८ को एक ठेका किया गया था।

(ख) (१) १५ हंडरवेट ४×४ के प्रत्येक ट्रक की मरम्मत की दर ३,५०० रुपये।

(२) निर्धारित समय के अन्दर काम पूरा हो जायेगा। कुल १७८ ट्रकों की मरम्मत करनी थी ; और प्रतिमास ४० ट्रकों की मरम्मत हो जानी थी।

(३) सैनिक प्राधिकारियों द्वारा उन का निरीक्षण किया जायेगा और निर्धारित स्टैण्डर्ड के अनुसार काम पूरा होना चाहिये।

(४) विवादास्पद मामलों में एम० जी० ओ० द्वारा नियुक्त एक पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम निर्णय माना जायेगा। और वह दोनों पक्षों को स्वीकार होगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) फर्म अपने ठेके को पूरा न कर सकी ।

(घ) जी हां । ३१ अक्तूबर, १९५८ को वह ठेका रद्द कर दिया गया ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : ठेकेदार को कितनी राशि दी जा चुकी है और क्या शेष राशि के लिये उस ने कोई मुकदमा दायर किया है और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री रघुरामैया** : जहां तक मुझे इस समय ज्ञात है, अभी तक कोई राशि अदा नहीं की गई है । उन्होंने अभी तक ट्रकों की पहली किस्त भी नहीं भेजी है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या वे ट्रक अब आर्मी वर्कशापों में मरम्मत करवा लिये गये हैं और क्या सभी ट्रकों की मरम्मत के लिये रिपेयर वर्कशाप स्थापित करने का कोई विचार है ?

†**श्री रघुरामैया** : हमारा विचार हमारी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने का है ताकि हम अपनी गाड़ियों की स्वयं ही मरम्मत कर सकें ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या अवाडी में एक मरम्मत डिपो स्थापित करने का कोई विचार है ?

†**श्री रघुरामैया** : वह एक अलग मामला है । इस सम्बन्ध में कई प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

रूरकेला में धमन भट्टी[1]

†*९३५. श्री मुरारका : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटड ने रूरकेला में धमन भट्टी के निर्माण कार्य के लिये कुशल मजदूरों को काम पर लगाने के लिये एक भारतीय उप-ठेकेदार के सभी खर्च वहन करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या फर्म के मूल ठेके में यह शर्त निहित थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के लिये खर्च वहन करने की शर्त को क्यों स्वीकार किया गया है ; और

(घ) इस उप-ठेकेदार को वास्तव में कितनी राशि का ठेका दिया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). रूरकेला में धमन भट्टी के निर्माण के लिये जर्मन ठेकेदार से किये गये करार में यह भी निहित है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कुशल तथा अकुशल भारतीय मजदूरो की भर्ती करने और उन पर आने वाले खर्च को वहन करने में ठेकेदार की सहायता करेगा । यह महसूस किया गया कि निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न कोटि के बहुत से कुशल मजदूरों को अल्पकालीन आधार पर प्राप्त करना कठिन है, इसलिये यह निर्णय किया गया कि इस प्रयोजन के लिये एक भारतीय उप-ठेकेदार रखा जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Blast furnace.

(घ) भारतीय उप-ठकेदार को रूरकेला में तीन ठेके दिये गये हैं जिन में धमन भट्टी का निर्माण-कार्य भी सम्मिलित है ।

†**श्री मुरारका :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पर्यवेक्षण की सारी जिम्मेवारी विदेशी ठेकेदार की थी, क्या विदेशी फर्म को दी जाने वाली १,०२,००,००० रुपयों की राशि में से पर्यवेक्षण तथा निर्माण-कार्य के लिये कुछ राशि काट ली गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, नहीं । मैं नहीं समझता कि उस में से कुछ राशि काटी गई है ।

†**श्री मुरारका :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान महालेखापरीक्षक के इस बयान की ओर आकृष्ट किया गया कि विदेशी फर्म से किया गया मूल ठेका ग़लत था और इसीलिये बाद में ४८ लाख रुपये और खर्च करने पड़े हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** वास्तविक स्थिति यह है कि साधारण परिस्थितियों में तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड उस जर्मन फर्म की आनाकानी की जरा भी परवाह न करता और मूल ठेके के अनुसार अपनी शर्तों पर स्थिर रहता । परन्तु इस बात का भय था कि कहीं वह फर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से और अधिक देर न लगा दे, इसीलिये हमें उस फर्म की शर्तों को मानना पड़ा और उस के परिणामस्वरूप अधिक खर्च करना पड़ा ।

†**श्री मुरारका :** हाल ही में यह मालूम हुआ है कि इस धमन भट्टी में कुछ दोष रह गया है जिस के परिणामस्वरूप कच्चे इस्पात का उत्पादन ८०० टन से घट कर २०० न प्रति दिन हो गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं इस से सहमत नहीं हूं ।

†**श्री मुरारका :** यह खबर तो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी । क्या यह खबर सच है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, नहीं । यह सच नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस समय रूरकेला में कच्चे लोहे का कितना उत्पादन हो रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** संभवत: लगभग ३४५ टन प्रति दिन ।

ब्रिटिश कांउसिल द्वारा छात्रवृत्तियां

†*९३७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश काउंसिल ने १९५९-६० में भारतीय राष्ट्रजनों को भाषाओं का अध्ययन करने तथा गवेषणा कार्य के लिये १० छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये छात्र कैसे और कब चुने जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यर्थियों का चुनाव एक चुनाव समिति द्वारा किया जायेगा । वह समिति शीघ्र ही नियुक्त कर दी जायेगी । आशा है कि इस वर्ष के अगस्त मास तक चुनाव कर दिया जायेगा ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : ये छात्रवृत्तियां कितनी कितनी राशि की होंगी । वे कितनी अवधि के लिये होंगी और वे अभ्यर्थी गवेषणा तथा अध्ययन कार्य कहां करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रैस नोट में यह सारी जानकारी दी हुई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को सारा पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है । मैं लोक-सभा सचिवालय से कह दूंगा कि वे समय-समय पर भारत के गजट में छपने वाली प्रत्येक समिति के सदस्यों के नामों की सूची और निर्देश पद नोटिस बोर्ड पर लगा दिया करें ताकि माननीय सदस्य वे जानकारी प्राप्त कर सकें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हमें सभी समितियों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रहती । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस जानकारी को सभापटल पर रख दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने लोक-सभा सचिवालय से कह दिया है कि वे सभी समितियों के सम्बन्ध में जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगा दिया करें । इस के लिये एक विशेष नोटिस बोर्ड है । जब भी कोई समिति नियुक्त होगी उस के सम्बन्ध में सभी प्रकार की जानकारी नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाया करेगी और उस के सम्बन्ध में मैं भी सदस्यों को सूचित कर दिया करूंगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार अविकसित भाषाओं के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को कोई विशेष सुविधायें देने का विचार रखती है ताकि वे किसी विशेष भाषा में गवेषणाकार्य कर सकें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वे छात्रवृत्तियां सारे देश के लिय ही हैं और उस के लिये सर्वोत्तम छात्र चुने जायेंगे ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्रिटिश कौंसिल भारतीय छात्रों को जो १० छात्रवृत्तियां देगी, तो वे छात्र विदेश में जा कर किन-किन भाषाओं का अन्वेषण करेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वे विषय हैं—अंग्रजी को एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाना, अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य को पढ़ाना आदि । ६ छात्रवृत्तियां अंग्रेज़ी के अध्ययन के लिये और शेष ४ अंग्रेज़ी अध्ययन के क्षेत्र के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य के लिये हैं ।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियां

*९३८. **श्री पद्म देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री १७ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार के मामलों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : ऐसे मामलों में हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने ये कार्यवाही की है :—

(१) हिमाचल प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, १९५६ के मातहत २५ मामलों में दुरुपयोग की गई रकम की वसूली के लिये मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाही शुरू कर दी है ।

(२) जिन १३ मामलों में भारी गबन की आशंका थी उन्हें जांच पड़ताल के लिये पुलिस को सौंप दिया है । इनमें से दो मामले फौजदारी अदालतों में तय हुये, तीन मामले अभी अदालतों में चल रहे हैं, एक मामला अभिसंधान कर दिया गया और सात मामलों में अभी जांच-पड़ताल हो रही है ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री पद्म देव : क्या यह दुरुस्त है कि जब ये केसेज़ सुनवाई के लिये अदालतों में जाते हैं तो कोआपरेटिव विभाग को जो कि इन केसेज़ की रिपोर्ट करता है, गवाही के रूप में नहीं बुलाया जाता, जिस कारण बहुत से केस खराब हो जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गो० ब० पन्त : मुझे इसकी खास इत्तला नहीं है। मगर अदालत तो जिस किसी को चाहे बुला सकती है।

श्री पद्म देव : मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये जो केसेज़ सरकार की तरफ से पुलिस या दूसरी अथारिटी अदालतों में भेजती हैं, तो गवाही के लिए कोआपरेटिव विभाग को नहीं बुलाया जाता, निहायत लापरवाही के साथ इनकी वकालत होती है, जिसके कारण से सच्चे केसेज़ भी खत्म हो जाते हैं।

†**श्री गो० ब० पन्त :** अगर माननीय सदस्य मुझे किसी खास केस के बारे में सूचना दें तो मैं हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखूंगा।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सहकारी समितियों के बारे में जो जांच की गयी थी तो कितने रुपये की रकम का गबन हो गया था या दुरुपयोग किया गया था ?

श्री गो० ब० पन्त : वह कोई गबन या रुपये के दुरुपयोग के बारे में जांच नहीं थी, बल्कि आम तौर पर वह जांच यह थी कि वहां जिस तरह पर कोआपरेटिव सोसाइटीज़ का काम चलाया गया था वह सही था या नहीं, उसमें क्या गलतियां थीं और उसके सुधार के लिए क्या तजवीजें होनी चाहिए।

तेल उद्योग

†*९३९. **श्री सूपकार :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत में तेल उद्योग विकास के लिये कोई विशेष जोर दिया जायगा; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनुमान लगा लिया है कि उस परियोजना पर कुल कितना धन लगाया जायगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). इस समय देश में सम्पूर्ण अशोधित तेल का आयात करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ कई ऐसी वस्तुओं का भी पर्याप्त मात्रा में आयात करना पड़ता है जिनकी देश में कमी है। उद्योगीकरण के विकास के साथ ही साथ पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत भी बढ़ गई है इसलिये आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में तेल उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया जायगा। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ कर दिये गए हैं कि उस अवधि में तेल के विकास के लिये किस-किस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी और उन पर कितनी लागत आएगी, जब तक इस योजना की रूपरेखा तैयार नहीं हो जाती, तब तक यह बताना बड़ा कठिन है कि उस अवधि में तेल उद्योग के विकास पर कितना धन विनियोग किया जायगा।

†**श्री सुपकार :** मुझे आशा है कि सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में तेल उद्योग पर उतना ही जोर देगी जितना उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात तथा लोहे के विकास पर दिया है क्या तेल के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यदि सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में तेल उद्योग को सर्वाधिक महत्व प्रदान करे तो मुझे अपार हर्ष होगा। जहां तक उत्पादन के लक्ष्यों का सम्बन्ध है, हम उसके लियेआंकड़े तैयार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार :** कोयले से पैट्रोल तैयार करने की एक परियोजना थी। क्या उस परियोजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना की तेल परियोजनाओं में सम्मिलित किया जावेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** संश्लिष्ट पैट्रोल तैयार करने की बात अब केवल भूतकाल की बात रह गई है और फिर देश में मोटर स्पिरिट का स्टॉक कुछ फालतू बच भी गया है क्योंकि वह स्पिरिट अशोधित तेल से निथार कर तैयार को जा रही है। इस लिए मैं नहीं समझता कि संश्लिष्ट पैट्रोल के उत्पादन पर जोर देने की कोई आवश्यकता है। देश में जिन विभिन्न स्थानों पर तेल के कुछ चिन्ह अथवा सम्भावनाएं मालूम हुई हैं क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन सभी स्थानों पर ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर देने के सम्बन्ध में कोई विचार किया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** माननीय सदस्य को ज्ञात ही होगा कि भारत सरकार ड्रिलिंग के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्य कर रही है और किन-किन स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य हो रहा है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** पश्चिमी बंगाल में स्टानवेक को जो नई रियायतें दी जा रही हैं उन पर कितना खर्च आएगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह अनुपूरक प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है कि तेल के सम्बन्ध में अभी तक कितनी खोज हो चुकी है और कितनी खोज करनी बाकी है ताकि इस बात का अन्दाज़ा लगा सकें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में तेल उद्योग कैसा रहेगा।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी हां हम इस सम्बन्ध में तेल के वर्तमान उत्पादन तथा भावी उत्पादन के बारे में अनुमान लगा रहे हैं ताकि यह ज्ञात हो सके कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस उद्योग की स्थिति कैसी होगी ?

†**श्री सूपकार :** क्या सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में तेल सम्बन्धी योजना की कार्यान्विति के लिये प्रविधिक व्यक्तियों तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों को तैयार करने की ओर भी कोई ध्यान दिया है ताकि हम कार्यक्रम में पिछड़ न जायें।

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी हां, हम पैट्रोलियम उद्योग के लिए अपेक्षित प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता की ओर पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके लिये हम एक ऐसा कार्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं जिससे इस सम्बन्ध में अपेक्षित अधिक से अधिक कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे।

दिल्ली जनसम्पर्क समिति

†*६४२. **श्री वाजपेयी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली जन सम्पर्क समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या हाल ही में समिति के किसी सदस्य ने सरकार की खाद्य सम्बन्धी नीति के विरोध में त्यागपत्र दे दिया है ; और

(घ) क्या उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). जी हां, हाल ही में २९ जनवरी, १९५९ से जन सम्पर्क समिति दिल्ली के पांच सदस्य और बढ़ा दिये थे जिन में से चार संसद् सदस्य हैं।

(ग) एक सदस्य ने जो कि १५ नवम्बर, १९५८ को नियुक्त हुए थे २७ जनवरी १९५९ को त्याग पत्र दे दिया है ।

(घ) जी, हां ।

†**श्री वाजपेयी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में के संसद् सदस्यों को चुनावों के बाद एक दम उस समिति में क्यों नहीं सम्मिलित कर दिया गया था । इस काम में इतनी देर हो जाने के क्या कारण थे ?

श्री गो० ब० पन्त : मैं निश्चित रूप से तो नहीं बता सकता कि उन्हें पहले क्यों नहीं सम्मिलित किया गया था, उसका कारण सम्भवतः यह था कि पहले संसद् सदस्यों की स्थिति जन सम्पर्क समिति के सदस्यों की अपेक्षा बहुत ऊंची समझी गई थी, परन्तु अब यह अनुभव किया गया कि समिति में उनका रहना विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा ।

†**श्री वाजपेयी** : इस समय सदस्यों की संख्या कितनी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : पहले उनकी संख्या २१ थी, बाद में उनकी संख्या बढ़ा कर सम्भवतः ३५ कर दी गई हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : समिति के एक सदस्य ने किस कारण से त्यागपत्र दिया था ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उनके त्यागपत्र का कारण यह था कि दिल्ली राज्य-क्षेत्र के लिये विशेष रूप से एक खाद्य समिति नियुक्त नहीं की गई थी ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

होशियारपुर में तेल के लिये ड्रिलिंग

\+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९.** { **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्रीमती इला पालचौधरी** :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के होशियारपुर जिले में तेल के लिये ड्रिलिंग कार्य बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). होशियारपुर में गहरा जांच कुआं ३४३९ मीटर गहरा खोदा गया है । कुआं कुछ जांचों के लिये तैयार किया जा रहा है तथा आगे की कार्यवाही प्राप्त परिणामों पर निर्भर होगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ड्रिलिंग कार्य बठुला, जानौरी में और दसुआ के समीप हो रहा था। क्या माननीय मंत्री का उत्तर तीनों स्थानों के बारे में है या केवल बठुला के बारे में ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** होशियारपुर में केवल बठुला में ड्रिलिंग कार्य हो रहा था और हम ३,४३९ मीटर तक खुदाई कर चुके हैं। इसके बाद कुछ प्राविधिक कठिनाइयों के कारण कार्य बन्द कर दिया गया। यह कुआं बन्द कर दिया जायेगा या नहीं, यह कुछ परफोरेशन प्रोडक्शन टेस्ट्स पर निर्भर होगा जो हम दो सप्ताह में आरम्भ करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन प्रोडक्शन टेस्ट्स में कितना समय लगेगा और क्या इस मामले में अन्तिम निश्चय करने में किसी विदेशी विशेषज्ञ की सेवा ली जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** टेस्ट समाप्त होने में दो तीन सप्ताह लगेंगे और फिर परिणामों की जांच में दो तीन सप्ताह लगेंगे। विदेशी और भारतीय दोनों ही विशेषज्ञ वहां हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच है कि मैरीन रॉक निकल आई है और इसी कारण ड्रिलिंग बंद कर दिया गया है ? पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग जिलों में तेल पाये जाने के बाद क्या वहां मैरीन रॉक पाने का कोई उपाय है और क्या वह वहां पाई जायेगी या नहीं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कुए की मैरीन रॉक अभी नहीं मिली है। यदि यह मिल जाती तो हमें बहुत प्रसन्नता होती और इस खोज के लिये मैं माननीय सदस्य को बधाई देता। हमें कोई मैरीन रॉक नहीं मिली है। अभी हम मैरीन रॉक के कुछ ऊपर पहुंचे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नाबालिगों का धर्म परिवर्तन

†*९३०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नाबालिगों का धर्म-परिवर्तन रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक हितों की— विशेषकर पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के हितों की वृद्धि।

आसाम में सेना का प्रयोग

†*९३१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में नागा-उपद्रव के कारण उत्पन्न स्थिति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहां पड़ी सेना से आसाम सरकार आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस-कार्य ले रही है; और

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ में कितनी बार उनसे पुलिस-कार्य लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री० गो० ब० पन्त) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

पब्लिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा

†९३९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पब्लिक स्कलों में बुनियादी शिक्षा आरम्भ करने के लिये नियुक्त समिति के विधान व कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : भारत सरकार ने सितम्बर १९५८ में एक समिति बनाई थी । समिति ने कुछ स्कूल देखे हैं । इसने एक प्रश्नावलि भी परिचालित की है । अधिकतर स्कूलों के उत्तर आ गये हैं और उनका अध्ययन हो रहा है ।

प्रतिरक्षा निधियों का व्यपगत होना

†*९४०. **श्री गोरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष प्रतिरक्षा मंत्रालय ने ३० करोड़ रु० व्यपगत होने दिये;

(ख) इस प्रकार किन योजनाओं व परियोजनाओं को अपूर्ण रहने दिया या छोड़ दिया गया; और

(ग) प्रतिरक्षा संगठन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) नहीं, श्रीमान् । १९५७-५८ में प्रतिरक्षा अनुदानों में से लगभग १० करोड़ रु० छोड़े गये ।

(ख) मुख्यकर धन भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं सहित वस्तुओं व बड़े कामों के क्रम के लिये किये गये आय-व्ययक उपबन्धों में छोड़ा गया । स्टोर की वस्तुओं का सरकारी प्रक्रिया के अनुसार समाहार और संभरण का परिणाम यह हुआ कि वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहिले नहीं दी जा सकीं । बड़े कामों और भूमि अधिग्रहण की आवश्यक कार्यवाही आशातीत काल में पूर्ण न हो सकी । फिर भी, सम्बन्धित योजनायें न ही गई हैं और न ही उन्हें अपूर्ण रहने दिया गया है ।

(ग) अधिकतर विलम्ब का प्रशासनिक कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ा परन्तु यह कोई असामान्य प्रभाव न था । अनुदान छोड़ने में कमी करने तथा उनके पूर्ण प्रयोग करने के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप १९५७–५८ में अध्यर्पण ३·२ प्रतिशत हुए जबकि पिछले वर्षों में ये ८–१२ प्रतिशत तक होते थे ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेल

†*९४१. **श्री दामानी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हीं अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में तेल व पानी के अद्भुत मिश्रण के चिह्न देखे गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई खोज की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागार्जुनकोण्डा अवशेष

†*६४३. { श्री प्र० के० देव :
श्री बि० चं० प्रधान :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुनकोण्डा क्षेत्र में पुरातत्वीय अवशेषों को निकालने पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है; और

(ख) उन अवशेषों के आरक्षण के लिये अजायबघर के निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** :(क) १५,२२,४८२ रु० (जनवरी १९५९ तक) ।

(ख) अनुमानित व्यय १५,००,००० रु० से अधिक है ।

मुद्रण प्रविधि के लिये केन्द्रीय संस्था

†*६४४. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में मुद्रण प्रविधिकी केन्द्रीय संस्था के स्थापन के प्रस्ताव में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : एक विशेषज्ञ समिति मुद्रण उद्योग के परामर्श से मुद्रण प्रविधिकी केन्द्रीय संस्था की विस्तृत योजना बना रही है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की बस्तियां

†*६४५. **श्री इलियापेरूमाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को १९५८-५९ और १९५९-६० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की बस्तियां बनाने के लिये वित्तीय सहायता दी है या देगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : नहीं श्रीमान् ।

सोने का उत्पादन

†*६४६. { श्री शिवनंजप्पा :
श्री वें० प० नायर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत चार वर्षों में भारत में सोने के उत्पादन में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सोना-उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) (१) आंशिक रूप में कोलार सोना-क्षेत्रों में पर्याप्त जलमार्गों की समाप्ति के कारण ।

(२) अधिक गहराई में खुदाई पर अधिक व्यय होना ।

(३) पहिले से ही पानी के नये कुएं खोजने में असफल रहना ।

(ग) कोलार सोना क्षेत्र का बाह्य मानचित्र बनाया जा रहा है तथा जलमार्गों के कुछ नये विस्तार बताये गये हैं । इस भविष्यवाणी के तथ्यनिर्धारण के लिये छिद्रण आरम्भ करने का विचार है । आन्ध्र प्रदेश में रामगिरि में पुरानी खान का विस्तृत मानचित्र भी बनाया जा रहा है । संभवतः यह कार्य धीरे-धीरे देश के अन्य सोना-क्षेत्रों में भी होगा ।

पट्टा-धन[1]

†*९४७. पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी क्षेत्रों में कृषि-योग्य भूमि पर लिया जाने वाला पट्टा-धन समन्वर्ती क्षेत्रों के भूमि राजस्व से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख). छावनी क्षेत्रों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त सेना-भूमि का किराया, जो कृषि के लिये दी गई है, राज्य सरकारों द्वारा छावनी के बाहर समन्वर्ती क्षेत्रों में प्राइवेट भूमि पर लिये जाने वाले किराये से मूल रूप से भिन्न है । दोनों की कोई तुलना नहीं है ।

बीकानेर में लिगनाइट निक्षेप

†*९४८. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बीकानेर में पलना में लिगनाइट निक्षेपों की खुली खुदाई की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है; और

(घ) सिफ़ारिशों पर कार्यवाही कब आरम्भ होगी ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lease Money.

अमेरिका में भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण

***९४९. श्री सरजू पांडे :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में कोई करार हुआ है जिसके अनुसार अमेरिका भारतीय इंजीनियरों को इस्पात उत्पादन के प्रशिक्षण के लिये आर्थिक सहायता देगा,

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है, और

(ग) यह करार कब से लागू होगा ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) से (ग). करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुये हैं परन्तु बातचीत चल रही हैं। यह आशा की जाती है कि करार जल्दी ही पूरा हो जायगा। इस करार के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील के सौ इंजीनियरों को अमेरिका के इस्पात कारखानों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण का समय लगभग ९ माह होगा। अमेरिका में प्रशिक्षण का व्यय फोर्ड फाउंडेशन और अमेरिका की सरकार द्वारा दिये जाने की आशा है। भारत इन प्रशिक्षितों के अमेरिका जाने और वापस आने के परिवहन के लिए उत्तरदायी होगा।

पश्चिमी बंगाल में कोयले के निक्षेप

†*९५०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय परिमाप ने पश्चिमी बंगाल में कोयले की कई खानें खोजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो पाई गई खानें कैसी हैं ;

(ग) क्या उस क्षेत्र में कोयला निक्षेप का कोई आंकन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका मोटा अनुमान क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् पश्चिमी बंगाल के बंकुरा जिले में १३ वर्ग मील का एक कोयला क्षेत्र पाया गया है। इस क्षेत्र में अब तक कोयले की चार परतें निर्धारित की गई हैं। इस प्रदेश का कोयला निम्न कोटि का है।

इनके अतिरिक्त ओडंल (पश्चिमी बंगाल) के समीप कोयले का एक नया निक्षेप पाया गया है। यह निश्चित हो गया है कि यह रानीगंज कोयला क्षेत्र की विदित परतों का वर्तमान सीमा से लगभग एक मील पूर्व में कुछ विस्तार है। ओडंल क्षेत्र में भरसामूदा और आपरकजोरा की नीचे की परतें निम्न किस्म की हैं परन्तु आपरकजोरा की अपनी सतह, निम्न कजोरा, बोनवहल और तापसी केन्दा परतें श्रेणी १ के कोयले की हैं।

(ग) तथा (घ). हां, श्रीमान। बंकुरा में ११० लाख टन (निश्चित निक्षेप) का निर्धारण किया गया है। ओडंल क्षेत्र में ५२.६ लाख टन (निश्चित निक्षेप) का निर्धारण किया गया है तथा वहां अधिक निक्षेप की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों से सौदे

†*९५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के साथ बहुत से सौदे अभी पर्याप्त समय से निलम्बित खाते[1] में पड़ें हैं ;

(ख) यदि हां तो विदेशों के साथ वे सौदे क्या हैं जिनका (देशवार) खाता अब तक निश्चित नहीं हुआ है ; और

(ग) इन खातों के निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** :(क) तथा (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। इसमें पाकिस्तान के सौदे सम्मिलित नहीं हैं जो उस देश के साथ सम्पूर्ण वित्तीय निपटारे के लिए अनिश्चित पड़े हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	देश	बकाया वास्तविक राशि	सौदे की प्रकार
		(रु० लाखों में)	
१	फैड्रेशन आफ मलाया	१२.५५	ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य देशों से बकाया राशि में साधारणतया पेंशन, छुट्टी वेतन आदि के भुगतान सम्मिलित हैं जो उनकी ओर से किये गये हैं । ब्रिटेन से बकाया राशि मुख्यकर वस्तुओं के संम्भरण की गई सेवाओं और दिये अग्रिम देयों की है ।
२	ब्रिटेन	६.१७	
३	कैमरान (ब्रिटिश)	१.९७	
४	हांगकांग	१.६८	
५	अन्य देश	१.७९	
	योग	२४.१६	

(ग) मामले में निरन्तर पत्र व्यवहार किया जाता है तथा आवश्यकता की स्थिति में सामान्य राजनैतिक मिशनों द्वारा उस पर अभी कार्यवाही की जाती है ।

यूनेस्को

†*९५२. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक यूनेस्को ने भारत की विचिन्न संस्थाओं को कुल कितनी सहायता दी है ; और

(ख) ऐसे वितरण का क्या ढंग अपनाया गया तथा सहायता प्राप्त कर्ताओं के सम्भरण का तरीका क्या था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]**

†मूल अंग्रेजी में

[1]Suspense account.

दिल्ली पोलीटेकनीक

***६५३. श्री भक्त दर्शन :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली पोलीटैकनीक के सर्वतोमुखी विकास के लिये जो योजना अन्तिम रूप से स्वीकृत हुई थी उसके कार्यन्वय के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : इंजीनियरी और टेकनालाजी के नये कालेज की स्थापना के लिये माकूल जगह ले ली गई है और उसके नक्शे और तख्मीने के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। कालेज की स्थापना के लिये यूनाइटेड किंगडम से भी मदद मिली है ।

पोलीटैकनीक से वास्तुविद्या (आर्कीटैक्चर) कोर्स को हटाकर स्कूल आफ टाउन एण्ड कन्ट्री प्लेनिंग में चलाने का इंतजाम किया जा रहा है ।

नये कालेज में डिग्री कोर्स शुरु हो जाने के बाद डिप्लोमा और सार्टीफिकेट कोर्सों को धीरे धीरे बढ़ाया जायेगा और उनको तरह तरह के कई कोर्सों में बांटा जाएगा ।

रूरकेला धमन भट्टी संयंत्र

†*६५४. श्री मुरारका : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह से धमन भट्टी संयंत्र तथा सामान उठाकर रूरकेला तक पहुँचाने के लिए एक विदेशी ठेकेदार को काम दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए विदेशी ठेकेदार क्यों चुना गया है; और

(ग) इस पर कितना व्यय किया गया है ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कार्य स्थल पर धमन भट्टी के सारे सामान की अधिक आवश्यकता के कारण वहां सामान को समय पर पहुँचाने की दृष्टि से सामान देने वालों को कलकत्ता में इसे छुड़ाने तथा रूरकेला पहुँचाने का भी कार्य दिया गया ।

(ग) नवम्बर, १६५८ के अन्त तक १,०१,००० रु० व्यय हुए ।

जीवन बीमा निगम

†६५५. श्री ले० अचौ० सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के बाज़ार से स्टाक व अंश खरीदने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** :(क) तथा (ख). पिछले वर्ष कुछ समय तक निगम का विनियोजन कार्य मुख्यकर दलालों द्वारा स्वंय दिये गये प्रस्तावों पर विचार करना था। यह निगम के सर्वाधिक हित में न होने के कारण अब निगम स्वयं साधारण मात्रा में अपने दलालों को विशिष्ट दस्तावेजों को विशिष्ट मूल्य पर खरीदने का क्रयादेश दे कर क्रय करती है। दलालों के प्रस्तावों पर भी पहिले की भांति विशेषतानुसार विचार किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष सम्मेलन

†*९५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा तथा सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को में हुए पांचवी अन्तरर्ष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन पर विचार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किये गये ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) हां, श्रीमान्। अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष की भारतीय राष्ट्रीय समिति ने प्रतिवेदन का अध्ययन किया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष में भाग लेने वाले भारतीय संघों से समिति ने सिफारिश की है कि एक और वर्ष के लिये अर्थात् दिसम्बर १९५९ के अन्त तक वह वर्तमान रूप में ही अपनी कार्यवाही जारी रखे।

भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय की धमन भट्टी

†*९५७. { **श्री राजेन्द्र सिंह** :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय प्रबन्ध ने जनवरी १९५९ में बर्नपुर में स्थित अपने संयंत्र की सारी धमन भट्टियां बन्द कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की कितनी क्षति हुई ; और

(ग) धमन भट्टियां बन्द करने का क्या कारण है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). १२ क्रेन ड्राइवरों की हड़ताल के कारण बर्नपुर समवाय की इस्पात बनाने वाली 'ओपन हर्थ' भट्टियां[1] बन्द करनी पड़ीं। इस्पात निर्माण सुविधाओं के बन्द होने के कारण समवाय को एक या दो दिन के लिये दो धमन भट्टियां बन्द कर के तथा बाकी दो धमन भट्टियों को कम क्षमता पर चला कर, कच्चा लोहे का अपना उत्पादन कम करना पड़ा। उत्पादन में अनुमानतः लगभग १६,००० टन इस्पात की हानि हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Open hearth.

पश्चिम क्षेत्रीय परिषद्[1]

†*९५९. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री आसर :
श्री केशव :
श्री वाजपेयी :
श्री पांगरकर : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में दिसम्बर १९५८ के अन्तिम सप्ताह में बम्बई में हुई पश्चिमी खंड की दूसरी बैठक के निर्णयों तथा सुझावों के बारे में उल्लेख हो ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : कार्यवाही की एक प्रति, जिस में परिषद् के निर्णयों का उल्लेख है, इस मास में संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेगी ।

प्रादेशिक और देवनागरी लिपियों में चार्ट

९६०. श्री भक्त दर्शन : क्या **शिक्षा** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी सीखने को सरल बनाने के लिये प्रादेशिक व देवनागरी लिपियों में चार्ट तैयार करने के सिलसिले में इस बीच और क्या प्रगति हुई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : सभी प्रादेशिक भाषाओं के चार्ट तैयार हो चुके हैं। इन का परीक्षण हो चुका है और ये संतोषजनक हैं ।

रूरकेला में सामान का पुनः लदान

†*९६१. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान प्रा० लि० को रूरकेला में सील वाले स्थान पर माल डिब्बों से माल उतारने एवं पुनः लादनें और रूरकेला संयंत्र क्षेत्र में ठेकेदार के स्टोर तक पहुंचाने पर कितना अधिक व्यय करना पड़ा ;

(ख) वस्तुओं के बार बार उठाने व रखने में टूट फूट के कारण कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या इस के लिये रेलवे पर कोई दावा किया गया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अधिक व्यय का अभी खाता तैयार नहीं हुआ है, परन्तु इस के ५०,००० रु० होने का अनुमान है ।

(ख) पारेषणों के यात्रा बीमा होने के कारण टूट फूट के कारण हानि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Western Zonal Council.

सोने के बांड सम्बन्धी योजना

†*९६२. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री ५ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोने के बांड योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

सड़क दुर्घटनायें

†*९६३. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ जनवरी १९५९ को "भारत १९५८ प्रदर्शनी" नई दिल्ली के पास सड़क दुर्घटना में तीन सैनिक मारे गये ; और

(ख) दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दुर्घटना की परिस्थितियों की एक जांच न्यायालय द्वारा जांच हो रही है ।

विदेशी

†१३८८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने विदेशियों ने राज्यवार भारत का दौरा किया ; और

(ख) वे किन देशों से आये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जानकारी केवल उन विदेशियों के बारे में उपलब्ध है जिन्हें भारत आने के प्रवेशपत्र दिये गये थे । यह संख्या (मित्र राष्ट्रों और पाकिस्तान के राष्ट्रजनों के अतिरिक्त) ३२,२८३ थी ।

(ख) प्रायः संसार के सभी देशों से ।

हिमाचल प्रदेश हाई और हायर सैकन्डरी स्कूल

†१३८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल हिमाचल प्रदेश के कुल कितने हाई तथा हायर सैकन्डरी स्कूलों को सरकारी सहायता मिलती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५८-५९ में अब तक प्रत्येक को कुल कितनी सहायता दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हाई स्कूल . . ३

हायर सैकन्डरी स्कूल . . . . . . —

(ख) (१) डी० ए० वी० हायर सैकन्डरी स्कूल, मशोबरा .	३,२५० रु०
(२) एच० ए० एस० हाई स्कूल, वीरगढ़ . .	४,९८३ रु०
(३) गार्टन हाई स्कूल, कोटगढ़	४,३२५ रु०
योग . .	१२,५५८ रु०

पंजाब में समाज सेवा शिविर

†**१३९०. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक पंजाब में केन्द्रीय सहायता से कितने समाज सेवा शिविर लगे हैं ; और

(ख) भारत सरकार ने कुल कितना धन व्यय किया तथा कितने लड़के व लड़कियों ने भाग लिया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) १२८ शिविर (१-४-५८ से २०-२-५९ तक)।

(ख)* व्यय किया गया धन	भाग लेने वालों की संख्या		
	लड़के	लड़कियां	योग
२,३४,४६६·३८ .	८,४९७	१,९६४	१०,४६१

नोट*—व्यय के आंकड़ों में लेखा परीक्षित खातों के निपटारे पर परिवर्तन हो सकता है ।

पंजाब में भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी

†**१३९१. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में अब तक पंजाब में सीधी भर्ती के कितने कितने भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी नियुक्त हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : भारतीय प्रशासन सेवा . ८

भारतीय पुलिस सेवा २

†मूल अंग्रेज़ी में

कर्मचारियों का स्थायी किया जाना

†*१३९२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी १९५९ तक प्रतिरक्षा उपक्रमों में कुल कितने औद्योगिक तथा अन-औद्योगिक कर्मचारी स्थायी किये गये ; और

(ख) १९५९-६० में संभवतः कितने कर्मचारी स्थायी किये जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र पटल पर रखी जायेगी ।

औद्योगिक मजदूरों को पदोन्नति

†१३९३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी १९५७ से १ जनवरी १९५९ तक आयुध कारखानों में कितने औद्योगिक मजदूर उच्च 'बी' श्रेणी में पदोन्नत किये गये; और

(ख) इसी काल में कितने अन-औद्योगिक कर्मचारियों की पदोन्नति हुई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १०६ ।

(ख) ८७ ।

बेकार माल

†१३९४. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५९ को आयुध कारखानों तथा डिपों में कितने मूल्य का माल बेकार घोषित किया गया;

(ख) इस माल को अन्य कार्य में प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस स्टाक के नीलाम होने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क)

आयुध कारखाने . . .	१,१४,७०३ रु०
आयुध (सेना) डिपों . . .	६६,३५,६६१ रु०

समझा जाता है कि डिपों से अभिप्राय सेना आयुध डिपों से है जहां माल रखा जाता है तथा आवश्यकता के समय उपभोक्ता इकाई को दिया जाता है ।

(ख) माल को निकालने से पहिले इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता है कि अगर उसका किसी प्रकार से उपयोग किया जाना सम्भव है तो ऐसा किया जाये । जो पुर्जे मरम्मत के बाद काम दे सकते हैं उनको मरम्मत करके ठीक कर दिया जाता है । बेकार इस्पात, पीतल और तांबे के बारे में आयुध कारखानों से पूछ लिया जाता है कि अगर वे उसका उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं ।

जून १९५८ से एक अन्तर-सेवा प्रविधि दल विभिन्न डिपों में जाता है और अतिरेक सामान को देखता है तथा उनके निकाले जाने के पहिले उनके वैकल्पिक प्रयोगों का सुझाव देता है ।

(ग) हां । बेकार सामान जिसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता नीलाम से निकाला जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मानवशास्त्र[1] के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†१३६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने विद्यार्थी १९५९ में भारत सरकार की छात्रवत्तियों पर मानवशास्त्र का उच्च अध्ययन करने के लिये विदेश भेजे जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]

विशेष पुनर्गठन एकक

†१३६६. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुनर्गठन एकक द्वारा कार्य अध्ययन प्रविधि के बारे में प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार सेक्शन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में क्या प्रगति की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और कितने पदाधिकारी अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) इससे क्या लाभ हुआ है अथवा होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). पच्चीस पदाधिकारी, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों के सात सेक्शन पदाधिकारी तथा राज्य सरकारों द्वारा मनोनीत कुछ पदाधिकारी भी शामिल हैं, विशेष पुनर्गठन एकक द्वारा कार्य अध्ययन प्रविधि में अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं । एक दूसरे दल का प्रशिक्षण भी शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है ।

प्रशिक्षित पदाधिकारियों का उपयोग संबंधित मंत्रालयों में कार्य अध्ययन प्रविधि चलाने में किया जायेगा ।

भंगी बस्तियों के लिये केन्द्रीय ऋण

†१३६७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें विभिन्न राज्यों को भंगी बस्तियां बसाने के लिये १९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक दिये गये ऋण और अनुदान सम्बन्धी जानकारी दी गई हो ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भंगी बस्तियां बसाने के लिये १९५८-५९ में अब तक राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अनुदान मांगने के बारे में वित्त मंत्रालय को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

उड़ीसा के शैक्षणिक विकास कार्यक्रम

†१३६८. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ के लिये और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवशिष्ट काल के लिये अन्तिम शैक्षणिक विकास कार्यक्रम उड़ीसा की सरकार के पास से प्राप्त हो गये हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी जांच कर ली गई है; और

(ख) कार्यक्रम का ब्योरा क्या है और जांच का क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Humanities.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं के बारे में १९५८-५९ और १९५९-६० के अन्तिम कार्यक्रम प्राप्त हो गये हैं और उनकी जांच की जा चुकी है। १९६०-६१ के इसी प्रकार के कार्यक्रम १९६० के आरम्भ में प्राप्त होंगे।

(ख) १९५८-५९ और १९५९-६० में व्यय के अलग-अलग आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	१९५८–५९	१९५९-६०
	(रुपयों लाखों में)	
प्रारम्भिक शिक्षा	४५·०१	८४·२१
माध्यमिक शिक्षा .	२२·५६	३०·९२
विश्वविद्यालय शिक्षा .	१९·३४	२८·५८
अन्य शिक्षा योजनायें .	७·८०	१०·६५
योग . .	९४·७१	१५४·३६

प्रत्येक दशा में व्यय उसी सीमा के अन्दर है जिसके लिये योजना आयोग द्वारा सहमति मिल गई है।

चोरी-छिपे लाया गया सोना

†१३९९. { **श्रीमती मफीदा अहमद** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ फरवरी, १९५९ को एक एयर इण्डिया इन्टरनेशनल हवाई जहाज़ से शान्ता क्रुज़, बम्बई में लगभग ३,५०० तोले सोना पकड़ा गया था;

(ख) जहाज़ किस निर्धारित मार्ग से होकर आया था;

(ग) क्या हवाई जहाज़ में कोई दस्तावेज भी पाया गया था; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और क्या जांच पड़ताल कर ली गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी हां। १ फरवरी, १९५९ को डसेलडार्फ-जेनेवा और बीरूत होकर लन्दन से शान्ता क्रुज़ बम्बई में एयर इण्डिया इन्टरनेशनल का जो जहाज़ आया था, उसमें से ३,६७५ तोले सोना पकड़ा गया था।

(ग) हवाई जहाज़ में कोई दस्तावेज़ नहीं मिला था।

(घ) जी हां।

इस्पात के तार का निर्माण

†१४००. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे पैमाने के उद्योगों के रूप में इस्पात के तार बनाने के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): देश में सम्पूर्ण रूप से तार के उत्पादन के लिये इस समय काफी क्षमता विद्यमान है। हाल ही में बम्बई और दिल्ली में तार बनाने की तीन नई योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें प्रति वर्ष कुल १६,७०० टन तार बना करेगा। कुछ छोटे एकक उन क्षेत्रों में स्थापित करने के लिये अनुमति देने का विचार है जिनमें तार बनाने के लिये अपर्याप्त क्षमता है। ऐसे एककों में ५० से कम श्रमिक काम करेंगे।

उड़ीसा राज्य युवक कल्याण बोर्ड

†१४०१. **श्री पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य युवक कल्याण बोर्ड के लिये केन्द्रीय सरकार ने १९५८-५९ और १९५९-६० में कुछ अनुदान देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है ;

(ग) केन्द्रीय अनुदान से राज्य युवक कल्याण बोर्ड की किस प्रकार की परियोजनायें आरम्भ करने का विचार है ;

(घ) क्या १९५८-५९ और १९५९-६० में किसी अन्य राज्य युवक कल्याण बोर्ड के लिये अनुदान दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया है और किन राज्य बोर्डों को ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार में शिक्षितों की बेकारी

†१४०२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य को शिक्षितों की बेकारी में कमी करने के लिये १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई ; और

(ख) उपर्युक्त योजना के अधीन प्रतिवर्ष इसी काल में कितने बेकार व्यक्तियों को काम दिलाया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) १९५७-५८ में राज्य सरकार को कुछ भी अनुदान नहीं दिया गया था।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान देने के बारे में जारी की गई नई प्रक्रिया के अनुसार १९५८-५९ में वर्ष के प्रारम्भ में अलग-अलग योजनाओं के लिये कोई राशि अलग से नहीं

†मूल अंग्रेजी में

दी गई है । इसके बदले वित्त मंत्रालय द्वारा 'एक मुश्त अग्रिम राशि' दी गई है । पहली तीन तिमाहियों में की गई प्रगति और चौथी तिमाही का प्राक्कलन प्राप्त हो जाने के पश्चात् राज्य सरकारों को 'भुगतान मंजूरी' जारी की जायेगी । इस योजना के लिये १६५८–५६ में राज्य सरकार के लिये अनुदान की अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है ।

(ख) १६५७–५८ में किसी भी व्यक्ति को काम नहीं दिलाया गया ।

राज्य सरकार को १६५८–५६ में १५६० अध्यापक और ३२ निरीक्षक पदाधिकारी आवंटित किये कये ।

उड़ीसा में अग्रिम परियोजनायें[1]

†१४०३. **श्री प्र० गं० देब** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने उड़ीसा में अग्रिम परियोजनाएं चलाने के लिये कुछ राशि आवंटित की है ; और

(ख) क्या उपर्युक्त सहायता राज्य को द्वितीय योजना के अवशिष्ट काल में भी दी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, इस प्रकार की परियोजना के लिये बोर्ड ने २५,००० रुपये तक देना मंजूर किया है ।

पाकिस्तानियों के लिये भारतीय नागरिकता

१४०४. **श्री सरजू पांडे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७ और १६५८ में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये पाकिस्तानी नागरिकों से राज्यवार कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) इनमें से कितने नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र अब भी विचाराधीन हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय में वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में शैक्षणिक विकास

†१४०५. **श्री ओंकार लाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में राजस्थान राज्य को शैक्षणिक विकास कार्यक्रम के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : द्वितीय योजना में राजस्थान राज्य के शैक्षणिक विकास के लिये १० . ५६ करोड़ रुपये के कुल उपबन्ध में से (जिसमें टैक्निकल शिक्षा तथा सांस्कृतिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pilot-Projects.

कार्यकलाप सम्बन्धी योजनाएं शामिल हैं) योजना के प्रथम तीन वर्षों में निम्न राशि आवंटित की गई थी जो राज्य के आय-व्यय क में शामिल कर ली गई है :—

१९५६–५७	१.४१ करोड़
१९५७–५८	१.७५ करोड़
१९५८–५९	१.९० करोड़

योजाना आयोग ने १९५९–६० के लिये २.२९ करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है।

१९५६–५७ और १९५७–५८ में कुल व्यय क्रमश: ०.७१ करोड़ रुपये और १.३७ करोड़ रुपये हुआ था। पुनरीक्षित प्राक्कलन से पता लगता है कि चालू वित्तीय वर्ष में यह व्यय १.८९ करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है ।

मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†**१४०६. श्री सिदय्या :** क्या **शिक्षा** मंत्री २८ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने छात्रों को राज्यवार १९५८–५९ के लिये मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां दी गई हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के जितने छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया था उन सभी को छात्रवृत्तियां दे दी गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के जो छात्र छात्रवृत्तियां पाने के हकदार नहीं थे और जिन्होंने समय के भीतर अपने आवेदन नहीं दिये उन्हें १९५८–५९ की छात्रवृत्तियां मंजूर नहीं की गईं ।

मैसूर में स्मारक

†**१४०७. श्री सिदय्या :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर जिले के प्रत्येक रक्षित स्मारक की देख-भाल और विशेष मरम्मत के लिये १९५८–५९ में आवंटित राशि पूरी व्यय हो चुकी है ;

(ख) क्या उनकी कोई विशेष प्रकार की मरम्मत की गई थी; और

(ग) किस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं, वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में केवल मैसूर जिले के सोमनाथपुर के श्री केशव मन्दिर की ही विशेष मरम्मत की जा रही है । विशेष मरम्मत निम्न प्रकार की है :—

(१) पुराने ढंग के निर्माण के अनुसार यह पता लगा है कि दालानों की छत जिसमें तमाम छेद हो गये थे और कंकरीट उखड़ गई थी उसे हटा कर टाइलों की दो तहें लगा कर उस पर ईंटों की कंकरीट का प्लास्टर कर दिया गया है ।

(२) सारे आंगन में से गड्ढे वाले फर्श को हटा कर उसके स्थान पर नीचे चूना बिछा कर नया फर्श बना दिया गया है और बीच के छेद भर दिये गये हैं ।

(ग) ठेके और विभागीय श्रमिकों के द्वारा ।

सचिवालय में एम्पोरियम

†१४०८. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिवालय के साउथ ब्लाक के बेसमेंट में एक एम्पोरियम खोला गया है जो सेना कर्मचारियों की पत्नियों के संगठनों द्वारा चलाया जायेगा और जिसकी आय का इस्तेमाल सेना के पदाधिकारियों के बच्चों के लिये बसों की व्यवस्था करने तथा अन्य सुविधाओं के लिये किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये सुविधायें असैनिकों के लिये भी प्राप्त हो सकेंगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां, सैन्य कर्मचारियों की पत्नियों के कल्याण संगठन द्वारा साउथ ब्लाक के बाहर के हटमेण्टस के एक हिस्से में एक दुकान चलाई जा रही है, जो एक प्राइवेट निकाय है ।

(ख) असैनिकों के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये उनके पास से निवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

स्वविवेक निधि[1]

†१४०९. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उपयुक्त संस्थाओं को कुछ अनुदान दिया गया है जो जनता की सेवा अपनी स्वविवेक निधि से १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक करती आ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे संस्थाएं कौन-कौन सी हैं और प्रत्येक संस्था के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) इसी काल में कितने राजनीतिक पीड़ितों को इस निधि से लाभ पहुंचा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Discretionary Fund.

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट** ३, **अनुबन्ध संख्या** ३२]

(ग)	१९५७-५८	१८२
	१९५८-५९ (२८-२-५९ तक)	३३०

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की बेदखली

†१४१०. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकारों द्वारा ज़िलाधीशों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को उनकी भूमियों से बेदखली करने से रक्षा करने के लिये कोई निदेश जारी किये गये हैं जिसके बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने १९५७-५८ के अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : इस सिफारिश के बारे में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निदेश अलग से जारी नहीं किये हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के आयुक्त ने अपने १९५७-५८ में जो सिफारिशें की हैं वे यथावत् आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ।

मैसूर में फैरो-मैंगनीज संयंत्र

†१४११. **श्री केशव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में भद्रावती के अलावा और कहीं फैरो-मैंगनीज़ संयंत्र कार्य कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां पर स्थित है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**:(क) जी हां, एक संयंत्र जिस की स्थापना मेसर्स एलेक्ट्रो-मेटेलर्जिकल वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा की गई है, चल रहा है ।

(ख) डन्डेली में ।

संग्रहालयों के विकास के लिये मैसूर की योजना

†१४१२. **श्री केशव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने संग्रहालयों के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये केन्द्र ने कितनी सहायता दी है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय संग्रहालय मंत्रणा बोर्ड द्वारा हाल ही में निर्धारित की गई प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकारों से पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजने के लिये निवेदन किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय वैधिक वर्ग[1]

†१४१३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधिक प्रणाली का अधिकाधिक उपयोग करने और उसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये एक स्वायत्तशासी तथा एकीकृत अखिल भारतीय वैधिक वर्ग (आल इंडिया बार) बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** विधि आयोग प्रतिवेदन में जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है उसमें न्यायिक प्रशासन में सुधार के बारे में जो सिफारिश की गई है उसको दृष्टि में रखते हुए अब इस पर विचार किया जायेगा । इस की परीक्षा करने में कुछ और समय लगने की संभावना है ।

कोलम्बो योजना

†१४१४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में (देशवार) भारत द्वारा अब तक किस प्रकार की और कहां तक सहायता दी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** भारत सरकार टेक्निकल सहायता देने के लिये भारत में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था तथा अपने पड़ोसी देशों को जो कोलम्बो योजना के सदस्य हैं अपने देश के विशेषज्ञों को १९५९-६० में भेजना जारी रखेगी । इस के साथ ही इस वर्ष में भारतीय मिशन के द्वारा वह नेपाल को विकास योजनायें चलाने, सड़कों का निर्माण और देख-रेख तथा सर्वेक्षण आदि के लिये आर्थिक सहायता देगी ।

भारत कहां तक सहायता देगा यह १९५९-६० में प्राप्त निवेदनों पर निर्भर करेगा । आगामी वित्तीय वर्ष के लिये निम्न आय-व्ययक उपबन्ध करने का विचार है :—

	रुपये
पड़ोसी देशों के लिये टेक्निकल सहायता . . .	१६,२५,०००
नेपाल को आर्थिक सहायता	१,९०,००,०००

कुरुक्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय

†१४१ : { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की सरकार ने भारत सरकार से कुरुक्षेत्र में एक रेज़ीडेंशियल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख) जी नहीं । १९५६ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक इस प्रकार का निवेदन प्राप्त हुआ था और पंजाब सरकार को यह सूचित किया गया था कि आयोग की सामान्य नीति यह है कि नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]All India Bar.

संघ राज्य-क्षेत्रों के सचिवालयों का पुनर्गठन

†१४१६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री हेम राज : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के सचिवालयों की प्रशासन व्यवस्था के पुनर्गठन के बारे में कहां तक प्रगति की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मामला अभी भी विचाराधीन है ।

इस्पात पुनर्बेलन मिलों के लिये कच्चा माल

†**१४१७. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात पुनर्बेलिन मिलों को कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां; अभी तक पुनर्बेलनों के लिये कतरनों का संभरण जितनी उन की आवश्यकता है उतना नहीं होता ।

(ख) कतरनों की देश में जितनी आवश्यकता है उतना बढ़ा हुआ उत्पादन होने से इस वर्ष के आरम्भ से स्थिति में सुधार हो गया है । चालू तिमाही से पुनर्बेलनों के लिये कतरनों का आवंटन दुगना कर दिया गया है ।

सांची स्मारक

†**१४१८. श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांची स्मारकों की देख-भाल पर १९५८-५९ में कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ख) १९५९-६० में कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) ५३,४६८ रुपये (३१ जनवरी, १९५९ तक) ।

(ख) यह इस पर निर्भर करेगा कि संसद् इस के लिये कितनी राशि देती है ।

फतहपुर-सीकरी स्मारक

†**१४१९. श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फतहपुर सीकरी स्मारकों की देखरेख के लिये १९५८-५९ में कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ख) १९५९-६० में कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) १२,६२८.०० रुपये (३१ जनवरी, १९५९ तक) ।

(ख) यह इस पर निर्भर करेगा कि संसद् इसके लिये कितनी राशि देती है ।

लाल किले के दर्शक

†**१४२०. श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक लाल किला देखने कितने दर्शक गये ; और

(ख) इसी काल में दर्शकों के हाथ टिकट बेचकर कितनी राशि प्राप्त हुई ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ५,८६,७७३ (अप्रैल, १९५८ से जनवरी, १९५९ तक) ।

(ख) ६९,७६१.९६ रुपये ।

जामा मस्जिद

†**१४२१. श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जामा मस्जिद के लाइटनिंग कन्डक्टर काम नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मस्जिद को नुकसान होने से बचाने के लिये इन कन्डक्टरों को सुधारने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख) जामा मस्जिद के शाही इमाम ने बताया है कि दोनों मीनारों और जामा मस्जिद के महम गुम्बद में जो कन्डक्टर हैं उनकी दशा खतरनाक है और उन्होंने निवेदन किया है कि उसकी जांच करके उन्हें सुधारा जाये । यद्यपि जामा मस्जिद रक्षित स्मारक नहीं है, फिर भी इमाम की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशों में भारतीय पूंजी का विनियोग

†**१४२२. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ में विदेशों में विनियोग की गई कुल भारतीय पूंजी का कोई हिसाब लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी पूंजी का विनियोग किया गया है और प्रत्येक देश में अलग-अलग कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ग) दूसरे देशों में १९५८ में कुल कितनी भारतीय पूंजी का विनियोग किया गया है ;

(घ) क्या भारत के नागरिकों के कोई आवेदन इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के बारे में विचाराधीन हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा कितनी पूंजी के लिये अनुमति मांगी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत का रिज़र्व बैंक समय समय पर भारत के विदेशी दायित्वों का सर्वेक्षण करता है । रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय संयुक्त स्कन्ध समवायों के विदेशी दायित्वों और आस्तियों, विदेशी प्रतिभूतियों तथा भारत में रहने वाले व्यक्तियों के पास नामांकित, अभिकर्ता अथवा अभिरक्षक के रूप में व्यक्तियों और साझेदारों की ओर से बैंकिंग समवायों के पास जितने अंश और ऋणपत्र हैं, इनके बारे में पिछला सर्वेक्षण १९५५ में किया गया था । इस सर्वेक्षण में विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की आस्तियां शामिल नहीं थीं । १९५५ के बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । अतः केवल अंशतः जानकारी भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा संधृत विनिमय नियंत्रण सांख्यिकी से प्राप्त हुई है । पूरी जानकारी अगला सर्वेक्षण होने पर ही प्राप्त हो सकेगी ।

(ख) विदेशों में जनवरी-नवम्बर, १९५८ में लगी गैर सरकारी पूंजी के सम्बन्ध में जो परिवर्तन हुये हैं उनकी विनिमय नियंत्रण सांख्यिकी से ली गई स्थिति सम्बन्धी जानकारी निम्न प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
ब्रिटेन	—२८.४
अमरीका	+१.५
मलाया	+५.६
अन्य देश	—५.८
योग	—२६.७

टिप्पण : (—) का तात्पर्य यह है कि विदेशों में लगी भारतीय पूंजी में वृद्धि हुई है ।

(+) का तात्पर्य यह है कि विदेशों में लगी भारतीय पूंजी में कमी हुई है ।

ये आंकड़े निम्नलिखित सीमाओं के अधीन हैं :—

(१) २०,००० रुपये से कम वाली राशियों के सम्बन्ध में स्टर्लिंग क्षेत्र की मुद्राओं में प्राप्त होने वाली पूंजी का व्योरा विनिमय नियंत्रण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है ।

(२) इस अवधि में कम्पनियों की अवशिष्ट राशि में हुये परिवर्तन इसमें शामिल नहीं किये गये हैं ।

(३) यह सम्भव है कि इस विवरण में जिन भुगतानों और प्राप्तियों को शामिल किया गया है उनमें से कुछ उत्प्रवासी हस्तांतरणों के रूप में हों और विदेशी नियंत्रण के अधीनस्थ समवायों के खाते में किये गये भुगतान और प्राप्तियां भी उनमें शामिल हों ।

(ग) भारत के विदेशी दायित्वों और आस्तियों के सर्वेक्षण के अनुसार १९५५ में ६२.६९ करोड़ रुपये की गैर-सरकारी भारतीय पूंजी विदेशी दीर्घकालिक आस्तियों में लगी हुई थी । विनिमय नियंत्रण सांख्यिकी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि १९५६–५७ और १९५८ के जनवरी से नवम्बर के बीच कुल लगभग ५० लाख रुपयों की कमी हुई है (यह बाद वाली संख्या उन सीमाओं के अधीन है जिनका उल्लेख ऊपर प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में किया गया है) ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) और (ङ) जी हां। एक आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है जिसमें लन्दन में एक भारतीय स्टोर की स्थापना के लिये ब्रिटेन को लगभग २ लाख ५५ हजार रुपये के परचून और अन्य सामान के निर्यात करने की अनुमति मांगी गई है।

भारत भूपरिमाप विभाग[1]

†१४२३. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत भूपरिमाप विभाग (सर्वे आफ़ इण्डिया) की फील्ड यूनिटों में काम करने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों का काम इस ढंग का है जिसमें उन्हें दुर्घटनाओं और गम्भीर रोगों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो १९५३ से १९५८ तक कुल कितने कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुए या गम्भीर रोगों से बीमार पड़े;

(ग) दुर्घटना अथवा बीमारी से मरने वालों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) यदि उनके आश्रितों को मुआवज़ा दिया गया हो तो वह कितना है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी नहीं। भारत भूपरिमाप विभाग का फील्ड कार्य करने वाले कर्मचारियों का काम इस ढंग का नहीं है जिसमें उन्हें किसी विशेष ख़तरे का सामना करना पड़ता हो। उनके सामने वही ख़तरे आते हैं जिनका सामना उनके कार्य के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को करना पड़ता है।

(ख) १९५३ से १९५८ तक के ६ वर्षों में ९ व्यक्ति घायल हुए और ५३ बीमार पड़े हैं।

(ग) दुर्घटनाओं के फलस्वरूप ८ व्यक्ति मरे और बीमारी से मरने वालों की संख्या १६ है।

(घ) दो के मामले में असाधारण पेंशन मंजूर की गयी थी (एक के लिये ९.३५ रुपये प्रति मास और दूसरे के लिये १९.८३ रुपये प्रति मास) असाधारण पेंशन मंजूर करने के सम्बन्ध में तीन और मामले विचाराधीन हैं।

भारत भूपरिमाप विभाग

†१४२४. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आबू, शिलांग और मसूरी जैसे पर्वतीय स्थानों में भारत भूपरिमाप विभाग के कुछ सर्किल आफिसों और पार्टी हेडक्वार्टर्स रखने के यदि कोई विशेष कारण हों तो वह क्या हैं;

(ख) क्या इन कार्यालयों को पर्वतीय स्थानों से हटा कर सामान्य नगरों में स्थापित करने से यही प्रयोजन पूरा हो सकता है;

(ग) क्या सरकार के लिये भी यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगी; और

(घ) क्या निकट भविष्य में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Survey of India.

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** :(क) किसी पर्वतीय स्थान पर स्थापित किया गया सर्किल आफिस केवल मात्र आबू में है। आबू में हाल ही में बनाये गये इस सर्किल का प्रधान कार्यालय रखने का कारण यही था कि वहां स्थान शीघ्र ही उपलब्ध हो गया जबकि अन्य उपयुक्त स्थानों पर जगह नहीं मिल रही थी।

सर्वे पार्टियां शिलांग और मसूरी में इसलिये रखी गयी हैं क्योंकि भारत के भूपरिमाप के पास वहां स्थान है। साथ ही, स्टीरियो ठीक से तैयार करने और नक्शों की शुद्धता की दृष्टि से यह वांछनीय है कि काम ऐसे वातावरण में किया जाय जो शीतल और शुष्क हो और जिसमें धूल न हो।

(ख) इन सर्किल और पार्टी हेडक्वार्टर्स को पर्वतीय स्थानों से हटाकर मैदान में लाया जा सकता है बशर्ते कि वहां उपयुक्त भवन उपलब्ध हो जायं और मौसम ज्यादा गर्म या नम न हो और वहां धूल भी न हो। ऐसा न होने पर उस भवन के कुछ हिस्से को वातानुकूलित करना पड़ेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

भारत भूपरिमाप विभाग

†**१४२५. श्री स० म० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भूपरिमाप विभाग के अधीन कलकत्ते के फोटो-लीथो आफिस, देहरादून के फोटो-जिन्को आफिस और देहरादून के हाथी बर्कला लीथो आफिस की कर्म समितियां प्रभावपूर्ण ढंग से काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो १९५८ में कुल कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) किन-किन मदों पर चर्चा की गयी;

(घ) किन मदों पर सहमति प्राप्त हुई; और

(ङ) किन-किन सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जी हां।

(ख)	फोटो लीथो आफिस, कलकत्ता	१
	फोटो जिन्को आफिस, देहरादून	११
	हाथी बर्कला फोटो लीथो आफिस, देहरादून . . .	१४

(ग) से (ङ). कई विषयों पर चर्चा हुई और सिफारिशें की गयीं। कुछ को क्रियान्वित कर दिया गया है, कुछ को क्रियान्वित किया जा रहा है और शेष पर विचार हो रहा है?

भारत भूपरिमाप विभाग

†**१४२६. श्री स० म० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भूपरिमाप विभाग में काम करने वाले कुल कितने कर्मचारियों को १९५७-५८ में विभागीय छुट्टी पर भेजा गया था; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९५७-५८ में कुल कितने कर्मचारियों ने विभागीय छुट्टी में आधा वेतन लिया था ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) ३३६ ।

(ख) ११ ।

अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

१४२७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न जानकारी दी गई हो :

(क) अनुसूचित आदिमजातियों के उत्थान पर केन्द्रीय सरकार ने गत पांच वर्षों में कितना रुपया खर्च किया; और

(ख) इस धन में से सामाजिक संस्थाओं द्वारा कितना खर्च किया गया तथा उनके नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) केन्द्रीय सरकार ने १९५३-५४ से १९५७-५८ तक के पांच सालों में अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिए २२६५.७० लाख रुपये की रकम मंजूर की थी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	स्टेट सेक्टर	सेन्ट्रल सेक्टर	जोड़
राज्य सरकारें/संघीय क्षेत्र			
१. १९५३-५४	२६२.७३		२६२.७३
२. १९५४-५५ .	३७६.७२		३७६.७२
३. १९५५-५६ .	५१३.७४		५१३.७४
४. १९५६-५७	२९१.९५	२२३.०५	५१५.००
५. १९५७-५८ .	३१०.१७१	२८७.३४९	५९७.५१०
जोड़			२२६५.७०

(ख) इस रकम में से १.७७ लाख रुपये नीचे दी गई अखिल भारतीय संस्थाओं ने १९५६-५७ और १९५७-५८ में खर्च किये :—

१. सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी (आन्ध्र प्रदेश),

२. टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेज़,

३. इंडियन कौंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर और

४. भारतीय लोक कला मण्डल ।

उपरोक्त संस्थाओं के साथ साथ केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आदिम जाति सेवक संघ को भी दलित वर्गों और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट-इन-एड)

†मूल अंग्रेजी में

दिया । इसके अलावा राज्य सरकारों को अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये जो अनुदान दिया गया था उस में से उन्होंने भी स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान दिये । इन संस्थाओं का ब्यौरा और उनके द्वारा खर्च की गई रकम के आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं हैं ।

उर्दू

१४२८. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : वैज्ञानिक **गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू के विकास के लिये सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में कितने अनुदान और किन-किन संस्थाओं को दिये गये; और

(ख) गत पांच वर्षों में शिबली अकादमी, आजमगढ़ और देवबन्द के अरबी मदरसे को कितने रुपये के अनुदान दिये गये और क्या इस में से कुछ राशि उर्दू के विकास के लिये मंजूर की गई थी ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) सरकार ने उर्दू के विकास के लिये पिछले पांच सालों में नीचे लिखे अनुदान मंजूर किये हैं :—

	रुपये
१९५४–५५	
१. अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद, अलीगढ़	३६,०००
१९५५–५६	
१. अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द, अलीगढ़	३६,०००
१९५६-५७	
१. अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द, अलीगढ़	३६,०००
२. इदाराये अदबियात-ए-उर्दू, हैदराबाद	२,५००
१९५७–५८	
१. अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द, अलीगढ़	२८,०००
२. इदाराये अदबियात-ए-उर्दू, हैदराबाद	२,५००
१९५८–५९ (२८-२-५९ तक)	
१. अंजुमन तरक्की उर्दू हिन्द, अलीगढ़	१०,०००
२. इदाराये अदबियात-ए-उर्दू, हैदराबाद	२,५००

(ख) १९५३–५४ में शिबली अकादमी, आजमगढ़ को ६०,००० रुपयों का अनुदान दिया गया था । अकादमी ने यह रकम अपने प्रकाशन प्रोग्राम में खर्च की है । इसके अलावा और कोई रकम नहीं दी गई ।

छात्रवृत्तियां

†१४२९. **श्री राम गरीब :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में कुल कितने विद्यार्थियों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां मंजूर की गयीं; और

(ख) उन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३३]

सरकारी कर्मचारियों द्वारा चलाये जाने वाले न्यास

†१४३०. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पारिवारिक न्यास बनाने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार की अनुमति दी गयी है; और

(ग) क्या दिल्ली का कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार का न्यास चला रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) प्रत्येक मामले पर उस के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ख) और (ग). यह जानकारी एकत्र कर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली की विमुक्त जातियां

†१४३१. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विमुक्त जातियों के कल्याण के लिये वर्ष १९५८-५९ में कितनी राशि नियत की गई; और

(ख) अब तक यह राशि किन-किन मदों पर खर्च की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) ३०,००० रुपये ।

(ख) यह रकम नीचे दिये गये मदों पर खर्च की जा रही है :—

(१) कल्याण केन्द्र ।

(२) अम्बर चरखा ।

(३) विद्यार्थियों को वजीफे ।

(४) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र :

(५) खेल कूद ।

(६) चिकित्सा सहायता ।

(७) रोजगार दिलाने में सहायता ।

(८) मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों पर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, दिल्ली

१४३२. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देहली में क्या कोई समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड का कार्य क्या है ;

(ग) इस में कितने सदस्य हैं; और

(घ) इस के सदस्य किस आधार पर चुने जाते हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली के समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, के काम निम्नलिखित हैं :—

(१) एक ओर तो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और दिल्ली प्रशासन के बीच सम्बन्ध स्थापित करना और दूसरी ओर दिल्ली की स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्था के रूप में कार्य करना ।

(२) दिल्ली प्रशासन क्षेत्र में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम को अमल में लाना ।

(३) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का अनुसरण करना ।

(ग) सभापति सहित बारह सदस्य ।

(घ) गैर-सरकारी सदस्यों के चुनाव का आधार भूत नियम है कि सदस्य को उच्च कोटि का समाज कल्याण कार्यकर्ता होना चाहिये । चूंकि बोर्ड के कार्यक्रम मुख्यतः नारी कल्याण और बाल कल्याण से सम्बन्धित होते हैं, इसलिये महिला कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती है । इस के अतिरिक्त कुछ ऐसे सरकारी सदस्य भी होते हैं जो समाज कल्याण के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित हैं । ये सदस्य दिल्ली प्रशासन द्वारा नामित किये जाते हैं ।

दिल्ली में यातायात

१४३३. श्री नवल प्रभाकर: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यातायात (ट्रैफिक) नियमों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में १९५८-५९ में अब तक कितने व्यक्तियों के चालान किये गये;

(ख) इन से कितना रुपया दण्ड के रूप में वसूल किया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि में चालान किये गये साइकलों, ट्रकों और बसों की अलग-अलग संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) १९५८ और इस वर्ष की १२ फरवरी तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले १०४,५३२ व्यक्तियों का चालान किया गया ।

(ख) इस अवधि में ९,२८,८६७ रुपये, ७५ नये पैसे दण्ड के रूप में वसूल किये ।

(ग) इस बारे में सूचना इस प्रकार है :—

साइकिलें	५५,८७२
ट्रक	१२,९७६
बसें :—	
डी० टी० यू० की	२८०
दूसरी	२००५

बीजापुर की तेल मिलें

†१४३४. **श्री सुगन्धि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजापुर जिले में बड़े पैमाने वाले क्षेत्र में कितने स्टैण्डर्ड मिलें हैं और छोटे पैमाने वाले क्षेत्र में कितनी 'बेबी' तेल-मिलें हैं ;

(ख) १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ के प्रथम नौ महीनों में उनका तेल का उत्पादन कितना-कितना था;

(ग) उक्त वर्षों में उन्होंने कुल कितना उत्पादन शुल्क दिया; और

(घ) उक्त अवधि में उत्पादन-शुल्क की चोरी के कुल कितने मामले पकड़े गये और क्या दण्ड दिये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). बीजापुर जिले में कुल मिला कर ४१ तेल मिलें हैं। बनस्पति गंधहीन तेल के निकालने के लिये इनमें से ४ मिलों में स्टैण्डर्ड किस्म के एक्सपेलर्स, ७ में रोटरी और ३० में 'बेबी' एक्सपेलर्स लगे हैं। इन ४१ कारखानों में से १२ फैक्टरियों के उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क लगना था क्योंकि शेष कारखानों का उत्पादन ७५ टन से कम होने के कारण उन्हें उत्पादन-शुल्क से छूट मिली हुई थी। फिर भी, २० टन से ७५ टन तक उत्पादन वाली तेल मिलों पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियंत्रण रखा जा रहा था हालांकि उन्हें शुल्क नहीं देना था। लेकिन १-३-५९ से खण्ड-छूट का अन्त हो गया है और बिजली से चलने वाली सब तेल मिलों पर उत्पादन-शुल्क लगने लगा है।

१९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ के प्रथम नौ महीनों के उत्पादन, वसूल किये गये शुल्क और पकड़े गये मामलों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४**]

हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये शौवल[1]

†१४३५. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड ने एक कम्पनी को ९,३०,५४८ रुपये फी शौवल (बेलचे) की दर से तीन शौवल के और दूसरी कम्पनी को १०,८०,००० रुपये फी शौवल की दर से १ शौवल का आर्डर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो दूसरी कम्पनी को ज्यादा दाम देने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Shovels.

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं । रूरकेला इस्पात परियोजना के लिये बिजली के जिन चार शौवल की आवश्यकता है उन चारों के लिये हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने १०,०८,९९० रुपये फी शौवल की दर से आर्डर दिया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब के पुस्तकालय

†१४३६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ और १९५८-५९ में पृथक्-पृथक् पंजाब के पुस्तकालयों के विस्तार के लिये कोई राशि दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में किन-किन स्थानों पर कितने-कितने पुस्तकालय खोले गये हैं ; और

(ग) १९५९-६० के लिये इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) से (ग). यह जानकारी पंजाब सरकार से एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

खनिज सोतों का सर्वेक्षण

†**१४३७. श्री रामी रेड्डी :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के खनिज सोतों का सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर यह सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है और उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) सर्वेक्षण के परिणामों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). १९३५–५५ के बीच भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण[1] ने कई सोतों की जांच की थी। इनके व्यौरों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३५]** । इसके अलावा व्यौरेवार जानकारी भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के निम्नलिखित प्रकाशनों में मिल सकती है जो संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं :—

१. इंडियन मिनरल्स खण्ड १२, अंक २ "मिनरल स्प्रिंग्स-आफ इंडिया" लेखक पी० के० चटर्जी ।

२. रेकार्डस आफ दि जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, खंड ८०, "रिव्यू आफ दि मिनरल प्रोडक्शन आफ इंडिया फार दि इयर्स १९३४–४६" ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Geological survey of India.

(ग) अब तक की जांच से आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद किसी भी खनिजायन का पता नहीं चला है इसलिये सरकार ने और आगे न कोई कार्यवाही की है और न कोई कार्यवाही करने का अभी उसका विचार है ।

नीचे उड़ते हुए विमान से लड़की का घायल होना

†१४३८. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ६ जनवरी, १९५९ के आसाम ट्रिब्यून में प्रकाशित इस खबर की ओर आकृष्ट हुआ है कि जोरहाट से लगभग १४ मील की दूरी पर एक बहुत नीचे उड़ते हुये विमान से टकरा कर एक लड़की सख्त घायल हो गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां ।

(ख) इस मामले की जांच की गयी है । विमान के चालक के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

कोणार्क का मन्दिर

†१४३९. **श्री पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग ने कोणार्क के मन्दिर पर पहरेदार नियुक्त किये है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने पहरेदार रखे गये हैं ;

(ग) क्या उन्हें स्थायी बना दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां ।

(ख) दो ।

(ग) और (घ). पहले जो दो चौकीदार रखे गये थे उनके पद कर्म भारित कर्मचारियों में शामिल थे । उन पदों को स्थायी बना दिया गया है । सम्बन्धित व्यक्तियों को इन पदों पर स्थायी कर देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मनीपुर प्रशासन का कराधान कार्यालय

†१४४०. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल-दर संग्रह का कार्य मनीपुर प्रशासन के कराधान कार्यालय को हस्तान्तरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, क्या सभी कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक सेवाओं में सैनिक पदाधिकारी

†१४४१. **श्री अरविन्द घोषाल:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सैनिक पदाधिकारियों को १९५६, १९५७ और १९५८ में असैनिक सेवाओं में नियुक्त किया गया है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). यह जानकारी उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। यथासमय सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

आंध्र प्रदेश में लौह-अयस्क

†१४४२. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री दें० वें० राव : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के जिन क्षेत्रों में ५० प्रतिशत लोहा पाया जाता है क्या उनका मानचित्र बनाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अयस्क के निक्षेपों का कोई प्राक्कलन किया गया है ; और

(ग) १९५० से १९५८ में आन्ध्र प्रदेश में कितने अयस्क का खनन किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी हां। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने कड़पा जिले के छब्ली और पगडलपल्ली स्थानों में, कुरनूल जिले में वेल्युर्ती और रामल्ल कोटा में, कृष्णा जिले में जग्गय्यापेट में और करीमनगर जिले के अम्बर पेट स्थानों में ५० प्रतिशत से अधिक लोहे वाले लौह-अयस्क के निक्षेपों की जांच की है। खम्मामेट जिले में काम अभी चल रहा है।

(ख) जी हां। अनुमान है कि यह निक्षेप लगभग २०० लाख टन का है।

(ग) १९५० से १९५८ तक निकाली गयी लौह-अयस्क का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (टन)
१९५०	उपलब्ध नहीं
१९५१	उपलब्ध नहीं
१९५२	१६,३१३
१९५३	७६,५४४
१९५४	२८८,३८१
१९५५	३८६,३३८
१९५६	४१८,५७१
१९५७	२६७,३०३
१९५८	१९२,७४२ (अस्थायी)

†मूल अंग्रेजी में

संस्कृत की शिक्षा

†१४४३. **श्री वाजपेयी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की जो २६वीं बैठक हुई थी क्या उसमें संस्कृत आयोग की इस सिफारिश पर विचार किया गया था कि संस्कृत की शिक्षा को माध्यमिक स्कूलों के अनिवार्य विषयों में शामिल कर लिया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निश्चय किया गया है ;

(ग) इस बैठक में अन्य क्या सिफारिशें और निर्णय किये गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की पिछली बैठक के, जो जनवरी, १९५९ में मद्रास में हुई थी, कार्यवाही वृत्तांत को, जिसमें बोर्ड की सिफारिशें दी हुई हैं, अभी अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया गया है । कार्यवाही वृत्तांत की एक प्रति यथासमय संसद्-पुस्तकालय को उपलब्ध कर दी जायेगी ।

औषधीय एवं प्रशाधन-सामग्री अधिनियम

†१४४४. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केन्द्र से आयुर्वेदिक आसवों और अरिष्टों को औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों से छूट देने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां । वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने ही सब राज्य सरकारों से यह पूछा था कि क्या उन्हें स्वयं उत्पन्न होने वाले अल्कोहल युक्त आयुर्वेदिक सामग्रियों को औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों से छूट दे देने में कोई आपत्ति है । केरल सरकार ने इस सन्देश के उत्तर में यह कहा है कि उन्हें इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है ।

(ख) अन्य राज्यों में से कुछ के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । इन सब के उत्तर आते ही इस मामले पर आगे विचार किया जायेगा ।

भारत का राज्य बैंक

†१४४५. { **श्री सुबोध हंसदा**:
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक पश्चिम बंगाल में भारत के राज्य बैंक की कुल कितनी शाखायें खोली गयीं हैं ; और

(ख) उनमें से कितनी मिदनापुर में हैं और किन-किन स्थानों पर हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १ अप्रैल, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक की अवधि के भीतर भारत के राज्य बैंक ने पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित स्थानों पर चार शाखायें खोली हैं :—

१. उलुबेरिया
२. माल्दा
३. डायमंड हार्बर
४. रामपुर हाट ।

(ख) एक भी नहीं ।

आयकर इन्स्पेक्टरों की भर्त्ती

†१४४६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर इंस्पेक्टरों के चुनाव के लिये मई, १९५८ में जो भर्त्ती परीक्षा हुई थी उसका परीक्षाफल अभी घोषित नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्भ का क्या कारण है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कमिश्नरों के जिन १४ मंडलों में यह परीक्षायें हुई थीं उनमें से १२ में सफल अभ्यार्थियों के पास परीक्षाफल भेजा जा चुका है। शेष दो में भी परीक्षा-फल भेजा जा रहा है। इनमें से १० मण्डलों में परीक्षा-फल स्थानीय-पत्रों में भी प्रकाशित कराये गये थे ।

(ख) लिखित परीक्षा २९ और ३० मई, १९५८ को हुई थी। भारत भर के ११,००० से भी अधिक अभ्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे और उत्तर-पुस्तकों को जांचने और परीक्षा-फल के सारणीकरण में समय लगना स्वाभाविक था । विहित संख्या से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिये बुलाया गया था और इंटरव्यू के अंकों को लिखित परीक्षा में मिले अंकों में जोड़कर और प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को तरतीबवार लगा कर अंतिम सूची तैयार की गयी । इस सारे कार्य में समय लगना अनिवार्य था ।

वाराणसी में विचाराधीन आय-कर संबंधी मामले

†१४४७. श्री रघुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के आय-कर कार्यालयों में पिछले एक वर्ष से आयकर सम्बन्धी कुल कितने मामले विचाराधीन हैं, और आय-कर अधिकारियों द्वारा निबटाये जा चुके मामलों की कितनी अपीलें एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ३१-१२-५८ को केवल ७४ मामले एक वर्ष से अधिक समय से वाराणसी के आयकर अधिकारियों के पास विचाराधीन थे ।

(ख) वाराणसी के अपीलीय सहायक आयुक्त के पास एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन अपीलों की संख्या ३१-१२-५८ से केवल ८८ थी ।

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन

†१४४८. { **श्री पद्म देव:**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन बनाये रखने के लिये कोई उपाय काम में लाये गये हैं और वे क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में जनता कालेज

१४४९. **श्री पद्म देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर जनता कालेज खोले गये हैं ;

(ख) इन कालेजों का पाठ्यक्रम क्या है ; और

(ग) इन कालेजों में प्रवेश के लिये क्या अर्हता निश्चित की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) कोई जनता कालेज नहीं खोला गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

१४५०. { **श्री पद्म देव :**
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चालू हैं ;

(ख) साक्षर बनाने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये क्या कोई स्कूल खोला गया है ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में साक्षर नर-नारियों का अनुपात क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १०२१।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पुरुष ७.५ प्रतिशत।

महिलाएं २ प्रतिशत।

१९५१ की जनगणना के अनुसार।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†१४५१. **श्री परुलेकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय असैनिक सेवा आचरण नियम के (१) के नियम ४ (क) और ४ (ख) ; और (२) संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के अधीन १९५८ में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारियों के अधीन अनुशासन की कार्यवाही की गयी है ;

(ख) ऊपर भाग (क) के (१) और (२) के सम्बन्ध में राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को अनुशासन की इन कार्यवाहियों के खिलाफ कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(घ) कितने मामलों में अनुशासन की कार्यवाही का विखंडन कर दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातर)** : (क) से (घ). यह स्पष्ट नहीं है कि भाग (क) का (२) संविधान के अनुच्छेद ३११ के खण्ड (२) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बर्खास्त किये गये, हटाये गये, या तनज्जुली पाये सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं या ऐसे कर्मचारियों के विषय में भी जानकारी मांगी जा रही है जिसमें उस खंड के तीनों परन्तुकों में से किसी को भी व्यवस्था का पालन किये बिना इस प्रकार की कार्यवाही कर दी गयी थी ।

यह बात मान ली जाती है कि भाग (ख) का सम्बन्ध उस राज्य से है जिसमें वह सरकारी कर्मचारी नियुक्त हो ।

केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियम के नियम ४ (ख) के उल्लंघन के लिये और संविधान के अनुच्छेद ३११ (२) के अधीन जितने मामलों में कार्यवाही की गयी है उनकी संख्या और भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तरों के सम्बन्ध में जानकारी का विवरण भाग (क) के (२) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मिलते ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचरण) नियमों के नियम ४ (क) के उल्लंघन के लिये अभियोग-पत्र पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या .	९४१
सजा पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या . . .	२०७

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

१४५२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में मिरिस्टिका मलनेरिका पौधे से 'ऐंटी-आक्सीडेंट' की 'टाक्सिटी' का जो सफलतापूर्वक विदोहन किया गया है क्या उसका विस्तृत अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बूटीलेटिड-हाइड्रोस्कसी-तूलीन की तुलना में यह कैसा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : यह काम राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में नहीं किया जा रहा है । भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली

---

†मूल अंग्रेजी में

में मिरिस्टिका मलबैरिका पौधे से 'फिनौलिक' अलग किया गया है। भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति की सिफारिश पर, इस पौधे से निकाले गये ऐंटी-ग्राक्सीडेंट पर केन्द्रीय भेषज गवेषणा संस्था में प्रयोग किया जा रहा है। क्यों कि यह प्रयोग पशुओं पर किये जाने हैं, इसलिये परिणामों के पता चलने में समय लगेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आर्मी बेस वर्कशाप दिल्ली

†**१४५३. श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी में बनाई जाने वाली वस्तुएं अब अधिक मूल्य पर खरीदी जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). इ० एम० इ० कारखानों में मोटर गाड़ियों तथा प्रतिरक्षा विभाग के अन्य सामान की मरम्मत होती है। साधारणतः वहां मरम्मत के लिये अपेक्षित अलग पुर्जों का निर्माण नहीं किया जाता है परन्तु जब कोई पुर्जे युद्ध सामग्री डिपो और बाजार में नहीं मिलते तो वे इ० एम० इ० कारखानों द्वारा बनाये जाते हैं ताकि मरम्मत का काम न रुके। इ० एम० इ० कारखानों की उत्पादन क्षमता सीमित होती है और वह जनशक्ति और मरम्मत के कार्यभार पर निर्भर करती है। जब मरम्मत के लिये पुर्जों की ज़रूरत होती है तब लागत का ख्याल नहीं किया जाता है। कुछ वस्तुओं जो पहले ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप द्वारा बनाई गई थी अब खरीदी जा रही हैं क्योंकि मार्किट में वह उपलब्ध हैं। कुछ अधिक मूल्य पर खरीदी गई हैं कुछ कम मूल्य पर। इस प्रकार की खरीद नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार निम्नतम मूल्य पर जाती है।

हिमाचल प्रदेश में खेल-कूद का संवर्धन

†**१४५४. श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में खेल-कूद के संवर्धन के लिये १९५८-५९ में कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई और खर्च की गई ; और

(ख) उसी अवधि में हिमाचल प्रदेश में किन-किन क्रीड़ा संस्थाओं की सहायता अनुदान दिये गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत का राज्य बैंक

१४५५. { **श्री खुशवक्त राय :**
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ से बरेली को जाने वाली दिन की गाड़ी में देवकली और कर्बन स्टेशनों के बीच २१ जनवरी, १९५९ को डाका डाला गया और भारत के राज्य बैंक की लखीमपुर शाखा के नकद दो लाख रुपयों को लूट लिया गया ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि डाकुओं ने बैंक के खजांची और रक्षक को मार दिया; और

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितना रुपया दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, लेकिन कैश-बक्स (नकदी रखने का संदूक) बाद में मिल गया और उसके अन्दर रखी नकदी आदि भी मिल गयी।

(ख) जी हां ।

(ग) मारे गये खजांची और रक्षक (गार्ड) के दाह-संस्कार आदि क्रिया-कर्म में खर्च करने के लिये उनकी विधवा पत्नियों को ५०० रुपये देने की मंजूरी दी जा चुकी है। विधवाओं और बच्चों को क्षतिपूर्ति के रूप में और भी इकट्ठी रकम देने या जिन्दगी भर के लिये पेंशन देने के प्रश्न पर राज्य बैंक विचार कर रहा है।

दिल्ली की जेल में बन्दियों की संख्या

†**१४५६. श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्ष में दिल्ली की जेलों में बन्दियों की संख्या बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : (क) गत चार वर्ष में दिल्ली सेंट्रल जेल में दाखिल किये गये बन्दियों की कुल संख्या यह है :

१९५५	१६२९२
१९५६	१५६९४
१९५७	१६२८३
१९५८	१७२६४

(ख) थोड़े बहुत अन्तर का कोई विशेष कारण नहीं है।

बुनियादी शिक्षा सप्ताह

१४५७. { **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी १९५९ में बुनियादी शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो बुनियादी शिक्षा सप्ताह किन-किन राज्यों में मनाया गया ; और

(ग) बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब तक कौन से पग उठाये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) : बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनिदीव द्वीप समूहों, नेफा, पांडिचेरी और दिल्ली में बुनियादी शिक्षा सप्ताह मनाया गया। बम्बई, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,

---

†मूल अंग्रेज़ी में

असम, मैसूर और केरल राज्यों ने कहा था कि वे सप्ताह मनाने का प्रबन्ध कर रहे हैं, परन्तु उनकी रिपोर्टों की अभी प्रतीक्षा है। बाकी के राज्यों / केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) : केन्द्रीय सरकार देश में बुनियादी शिक्षा के प्रसार और सुधार के लिये कुछ योजनायें चला रही है। इन में नीचे लिखी योजनायें शामिल हैं :— बुनियादी शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना; बुनियादी स्कूलों के लिये साहित्य और सामग्री की तैयारी ; बुनियादी स्कूलों के सुधार और विकास के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को, बुनयादी अध्यापकों के प्रशिक्षण संस्थानों को और उत्तर-बुनियादी स्कूलों को आर्थिक सहायता ; और बुनियादी संस्थाओं से सम्बद्ध छात्रावास बनाने के लिये ऋण/अनुदान देने की योजनायें। इस के अलावा भारत सरकार बुनियादी शिक्षा के सामान्य विकास और प्रसार के लिये राज्य सरकारों को अनुदान देती है। भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों के ढंग पर लाने के लिये एक ऐसा कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अन्तर्गत इन स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की उन बातों का प्रवेश कराया जाता है जिसके लिये न तो अधिक पैसे की आवश्यकता है और नहीं विशेष सिखलाई प्राप्त अमले की ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

†१४५८. **श्री सोनावने** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित प्रतिशतता का ध्यान रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कर्मचारी कितने (वर्गानुसार प्रतिशतता सहित) हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) १ जनवरी, १९५८ तक की स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३६]**

गैर-सरकारी क्षेत्र को ऋण

†१४५९. **श्री त्यागी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने स्वयं अथवा अपनी ऋण निगमों के द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कुल कितना ऋण दे रखा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरेट, मैसूर

†१४६०. **श्री प० अ० कट्टी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर कलक्टरेट (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) में बेलगाम जिला के महार रियायत वाले लाइसेंस धारियों को उन कृषकों से रसीद लेनी पड़ती है जिनके खेतों से घाट

†मूल अंग्रेजी में

किस्म का तम्बाकू एकत्र करते हैं। और उन खेतों की संख्या बतानी पड़ती है जहां से तम्बाकू एकत्र किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष से यह नियम क्यों लागू किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) महारों द्वारा तम्बाकू के लेन-देन का हिसाब रखने के लिये महार रियायत लाइसेंस धारियों को उन किसानों की रसीदें देनी पड़ती हैं जिन से वे तम्बाकू एकत्र करते हैं और उसकी एक प्रति स्थानीय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पदाधिकारी को भेजनी पड़ती है। खेतों की सर्वेक्षण संख्या बताने की शर्त हटा दी गई है।

(ख) १९५४ के बाद महारों पर उत्पादन-शुल्क नियंत्रण कड़ा कर दिया गया है और १९५९ से सारे नियम लागू कर दिये गये हैं।

मयूरभंज में सोने के निक्षेप

†**१४६१. श्री पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के एक भूतत्ववेत्ता दल ने उड़ीसा में सोने के निक्षेप ढूंढने के लिये कोई सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) क्या उन्हें वहां सोने के कोई निक्षेप मिले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी हां। इस क्षेत्र में एक अभिदर्शन सर्वेक्षण किया गया था और उसके बाद भारत में भूतत्वीय सर्वेक्षण के एक पदाधिकारी न १९५० के बाद सात वर्ष तक मानचित्र बनाने का काम किया ।

(ख) इस जिले के बहुत से भागों में सोना मिला है परन्तु वह अधिक लाभप्रद नहीं है।

तीन वर्ष का डिग्री कोर्स

†**१४६२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने १९५९-६० में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा ग्रहण किये जाने के लिये तीन वर्ष के डिग्री कोर्स की कितनी योजनायें भेजी हैं ;

(ख) क्या इनमें से कोई योजना स्वीकृत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि में पंजाब सरकार को कितनी राशि देने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में बाद की देखभाल का कार्यक्रम[1]

†**१४६३. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में बन्दियों के पुनर्वास के लिये बाद की देख भाल के लिये पंजाब सरकार को कितनी राशि आवेटित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]After care programme.

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : बाद की देखभाल के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को १९५७-५८ तक जेलों व सुधार आश्रमों से छूटने वाले व्यक्तियों के लिये स्टेट होम और जिला शैल्टरों की स्थापना करने के लिये २८००० रुपये आवंटित किये गये हैं ।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र

†१४६४. **श्री शिवनजप्पा** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रमुख स्थानों पर विदेशी छात्रों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कई अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र खोले जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख) जी हां । भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् ने कलकत्ता और दिल्ली में इमारतें किराये पर ले कर दो अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास खोल दिये हैं । इन छात्रावासों में क्रमवार ३९ और १५ छात्र रह सकते हैं । परिषद बम्बई और मद्रास में क्लब-कम-होस्टल खोलने का प्रयत्न कर रही है ।

अन्दमान द्वीप समूह में बाहर के लोगों का बसाया जाना

†१४६५. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह में बाहर के कितने व्यक्ति बसाये गये हैं ;

(ख) उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) सरकार उन जेलों का क्या प्रयोग करेगी जहां बड़े-बड़े नेता बन्दी रखे गये थे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). अन्दमान द्वीप समूह में अब तक बाहर के २२९३ परिवार जिनमें ८९२६ व्यक्ति हैं बसाये गये हैं । इन में से २२८० परिवार जिनमें ८८७५ व्यक्ति हैं कृषक हैं और १३ परिवार जिनमें ५१ व्यक्ति हैं बढ़ई हैं । बढ़ई अन्दमान प्रशासन के विभिन्न प्रतिष्ठानों में नियुक्त किये जा चुके हैं ।

(ग) जेलों के विभिन्न अनुभाग का प्रयोग इस प्रकार किया गया है :—

(१) डिस्ट्रिक्ट जेल ;
(२) बसने वालों के लिये धर्मशाला ;
(३) सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास स्थान ;
(४) पोर्ट ब्लेयर अस्पताल का सर्जिकल और महिला वार्ड ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

†१४६६. **श्री द० अ० कट्टी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के नियम केन्द्रीय राजस्व बोर्ड बनाता है या विभिन्न कलैक्टरेटों के कलैक्टर ; और

(ख) यदि वे कलैक्टरों द्वारा बनाये जाते हैं तो क्या उनमें कोई एकरूपता होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिये कोई निश्चित नियम नहीं है। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने मोटे तौर पर कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये हैं जिनके अनुसार दूसरी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरणों का विनियमन किया जाता है। कलैक्टर प्रायः इन सिद्धान्तों का पालन करते हैं। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश बोर्ड देता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मलमूत्र ढोना

†१४६७. **श्री बं० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजन कल्याण सम्बन्धी केन्द्रीय मन्त्रणा बोर्ड ने यह योजना तैयार करने के लिये कि मलमूत्र को टोकरों और बाल्टियों में ढोना बन्द किया जाये, जो उपसमिति नियुक्त की थी क्या वह देश के किसी स्थान का दौरा करने गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसने अब तक किन-किन स्थानों का दौरा किया है ; और

(ग) लगभग किस तिथि तक उसका दौरा पूरा हो जायेगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). उप समिति अब तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बम्बई में गई है।

(ग) इस अवस्था में कोई तिथि बताना सम्भव नहीं है।

आदिम जाति क्षेत्रों में विदेशी धर्म-प्रचारक

१४६८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त और आदिम जाति क्षेत्रों में इस समय कार्य करने वाले विदेशी धर्म-प्रचारकों और उनके केन्द्रों की संख्या का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†१४६९. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने की योजना के अधीन मद्रास राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं और १९५८-५९ में प्रत्येक श्रेणी को कितनी छात्र-वृत्तियां दी गई हैं ; और

(ख) १९५८-५९ में इनमें से प्रत्येक श्रेणी को कितनी नवीकरण छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख).

समुदाय का नाम	समय पर प्राप्त हुये आवेदन-पत्र			अब तक स्वीकृत की गई छात्र-वृत्तियां		
	नई	नवीकरण	कुल	नई	नवीकरण	कुल
१	२	३	४	५	६	७
अनुसूचित जातियां	१,१९७	५५७	१,७५४	१,१०९	५०७	१,६१६
अनुसूचित आदिम जातियां	२१	८	२९	१६	६	२२
अन्य पिछड़े वर्ग	६,४९०	९६३	७,४५३	९७३	९३५	१,९०८
कुल	७,७०८	१,५२८	९,२३८	२,०९८	१,४४८	३,५४६

दिल्ली में सामुदायिक विकास विभाग

†१४७०. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अधीन एक सामुदायिक विकास विभाग स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना पर कितनी लागत आई थी ; और

(ग) केन्द्र ने इसकी लागत में कितना अंश दिया था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) दिल्ली प्रशासन के अधीन कोई अलग विभाग नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्य दिल्ली का विकास आयुक्त देखता है जो कृषि, सहकार, पशुचिकित्सा, वन, समाज कल्याण आदि सम्बन्धी काम भी करता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता क्योंकि दिल्ली प्रशासन का कुल खर्च भारत की संचित निधि में से किया जाता है।

तस्कर व्यापार

†१४७१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमा से "तिल्ला" और पारा चोरी छिपे पाकिस्तान में ले जाया जाता था ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि भारत से चोरी छिपे पाकिस्तान में "तिल्ला" ले जाने की बहुत थोड़ी घटनायें हुई हैं। १-१-५८ से लेकर कुल ५००० रुपये का "तिल्ला" जबत किया गया है। जनवरी, १९५९ में पारे का तस्कर व्यापार करने की एक मामूली घटना हुई थी।

(ख) पाकिस्तान को किसी भी प्रकार के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये कई प्रकार की कार्यवाही भी की जा रही हैं।

जीवन बीमा निगम

†१४७२. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने उस तिथि तक कुल कितने बन्धक ऋण दिये और उनकी कुल राशि कितनी थी जब कि ऐसे ऋण देने का काम स्थगित किया गया ;

(ख) इससे सम्बन्धित कितने मुकदमे विचाराधीन हैं और उनमें कुल कितना रुपया शामिल है ; और

(ग) इन बन्धक ऋणों के फलस्वरूप यदि निगम को कोई हानि हुई है तो वह कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब विश्वविद्यालय के अनुदान

†१४७३. **श्री सिद्धनंजप्पा:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय को हाल ही में एक विशेष पुनःसंस्थापन अनुदान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कितना है और उसका प्रयोग किस लिये किया जायेगा।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां।

(ख) २५ लाख रुपये। यह राशि विश्वविद्यालय के सामान्य पुनःसंस्थापन कार्यक्रम के लिये खर्च की जायेगी।

विदेशी भाषाओं का अध्ययन

†१४७४. **श्री सिद्धनंजप्पा:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी भाषायें पढ़ने का प्रोत्साहन करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) दिल्ली में विदेशी भाषाओं के उच्च अध्ययन के लिये क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय विदेशी भाषाओं के उच्च अध्ययन के लिये एक स्कूल चला रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी भाषाओं के अध्ययन के प्रोत्साहन के लिये, दिल्ली, विश्वभारती, कलकत्ता, मद्रास, पूना और पंजाब विश्वविद्यालयों की योजनाओं का अनुमोदन किया है।

(ख) प्रतिरक्षा मंत्रालय जो विदेशी भाषाओं का स्कूल चला रहा है उसमें उच्च शिक्षा का और दोभाषियों पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। नौ भाषाओं में उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। दोभाषियों के पाठ्यक्रमों का आयोजन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिये व्यवस्था की गई है।

१. रूसी भाषा और साहित्य में डिप्लोमा . . .	(२ वर्ष का कोर्स)
२. रूसी भाषा में प्राफिशेंसी का प्रमाणपत्र . . .	(१ वर्ष का कोर्स)
३. फ्रेंच का प्रमाणपत्र	"
४. जर्मन भाषा का प्रमाण पत्र	"
५. इटली की भाषा का प्रमाणपत्र . . .	"
६. स्वाहिली का प्रमाणपत्र	"

मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा

१४७५. श्री रा० स० तिवारी: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने सन् १९५७ व १९५८ में कितनी योजनायें प्रस्तुत की थीं ;

(ख) क्या इन योजनाओं में से कोई योजना स्वीकार की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार को इस कार्य के लिये कितनी धन-राशि दी गई ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क)

१९५७	३२
१९५८	२५

(ख) जी हां, सभी।

(ग) अनुदान वित्त-वर्ष के अनुसार दिये जाते हैं, पंचांग-वर्ष के अनुसार नहीं। १९५७-५८ में १५,५९,५०० रुपये मंजूर किये गये थे और १९५८–५९ में २१.८९ लाख रुपये मंजूर करने का विचार है।

दिल्ली के राजनैतिक पीड़ित

१४७६. श्री सरजू पाण्डे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली की राजनैतिक पीड़ित समिति के सुझाव प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य सुझाव क्या हैं ; और

(ग) ये सुझाव कब तक कार्यान्वित होंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली राजनैतिक पीड़ित सहायता समिति ने हाल में एक सुझाव दिया है कि स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने दिल्ली में जी जान से

भाग लिया था उन्हें उनकी देश सेवा के लिये प्रमाणपत्र दिये जायें । इस मामले पर गौर किया जा रहा है।

पंजाब उच्च न्यायालय

†१४७७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उस से कम है जो कि वहां पड़े काम का निबटारा करने के लिये अपेक्षित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजकीय कोयला खानों की विस्तार परियोजनाएं

†१४७८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राजकीय कोयला खानों की विस्तार परियोजनाओं के उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखे गये हैं (१) देशीय और (२) आयात की गई मशीनें खरीदने के लिये पूंजी खाते में कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) उन मशीनों का क्या मूल्य है जो (१) मंगवाई जा चुकी हैं, (२) लगाई जा चुकी हैं और चल रही हैं और (३) बेकार पड़ी हैं, अभी बन्द हैं या खुली हैं परन्तु लगाई नहीं गईं ; और

(ग) जो मशीनें अभी नहीं लगी हैं उन्हें प्रयोग में लाने का क्या कार्यक्रम है और इसे प्रयोग में लाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) नैशनल कोल डिवेलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड से यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). ऐसा ख्याल किया जाता है कि यह जानकारी एकत्र करने से अधिक लाभ नहीं होगा । मशीनरी के पहुंचने के बाद उन्हें लगाने में नैशनल कोल डिवलपमेंट कारपोरेशन अधिक विलम्ब नहीं करती है।

पारिभाषिक शब्दों की पुस्तिका[1]

†१४७९. **श्री ओंकार लाल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारिभाषिक शब्दों (टैक्निकल टर्मस) की पुस्तिकाओं का पुनरावलोकन करने के लिये तदर्थ समितियां नियुक्त की गई हैं जिनमें टैक्निकल विशेषज्ञ और अन्य व्यक्ति हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Pamphlet of Technical Terms.

(ख) यदि हां, तो किन विषयों के लिये और उत्तरोक्त वर्ग के लोगों का **चुनाव कैसे** किया जाता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें

†**१४८०. श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या कुछ समय पहले तक प्रतिरक्षा विभाग के कर्मचारी संघ लोक **सेवा आयोग** की किसी भी नौकरी के लिये, यदि वे अर्हत हों, आवेदन पत्र भेज सकते थे **अथवा** प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते थे ;

(ख) क्या हाल के एक सरकारी आदेश द्वारा उनके परीक्षा में **बैठने** अथवा आवेदन **पत्र** भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). हाल ही में कोई प्रतिबन्ध **नहीं** लगाया गया है । वर्तमान स्थिति यह है कि 'रैगुलर' कर्मचारियों को साधारण **सेवा**-निवृत्ति से एक वर्ष पूर्व और "नान रैगुलर" कर्मचारियों को किसी भी समय बाहर **आवेदन पत्र** भेजने की अनुमति दे दी जाती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उप-सचिव बनाने के लिये तालिका

†**१४८१. श्री शि० ला० सक्सेना :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) भारत सरकार के उप-सचिव नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त **समझे** गये सचिवालय पदाधिकारियों की गत दो तालिकायें कब जारी की गई थीं ;

(ख) क्या भर्ती के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तालिकायें जारी की जानी होती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो १९५८ की तालिकायें प्रकाशित होने में विलम्ब के क्या **कारण** हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) एक तालिका ४ जून, १९५६ को **और** एक २० जुलाई, १९५७ को जारी की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

डॉक लेबर बोर्ड, कलकत्ता में कर्मचारियों की मुअत्तली

†**श्री ब्रजराज सिंह :** (फिरोजाबाद): मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिस पर आपने मुझे लिखा था कि यह मामला स्थगन प्रस्ताव उठाने योग्य नहीं है और प्रश्न द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं होता बल्कि जिस दिन वह प्रस्तुत किया जाता है उस दिन हुये किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की चर्चा उठाने के लिए होता है। स्थगन प्रस्ताव का उत्तर प्रश्नों द्वारा नहीं दिया जा सकता। मैं समझता हूं कि इस आधार पर स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।

मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जो इस विषय में है : "४४ कर्मचारियों के कथित 'काम धीरे करो' आन्दोलन का बहाना लेकर डॉक लेबर (गोदी श्रमिक) बोर्ड, कलकत्ता के सभापति द्वारा अनुशासन संबंधी विशेष अधिकारों का उपयोग करके ३-३-५६ और ४-३-५६ को इन कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया जाना तथा २०० कर्मचारियों को अभियोग पत्र दिये जाना तथा उन्हें चेतावनी दी जानी, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता गोदी में बहुत विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है और आज काम बन्द रहा है जिससे लगभग २५,००० कर्मचारियों के समुदाय को बहुत हानि हुई है।" गोदी में कर्मचारियों के विनियमन तथा नियंत्रण के लिए एक नियम है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा हूं। स्थगन प्रस्ताव के लिये मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का होना चाहिये। जहां तक इस मामले का संबंध है माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने के काफी समय पूर्व मुझे एक प्रश्न की सूचना मिली थी जिसे मैंने सामान्य रूप से गृहीत कर लिया। अतः इन परिस्थितियों में इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं बता चुका हूं कि माननीय सदस्य को इस संबंध में जानकारी मिल जायेगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं जानकारी नहीं चाहता। मेरे पास काफी जानकारी है। यह मामला तो अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही का है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है क्योंकि इस विषय में कुछ प्रश्न रखे जा चुके हैं। यह स्थगन प्रस्ताव देर से आया है। प्रश्नों को पहले गृहीत किया जा चुका है। अतः मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** प्रश्नों के समय तो आप ऐसे मामलों पर चर्चा होने ही नहीं देते। इस प्रकार स्थगन प्रस्ताव द्वारा ही नीति संबंधी मामलों या सरकार की निन्दा संबंधी मामलों पर चर्चा की जा सकती है। अतः मेरी कठिनाई यह है कि प्रश्नों से इस प्रकार की चर्चा नहीं उठाई जा सकती।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के गृहीत होने या गृहीत न होने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि यह कोई नया मामला नहीं है। यह एक पुराना मामला है जिसके संबंध में सभा के सामने कुछ प्रश्न रखे जा चुके हैं। स्थगन प्रस्ताव के लिए मामला, अविलम्बनीय लोक महत्व का होना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह :** यह घटना आज की ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह मामला काफी समय पुराना है । मैंने एक प्रश्न की अनुमति दे दी है । स्थगन प्रस्ताव की अनुमति मैं ने इस आधार पर नहीं दी है कि यह कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** वहां काम रुक गया है । बहुत से कर्मचारी बेकार हैं और वहां हड़ताल है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं । स्थगन प्रस्ताव द्वारा वहां जो कुछ हो रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता । माननीय सदस्य समझते हैं कि अखबारों में यदि कोई समाचार छप जाये, तो तुरन्त स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** अखबार में प्रकाशित समाचार का प्रश्न नहीं है । मुझे इस संबंध में अनेक बार तार मिले हैं । यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसे इस प्रकार टाला जा रहा है । स्थगन प्रस्ताव के विषय के बारे में हमें बहुत दुख है और इसके विरोध में मैं सभा के बाहर जाता हूं ।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : वहां पर हड़ताल होने जा रही है । यह इतना सीरियस मैटर है, लेकिन फिर भी आप इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं । ऐसी स्थिति में हम यहां नहीं बैठ सकते हैं और सदन से बाहर जा रहे हैं।

(इसके पश्चात् श्री ब्रजराज सिंह तथा श्री जगदीश अवस्थी सदन से बाहर चले गये)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २०६ ।

(२) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (ब्रांड दरें) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २०७ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये, संख्या एल० टी० १२६१/५९]

औद्योगिक वित्त निगम नियम

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** मैं औद्योगिक वित्त निगम नियम, १९५७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० १२६२/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिवः** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १० फरवरी, १९५९ को पारित दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९५९ को राज्य सभा ने अपनी २ मार्च, १९५९ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

रेलवे आयव्ययक-अनुदानों की मांगें, १९५९-६०

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वर्ष १९५९–६० के रेलवे आय-व्ययक की मांग संख्या २ से २० पर अग्रेतर चर्चा पुनः आरंभ करेगी । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहें, वे चुने हुये कटौती प्रस्तावों की संख्या १५ मिनट के भीतर सभा पटल पर दे दें । यदि कटौती प्रस्ताव अन्यथा नियमानुकूल होंगे तो मैं उन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया मान लूंगा ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित-आँग्ल भारतीय) : रेलवे मंत्री ने अपने उत्तर में कहा था कि मेरी कुछ बातें भावुकतापूर्ण थीं । हो सकता है इसमें कुछ सत्यता हो । पर रेलवे मंत्री ने रेलवे प्रशासन का जो आकर्षक रूप उपस्थित किया है, वह भी भावुकतापूर्ण ही है । उन्होंने कहा कि रेलवे के सभी श्रेणियों के कर्मचारी प्रसन्न हैं और अनुशासित हैं। मैं माननीय मंत्री की बात को मानता हूं कि उन्होंने दूसरी श्रेणी के पदाधिकारियों के लिए ३३ $^1/_3$ प्रतिशत का कोटा निर्धारित कर दिया है । पर मुझे शिकायत इस बात की है कि दूसरी श्रेणी के पदाधिकारियों का अधिकार छीन कर प्रथम श्रेणी के बिल्कुल नये पदाधिकारियों को, जिनका प्रशिक्षण भी पूरा नहीं हो चुका होता, बड़ी-बड़ी पदोन्नतियां दी जाती हैं । मेरी दूसरी शिकायत यह है कि दूसरी श्रेणी के पदाधिकारियों को २ से १० वर्षों तक स्थानापन्न रखा जाता है, क्यों ?

माननीय मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की छोटी-छोटी संस्थापों की बहुत अधिकता है । पर इसका उनके पास क्या उपाय है । ये संस्थायें तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों—स्टेशन मास्टरों, ट्रेन एक्जामिनरों तथा लोको के कर्मचारियों—की हैं । यह तो अच्छा है कि उन्होंने अपनी छोटी-छोटी संस्थोयें बना रखी हैं । इन संस्थाओं के बनने का कारण यही है कि कर्मचारियों में बड़ी निराशा है, अन्य कर्मचारी संघों की शिकायतें भी माननीय मंत्री के पास आती होंगी पर इन तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायत के मामले में स्वयं माननीय मंत्री के सामने लाता रहता हूं । गत दो वर्षों में, १९५७—१९५९, मैं ने माननीय मंत्री के सामने ६० मामले रखे जिसमें से माननीय मंत्री ने केवल ७ मामलों को ही निबटाया । माननीय मंत्री ने कहा कि मैं पुराने मामलों को उनके सामने प्रस्तुत करता हूं । पर इन ६० मामलों में केवल ३ मामले पुराने थे । फिर, चाहे मामले पुराने ही क्यों न हों, यदि उनमें न्याय किया जा सकता है, तो न्याय क्यों न किया जाये । भूतपूर्व एम० एन्ड एस० एम० लोकों के कर्मचारियों को सेवा की जिन शर्तों पर नियुक्त किया गया था बाद में उन शर्तों को बदल दिया गया इस प्रकार उनकी पदोन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया । क्या इस मामले में न्याय की गुजाइश नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

दक्षिण रेलवे के जनरल मैनेजर मामलों की सुनवाई करने से इनकार कर देते हैं । माननीय मंत्री को इस बात से संतोष है । पर मुझे इस से संतोष नहीं है । मैं नहीं जानता कि इस प्रकार मामलों को सुनने से इनकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। गत दो वर्षों में मैंने उनके पास २५ मामले भेजे । पर उन्होंने हर मामले को सुनने से इनकार कर दिया । वे केवल उन्हीं मामलों को ऊपर भेजते हैं, जिनमें कुछ जान होती है, तथा न्याय किया जा सकता है न कि प्रत्येक मामले को । यह सोचना गलत है कि अच्छे बुरे और छोटे बड़े सभी मामले उनके पास भेज दिये जाते हैं ।

मैं ने कल रेलवे उपमंत्री का वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि पेंशन योजना रेलवे कर्मचारियों को उतना आकर्षित नहीं कर सकी जितनी आशा रेलवे को थी। ठीक है। इस योजना में कई ऐसी जटिलतायें हैं जिनके कारण बहुत से कर्मचारियों ने पेंशन योजना को नहीं अपनाया । मैं ने सुना है कि रेलवे प्रशासन मनमाने ढंग से पेंशन कम भी कर सकता है । यह गलत बात है । पेंशन का हिसाब लगाने का जो तरीका है उसी के हिसाब से पेंशन दी जानी चाहिए । स्थानापन्न रूप से काम करने की अवधि का आधा भाग पेंशन के लिए जोड़ा जाता है । पर आप १० वर्ष तक लोगों को स्थानापन्न रखते हैं । इससे उन की पेंशन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । तथा स्थानापन्न रूप से किसी को २ वर्ष से अधिक समय तक न रखा जाये । अतिरिक्त अस्थायी सेवा को भी पेंशन के लिए जोड़ा जाना चाहिए। फिर यह भी नियम है कि गत ३ वर्षों की उपलब्धियों के अनुसार पेंशन की गणना की जाती है । हो सकता है इस बीच कोई व्यक्ति मुअत्तल कर दिया जाये या उसकी पदोन्नति हो जाये तो उसकी पेन्शन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । अतः मेरा निवेदन है कि पेन्शन उस राशि पर लगाई जाये जो उसे पिछले तीन वर्षों में मिलनी चाहिए थी।

पदों के लिए चुनाव की प्रणाली के संबंध में माननीय मंत्री कह सकते हैं कि चुनाव की प्रणाली को हटाया नहीं जा सकता । सशस्त्र सेनाओं में लेफ्टीनेन्ट कर्नल के ऊपर के पदों में ही चुनाव किया जाता है । नीचे के पदों में चुनाव की प्रणाली के कारण कई भ्रष्टाचार आदि पैदा हो जाते हैं । रेलवे के चुनावों के संबंध में एनेक प्रकार की शिकायतें आये दिन सुनने को मिलती हैं । अतः माननीय मंत्री इन की ओर ध्यान दें । चुनाव के परिणाम तुरन्त घोषित किये जाने चाहिए न कि महीनों बाद । देर होने में अनेक पदाधिकारी पक्षपात आदि करते हैं। चुनाव में आये व्यक्तियों की सूची ठीक से तैयार नहीं की जाती और कई बार ऐसे व्यक्तियों को भी ले लिया जाता है जो चुनाव में कभी बैठे ही नहीं थे । कई बार चुनाव का परिणाम घोषित करने में विलम्ब किया जाता है और बाद में चुनाव में सफल व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाता है । साथ ही कई बार एक ही पद के लिए दो व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है, तो ऐसे मामले में उनकी वरिष्ठता के अनुसार उनका नाम सूची में रखा जाना चाहिए । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन बातों की ओर ध्यान देंगे ।

कर्मचारियों को गोपनीय रिपोर्टों के संबंध में भी मुझे कुछ कहना है । प्रत्येक कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट उसे दिखाई जानी चाहिए और उस पर उसके हस्ताक्षर ले लिये जाने चाहिए । कई बार गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने वाले पदाधिकारी—यदि किसी कर्मचारी की रिपोर्ट खराब करना चाहते हैं—तो कुछ ऐसी बात भी लिख देते हैं जो कर्मचारी के लिए बाद में हानिकारक सिद्ध होती है । अतः ऐसे मामलों में जब कभी पदोन्नति के लिए चुनाव का मौका आता है तब उसे पता लगता है कि उसकी रिपोर्ट खराब है।

अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की गढ़बड़ी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी रिपोर्ट—चाहे अच्छी हो या बुरी—अवश्य दिखाई जाये।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : सीमित संसाधनों द्वारा रेलवे में जो प्रगति हुई है उसके लिए मैं रेलवे मंत्री को बधाई देता हूं साथ ही देश के कुछ भागों के लोगों के सामने कुछ शिकायतें हैं जिनका उल्लेख मैं करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि केवल प्रथम श्रेणी के पदों में ही नहीं बल्कि तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों में भी आन्ध्र के निवासियों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, मैं समझता हूं कि इसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि रेलवे सेवा आयोग मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और इलाहाबाद में हैं। ये आयोग अपने नौकरी के विज्ञापनों को अंग्रेजी में तथा वहां की स्थानीय भाषाओं के समाचारपत्रों में प्रकाशित करवाते हैं। चूंकि आंध्र प्रदेश इन मुख्यालयों से दूर है अतः तैलगू के पत्रों में रेलवे के विज्ञापन प्रकाशित नहीं किये जाते।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : तैलगू में भी प्रकाशित किये जाते हैं।

†**श्री रामी रेड्डी** : मुझे बताया गया है कि तैलगू में विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करवाया जाता। अतः आन्ध्र निवासियों के सामने यह कठिनाई है। दूसरी कठिनाई यह है कि इन रेलवे सेवा आयोगों में आन्ध्र के किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त ये मुख्यालय आन्ध्र से बहुत दूर हैं। अतः यदि हैदराबाद में एक सेवा आयोग कर दिया जाये तो बहुत अच्छा हो।

एक और सामान्य शिकायत है कि रेलवे की नयी लाइनें खोलने के संबंध में भी दक्षिण भारत की अवहेलना की गयी है। १९५७-५८ में नेल्लोर-माईदुकुर लाइन के सर्वेक्षण का उपबन्ध किया गया था। पर १९५८-५९ में इस काम को बिल्कुल रोक दिया गया—कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। दूसरे यहां प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। अतः जब तक यहां रेलवे का विस्तार नहीं किया जायेगा तब तक यहां के प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इन बातों पर विचार करें।

अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात लेता हूं। बम्बई-मद्रास लाइन कमलापुरम् नगर को दो भागों में बांटती हुई गुजरती है। नगर के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग तथा कार्यालय लाइन के एक ओर पड़ते हैं और कुछ दूसरी ओर। यहां कमलापुरम् स्टेशन के पास ही एक फाटक है जो प्रायः बन्द रहता है। रेल के इंजन यहां पानी लेते हैं जिसके कारण यह फाटक अक्सर बन्द रहता है और सारा यातायात बहुत समय तक बन्द रहता है। जनता को बड़ी असुविधा होती है। अतः निवेदन है कि इस फाटक को स्टेशन से कुछ और दूर कर दिया जाये ताकि यह इतने अधिक समय तक बन्द न रहा करे।

कड़पा नगर का मुख्य स्थान है। यहां उच्च श्रेणी तथा निम्न श्रेणी दोनों प्रकार के यात्रियों की सुविधायें बढ़ानें के लिये स्टेशन का विकास किया जाना चाहिए।

गत वर्ष कुछ दुर्घटनायें होने के कारण द्राणाचलम्-सिकन्दराबाद लाइन को वर्षा ऋतु में रात के लिए बन्द कर दिया गया था। रेलवे प्रशासन को चाहिए कि वह पुलों आदि की मरम्मत करा दे तथा कुछ संरक्षण की भी व्यवस्था करे। वर्षा ऋतु में भी यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामी रेड्डी]

लाइन रात के समय बन्द नहीं होनी चाहिए । इस लाइन के बन्द होने से हैदराबाद को जाने वाले यात्रियों को बड़ी कठिनाई होगी जब कि इस लाइन पर केवल दो ही गाड़ियां चलती हैं ।

इसके अतिरिक्त नन्दयाल से कदरी तक एक लाइन बनाने की प्रस्थापना थी । राज्य सरकार ने भी इस लाइन को बनवाने की सिफ़ारिश की थी । अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इस लाइन के निर्माण के संबंध में विचार करें ।

इस संबंध में मैं पहले भी रेलवे प्रशासन को लिख चुका हूं कि कमलापुरम् तथा गंगैवाल स्टेशनों के बीच दिन दहाड़े रेलों में चोरी होती है । कोयला की चोरी करते हुये अभी २ या ३ व्यक्ति पकड़े गये थे, फिर भी अभी चोरी जारी है । अतः मेरा निवेदन है कि इस संबंध में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मद्रास-बम्बई जनता गाड़ी सप्ताह में दो बार चलती है पर इस पर बहुत भीड़ होती है । अतः मेरा निवेदन है कि यदि इस गाड़ी को सप्ताह में ३ बार चलाया जाये तो भीड़ कुछ कम हो जायेगी ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : रेलवे ने बिजली से रेल चलाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है । इस कार्यक्रम के लिए रेलवे को २२७,००० किलोवाट बिजली की जरूरत होगी । यह बिजली हीराकुड, रिहंद, दौगा तथा दामोदर घाटी निगम से लेने का विचार रेलवे ने किया है पर ये परियोजनायें समय पर समाप्त हो जायेंगी और इनसे बिजली मिल सकेगी यह बात सन्दिग्ध है । हीराकुड परियोजना क्या २५,००० किलोवाट बिजली दे सकेगी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या १९६१ तक हीराकुड योजना का दूसरा प्रक्रम भी पूरा हो जायेगा अथवा बिजली की व्यवस्था कैसे की जायेगी ?

फिर रेलवे लाइनों की कमी का प्रश्न है । माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके क्षेत्र में लाइनों की बहुत कमी है । भारत में कुल ३४,१८२ मील रेलवे लाइन हैं । राज्यवार विचार करने पर पता लगता है कि उड़ीसा, केरल, तथा पश्चिमी बंगाल में लाइनें बहुत कम हैं । अतः मेरा निवेदन है कि नई लाइनें बनाने के संबंध में रेलवे मंत्रालय उन राज्यों व क्षेत्रों को प्राथमिकता दें जिनकी दशा बहुत पिछड़ी हुई है तथा जहां औद्योगिक विकास हो रहा है । मैं चाहता हूं कि उड़ीसा, केरल तथा पश्चिमी बंगाल को इस संबंध में प्राथमिकता दी जाये ।

अब मैं वैगनों के संभरण के प्रश्न को लूंगा । इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को २२ लाख टन, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को २३ लाख टन तथा दुर्गापुर को २१ लाख टन कच्ची धातुओं के परिवहन के लिए वैगनों की आवश्यकता पड़ेगी । इसके अतिरिक्त लगभग १० लाख टन कच्चे लोहे तथा मैंगनीज की कच्ची धातु के निर्यात के लिए भी वैगनों की आवश्यकता पड़ेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने इन प्रयोजनों के लिए पर्याप्त वैगनों की व्यवस्था कर ली है ?

खुर्दा रोड़ डिस्ट्रिक्ट में भी वैगनों की बहुत आवश्यकता है । उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल की कागज की मिल तक बांस भेजने के लिए १२०० वैगनों की आवश्यकता होगी

†मूल अंग्रेजी में

जबकि मुझे पता लगा है कि केवल ६०० वैगनों की व्यवस्था की गयी है। चावल, धान तथा अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए भी यहां वैगनों की आवश्यकता पड़ती है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे यहां की वैगनों की मांग को भी पूरा करने का ध्यान रखेंगे।

बदम पहार-राय रंजपुर सेक्शन में भी इमारती लकड़ी के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन नहीं मिल पाते। मैं आशा करता हूं कि इसकी ओर भी ध्यान दिया जायेगा। उड़ीसा में पुरी, सखिगोपाल, भुवनेश्वर, उड़ीसा की नयी राजधानी, जनकदेईपुर तथा निराकारपुर के स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं उनका सुधार किया जाना चाहिए।

कटक में लाइन के ऊपर पुल बनाने का प्रश्न बहुत समय से चलता आ रहा है। पहले उड़ीसा सरकार ने एक लाइन के नीचे पुल बनाने की बात कही थी। बाद में माननीय रेलवे मंत्री ने बताया कि उड़ीसा सरकार लाइन के नीचे पुल नहीं बनाना चाहती बल्कि लाइन के ऊपर पुल बनाना चाहती है। इस प्रकार ऊपर-नीचे के चक्कर में कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि जल्दी ही इस संबंध में कुछ निर्णय किया जाये ताकि उड़ीसा की नयी राजधानी तक आने-जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाये।

अन्त में, पुरी से कटक जाने–आने वाली गाड़ियों के समय ऐसे हैं, जो जनता के लिए सुविधाजनक नहीं है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे कोशिश करें कि समय परिवर्तन कर दिये जायें और यात्री सुविधायें भी इन स्टेशनों पर बढ़ा दी जायें।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जिस तरह से रेलवे का महकमा चल रहा है, उस पर आज गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। फ्यूल के ऊपर जो खर्चा पिछले साल था वह कम था और इस साल वह बढ़ गया है। पिछले साल वह ५४·३५ करोड़ था और अब की बार वह ५६·५८ करोड़ हो गया है जिसका मतलब यह हुआ कि पांच करोड़ का इज़ाफा हो गया है। इसी तरह से स्टाफ के ऊपर होने वाला खर्चा बढ़ा है। पिछली बार वह ६०·७२ था और अब की बार वह ६४·६६ हो गया है। इसके मुकाबले में जो आमदनी का खाता है, जो कि भाड़े की शक्ल में तीसरे दर्जे से प्राप्त होता है वह पिछले साल १०५.७२ था और अब की बार १०२·८३ ही रह गया है। मैं समझता हूं कि रेलवे का महकमा एक बिजिनेस कंसर्न है। जब हम लोग सवाल उठाते हैं कि कोई नई रेल की लाइनें बिछाई जायें या जो रेलवे लाइन्स हटाई जा चुकी हैं उनको फिर दुबारा डाला जाये तो हमें जवाब मिलता है कि यह तो हिसाब किताब की बात है लेकिन जब हिसाब किताब हमारे सामने आता है तो उससे तो कुछ ऐसा लगता है कि शायद रेलवे का महकमा हिसाब किताब से नहीं चलता है।

मैं मानता हूं कि डीज़ल के ऊपर श्री मोरारजी देसाई ने जो टैक्स लगाया है, उससे श्री जगजीवन राम जी की रेलें कामयाब नहीं हो सकती हैं। रेलों को कामयाब करने के लिये यह जरूरी है कि रेलों में गुण हों। यह एक बड़ा सवाल है जो हमारे सामने है और बड़ा जोरदार और अहमियत भरा यह सवाल है कि क्या रेलें मोटर का मुकाबला कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। मैं मानता हूं कि अगर रेलें मोटर का मुकाबला कर सकेंगी तो ही रेलें मोटर के मुकाबले में आगे बढ़ सकेंगी वर्ना आगे जितने भी साल आयेंगे रेलों के घाटे के ही आयेंगे और घाटा बढ़ता ही जायेगा। चूंकि यह आमदनी और खर्च का सवाल है इस वास्ते हर साल रेलवे मंत्रालय के ऊपर लोग दिन दूनी टीका टिप्पणी करेंगे। मैं समझता हूं कि इसको रोकने के लिये यह ज़रूरी बात है कि डीज़ल कारें चलाई जायें। रोहतक से दिल्ली तक के लिये हर पन्द्रह मिनट के बाद बसें आती हैं और वे दिल्ली दो घंटे के अन्दर पहुंचा देती हैं। वहां से जो रेल आती है वह ढाई घंटे से कम में नहीं पहुंचाती है और आती भी कुछ ऐसे वक्त से है, चलती भी ऐसे वक्त पर है, कि आम तौर पर लोगों के लिये आरामदेह साबित

[चौ० रणवीर सिंह]

नहीं होती है । इसलिये यह ज़रूरी है कि इस रास्ते पर डीज़ल कारें चलाई जायें । ग्राप जानते ही हैं कि दिल्ली की ग्रहमियत बढ़ती ही चली जा रही है । ग्राज वित्त मंत्रालय यह मानता है कि ग्रगर कम्पेंसेट्री एलाउंस बम्बई ग्रौर मद्रास के लिये ज़रूरी है तो दिल्ली के लिये भी ज़रूरी है । लेकिन ग्रजीब बात है कि रेलवे मंत्रालय ग्रभी तक नहीं मान पाया है कि दिल्ली की ग्रहमियत बढ़ गई है ।

श्री जगजीवन राम : फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं मानती है ।

चौ० रणवीर सिंह : मानती है । कम्पेंसेट्री एलाउंस जो टी० ए० की शक्ल में मिलता है वह तीनों शहरों में बराबर मिलता है । जब से देश ग्राजाद हुग्रा है, दिल्ली के ग्रन्दर ग्राबादी बढ़ती जाती है । मकान बनने की रफ्तार जो है वह ग्राबादी के साथ नहीं चली, यह मानना होगा, हालांकि मकान बहुत ज्यादा बने । दिल्ली के ग्रन्दर जो भी ग्राता है वह ग्रपने साथ राशन नहीं लाता है, दूध नहीं लाता है, मक्खन नहीं लाता है, जो भी रोजाना की ग्रावश्यकता की चीजें होती हैं उनको ग्रपने साथ ले कर नहीं ग्राता । यहीं पर उसका प्रबन्ध करना होता है । कुदरती बात है कि दिल्ली की ग्रहमियत को बढ़ाने के लिये रेलवे मंत्रालय को बहुत सहयोग देना होगा ग्रौर जो सहूलियतें कलकत्ता ग्रौर बम्बई में रोजाना की सवारियों को मिली हुई हैं उन्हें यहां भी देना होगा । कलकत्ता में जो रोजाना की सवारियां ग्राती हैं उनको १६ सिंगल टिकट के ऊपर पूरे महीने का पास मिल जाना है, लेकिन यहाँ पर २४ सिंगल टिकटों पर महीने का पास मिलता है । इसके साथ ही एक ग्रौर ग्रजीब बात है कि ग्रगर कोई तीन महीने के लिये इकट्ठा पास लेना चाहे तो उसको २० सिंगल टिकटों का ही किराया देना होता है । ग्राप जानते हैं कि जो रोजाना के ग्राने वाले हैं वे या तो दूध लाने वाले हैं या सब्जी लाने वाले हैं या फिर कोई ५०, १०० या १५० रु० मासिक पाने वाले मुलाजिम हैं । उनके लिये मुमकिन नहीं है कि वे तीन महीने का किराया पहले से ही दे सकें । कई दफा उनको एक महीने का किराया देना भी मुश्किल होता है । मैं कहता हूं कि कोई भी तारीख रखी जा सकती है, ग्रगर उसके तीन महीने पहले से वे लगातार ग्राते रहे हैं ग्रौर पास लेते रहे हैं तो उनको वह सहूलियत क्यों न दी जाय ? ग्रगर ग्राप १६ टिकट नहीं कर सकते तो ग्रापको उनके लिये २० टिकट तो कर ही देना चाहिये । दिल्ली में ग्रापके रहते हुये ११ या १२ साल तो हो ही गये हैं । ग्रगर दिल्ली के साथ कोई खास रियायत नहीं करते हैं तो कम से कम जो सलूक ग्राप दूसरे शहरों के साथ करते हैं वह तो दिल्ली के साथ करें । जिस तरह से ग्राप कलकत्ते में १६ टिकटों पर पास दे देते हैं उसी तरह से दिल्ली के ग्रन्दर भी दें । बम्बई पहुंचने के लिये बिजली से गाड़ियां चलती हैं, ग्रब कलकत्ते में भी वे चलाई जा रही हैं, वे काफी तेज़ चलती हैं । दिल्ली के ग्रन्दर भी बिजली की गाड़ियां ग्रापको चलानी होंगी । मुझे यह देख कर ताज्जुब होता है कि रेलों की ग्रामदनी को बढ़ाने के लिये ग्रापको जितनी लाइनों की ग्रावश्यकता है उनको ग्राप बिजली की क्यों नहीं बनाते हैं । ग्रगर ग्राप बिजली की गाड़ियां चलायेंगे तो उससे रेलवे की ग्रामदनी में इजाफा करेंगे । ग्रजीब हालत है कि रेल की ग्रामदमी को बढ़ाने के लिये ग्रौर बिजली की गाड़ी चलाने के लिये इस साल जो भी खर्चा किया गया है वह जो इस सदन ने मंजूर किया था उस से भी ६·८६ करोड़ रु० कम है । मैं मानता हूं कि ग्रगर हमें रेलवे को बिजिनेस के ढंग से चलाना है तो इन चीजों पर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिये । जो ग्रागे की, भविष्य की एकानमी है रेलवे मंत्रालय को ग्राइन्दा सही लाइनों पर हमको ग्रागे बढ़ाना चाहिये । मैं यह भी मानता हूं कि जितनी ही रेल बढ़ेगी उतना ही फ़्यूएल का खर्च बढ़ेगा ग्रौर पंजाब के ग्रन्दर कहीं बिहार से, कहीं उड़ीसा से, कहीं बंगाल से कोयला ग्रायेगा तो कुदरती बात है कि महंगा होता जायेगा । ग्रगर इस मामले को हमें ठीक ढंग से हल करना है तो एक न एक दिन उत्तर भारत में हमको बिजली से चलने वाली रेल शुरू करनी

होंगी। इसके लिये ज़रूरी है कि भाखरा डैम का जो दूसरा पावर हाउस बनना है उसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाय। जो पहला पावर हाउस है उसकी बिजली तकरीबन सारे दिल्ली शहर में ही खत्म हो जायेगी, कुछ राजस्थान चली जायेगी और जो वहां पर खाद का कारखाना बना है उसके अन्दर इस्तेमाल होगी। वह न तो रेलवे के लिये बचेगी न पंजाब के आदमियों के लिये और न ही दिल्ली के देहात के लिये। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि दिल्ली के देहात के आदमियों का या पंजाब के देहातों के आदमियों का सवाल रेलवे मंत्रालय के सामने नहीं हो सकता है, हालांकि वह भी एक बहुत जरूरी अंग है क्योंकि जब वहां के लोगों की आमदनी बढ़ेगी तभी तो वे रेलों में बैठेंगे, लेकिन यह जरूरी है कि हम रेल के इन्तजाम को इस तरह से आगे बढ़ायें जिससे कि खर्चा कम हो और आमदनी ज्यादा बढ़े। इसके लिये मैं यह भी मानता हूं कि जो भाखरा डैम का दूसरा पावर हाउस है उसका बनना बहुत जरूरी है। उस का जल्दी से जल्दी बनना रेलवे के हित की बात है, इसलिये मैं चाहूंगा कि श्री जगजीवन राम जी खास तौर पर प्लैनिंग कमिशन को मनावें कि भाखरा डैम का जो दूसरा पावर हाउस है वह सैकेन्ड फाइव इअर प्लैन में ही बने।

श्री जगजीवन राम : आपकी आवाज मैं पहूंचा दूंगा।

चौ० रणवीर सिंह : मेहरबानी है।

इसके अलावा जो दूसरी बात मैं चाहता हूं वह यह कि सवारी गाड़ी के जो थर्ड क्लास के डिब्बे हैं उनकी तादाद बढ़ायी जाय। जो बड़े दर्जों के डिब्बे हैं उनसे मुश्किल से १३ करोड़ रु० की आमदनी है जब कि थर्ड क्लास के डिब्बों से १०० करोड़ रु० से ज्यादा की आमदनी है। यह ठीक है कि उन गाड़ियों में पार्लियामेंट के मेम्बर भी बैठते हैं ऊंचे क्लास के डिब्बों में, मिनिस्टर साहबान और रेलवे महकमे के दूसरे अफसरान बैठते हैं। दूसरे महकमे के अफसरान भी बैठते हैं, लेकिन अगर आपको आमदनी बढ़ानी है तो जरूरी बात है कि थर्ड क्लास की तरफ आपको ज्यादा ध्यान करना चाहिये और वही डिब्बे ज्यादा से ज्यादा बनवाये जायें। आज आप दिल्ली के चारों तरफ चले जाइये, हालत यह है कि अगर आपको डंडे पकड़े हुये जाने की जगह रेल में मिल जाये तो बड़ी न्यामत है। ऐसी हालत में मोटर वाले आराम से ले जाते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी गद्दियां बनवा ली हैं। कौन नहीं चाहेगा कि वह गद्दी पर आराम से बैठ कर चलें। आपने गद्दियां नहीं लगवाई हैं, आपने किराया कम कर रखा है उनके मुकाबले में, लेकिन आप उनको कम से कम बैठने के लिये तो जगह दीजिये। इसके लिये बहुत जरूरी है कि गाड़ियों में थर्ड क्लास के डिब्बों को बढ़ाया जाय।

इसके अलावा, चूंकि रेलवे की आमदनी को बढ़ाना है, मेरी यह भी राय है कि जो आपकी पहली पालिसी के अनुसार कितने मील का फासला दो स्टेशनों के बीच में हो, उसमें भी तब्दीली होनी चाहिये। दो तीन मील पर आपको छोटे-छोटे स्टेशन, हाल्ट्स या फ्लैग स्टेशन बनाने चाहियें।

श्री जगजीवन राम : तीन मील के ऊपर।

चौ० रणवीर सिंह : तीन मील के ऊपर ठीक है लेकिन मैंने देखा है कि एक जगह पर जहां पर अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गये थे और उन्होंने एक कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री का इनागुरेट किया, वहां पर ११, ११ मील के बीच में कोई स्टेशन नहीं है। एक स्टेशन बाजपुर है, उसके और एक आगे के स्टेशन के बीच का फासला ११ मील है।

रलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): शायद वहां पर आबादी कम होगी ?

चौ० रणवीर सिंह : जनरल साहब, आप जानते हैं, आप का जाती तजुर्बा है, यमुना खादर के अन्दर बहुत बड़ी आबादी नहीं थी, वहां बड़े खतरनाक जानवर थे, लेकिन आप जैसे बहादुरों ने वहां पर गेहूं और गन्ना पैदा किया है। वैसे ही आप के साथी इधर पहुंचे हैं जिन्होंने कि आबादी को बढ़ाया है और वहां के स्टेशनों से, जहां पर कभी बाहर से अनाज आता रहा होगा, आज लाखों मन अनाज बाहर जाता है और रेलवे की आमदनी बढ़ी है। आज हालत यह है कि जहां तक रेलवे का ताल्लुक है पहले वहां २४ घंटों में आदमी चल कर दिल्ली से पहुंचा करता था। आज ११ साल हो गये हैं, लेकिन आज भी बाजपुर आदमी दिल्ली से २४ घंटों में ही पहुंचता है। इस चीज़ को हमें बदलना होगा। हमें सोचना होगा कि जहां पर शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, वहां पर ऐसा इन्तजाम किया जाय कि ज्यादा गन्ना लद सके। मेरा जो हल्का है वह रोहतक का है, वहां पर भी एक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लगी हुई है। वहां पर एक नई गोहाना लाइन बनी, लेकिन २० मील पर जा कर ही ऐसी सहूलियत देना जिस से गन्ना लद कर आ सके, यह ठीक नहीं है। बिना बीच में दो स्टेशनों के बने हैं उन पर गन्ना लादने के लिये कोई सहूलियत नहीं हो सकती है। मैं चाहूंगा कि हर तीन मील के अन्दर, जैसा कि आप भी चाहते हैं, कम से कम गन्ना लादने की सहूलियत दें ताकि शुगर फैक्ट्रियों को काम बन्द न करना पड़े। जो शुगर फैक्ट्री हमारे रोहतक की है, २७ तारीख को इस लिये बन्द हो गई कि वहां गन्ना नहीं आता।

क्योंकि दूर से गन्ना लाने में खर्चा ज्यादा पड़ता है और वह फैक्ट्री भी लोगों ने जो बचत इकट्ठा करके बनाई थी वह भी खराब हो रही है और रेलवे की आमदनी भी कम हो रही है तो मैं चाहता हूं कि ३, ३ मील पर जैसे कि आपने कहा कि फ्लैग स्टेशंस् और हाल्ट्स बनाये जायेंगे, तो मैं चाहता हूं कि उसको अमल में लाया जाय।

उधर हमारे हलके में सफ़ीदों, जींद और पानीपत तक वहां कोई सड़क नहीं है और रेलगाड़ियां भी वहां पर कम चलती हैं और वहां पर अगर कोई डीज़ल कार छोड़ी जाय तो मेरी समझ में वह बिलकुल लाभ की बात रहेगी।

इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि वहां पर ३, ३ मील के फ़ासले पर एक फ्लैग स्टेशन और हाल्ट हो तो मैं समझता हूं कि अगर वह पालिसी आप अपनायेंगे तो रेलवेज़ की आमदनी बढ़ेगी।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : मैं प्रायः रेल में यात्रा करता रहता हूं और मुझे इस बात का ज्ञान है कि रेलवे का कार्य काफी सफलता से आगे बढ़ा है। इसके लिये मैं मंत्रालय को मुबारकबाद देता हूं। समयाभाव के कारण मैं केवल कुछ बातों पर ही विचार प्रकट करूंगा। रेलवे की गति के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि यूरोप के देशों के मुकाबले में हम अपनी रेलों की गति का स्तर ऊंचा कर सकें। हाल ही में इंग्लैंड के एक लेबर नेता ने मुझे बताया था कि वहां रेलवे की औसत गति १०० मील प्रति घंटा हो गयी है और माल गाड़ियों की गति में भी काफी वृद्धि हुई है। हमें भी यह प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी जो एक्सप्रैस गाड़ियां चलती हैं, उनकी और खास तौर से जी० टी० एक्सप्रैस की गति को अधिक से अधिक तेज़ किया जाय।

एक अन्य आवश्यक बात जिसकी ओर कि मैं माननीय मंत्री का ध्यान विशेष तौर पर आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह है, कि यदि वह सचमुच रेलवे की कार्य-कुशलता में वृद्धि चाहते हैं तो

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों की कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देना होगा। दो वर्ष हो गये हैं जब ३७ ½ प्रतिशत नीचे की श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति देने की सिफारिश हुई थी, परन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। यह बड़े महत्व की बात है और मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। रेलवे भी एक उद्योग है अतः जो काम के नियम औद्योगिक निकायों पर लागू होते हैं, वही यहां भी लागू किये जाने चाहियें। इस के अतिरिक्त आज जब हम जीवन स्तर को ऊंचा करने के बारे में काफी प्रयत्नशील हैं तो हमें कर्मचारियों के वेतनों में भी वृद्धि करनी चाहिये। हमारी दैनिक आवश्यकताओं की सभी चीजों का मूल्य काफी ऊंचा हो गया है। इसलिये यह ज़रूरी है कि कर्मचारियों को उसी मुक़ाबले की सुविधायें मिलनी चाहिये। कर्मचारियों के लिये हमें आवास और डाक्टरी सेवा की मुफ्त व्यवस्था करनी चाहिये। नौकरी की सुरक्षा की भी व्यवस्था रहनी चाहिये। कई एक निवृत हुये लोगों को निवृतिवेतन प्राप्त नहीं हो रहा है; इस सम्बन्ध में भी हमें पुराने नियमों में समुचित परिवर्तन करना चाहिये।

वरिष्टता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिये और साथ ही जो स्थान खाली हो जायें उन्हें भी तुरन्त भर लिया जाना चाहिये। कहा जाता है कि जिन कर्मचारियों को २००-३०० रुपये वेतन मिलता है उनका चुनाव करने की ज़रूरत नहीं बल्कि उन्ह परिष्ठता और 'फ़िटनेस' के आधार पर तरक्की दी जानी चाहिये। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। ऐसा न होने पर लोगों से अधिक समय काम लिया जाता है और उसका भत्ता भी नहीं दिया जाता और काम में भी अनावश्यक देरी हो जाती है। भर्ती करते समय कार्य-कुशलता का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये। जो दुर्घटनायें होती है उनका मुख्य कारण ही यह है कि अनुभवहीन व्यक्ति भर्ती कर लिये जाते हैं। यदि नये लोगों के स्थान पर पुराने अनुभवी लोगों को समुचित स्थानों के लिये भर्ती किया जाय तो बहुत ही दुर्घटनाओं की भीषणता से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे सेवा आयोग के सम्बन्ध में, मेरा निवेदन है कि बहुत से खाली स्थान हैं और उनकी संख्या निरन्तर बढ़ रही है। परन्तु उन स्थानों को भरा नहीं जा रहा हालांकि दो तीन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। रेलवे मंत्रालय को इस मामले में हस्तक्षेप करके भर्ती के मामले को आगे बढ़ाना चाहिये। पार्सल क्लर्कों और बुकिंग क्लर्कों को काफी अधिक परिश्रम करना पड़ता है उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिये। यह लोग कई बार १२, १४ घंटों तक भी काम करते हैं।

कई बार प्रतीक्षालयों के वेटरों को मुसाफिरों के सामान के खो जाने के कारण परेशान किया जाता है, हालांकि इस दिशा में उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। साफ लिखा रहता है कि खोये हुये माल के लिये रेलवे जिम्मेदार नहीं। रेलवे बोर्ड इन लोगों की कोई सहायता नहीं करता, जिससे उन्हें काफी निराश होना पड़ता है।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली) : मैं केवल चार बात कहना चाहता हूं और रेलवे मंत्री का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं। पहली बात दिल्ली के आस-पास बनाये जाने वाली रिंग लाइन है। इसके बिना दिल्ली की वृहद योजना भी पूर्ण नहीं कही जा सकती। यदि इसे बना दिया जाय और इस पर बिजली की व्यवस्था हो जाय तो दिल्ली के यातायात सम्बन्धी काफी प्रश्न हल हो जायेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के आसपास के नगरों अर्थात् मेरठ, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रिवाड़ी और मथुरा तक गाड़ियां डीज़ल इंजिनों से चलाई जानी चाहियें। यदि इन पास के शहरों से इस प्रकार डीज़ल इंजिनों से गाड़ियां चलाने की व्यवस्था हो जाये तो सड़क

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० कृ० नायर]

यातायात के मुकाबले में रेलवे को काफी लाभ हो जायेगा। यह बड़ी महत्व की बात है। दिल्ली में मद्रास, बम्बई और अन्य दूर-दूर के नगरों से आने वालों की संख्या इतनी नहीं जितनी कि इन आसपास के इन पांच नगरों से आने वालों की है। यदि रेलवे मंत्री गम्भीरता से मेरी प्रस्थापना पर विचार करेंगे तो वह अवश्य उन्हें लाभदायक दिखाई देगी।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सराय रुहेला, सब्जीमंडी और पटेल-नगर में ऊपर के पुल बानये जाने चाहियें। इन स्थानों पर यातायात बहुत अधिक रहता है और वह पुलों के अभाव में घंटों रुका रहता है। इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। मथुरा रोड पर पुल बना कर काफी अच्छी व्यवस्था कर दी गयी है और यह चार वर्ष पहले तिलपट दुर्घटना का परिणाम है। इस दिशा में भूमि प्राप्त न होने की बात नितान्त निराधार है।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह रोहतक रोड पर नजफगढ़ के नाले के ऊपर जो पुल है उसको नीचा करने के बारे में है। सभा को पता है कि नजफगढ़ के नाले से न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर ही, प्रत्युत दिल्ली के जल सम्भरण पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। इससे आस-पास के गांवों को भी काफी हानि पहुंची है। दो वर्ष के आन्दोलन के बाद अब नाला साफ किया जा रहा है। नाले को चौड़ा और गहरा करने का काम इस वर्ष शुरु होना है। परन्तु पता चला है कि रेलवे विभाग की ओर से आपत्ति की गयी है। जब तक रोहतक रोड पुल का स्तर नीचे न हुआ यह कार्य नहीं हो सकता और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे शहरी और देहाती दोनों प्रकार के लोगों को हानि पहुंचेगी। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को पूर्णरूप में जांच करनी चाहियें। हम लोग पूर्णरूप से सहयोग करने को तैयार हैं और केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग भी बड़े शीघ्र काम समाप्त करना चाहता है। नजफगढ़ नाला बड़े महत्व का है और दिल्ली, रोहतक और गुड़गांव तीनों स्थानों का पानी इसमें से जाता है। प्रधान मंत्री ने भी इस समस्या का अध्ययन करने के लिये इंजीनियरों की एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की थी। यदि इस नाले पर ठीक समय पर काम पूरा नहीं होगा तो इससे लोगों, खासकर आसपास के देहातों को, काफी हानि होगी, अतः इस समस्या को उच्च प्राथमिकता दे कर इसका समुचित हल निकालने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

†**श्री नरसिंहन** (कृष्णगिरि) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान सेलम-बंगलौर वाली १०० मील की लाइन के पुनः निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह लाइन अंग्रेजों ने युद्ध के समय उखड़वा ली थी। इसे पुनः चालू करने के सम्बन्ध में जनता की ओर से कई बार कहा गया था; मैं भी इस सम्बन्ध में कई बार यहां निवेदन कर चुका हूं लेकिन अभी तक कोई सहानुभूतिपूर्ण उत्तर मुझे नहीं मिला है। २६-२-१९५३ को वर्तमान रेलवे मंत्री महोदय के पूर्वाधिकारी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि केन्द्रीय बोर्ड ने अगस्त, १९५० में फैसला किया था कि मोराप्पुर-होसुर लाइन को जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, नेरोगेज की लाइन में फिर से नहीं बनाया जाये बल्कि इसको मीटर गेज की लाइन बनाने और बंगलौर तक ले जाने में होने वाले खर्च का अन्दाजा लगाया जाये। १९५१ में बोर्ड के सामने फिर यह मामला लाया गया और फैसला किया गया कि मोरप्पुर-होसुर नैरो गेज लाइन की आस्तियों को नष्ट न किया जाये और बंगलौर से सेलम तक मीटर गेज लाइन बनाने के प्रश्न पर विचार अभी स्थगित कर दिया जाये। श्री शास्त्री ने

†मूल अंग्रेजी में

कहा था कि इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस लाइन को छोड़ दिया गया है, बल्कि आगे जब कोई इंजीनियरिंग सर्वेक्षण होगा तो इस लाइन की बारी आ जायेगी। परन्तु अब तो सर्वेक्षण हो चुका है और रेलवे मंत्रालय का एक पग आगे बढ़ चुका है। पता नहीं इसमें अब इतनी देर क्यों हो रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उखड़ी हुई रेलवे का सामान ऐसे ही नष्ट हो रहा है। इस जमाने में इतने कीमती सामान को यों ही नष्ट होने देना ठीक नहीं है। योजना काल में इस तरह की चीज मेरी समझ में नहीं आती। यह रुपया बचाने का गलत तरीका है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में रेलवे बोर्ड द्वारा सरकार को समुचित परामर्श देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त इसके और भी कई एक लाभ हैं। इस लाइन के चालू होने से निवेली का लिगनाइट भी बंगलौर ले जाया जा सकता है। बंगलौर एक बड़ा शहर है और वहां शीघ्र ही कार्बोनाइज्ड ब्रिकेट्स की मांग बहुत होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि रेलवे प्रशासन भी लिगनाइट का इस्तेमाल करने लगे। इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा संगठन के सम्बन्ध में जो विधान अभी हाल ही में हमने स्वीकार किया है उसके अधीन नियमों का निर्माण अभी तक नहीं हो सका। यह हो जाना चाहिये था। इस दिशा में मैं ने अधीनिस्थ विधान समिति का भी ध्यान आकृष्ट करवाया है।

†**श्री जगजीवन राम** : हम इसी सत्र में नियम सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री नरसिंहन** : एक छोटी सी प्रार्थना यह भी है कि शतरंग और बिलियर्ड जैसे खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को रेलों में आने जाने के लिये रियायत मिलनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मैं इस पर भी जोर दूंगा कि विंध्य प्रदेश की सतना-रीवा-गोबिंदगढ़ लाइन बनाने की ओर भी ध्यान दिया जाये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान दक्षिणी बंगाल में स्थित, बरहारवा-अजिमगंज-कटवा लूप लाइन और सियालदा से लालगोला जाने वाली लाइन, की ओर ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। इसकी ओर समुचित ध्यान दिया नहीं गया है। पूर्वी रेलवे की बी० ए० के० लूप लाइन थोड़े से प्रयत्न से ही उत्तर बिहार, आसाम और उत्तर भारत के अतिरिक्त कलकत्ता पत्तन के लिये लाभदायक बनाई जा सकती है। १९५३ में गंगा के मिट्टी काटने के कारण यह लाइन टूट गयी थी, परन्तु इसको ठीक करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रारम्भिक सर्वेक्षण होने पर भी रेलवे प्रशासन इस मामले में कोई निर्णय नहीं कर सका है। उनका विचार इसके विकल्प में एक अन्य २५ मील का रास्ता बनाने का था। परन्तु उसके लिये भी कुछ किया नहीं गया।

रेलवे मंत्री सड़क परिवहन के मुकाबले की बातें कर रहे थे, परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३४ से ही चाय, पटसन, अनाज और सरकारी माल तक लाया ले जाया जाता है, क्योंकि बी० ए० के० लूप लाइन पर सीधा यातायात ही नहीं है। मुझे आशा करनी चाहिये कि रेलवे मंत्री इसकी ओर समुचित ध्यान देंगे।

यह उल्लेखनीय है कि नियतीता और हावड़ा के १६६ मील के रास्ते पर एक भी तेज गाड़ी नहीं चलती। नियतीता से हावड़ा पहुंचने के लिये १० घंटे से अधिक समय लगता है। मुझे पता लगा है कि इसकी अवस्था बड़ी ही शोचनीय है। यह लाइन १९११ में बनाई गयी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

थी और रेलवे प्रशासन इस पर तेज गाड़ियां चलाने से काफी घबराता है। सियालदा-लालगोला लाइन पर भी केवल एक ही तेज गाड़ी चलती है। इसमें में भी समय व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया। इस लाइन पर भी तेज गाड़ी चलाने के मामले में मंत्री महोदय को समुचित विचार करना चाहिये।

श्री गणपति राम (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय रेलवे मंत्री महोदय तथा उनके मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके जमाने में रेलवे विभाग बड़ी प्रगतिशीलता से काम कर रहा है। साथ ही मैं रेलवे मंत्रालय का इसके लिए अभारी हूं कि इतने दिनों के अन्दर मैंने जो भी जनता की शिकायत के रूप में पत्र भेजे उनका मुझे तत्परता के साथ समुचित उत्तर मिला है।

अब मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी की कुछ दिक्कतों को माननीय रेलवे मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। सुलतानपुर जफराबाद रेलवे लाइन पर जौनपुर कचहरी स्टेशन से आगे जो रेलवे क्रासिंग है वह केवल दस फीट चौड़ा है। उस पर इस कारण दो-दो एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक बार एक आदमी का हाथ कट गया, एक बार एक बस टकरा गई और एक बार एक आदमी मर गया। मेरी प्रार्थना है कि इस गेट को चौड़ा कर दिया जाये।

दूसरी मेरी मांग यह है कि जौनपुर से इलाहाबाद रेलवे लाइन पर मांडियाडू भन्नोर के बीच बसुई नदी पर एक पुल है। जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो लोग इसी पुल पर से होकर पार जाते हैं। इस पुल पर से जाने में साल में एक दो आदमी इस पर से गिर कर मर जाते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर इस पर स्टील के शीट बिछा दिये जायें तो ये दुर्घटनायें न हों।

श्री जगजीवन राम : स्टेट गवर्नमेंट से लिखवाइये।

श्री गणपति राम : मेरी तीसरी मांग यह है कि जौनपुर स्टेशन पर थर्ड क्लास के मुसाफिरों के लिए वेटिंग हाल बनना चाहिए। जौनपुर एक जंक्शन है। दो साल पहले मैंने रेल मंत्रालय से यह मांग की थी तो मुझे उत्तर दिया गया कि वहां पर पाखाना बनवा दिया गया है, एक बेंच बना दी गयी है आदि। पर यह मांग पूरी नहीं की गयी। मेरी मांग है वहां पर तीसरे दरजे के मुसाफिरों के लिए पैसिंजर हाल बनना चाहिए।

श्री जगजीवन राम: क्या वहां पैसिंजर हाल नहीं है?

श्री गणपति राम : जी नहीं।

मेरी चौथी मांग यह है कि प्रतापगढ़ जंघई जो ब्राडगेज लाइन है उस पर बादशाहपुर एक रेलवे स्टेशन है। वह एक बहुत मशहूर कस्बा है और वहां गल्ले की मंडी है और वहां से काफी माल बाहर जाता है। वहां की जानता की मांग है कि वहां पर एक मुसाफिरखाना होना चाहिए। उस स्टेशन पर दो प्लेटफार्म हैं और जब गाड़ियां खड़ी होती हैं तो मुसाफिरों को गाड़ियों के नीचे से होकर जाना पड़ता है। इसलिए यहां पर एक ओवर ब्रिज की जरूरत है। उसको भी माननीय रेलवे मंत्री बनाने की कृपा करें।

मेरी पांचवीं मांग यह है कि जफ़राबाद जंक्शन पर जहां कि बनारस से, सुल्तानपुर से, इलाहाबाद से और जौनपुर से लाइनें जाकर मिलती हैं कोई मुसाफिर खाना नहीं है। मैंने इसके लिए कई बार मांग की है। वहां पर एक मुसाफिर खाना बनना चाहिए।

मेरी अगली मांग यह है कि अमृतसर हावड़ा मेल का परतापगढ़ और बनारस के बीच में बहुत लम्बा रन है। उस ९० मील की दूरी में वह गाड़ी कहीं नहीं रुकती। मेरा निवेदन है कि उसको जंघई में रोका जाये जो कि परतापगढ़ से ३० या ३५ मील है और बनारस से ६० मील के लगभग है। वहां की जनता को अगर लखनऊ जाना हो तो जौनपुर होकर जाना होता है। या बनारस जाना पड़ता है। अगर जंघई में इस गाड़ी का स्टापेज हो जाये तो लोगों को सुविधा हो जायेगी। पहले मैंने लिखा था तो दो महीने तक एक्सपैरीमेंट के तौर पर गाड़ी को वहां रोका गया था लेकिन बाद में यह रिपोर्ट दी गयी कि काफी मुसाफिर नहीं आते इसलिए फिर स्टापेज नहीं रखा गया। लेकिन दो महीने तो गांवों में प्रचार में ही लग जाते हैं। जब लोगों को मालूम होगा तभी तो वे इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मेरा निवेदन है कि इस गाड़ी को जंघई पर रोका जाये।

मेरी अगली मांग यह है कि एक ब्रांच लाइन शाहगंज से जंघई वाया खुटइन, मिलकीछा मछलीशहर, बादशाहपुर खोली जाये। हमने पहले भी इस लाइन के लिए प्रार्थना की थी और रेलवे मंत्रालय ने वायदा किया था कि सर्वे करायेंगे। लेकिन मैंने इसका जिक्र दूसरी योजना में नहीं देखा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अगर इस योजना में इस लाइन को न बनाया जा सके तो कम से कम इसका सर्वे तो करा लिया जाये ताकि अगली योजना में उसको लिया जा सके।

अब मैं आपसे टिकटलैस ट्रेवलिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे कई बार जंघई से इलाहाबाद आने का मौका मिला है। मैंने देखा है कि इस लाइन पर बहुत से स्कूलों के विद्यार्थी गाड़ी में चढ़ आते हैं और पहले तथा दूसरे दरजे में घुस आते हैं और मुसाफिरों को बैठना कठिन हो जाता है। इसके अलावा सीटों का कपड़ा फाड़ ले जाना तो साधारण सी बात हो गयी है। तो इसको रोका जाना चाहिए।

श्री जगजीवन राम : कैसे रोका जाये ?

श्री गणपति रामः दूसरे करछना से इलाहाबाद लाइन पर मैंने देखा है कि कुछ गुंडे लोग गंडासा और लाठी आदि लेकर बिना टिकट गाड़ी में चढ़ आते हैं और टी० टी० ई० उनको रोक नहीं सकते। मैंने उनसे रोकने को कहा तो उन्होंने कहा कि क्या हम उनसे अपनी हत्या करावें। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए कोई स्पेशल इन्तिजाम होना चाहिए ताकि टिकटलैस ट्रेवलिंग बन्द हो और पहले और दूसरे दरजे के मुसाफिरों की जान बच सके।

अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रेलवे विभाग जो इंजिन फैक्टरी मडुआडीह में बनाना चाहता है और जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने दो साल पहले किया था, उसका काम बहुप धीरे-धीरे चल रहा है। पता नहीं कि रेलवे मंत्रालय इसकी तरफ से उदासीन क्यों है ?

श्री जगजीवन राम : इसलिए कि हमको वहां पूरी जमीन नहीं मिली है। इसी कारण हमने काम ढीला कर दिया।

श्री गणपति राम : मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः काम ढीला करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री गणपति राम : आप कोई ऐसा उपाय सोचें कि उस फैक्टरी का निर्माण जल्दी से जल्दी हो सके।

श्री जगजीवन राम : हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा है।

श्री गणपति राम : अब मैं हरिजनों की नौकरियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आज से ६ साल पहले लोक-सभा के अन्दर हमने मांग की थी कि सन् १९५० से जब से कि कांस्टीट्यूशन लागू हुआ है अब तक कितने हरिजनों को क्लास १, २, ३ और ४ में नौकर रखा गया, कितनों का प्रमोशन हुआ आदि। सन् १९५२ में हमको एक बुकलैट मिला था। उसके बाद से आज तक कोई इस विषय का बुकलैट हमको नहीं मिला। मेरी प्रार्थना है कि हमको ऐसा बुकलैट दिया जाया करे जिसमें इस तरह की सारी जानकारी हो कि कितने हरिजनों को लिया गया, कितनों को नहीं लिया गया, कितनों को प्रोमोशन दिया गया, कितनी वैकेंसीज़ हुईं आदि। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों को सीनियारिटी और मैरिट होते हुए भी प्रोमोशन नहीं दिया गया और उनको दूसरे सुपरसीड कर गये। मैंने एक ऐसे केस के बारे में जो कि डी० एस० लखनऊ के यहां का था रेलवे विभाग को लिखा था लेकिन उसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिला है। इसी तरह की कुछ शिकायतें इलाहाबाद के अकाउंट्स आफिस की भी हैं। इस की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आपका एक ओक ग्रोव स्कूल मसूरी में चलता है। यह एक कोने में है और वहां पर साधारणतया रेलवे कर्मचारियों के लड़के नहीं जा पाते। मैंने सुना है कि वहां पर एंगलोइंडियन विद्यार्थी और कुछ इंडयिन विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहां का वातावरण कुछ ऐसा है कि सुनने में आया है कि वहां पर एंगलोइंडियन टीचर्स और इंडियन टीचर्स में कुछ भेद बरता जाता है। वहां के हैडमास्टर की नियुक्ति होनी थी। उसके लिए कोई एजूकेशनिस्ट नहीं लिया गया बल्कि उस जगह रेलवे के एक आफिशियल को रखा गया जो कि रिटायर हो चुके थे और जिनका ऐजूकेशन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा था।

श्री जगजीवन राम : शायद आप की जानकारी गलत है।

श्री गणपति राम : अगर जानकारी में कोई ग़लती हो, तो उसको सुधार लिया जाये, तो अच्छा ही है।

श्री शाहनवाज खां : जो जानकारी है, वह बहुत आउट आफ डेट है।

श्री गणपति राम : वहां के इंडियन टीचर्स के प्रोमोशन के मामले में भी इन्साफ नहीं हो रहा है। उन को सुपरएनुएट कर दिया गया है।

श्री शाहनवाज खां: सुपरएनुएट ? या सुपरसीड ?

श्री गणपति राम : उन को सुपरसीड कर दिया गया है। इस बारे में आप का ध्यान जाना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यान वक्त की तरफ होना चाहिए।

श्री गणपति राम : मैं आप को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ने मुझे समय दिया।

श्री बालकृष्ण वासनिक (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : डिप्टी स्पीकर साहब, अभी कुछ देर पहले इस सदन में रेल-गाड़ियों की स्पीड को ज्यादा बढ़ाने के सम्बन्ध में जिक्र किया गया। जहां तक मैंने देखा है, रेल गाड़ियों की स्पीड़ अधिक होने की अपेक्षा कम हो रही है और जो समय था, उस को बदला जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं जी० टी० के सम्बन्ध में कहूंगा कि वह दिल्ली में पहले से एक घंटा देर से पहुंच रही है और मेरा

ख्याल है, कि ये बातें इस लिए हो रही हैं कि पहले ही गाड़ियों के चलने में ज्यादा समय दे कर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की एफ़िशेन्सी प्रकट की जाये । जो गाड़ी पहले बाइस घंटे में नागपुर से दिल्ली पहुंचती थी, उस को पहले ही तेईस घंटे कर दिया जाये और फिर उस समय का हवाला दे कर के अब गाड़ियां लेट नहीं चलती । रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशेन्सी बताई जाये, ऐसा मुझे लगता है ।

अक्सर रेलगाड़ी में प्रवास करने का हम लोगों को मौका मिलता है और मैं इस बात को देखता हूं कि जब हम जनता या किसी दूसरी गाड़ी में लोअर क्लास में चलते हैं, तो मालूम होता है कि इन गाड़ियों के डिब्बों को स्वच्छ रखने का कोई प्रयत्न नहीं होता है । जब हम फ़र्स्ट क्लास में प्रवास करते हैं, तो उस डिब्बे को साफ़ करने के लिये स्टेशन-स्टेशन पर काफ़ी लोग आते हैं और जब भी बुलाया जाता है, तो वे आ जाते हैं । परन्तु जब जनता में या पैसेंजर में थर्ड क्लास में प्रवास होता है, तो हम देखते हैं कि नागपुर से दिल्ली तक एक भी आदमी डिब्बे को साफ़ करने के लिये नहीं आता है और उस डिब्बे में इतनी गन्दगी फैली होती है कि समझ में नहीं आता कि वहां किस प्रकार से बैठा जाये ।

पीने के पानी का भी प्रबन्ध स्टेशनों पर नहीं होता है । एक स्टेशन पर मैंने यह देखा कि जब हम ने पानी के लिये स्टेशन मास्टर से पूछा, क्योंकि स्टेशन के प्लेटफ़ार्म पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने अपने कमरे के एक विभाग की ओर अंगुली-निर्देश कर दिया । वहां पर जो वर्तन रखे थे, वे सब खाली थे । एक बाल्टी में जो पानी रखा हुआ था, वह इतना गन्दा था कि उस पानी को पीने की हिम्मत नहीं हुई । जो लोग बहुत प्यासे थे, उन्होंने उस पानी को इस्तेमाल किया ।

खाने की व्यवस्था के बारे में यहां पर बहुत लोगों ने कहा है । भोपाल स्टेशन के बारे में मैंने कम्पलैंट की थी । वहां पर खाने के लिये एक अजीब सा अनाज दिया जाता है, जिससे आदमी बीमार न पड़े, तो और क्या हो । एक बार मैं जी० टी० से भोपाल जा रहा था । वहां पर जो फ़ूड दिया गया, उस को इस्तेमाल करने के बाद सचमुच ही मेरी स्वयं की तबियत खराब हो गई थी, यह मेरा अपना अनुभव है । इस तरफ ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक पैसेंजर एमिनिटीज़ का सम्बन्ध है, उसकी बातें तो हम बहुत करते हैं और बहुत सा पैसा भी उस के लिये बजट में रखते हैं, परन्तु हम को देखना चाहिये कि ये एमिनिटीज़ ठीक तरह से पैसेंजर्ज़ तक पहुंचे ।

इसके बाद मैं कुछ बातें नागपुर के बारे में कहना चाहता हूं । आप जानते हैं कि नागपुर एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है । शहर के बीच भंडारा रोड तथा कामठी रोड को जाने वाला पांचपावली रोड नामक रास्ता जाता है । उस पर दो क्रासिंग्ज आ जाते हैं और हम ने यह देखा है कि वहां पर कई एक्सिडेंट्स हो गये हैं और कई लोगों की मृत्यु भी उन में हुई है । वहां के लोगों ने काफ़ी बार इस बात की मांग की कि वहां पर ओवर-ब्रिज या अंडर-ब्रिज, जो कुछ भी हो सकता है, बनाया जाय । वहां पर बहुत सी रेल गाड़ियां चलती हैं । इसलिये दिन में कई बार वह रास्ता बन्द होता है । यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, तो उस को ले जाने वाली एम्बूलैंस कार को भी पंद्रह-पंद्रह मिनट ठहरना पड़ता है और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है । मैं मांग करता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस बात को देखें कि उस रोड पर जो रेलवे क्रासिंग्ज़ हैं, उन पर अंडर-ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाया जाय । भंडारा रेलवे स्टेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि द्रुग से ले कर कामठी तक डबल लाइन करने का प्रयत्न चल रहा है और काम शुरू हो गया है । जो काम कुछ दिनों पहले अत्यन्त तेज़ी से हो रहा था, मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों से उस

[श्री बालकृष्ण बासनिक]

में कुछ मन्दी सी आ गई है। मैं चाहता हूं और भंडारा के लोग इस बात को चाहते हैं कि यह जो दूसरी लाइन तैयार हो रही है, उस के तैयार होते-होते ही उस लाइन को डाइवर्ट कर के भंडारा से ले लिया जाय। भंडारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। यही नहीं, वह उद्योग का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यदि रेलवे लाइन वहां से डाइवर्ट कर के ले जाई जाती है, तो उद्योग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काम हो सकता है और इस से उस क्षेत्र का विकास बढ़ सकता है। मैं रेलवे मंत्रालय से अपेक्षा करूंगा कि वह इस पर विचार करे। मेरा ख्याल है कि इस का सरवे हो गया है। शायद यह कहा जा सकता है कि यह इकानोमिकली ठीक नहीं होगा, परन्तु जहां तक मैं समझता हूं, इस लाइन का बड़ा महत्व होगा और उसके आजू-बाजू इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी और कारखाने खुलने की सम्भावना है। यदि हम इन बातों को देखते हैं, तो यह लाइन डाइवर्ट कर के ले जाना और भंडारा प्रापर में स्टेशन का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है।

तिरोड़ा स्टेशन के लोगों ने वैगन्ज़ के लिये काफ़ी दिनों से मांग की है और काफ़ी पत्र और दरख्वास्तें भेजी हैं, परन्तु उन पर कुछ खास विचार नहीं हुआ है। वहां के अनाज के व्यापारियों को अनाज दूसरी तरफ भेजने के लिये इन वेगन्ज़ की बहुत ज़रूरत होती है और एक दिन में कम से कम दो वैगन्ज़ वहां पर मिलना अत्यन्त आवश्यक है।

गोंदिया स्टेशन तो गांव में है, लेकिन भंडारा रोड और तुमसर रोड स्टेशन गांव से छः मील और तीन मील दूर हैं। जो पैसेंजर स्टेशन पर जाता है और वहां देखता है कि ट्रेन लेट है, तो उस को काफ़ी समय तक स्टेशन पर बैठना पड़ता है। अगर वहां टेलीफ़ोन की व्यवस्था की जाये, तो वहां एन्क्वायरी की जा सकती है कि ट्रेन समय पर आ रही है या लेट आ रही और कितनी लेट आ रही है और इस प्रकार ठीक समय पर वहां पहुंचा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि इन जगहों पर टेलीफ़ोन की व्यवस्था की जाय। जगह-जगह इलैक्ट्रिसिटी आ गई है, परन्तु बहुत से स्टेशन ऐसे हैं नागपुर-गोंदिया लाइन पर, जहां इलैक्ट्रिसीटी की लाइन नज़दीक होने के बावजूद स्टेशन पर उस का प्रबन्ध नहीं किया गया है।

नागपुर और नागभिर की जो लाइनें हैं, वहां दिन में एक गाड़ी चलती है। उसी प्रकार गोंदिया-वाड़सा लाइन पर भी दिन में एक गाड़ी चलती है और उस का समय भी अजीब सा है। वहां के लोगों ने काफ़ी दिनों से मांग की है कि वहां पर दूसरी गाड़ियां चलाई जायें। रेलवे मंत्रालय द्वारा इन लाइनों पर दूसरी गाड़ियां चलाने के बारे में विचार किया जाये।

विदर्भ में दारव्हा-पुसद् लाइन को दूसरे महायुद्ध के समय उखाड़ दिया गया था। वह तीस मील लम्बी लाइन होगी। रेलवे मंत्रालय उस को फिर बनाने के सम्बन्ध में विचार करे। उस विभाग की उन्नति की दृष्टि से यह लाइन अत्यन्त आवश्यक होगी।

उसी प्रकार से अमरावती-बरखेड़ लाइन का सरवे हो गया है और इस लिये उस लाइन को भी हाथ में लिया जाये।

अन्त में एक महत्वपूर्ण बात नागपुर रेलवे स्टेशन के बारे में कहना चाहता हूं। वहां लाइसेन्स्ड पोटर्ज़ की अपेक्षा अनलाइसेन्स्ड पोटर्ज़ काफ़ी हैं। इस का मतलब यह है कि बाहर के लोग स्टेशन पर आ जाते हैं और पोर्टर का काम करने लग जाते हैं। इस का परिणाम यह हुआ है कि नागपुर स्टेशन पर चोरियां बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त लाइसेन्स्ड पोटर्ज़ और बाहर के लोगों में मारपीट और लड़ाई झगड़ा भी होता है। अनलाइसेन्स्ड लोगों को रोकने का प्रबन्ध रेलवे अधिकारियों ने नहीं किया है। मैंने स्वयं कई बार इस बारे में बात-चीत की है। मैंने जहां

तक सुना है और देखा है, इन अनलाइसेन्स्ड पोर्टर्ज़ को—इन लड़कों को इस लिये स्टेशन पर आने दिया जाता है कि वे रेलवे के कर्मचारियों का घर का काम करते हैं—खाना वगैरह लाते हैं और दूसरे काम करते हैं। इसी लिये उन लोगों को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मैं चाहूंगा कि अनलाइसेन्स्ड पोर्टर्ज़ को, जो कि एक प्रकार से न्युसेन्स हो गये हैं, रोक दिया जाये और इस सवाल को हल किया जाये।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आप को इस लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि कई दिनों के परिश्रम के बाद आज मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जो हिन्दुस्तान में काफ़ी पिछड़ा हुआ है ......

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) यू० पी० ?

श्री विश्वनाथ राय : ....और उस क्षेत्र में रेलवे लाइन भी ऐसी है, जो कि हिन्दुस्तान में सब से पिछड़ी हुई है और वह है पूर्वोत्तर रेलवे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ राय : जी हां। वह हिन्दुस्तान का एक ग़रीब इलाका है और वहां पर सब से घनी आबादी है, वह ग़रीब है लेकिन राजनीति में आगे है वैसी ही दरिद्र वहां के रेलवे—पूर्वोत्तर रेलवे—है। उस की विशेषता यह है कि बरेली से, जो कि वहां का मुख्य स्थान है, काठगोदाम जाने में करीब ६२ मील की यात्रा करनी पड़ती है और उस ६२ मील के लिये करीब साढ़े छः घंटे लगते हैं—जो व्यक्ति दोपहर के बाद सवा तीन बजे चलता है, वह करीब दस बजे काठगोदाम पहुंचता है।

वैसे ही दूसरी लाइन भटनी से बरहज के लिये है। बरहज एक ऐसा स्थान है, जहां चीनी का बहुत बड़ा केन्द्र था और जहां इस समय फिर जूट की उन्नति हो रही है। वहां पर जो लाइन बनी है, वह बहुत पुरानी तो है ही। वहां पर एक्सीडेंटस इत्तिफ़ाक से नहीं हो रहे हैं, उस के लिये चाहे रेलवे को धन्यवाद दीजिये और चाहे ईश्वर को। लेकिन वहां जो सुविधा थी, तीन ट्रेन जाने की और तीन ट्रेन आने की, उस के बारे में सुना गया है कि एक ट्रेन उस में बन्द होने वाली है। हमारी यह जो सुविधा थी, उस को और कम किया जा रहा है।

भटनी जंक्शन स्टेशन है और वह काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। वहां शूगर फ़ैक्टरी है, बाज़ार भी छोटा-मोटा है। बनारस और इलाहाबाद इत्यादि तीर्थ-स्थानों को जाने के लिये उत्तरी बिहार के कई ज़िलों के लोग वहां जाते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग तो जाते ही हैं। उस स्थान पर जहां पर बड़ी तादाद में यात्री बाहर से आते हैं, विभिन्न ज़िलों से आते हैं, चारों तरफ रेलवे लाइन है किन्तु फिर भी क्रास करने के लिये कोई अच्छा साधन नहीं है, लाइन क्रास करने का ठीक साधन नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि प्रायः वहां पर दुर्घटनायें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई सालों से मैं यह बात कहता आ रहा हूं लेकिन न जाने रेलवे मंत्रालय उसके बारे में क्यों उदासीन बैठा है। वहां लोगों को मरते हुये देखा गया है फिर भी लोगों के पास सिवाय रेल क्रास करने के कोई चारा नहीं है। रेलवे एक्ट के मुताबिक रेलवे लाइन को क्रास करना गैर-कानूनी घोषित किया गया है लेकिन वहां पर लोगों को विवश हो कर रेलवे लाइन क्रास करना पड़ता है क्योंकि उनको प्लेटफार्म पर आ कर टिकट लेने पड़ते हैं। उनको यह कह कर के भी पकड़ लिया जाता है कि उनके पास टिकट नहीं हैं। उन बेचारों की इस तरह की कोई ग़लती नहीं होती है लेकिन वे पकड़े अवश्य जाते हैं। इस ओर रेलवे मंत्रालय का कई बार ध्यान आकर्षित किया गया है और कहा गया है कि लोगों का कोई दोष नहीं है लेकिन रेलवे मंत्रालय उदासीन बैठा हुआ है।

[श्री विश्वानाथ राय]

इस वास्ते मैं चाहता हूं कि या तो वहां पर एक ओवर-ब्रिज बने या जो बुकिंग ग्राफिस है वह दूसरी साइड में कहीं श्रौर ले जाया जाये ।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वह ऐसा स्थान है जहां पर छोटी-मोटी सुविधायें देने से काम नहीं चल सकता है। वहां पर भीड़ दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। वहां पर शूगर फैक्ट्री के चालू हो जाने के कारण श्रावागमन दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है । मैं श्रधिक सुविधायें देने की मांग नहीं करता हूं। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि अभी तक जो वहां के लोगों को सुविधायें दी जाती रही हैं श्रौर जो बन्द कर दी गई हैं, वही उनको दी जाती रहें, उनका ही प्रबन्ध कर दिया जाये। वहां के लोगों को एक सुविधा मिली हुई थी उनको माल ढोने के लिये वैगन्स मिल जाते थे। श्रब उनकी तादाद कम की जा रही है या वे बन्द कर दिये गये हैं। दो तीन रोज़ पहले बोलते हुये माननीय रेलवे मंत्री महोदय ने बताया था कि मीटर गेज़ के लिये वैगन्स की कठिनाई कुछ कम हो गई है। उसी वक्त मैंने उसकी चर्चा की थी श्रौर कहा था कि यह कठिनाई दूर होने की बात हमारी समझ में नहीं श्राई है श्रौर मैं तो समझता हूं कि वह श्रौर भी बढ़ गई है। मैं यह बात खासतौर पर गन्ना उत्पादकों के सम्बन्ध में कह सकता हूं। नूनखार, भाटपार तथा सलीमपुर में पहले वैगन्स मिल जाते थे। वहां पर से शूगर फैक्ट्रियों के लिये गन्ना लद कर जाता था। शूगर फैक्ट्रियां देवरिया में श्रौर कटनी में भी। नूनखार, भाटपार श्रौर सलीमपुर में श्राज से नहीं कम से कम बीस बरस पहले से गन्ने के लदान के लिये वैगन्स दिये जाते थे श्रौर उस वक्त एक दो नहीं करीब-करीब १०, १२ या १५ वैगन्स रोज वहां से लद कर जाते थे। श्रब इनकी सप्लाई बन्द कर दी गई है। ऐसी हालत में जो माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि वैगन्स की पोज़ीशन अच्छी हो गई है . . . .

श्री **जगजीवन राम** : क्या बात हो गई है , कांटा नहीं है ?

श्री **विश्वनाथ राय** : रेलवे वालों ने शूगर फैक्ट्री वालों को तथा यूनियंस को कहा है कि वैगन्स की दिक्कत है, इसलिये हम वहां नहीं दे रहे हैं। मैंने तीन स्टेशनों की बात कही है। मैं चाहता हूं कि आप इस श्रोर ध्यान दें। इससे रेलवे को भी नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि दस, पन्द्रह नहीं इन तीनों स्थानों के लिये श्रौर भी ज्यादा वैगन्स की ज़रूरत पड़ सकती है श्रौर वहां से रेलों की श्राय भी बढ़ सकती है यह तभी हो सकता है जब इन तीनों स्थानों को सुविधा दी जाय। इस वक्त रेलों की श्रामदनी मारी गई है। श्रापकी तरफ से कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट वालों की तरफ से गड़बड़ी पैदा की जाती है लेकिन जब इस तरह की बात हो तो मैं समझता हूं गड़बड़ी हुये बिना नहीं रह सकती है ।

श्रब मैं भाटपार की बात करना चाहता हूं। वह मेरवा साइड, छपरा साइड श्रौर गोरखपुर साइड में जाने के लिये बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण बाज़ार है। उन स्थानों पर पहुंचने के लिये यह जरूरी है कि भाटपार में गाड़ी लोगों को सुविधानुसार मिले श्रौर समय पर चले ताकि लोग छपरा, देवरिया इत्यादि स्थानों पर श्रासानी से जा सकें। साल-डेढ़ साल के श्रन्दर एक लोकल ट्रेन चालू की गई है सिवान या छपरा से गोरखपुर तक। श्रगर वह छट जाती है तो लोगों को करीब बारह बजे जो ट्रेन मिलती है वह ऐसी है कि जिसका भटनी में कनैक्शन नहीं होता है। इस तरह से चाहे किसी को पश्चिम जाना हो या चाहे पूर्व जाना हो, काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है श्रौर बड़ी परेशानी होती है ।

श्रब मैं तुरतीपार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह स्टेशन इलाहाबाद-भटनी लाइन पर है। यह ऐसा स्टेशन है जहां पर श्रगर पानी बरसे या जाड़ा हो तो भी दस श्रादमियों

के लिये बैठने के लिये छाया का कोई इन्तिजाम नहीं है। बुकिंग भी वहां पर नहीं है वहां पर जो लोग आते हैं उनको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है । स्वयं भागलपुर एक बहुत अच्छा बाज़ार था लेकिन अब वह टूट रहा है । भागलपुर तुरतीपार के पास है। तुरतीपार के लिये बुकिंग का प्रबन्ध न होने के कारण लोगों को बड़ी असुविधा होती है । उनको इससे बड़ी कठिनाई होती है । उनकी यह परेशानी बाढ़ के दिनों में और भी बढ़ जाती है । उन दिनों में सिवाय रेल के और किसी तरह से माल आ जा नहीं सकता है । भागलपुर के जो रोजगारी हैं वे तुरतीपुर से सामान भी मंगाना चाहते हैं लेकिन उनको बुकिंग की सुविधा नहीं है। इस कारण यात्रियों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आस-पास के निवासियों की सुविधा के लिये भी यह आवश्यक है कि वहां से सामान मंगाने की सुविधा उनको दी जाये । आपके लिये यह एक मामूली सी बात है । यदि आप उनको यह सुविधा दें तो आपको हानि नहीं होगी, लाभ ही हो सकता है। वहां पर छोटा सा गुड्स शैड बनाने से आपका काम चल सकता है । साथ ही साथ वहां छोटा-मोटा पम्प और शौचालय भी होना आवश्यक है । मैं यह तो नहीं कहता कि वहां कोई विश्रामालय आप बनायें लेकिन हां मुसाफिरखाना वहां अवश्य होना चाहिये जिससे लोग यह समझें कि हम लोग भी आज के युग में रह रहे हैं और रेलों से हम भी उसी तरह लाभ उठा रहे हैं जिस तरह से दूसरे लोग उठाते हैं ।

पूर्वोत्तर रेलवे में कई स्टेशन आज भी ऐसे हैं जहां पर सिगनल नहीं है । जब इसके बारे में सवाल किया जाता है तो उत्तर मिलता है कि वे फ्लैग स्टेशन हैं । मैं जानना चाहता हूं कि फ्लैग स्टेशन रखने की ही क्या जरूरत है । मैं समझता हूं कि उनमें भी सुधार की आवश्यकता है। आपको भले ही इसकी आवश्यकता न मालूम होती हो लेकिन यात्री लोग जो बाहर से आते हैं, दूर के स्थानों से आते हैं,जब यह देख लेते हैं कि सिगनल हो चुका है तो वे समय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि उनको समय पर पहुंचना चाहिये । लोगों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि सारे हिन्दुस्तान में जहां भी सिगनल नहीं हैं वहां पर सिगनल लगा दिये जायें ।

आप खर्चा बचाने की बात करते हैं । मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं । लाल-कुआं और गोकुलनगर स्टेशन काठगोदाम लाइन पर हैं । इन स्टेशनों के बीच में आपने इस खयाल से कि वहां तराई का इलाका बहुत बढ़ गया है, वहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट फार्म है और वहां पर रूरल यूनिवर्स्टी भी कायम हो रही है एक नया स्टेशन बनाना शुरू किया । मिट्टी का काम हुआ और करीब ५०-६० हजार रुपया खर्च हुआ। कितने रुपये खर्च किये यह मैं बिल्कुल ठीक-ठीक नहीं जानता हूं । किन्तु यह मालूम है कि बीच में काम को रोक दिया गया है और अब शायद यह विचार हो रहा है कि वहां से एक-डेढ़ मील हटकर एक दूसरे स्थान पर स्टेशन बनाया जाये । मेरी समझ में नहीं आता कि एक-डेढ़ मील दूर हट कर स्टेशन अब बनाने से क्या लाभ होगा। कुछ काम वहां पर हो चुका है और जो रुपया खर्च हो चुका है वह बेकार हो जायेगा । इस तरह से रुपया खर्च करना कहां तक उचित है, इस पर मैं चाहता हूं कि स्वयं रेल मंत्रालय विचार कर ले ।

श्री जगजीवन राम : आप लोग भी दबाव डालते हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो वैसे तो गरीब क्षेत्र हैं लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी आगे बढ़ा हुआ है, भटनी स्टेशन पर एक ठेका दिया गया है, उसके बारे में काफी रोष है । जब आपसे सवाल किया गया कि केटरिंग या वैंडिंग के बारे में आपकी नीति क्या है तो आपकी तरफ से यह कहा गया कि जहां पर लाभदायक हो या जहां पर भीड़ ज्यादा होती है वहां पर डिपार्टमेंटल वैंडिंग या केटरिंग चलाया जायेगा । इस तरह से सरकार ने घोषित किया कि

[श्री विश्वनाथ राय]

जो पुराने लोग इसको चला रहे हैं, उनसे लाइसेंस वापिस ले लिये जायें। उधर वे बन्द हुये और इधर डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा गया कि वह खुद इसको चलायेगा। इसके बाद फिर ऐलान हुआ कि नहीं इसे किसी व्यक्ति या फर्म को देना है और इसके लिये आवेदनपत्र मांगे गये। आवेदन-पत्र गये। इस बीच में कई लोगों ने जिनमें संसद सदस्य भी शामिल थे अपनी यह राय ज़ाहिर की कि अगर किसी व्यक्ति को ठेका दिया जाना है तो बजाय इसके कि एक ही फर्म को या एक ही व्यक्ति को बहुत से ठेके दे दिये जायें कई व्यक्तियों को दिये जायें ताकि यह किसी की मानोपली न रहे, किसी स्टेशन पर किसी व्यक्ति अथवा फर्म की मानोपली न रहे। इसका जवाब हमें यह मिला कि स्वयं डिपार्टमेंट की तरफ से इसको चलाया जायेगा। आठ-नौ संसद सदस्य इस बात को जानते हैं। इस जवाब के कुछ ही हफ्तों के अन्दर यह फैसला हो गया कि यह ठेका राम ब्रादर्स नामक एक फर्म को दिया जाय जो भटनी जिला देवरिया की है। उस फर्म का वहां पर अस्तित्व ही नहीं था यह मैं निजी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं क्योंकि यह मेरा कार्यक्षेत्र है। उसके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति ही काम कर रहा है। वह गरीब आदमी है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जब संसद् सदस्यों को यह बता दिया जाता है कि डिपार्टमेंट चलायेगा और उसके बाद तुरन्त ही इसको एक प्राइवेट फर्म को दे दिया जाता है और वह भी एक ऐसे फर्म को जिसका अस्तित्व ही नहीं है और जिसका अस्तित्व अब कायम करने की कोशिश की जा रही है, यह सब ठीक नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिये। और संसद् सदस्यों को अन्धकार में नहीं रखा जाना चाहिये जो सत्य बात हो वही कही जानी चाहिये और किसी को भी अन्धकार में रखना अनुचित है।

†**श्री नि० वि० माईति** (घाटल) : मैं रेलवे मंत्रालय को उसके अच्छे काम के लिये मुबारक-बाद देता हूं। इसके बावजूद मेरा विचार है कि ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर कि रेलवे प्रशासन और अधिक ध्यान दे सकता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की कुछ कठिनाइयां मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं। पुरुलिया से हावड़ा आते हुये १२½ घंटे लगते हैं और इसका पश्चिमी बंगाल के मुख्य स्थान से सीधा कोई सम्पर्क नहीं। ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि समय बचाने के लिये पुरुलिया और हावड़ा के बीच कोई तेज़ गाड़ी चलाई जाय। यह मेरी पहली प्रस्थापना है।

दूसरी बात यह है कि बांकुरा का जो मिदनापुर और पुरुलिया के बीच है, सीधा हावड़ा से कोई लिंक नहीं। बांकुरा से हावड़ा आते हुये ९½ घंटे लगते हैं। अतः लोग रेल में यात्रा न करके सड़क से यात्रा करते हैं। और ९½ घंटे के स्थान पर ३, ४ घंटे में ही कलकत्ता पहुंच जाते हैं। मंत्री महोदय सड़क के मुकाबले की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि गोमो पैसेन्जर के स्थान पर कोई तेज़ गाड़ी चला कर इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। तीसरी बात यह है कि खड़गपुर और हावड़ा के बीच और गाड़ियां चलनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि पंचकुरा लोकल गाड़ियों को खड़गपुर तक बढ़ा दिया जाये। विष्णुपुर और हावड़ा में सीधा रेल मार्ग कोई नहीं। अतः लोग बसों में यात्रा करना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि यह सस्ती, तेज़ और आरामदेह है। विष्णुपुर और हावड़ा में सीधा रेल मार्ग स्थापित किया जाना चाहिये।

†**श्री ड० ल० पाटिल** (धूलिया) : मैं दीवा-दसगांव लाइन के लिये माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं बम्बई राज्य की यह मांग भी है कि मनमाड-मालेगांव-धूलिया-नरधाना लाइन का भी निर्माण किया जाय। मालेगांव एक औद्योगिक केन्द्र है। वहां हाथ करघे का वस्त्र भी तैयार होता है। आशा है कि इसे तृतीय योजना में शामिल किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा अनुभव यह है कि शाखालाइनों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। धूलिया-दसगांव लाइन पर दो प्रतिशत गाड़ियां भी निर्धारित समय पर नहीं चलतीं। स्टेशन मास्टरों ने कई बार शिकायत की है कि इस लाइन पर पुराने इंजन ही चल रहे हैं, नये इंजन नहीं दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि इस लाइन पर डीज़ल से चलने वाले इंजन बड़े उपयुक्त रहेंगे।

इन शाखा लाइनों पर पर्याप्त सुविधायें भी नहीं जुटाई जातीं। धूलिया जैसे केन्द्र पर भी न तो शैड है और न प्लेटफार्म ही। रेलवे मंत्रालय और स्थानीय अधिकारियों के पास कई बार प्रतिनिधित्व किया गया है कि बोर्विहिन और धूलिया के बीच कुछ नये स्टेशन बनाये जाने चाहियें।

इसी तरह पश्चिम रेलवे के नरधाना और शिन्दखेड़ा के बीच भी एक नया स्टेशन बनाने की मांग की गई है। लेकिन रेलवे मंत्रालय और महाप्रबन्धक ने उसका कोई उत्तर ही नहीं दिया है। धूलिया-छत्तीसगांव शाखा लाइन पर गाड़ियां हमेशा लेट चलती हैं। नतीजा यह होता है कि बम्बई या दिल्ली के लिये सम्बन्धित गाड़ियां नहीं मिल पातीं। धूलिया से बम्बई तक का एक डिब्बा रखने की मांग पिछले आठ-नौ साल से की जा रही है।

कर्मचारियों के वेतनों में परिवर्तन तो किया गया है, लेकिन सभी के साथ न्याय नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर स्टेशन मास्टरों को लीजिये। उनका वेतन-स्तर ६४—१७० से १००—१८५ तो कर दिया गया, लेकिन जो स्टेशन मास्टर १५—२० साल काम कर चुके हैं और जिनकी वेतन पहले ही १७०-१८० तक पहुंच चुका है, उनको इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। उत्तर रेलवे के क्लर्कों में भी बड़ी बेचैनी फैल रही है। रेलवे मंत्रालय उनके प्रश्न पर विचार ही नहीं कर रहा है। अमरनाथ बड़ी तेजी से औद्योगिक विकास करता जा रहा है, लेकिन वहां एक ऊपर का पुल बनाने की मांग पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। रेलवे मंत्रालय ने तालेगांव से बम्बई तक के लिये एक अलग डिब्बा लगाना स्वीकार किया था। वह डिब्बा पूना के यात्रियों से ही भरा रहता है। उसे पूना पर नहीं भरने देना चाहिये।

बम्बई से पूना जाने वाली 'डैकनक्वीन' को, पहले की तरह, कारजाट पर रुकना चाहिये।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुज़ा) : कल रेलवे मंत्री ने कहा था कि नयी लाइनों के बारे में प्राथमिकता देने का निर्णय योजना आयोग करता है, रेलवे मंत्रालय नहीं।

लेकिन इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है। रेलवे की दृष्टि से उपेक्षित और पिछड़े हुये क्षेत्रों के बारे में रेलवे मंत्रालय योजना आयोग से कह सकता है कि वहां रेलवे लाइनें बिछाना देश के विकास के हित में है। उदाहरण के लिये केरल का क्षेत्रफल १५,००० वर्ग गज़ है; लेकिन वहां कुल ४६७ मील रेलवे लाइनें ही हैं। हमने इस सम्बन्ध में कई बार सभा में आवाज उठाई है। वहां नये उद्योग इस बहाने खड़े नहीं किये जाते कि परिवहन की सुविधायें नहीं हैं; और ऐसी ही दलील परिवहन सुविधायें जुटाने के बारे में दी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री आश्वासन दें कि केरल की आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा। एरणाकुलम से क्विलोन तक का तटीय प्रदेश तो बिलकुल ही उपेक्षित पड़ा हुआ है। मध्य त्रावनकोर में एरणाकुलम—क्विलोन लाइन खुल जाने से केरल के तटीय प्रदेश के लोगों की रोज़ी खतम हो रही है। इसलिये कि वाणिज्य केन्द्र अब कोहयम से स्थानांतरित होता जा रहा है। वही प्रदेश भारत का सबसे घना प्रदेश है। एलेप्पी नारियल जटा उद्योग का केन्द्र है। सिर्फ रेलवे लाइन न होने से, उस प्रदेश का विकास रुका हुआ है। इसीलिये हमारी मांग रही है कि एरणाकुलम से एलेप्पी होती हुई क्विलोन तक एक लाइन डाली जानी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पुन्नस]

चाहिये। केरल राज्य सरकार ने उसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने उसका आश्वासन भी दिया था। इसलिये रेलवे मंत्रालय को उसे प्राथमिकता देने के लिये योजना आयोग से कहना चाहिये ।

नीलाम्बर, लाइन को वायनाड तक विस्तृत किया जाना चाहिये। उससे रेलवेज़ को स्लीपर्स भी मिल सकेंगे, जिनकी देश में बड़ी कमी है।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: सिर्फ स्लीपर्स के लिये यह लाइन बनाई जाय?

†**श्री पुन्नूसः** इससे राज्य को कई और भी लाभ होंगे। वहां चाय बागान हैं और कागज़ बनाने की लुगदी तैयार करने का कारखाना भी खुलने जा रहा है ।

†**श्री जगजीवन राम :** आपकी बातों पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री पुन्नूस** : पहले के त्रावनकोर-कोचीन के मध्य से हो कर एरणाकुलम् से क्विलोन तक एक नई लाइन डाली गई है। हम चाहते थे कि वह बड़ी लाइन हो, लेकिन उसे छोटी लाइन बनाने के लिये उस समय दलील यह दी गई थी कि छोटी लाइन का विद्युतीकरण आसानी से कम खर्च में हो जायेगा। केरल में बिजली इतनी सस्ती है, फिर भी पता नहीं क्यों अभी तक उसका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। क्या केरल में बिजली की कमी है?

लेकिन, जब हम योजना आयोग से कहते हैं कि केरल में इडीकी जल-विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाये, तो हम से कह दिया जाता है कि केरल नें बिजली की इतनी अविलम्बनीय आवश्यकता नहीं है ।

हमारे यहां कोयला भी नहीं है। इसलिये मितव्ययता की दृष्टि से भी लाइनों का विद्युतीकरण करना अविलम्बनीय है। उसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

हमारे यहां यात्री सुविधाओं का यह हाल है कि प्लेटफार्म पर कोई सायबान ही नहीं है जो भारी वर्षा से हमें बचा सके ।

कोचीन एक्सप्रैस में पुराने डिब्बे ही लगे हैं। सैलम जाने वाली कोचीन एक्सप्रेस में अब डिब्बा जोड़ा जाता है। सैलम के यात्री उसका लाभ उठा सकते हैं। यह बड़ी अच्छी चीज़ है।

लेकिन मुझे रेलवे मंत्रालय से कुछ अधिक की आशा है, विशेषकर जब सैलम के श्रीराम स्वामी रेलवे उपमंत्री भी हैं। उन्हें तो उन क्षेत्रों की ओर कुछ ध्यान देना ही चाहिये ।

एरणाकुलम्-कोचीन लाइन पर अभी पहले दर्जे का केवल एक ही डिब्बा लगता है। उसमें बड़ी भीड़ हो जाती है। डिब्बे भी बहुत पुराने, घिसे-घिसाये लगाये जाते हैं। एरणाकुलम् से क्विलोन तक कहीं भी प्लेटफार्म पर पीने का पानी नहीं मिलता। एरणाकुलम् में एक भोजनायल क्यों नहीं खोला जाता ?

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
				रुपये
२	१९	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे के कटपड़ी-वेल्लोर-कांजीवरम् का यातायात सर्वेक्षण	१००
२	२०	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे के तिरूनेलवेली-कुमारी अन्तरीप का सर्वेक्षण	१००
२	२१	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के डिंडीगल—कुडलूर विभाग के सर्वेक्षण के परिणामों को अन्तिम रूप से क्रियान्वित करने में विलम्ब	१००
२	२२	श्री तंगामणि .	दक्षिण रेलवे के त्रिवेन्द्रम-कुमारी अन्तरीप का यातायात सर्वेक्षण	१००
४	२३	श्री हाल्दर . .	बर्थों के रिजर्वेशन के लिये हावड़ा स्टेशन का निर्धारित कोटा	१००
४	२४	श्री हाल्दर . .	सियालदा डिवीजन में भ्रष्टाचार दूर करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही करने में असफलता	१००
४	२५	श्री हाल्दर .	अपर इंडिया एक्सप्रेस को धीमी-रफ्तार के कारण यात्रियों को असुविधा	१००
४	२६	श्री हाल्दर . .	हावड़ा तथा फेपटली प्लेस के प्रिंटिंग विभाग में कुप्रबन्ध तथा भ्रष्टाचार	१००
४	३०	श्री त० ब० विट्ठलराव	विभिन्न खण्डों में संघों को मान्यता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
८	३१	श्री दशरथ देव	त्रिपुरा में पूर्वोत्तर रेलवे के आउट-एजेन्ट नियुक्त करने में विलम्ब	१००
९	३२	श्री हाल्दर	सोनपुर रेलवे दुर्घटना में घायल हुये यात्रियों को प्रतिकर का न दिया जाना	१००
१०	३४	श्री त० ब० विट्ठलराव .	बिट्रगुंटा, गुती तथा पाकाला के रेलवे स्कूलों में अध्ययन करने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को फीस की छूट	१००
१०	३५	श्री हाल्दर	रेलवे कर्मचारियों का समाज विरोधी तत्वों से संरक्षण	१००
१०	३६	श्री हेम बरुआ	पूर्वोत्तर रेलवे के बद्रपुर स्टेशन (आसाम) के, रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा पर्याप्त प्रतिरक्षात्मक उपाय किये जाने में असफलता	१००
१०	३७	श्री हेम बरुआ	आवास, शिक्षा, चिकित्सा सहायता आदि के बारे में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के लिये पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफलता	१००
१३	३८	श्री त० ब० विट्ठलराव .	लालगुडा मध्य रेलवे के रेलवे अस्पताल में रोगियों की असंतोषजनक चिकित्सा	१००
१५	३९	श्री त० ब० विट्ठलराव	मध्य रेलवे के भद्राचलम रोड तथा कोयला खान साइडिंग के बीच रामवरम पर स्टेशन बनाने की आवश्यकता	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१५	४२	श्री त० ब० विट्ठलराव	मध्य रेलवे के रामगुडम–निज़ामाबाद लिंक का निर्माण करने की आवश्यकता ।	१००
१५	४५	श्री पाणिग्रही . .	उड़ीसा के सुकिन्डा में स्थित लौह-अयस्क खानों से परादीप पत्तन को मिलाने वाली नई रेलवे लाइन का निर्माण ।	१००
१५	४६	श्री पाणिग्रही . .	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रूपसा से बांगणीयोसी की वर्तमान रेलवे लाइन की दुर्दशा ।	१००
१५	४७	श्री पाणिग्रही . .	पलासा से परला की भेडी तक वर्तमान रेलवे लाइन की दुर्दशा ।	१००
१५	४८	श्री दशरथ देव .	कलकलीघाट से धर्मनगर-त्रिपुरा तक रेलवे लाइन के निर्माण की आवश्यकता ।	१००
१५	४९	श्री दशरथ देव .	धर्मनगर से सबरूम (त्रिपुरा), में रेलवे लाइन के निर्माण के लिये द्वितीय योजना काल में सर्वेक्षण पूरा करने की आवश्यकता ।	१००
१५	५१	श्री हाल्दर . .	पहले जिस क्षेत्र में से बारसाट-बसिरहाट लाइट रेलवे गुजरती थी उस क्षेत्र में बड़ी लाइन के निर्माण में विलम्ब ।	१००
१५	५२	श्री हेम बरुआ .	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के आसाम क्षेत्र तथा त्रिपुरा में नई लाइनें बनाने में सरकार की असफलता ।	१००
१५	५३	श्री तंगामणि .	दक्षिण रेलवे की मेन लाइन —ताम्बरम से विल्लूपुरम— विद्युतीकरण करने के लिये अपर्याप्त उपबन्ध ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१५	५०	श्री दशरथ देव .	त्रिपुरा में नई लाइनें बनाने के लिये रुपये का आवंटन न करना ।	१००
१७	५४	श्री पाणिग्रही . .	कटक नगर को राष्ट्रीय राजपथ से मिलाने के लिये कटक रेलवे क्रासिंग के निकट नीचे का पुल बनाने में विलम्ब ।	१००
१७	५५	श्री पाणिग्रही . .	भुवनेश्वर में एक प्लेटफार्म बनाने में विलम्ब ।	१००
१८	५६	श्री पाणिग्रही . .	दक्षिण पूर्व रेलवे के पुरी, जनकदेई-पुर और साखीगोपाल में यात्रियों के लिये सुविधाओं की कमी ।	१००
२	६३	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे के मदुरै-मेलूर कराहकुडी में यातायात सर्वेक्षण न किया जाना ।	१००
२	६४	श्री तंगामणि .	दक्षिण रेलवे के विसधुनगर-असप्पुकोट्टई में यातायात सर्वेक्षण न किया जाना ।	१००
२	६५	श्री तंगामणि . .	"भारत १९५८" प्रदर्शनी में रेलवे कर्मचारियों के लिये अपर्याप्त सुविधायें ।	१००
४	६६	श्री तंगामणि . .	लिखित अभ्यावेदनों के बारे में दक्षिण रेलवे प्रशासन का रवैया ।	१००
४	६७	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे के सिगनल और टेली कमुनिकेशन विभाग में फिटरों तथा सहफिटरों के वेतन का पुनः निर्धारण ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
४	६८	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे में फिटरों के रिक्त पदों पर सिगनल टेली कमुनिकेशन विभाग के सहफिटरों की पदोन्नति करने में असफलता ।	१००
२	७३	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे पर बंगलौर-सलेम का इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण पूरा करने में विलम्ब ।	१००
४	७४	श्री कोडियान . .	रेलवे प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता ।	१००
४	७५	श्री कोडियान .	रेलवे के विभिन्न पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिए रक्षित पदों पर रेलवे प्रशासन द्वारा उनको नियुक्त करने में असफलता ।	१००
४	७६	श्री कोडियान .	कार्मिक संघ संबंधी उचित कार्यों के लिए रेलवे कर्मचारियों का उत्पीड़न ।	१००
४	७७	श्री कोडियान .	विभिन्न खण्डों में रेलवे कर्मचारी संघों को मान्यता देना ।	१००
४	७८	श्री कोडियान .	ओलावा कोड में मुख्य कार्यालय बनाकर केरल में नया रेलवे डिवीजन बनाने की आवश्यकता ।	१००
६	८१	श्री सूपकार . .	दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों को हीराकुड निर्माण (प्रतिकर) भत्ता देने में भेदभाव ।	१००
७	८२	श्री विमल घोष	रेलवे में ईंधन के लिए किए गए व्यय की समस्या ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१५	८३	श्री कोडियान .	अलप्पी होती हुई क्विलोन से एरणाकुलम को मिलाने वाली केरल में नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	१००
१५	८४	श्री कोडियान . .	द्वितीय योजनावधि में टेल्लीचेरी-मैसूर लाइन बनाने की आवश्यकता ।	१००
१५	८५	श्री पुन्नूस . .	नई लाइनों के निर्माण के मामले में केरल राज्य की उपेक्षा ।	१००
१५	८६	श्री पुन्नूस . .	अलप्पी होती हुई क्विलोन से एरणाकुलम को मिलाने वाली केरल में नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	१००
१८	८७	श्री कोडियान .	यात्रा सुविधाओं में सुधार करने के लिए अपर्याप्त कार्यवाही ।	१००
४	९२	श्री नौशीर भरूचा .	डिब्बों की मरम्मत के बारे में संसद् सदस्यों की लिखित शिकायतों की ओर ध्यान देने में असफलता ।	१००
५	९३	श्री नौशीर भरूचा .	मरम्मत तथा संधारण के व्यय को कम रखने में असफलता।	१००
५	९४	श्री नौशीर भरूचा .	डिब्बों के डिजाइन बनाने में यात्रियों की आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की ओर ध्यान देने में असफलता ।	१००
६	९५	श्री नौशीर भरूचा .	गाड़ियां चलाने के लिये बिजली का पर्याप्त विकास करने में असफलता ।	१००
७	९६	श्री नौशीर भरूचा .	इंधन की खपत में मितव्ययता करने में असफलता ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१६	९७	श्री नौशीर भरूचा .	दीवा—दासगांव परियोजना में उत्साह से काम न करने में असफलता।	१००
४	१०१	श्री तंगामणि . .	मध्य तथा पश्चिम रेलवे पर सीनियर ट्रेन एग्जामिनरों की पदोन्नति करने में असफलता ।	१००
४	१०२	श्री तंगामणि . .	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर १५०—२२५ रुपये तथा २००—३०० रुपये के वेतन क्रम के ट्रेन एग्जामिनरों के पदों पर नियुक्ति ।	१००
४	१०३	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे में १५०—२२५ रुपये के वेतन क्रम में काम करने वाले प्लेटफार्म फोरमैन तथा इन्स्पैक्टर के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने में विलम्ब ।	१००
४	१०४	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे की भूतपूर्व एस० आई० रेलवे पर व्हील टैयरों तथा गेजरों की पदोन्नति करने में असफलता ।	१००
४	१०५	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे के त्रिचनापल्ली जंक्शन के कर्मचारियों की शिकायतें ।	१००
४	१०६	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे पर वाणिज्यिक क्लर्कों की कमी ।	१००
८	१०७	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे के नागरकोहल आउटर स्टेशन से भेजे जाने वाले आमों के लिए एक्सप्रेस गाड़ियों में पर्याप्त स्थान देने में असफलता ।	१००
१८	१०८	श्री तंगामणि . .	अधिकांश गाड़ियों में बर्फ और ठण्डे पानी की व्यवस्था को जारी रखने की आवश्यकता ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१२	११४	श्री विमल घोष .	सामान्य राजस्वों में रेलवे का अंश ।	१००
८	१४३	श्री तंगामणि .	दक्षिण रेलवे में सैलम को मिलाने के लिए थनांगलम में आउट-एजेन्सी खोलने में विलम्ब ।	१००
२	१५७	श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की प्रस्तावित तिलडांगा—फर्रका—खजीरिया-घाट—माल्दा लाइन का अन्तिम सर्वेक्षण लिए जाने में देरी।	१००
२	१५८	श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	तिलडांगा तथा निर्माता के वैकल्पिक मार्ग, जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, के बारे में कोई निर्णय करने में असफलता ।	१००
२	१५६	श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	पश्चिम बंगाल में पश्चिम दीनाज-पुर जिले के मुख्य कार्यालय बलूरगार को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के रायगंज से मिलाने के लिए अन्तिम सर्वेक्षण करने में असफलता ।	१००
२	१६८	श्री जगदीश अवस्थी .	कानपुर में जूही रेलवे स्टेशन का निर्माण ।	१००
२	१६६	श्री जगदीश अवस्थी .	गोविन्दनगर, कानपुर में ऊपर के पुल का निर्माण ।	१००
२	१७०	श्री जगदीश अवस्थी .	कानपुर नगर में स्थानीय गाड़ियां चलाना ।	१००
२	१७१	श्री जगदीश अवस्थी .	मध्य रेलवे के कानपुर और झांसी के बीच पीराजोर और बिनौर पर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के धौलसालार पुर हाल्ट स्टेशनों का निर्माण ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
४	२२४	श्री तंगामणि . .	पूर्वोत्तर तथा दक्षिण पूर्व रेलवे पर अप्रेन्टिस ट्रेन एग्जामिनर के वेतनक्रम बढ़ाने की आवश्यकता	१००
४	२२५	श्री तंगामणि . .	२५—१—५८ से पूर्व प्रशिक्षण लेने वाले अपरेंटिस ट्रेन एग्जामिनरों को नियुक्त करने की आवश्यकता ।	१००
४	२२६	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे पर सह-वाणिज्यिक निरीक्षक के रूप में काम करने वाले २४ व्यक्तियों की पदावनति ।	१००
	२२७	श्री तंगामणि . .	ग्रान्ड ट्रन्क एक्सप्रेस की समस्त यात्रा में जलपान डिब्बे की आवश्यकता ।	१००
६	२२८	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे पर उत्सव भत्ते को ७५ रुपये अथवा एक माह के वेतन से १२० रुपये अथवा एक माह के वेतन करने की आवश्यकता ।	१००
६	२२९	श्री तंगामणि . .	गैर-सरकारी भोजन प्रबन्धकों की संख्या कम करने की वांछनीयता ।	१००
६	२३०	श्री तंगामणि . .	समस्त रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था करने का औचित्य ।	१००
१०	२३१	श्री तंगामणि . .	मदुरै, कोयम्बटूर, त्रिची तथा मद्रास में भारतीय रेलवे जलपान गृहों में कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१००
१०	२३२	श्री तंगामणि . .	दक्षिण में एक छुट्टी घर खोलने की आवश्यकता ।	१००
१५	२३३	श्री तंगामणि . .	दक्षिण रेलवे पर नई लाइनों का निर्माण करने में असफलता ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१५	२३४	श्री तंगामणि .	. दक्षिण रेलवे की भूतपूर्व साउथ इंडियन रेलवे पर नई लाइनें बनाने में असफलता।	१००
१८	२३५	श्री तंगामणि .	. बिजली नजदीक होने पर भी स्टेशनों पर बिजली लगाने में देरी।	१००
२	२७१	श्री जगदीश अवस्थी	. पूर्वोत्तर रेलवे के कानपुर और अरौल रेलवे स्टेशनों के बीच के स्टेशनों में प्रतीक्षागृहों का निर्माण।	१००
२	२७२	श्री जगदीश अवस्थी	. मध्य रेलवे के कानपुर तथा झांसी स्टेशनों के बीच एक अन्य यात्री गाड़ी चलाने में असफलता।	१००
२	२७३	श्री जगदीश अवस्थी	. मध्य रेलवे के हमीरपुर रेलवे स्टेशन पर गैस के हंडे से रोशनी करने का प्रबन्ध करने में असफलता।	१००
४	३१४	श्री कोडियान .	. ओलावाकोट डिवीजनल हैड-क्वार्टर का कार्य संचालन।	१००
४	३१५	श्री कोडियान .	. गाड़ियों का, विशेषतया दक्षिण रेलवे की गाड़ियों का देर से चलना।	१००
१६	३१६	श्री कोडियान .	. अलवाये स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक ऊपर का पुल बनाने की आवश्यकता।	१००
१६	३१७	श्री कोडियान .	. केरल में मीटर गेज के डिब्बों को बनाने का कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता।	१००
१६	३१८	श्री कोडियान .	. केरल में जिन रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म ढके नहीं गए हैं उनको ढकने की आवश्यकता।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१६	३१९	श्री कोडियान . .	केरल के रेलवे शैडों में स्टोर करने की अधिक सुविधाओं की आवश्यकता।	१००
१६	३२०	श्री कोडियान . .	शोरानूर, कालीकट, कन्नूर, एरणाकुलम टाउन, एरणाकुलम जंकशन तथा क्विलोन स्टेशनों के निकट की क्रासिंग पर ऊपर के पुल बनाने की आवश्यकता।	१००
१८	३२१	श्री कोडियान . .	शोरानूर तथा कालीकट के सामिष जलपानगृहों में अधिक स्थान की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	१००
१८	३२२	श्री कोडियान . .	खाने तथा जलपान की व्यवस्था के लिए एरणाकुलम जंकशन पर जलपानगृह खोलने की आवश्यकता।	१००
१८	३२३	श्री कोडियान . .	तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतीक्षागृहों में अधिक स्थान की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	१००
४	३२८	श्री नौशीर भरूचा .	रेलवे पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने में असफलता।	१००
४	३२९	श्री नौशीर भरूचा .	मुअत्तल किए जाने अथवा अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने की धमकियों से रेलों में चलने वाले कर्मचारियों से अधिक काम कराने का प्रश्न।	१००
४	३३०	श्री नौशीर भरूचा	'ब्लाक' कार्य के प्रभारी कर्मचारियों पर अधिक काम।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
४	३३१	श्री नौशीर भरूचा .	आउट स्टेशन ड्यूटी पर रेलों में चलने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त विश्राम देने में असफलता।	१००
४	३३२	श्री नौशीर भरूचा .	समय पर सुरक्षात्मक यंत्र लगाने में असफलता, जिसके कारण दुर्घटनाओं का हो जाना।	१००
४	३३३	श्री नौशीर भरूचा .	क्वार्टरों को खाली न रखकर शीघ्रता से रेलवे क्वार्टरों का कर्मचारियों को आवंटन करने की आवश्यकता।	१००
२	३५४	श्री कोडियान . .	मद्रास से कोचीन हार्बर तक जनता एक्सप्रेस चलाने की आवश्यकता।	१००
२	३५५	श्री कोडियान . .	एरणाकुलम-त्रिवेन्द्रम ट्रेन में अधिक स्थान की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	१००
२	३५६	श्री कोडियान . .	रेलवे की 'बी' क्लास भूमि को पट्टे पर देने में भूमिहीन हरिजनों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता।	१००
१५	३५७	श्री कोडियान . .	केरल में रेलवे लाइनों के विद्युतिकरण की संभावनाओं का सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता।	१००
१६	३५८	श्री कोडियान . .	बढ़ते हुए यातायात को पूरा करने के लिए कोचीन-हार्बर-शोरानूर लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता।	१००
१७	३७८	श्री आसर . .	शिंदखेदा, पश्चिमी रेलवे पर प्लटफार्म बनाने की आवश्यकता।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१७	३७९	श्री आसर . .	पश्चिम रेलवे के शिंदखेदा तथा नरधाना स्टशनों के बीच नया स्टेशन बनाने की आवश्यकता।	१००
४	३८७	श्री आसर . .	महिला यात्रियों तथा अन्य यात्रियों को पर्याप्त संरक्षण देने में असफलता।	१००
६	३८८	श्री आसर . .	साबरमती स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों का नगर भत्ता बन्द कर देना।	१००
६	३८९	श्री आसर . .	उच्च पदों के लिये वाणिज्यिक क्लर्कों में से चुनाव में भेद-भाव।	१००
६	३९०	श्री आसर . .	उत्तर, मध्य तथा पश्चिम रेलवे के वाणिज्यिक क्लर्कों की शिकायतें।	१००
६	३९१	श्री आसर . .	समस्त रेलों के स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की शिकायतें।	१००
१४	३९२	श्री आसर . .	कारजाट स्टेशन पर डेकेन क्वीन को रोकने की आवश्यकता।	१००
१७	३९३	श्री आसर . .	मध्य रेलवे पर धूलिया और बर्न.हरि के बीच एक नया स्टेशन बनाने की आवश्यकता।	१००
४	३९७	श्री आसर . .	रेलों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने में असफलता।	१००
४	३९८	श्री सूपकार .	राष्ट्रीय स्तर पर संगठित इनडोर खेलों जैसे शतरंज के लिये रेलवे यात्रा रियायतें देने की आवश्यकता।	१००
६	३९९	श्री सूपकार . .	रूरकेला के स्टेशन कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता दिया जाना।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
१०	४००	श्री आसर . .	वाणिज्यिक क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारियों को आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि की पर्याप्त सुविधा देने में असफलता।	१००
१०	४०१	श्री आसर . .	रेलवे कर्मचारियों को समाज-विरोधी तत्वों से संरक्षण देने में असफलता।	१००
१५	४०२	श्री आसर . .	मनमाड, भोलगांव, धूलिया, नरोन्दा को मिलाने वाली नई लाइन बनाने की आवश्यकता।	१००
१५	४०३	श्री आसर . .	डीना, दासगांव लाइन बनाने की आवश्यकता।	१००
१५	४०४	श्री आसर .	कोंकण लाइन का सर्वेक्षण करने में असफलता।	१००
१६	४०५	श्री सूपकार	विदेश से स्लीपरों का आयात	१००
१७	४०६	श्री आसर] . .	शकूर बस्ती स्टेशन पर ऊपर का पुल बनाने की आवश्यकता।	१००
१७	४०७	श्री आसर] . .	धूलिया रेलवे स्टेशन पर शैड बनाने की आवश्यकता।	१००
१७	४०८	श्री आसर . .	अम्बरनाथ स्टेशन पर ऊपर का पुल बनाने में असफलता।	१००
९	४१५	श्री मो० ब० ठाकुर .	दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली तथा अहमदाबाद से दिल्ली आने वाली दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी में समस्त मार्ग के लिये जलपान डिब्बा लगाने की आवश्यकता।	१००
१५	४१६	श्री मो० ब० ठाकुर .	पश्चिम रेलवे पर काकोशी से सीघपुर अथवा छापी तक रेल का निर्माण।	१००
१५	४१७	श्री मो० ब० ठाकुर .	पश्चिम रेलवे पर हारजि अथवा बदुचा राजी से सामी को	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
			मिलाने वाली रेलवे लाइन का बनाना ।	
१५	४१८	श्री मो० ब० ठाकुर	तरंगहिल से टिम्बा अथवा वरेठा तक रेलवे लाइन बनाना ।	१००
१५	४१९	श्री मो० ब० ठाकुर	काकोर्शा से डीसा तक रेल लिंक बनाना ।	१००
१५	४२०	श्री मो० ब० ठाकुर	बालम, बलिसाना होती हुई, बीजापुर से राधनपुर तक नई रेलवे लाइन बनाना ।	१००
४	४२४	श्री त० ब० विट्ठल राव .	मध्य रेलवे के ट्रेन एग्जामिनरों के ऊंचे ग्रेड के पदों का समायोजन ।	१००
४	४२५	श्री त० ब० विट्ठल राव .	दक्षिण रेलवे पर विजयवाड़ा तथा मद्रास के बीच अतिरिक्त मजदूरों के गैंग को दी गई मजूरी ।	१००
४	४२८	श्री त० ब० विट्ठल राव .	देखभाल के काम में लगे हुए गैंगमैंनों को केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनक्रम देने का प्रश्न ।	१००
१०	४३०	श्री त० ब० विट्ठल राव .	१९५८-५९ में क्वार्टरों की संख्या में कमी ।	१००
१५	५२०	श्रीमती पार्वती कृष्णन् .	कोयम्बटूर-सत्यमंगलम-चामराजनगर रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	१००
५	५२२	श्री प्र० गं० देव .	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर सिगनल तथा टेली कमुनिकेशन की असंतोषजनक व्यवस्था के कारण गाड़ियों के आवागमन में अनियमियता ।	१००
५	५२३	श्री प्र० गं० देव .	दक्षिण-पूर्व रेलवे के बामरा रेलवे स्टेशनों पर दो रिटायरिंग कमरों की आवश्यकता ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
६	५२४	श्री प्र० गं० देव .	कलकत्ते से नागपुर तक चलने वाली पार्सल एक्सप्रैस को नियमित एक्सप्रैस गाड़ी बनाने की आवश्यकता ।	१००
६	५२५	श्री प्र० गं० देव .	सम्बलपुर रोड स्टेशन से झारसुगुडा तक रेलवे स्टेशनों में बिजली लगाने की आवश्यकता ।	१००
१५	५२६	श्री प्र० गं० देव .	दक्षिण-पूर्व खंड में बारकोट (उड़ीसा) होती हुई रूरकेला तालचेर लाइन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	१००
१८	५२७	श्री बि० दासगुप्त .	दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरुलिया स्टेशन के उत्तर की ओर रेलवे क्रासिंग को हटाने की आवश्यकता ।	१००
४	५३४	श्री बि० दासगुप्त .	दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरुलिया स्टेशन के पुराने क्वार्टरों में सुधार करना तथा नये क्वार्टर बनाने का उपबन्ध करना ।	१००
४	५३५	श्री बि० दासगुप्त .	रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पूर्व रेलवे लेखा कर्मचारी संस्था को मान्यता देने की आवश्यकता ।	१००
१०	५३६	श्री बि० दासगुप्त .	दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरुलिया में लोको बस्ती के निवासियों को शिक्षा सुविधाओं की कमी ।	१००
१५	५३७	श्रीमती पार्वती कृष्णन् .	सैलम-होसुर-बंगलौर लाइन का निर्माण करने में विलम्ब ।	१००
१८	५३८	श्री बि० दासगुप्त .	दक्षिण पूर्व रेलवे के पुरुलिया स्टेशन पर वर्तमान पैदल पुल के पुनः बनाने की आवश्यकता ।	१००

१	१	३	४	५
				रुपये
१८	५३९	श्री बि० दासगुप्त .	दक्षिण-पूर्व रेलवे की पुरुलिया रेलवे बस्ती को तथा यात्रियों को गन्दा पानी का संभरण ।	१००
१८	५४०	श्री बि० दासगुप्त .	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर पुरुलिया में लोको तथा यातायात कर्मचारियों की बस्तियों को मिलाने वाले पुल को बनाने की आवश्यकता ।	१००
४	५४२	श्री मो० ब० ठाकुर .	रेलवे के ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनरों के वेतन क्रम बढ़ाने की आवश्यकता ।	१००
४	५४३	श्री मो० ब० ठाकुर .	रेलवे के ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनरों को मकान दिये जाने की आवश्यकता ।	१००
४	५४४	श्री मो० ब० ठाकुर .	चैकिंग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को चालक कर्मचारियों के समान समझे जाने की आवश्यकता ।	१००
४	५४५	श्री मो० ब० ठाकुर .	पश्चिम रेलवे के सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर ऊपर का पुल बनाने में असफलता ।	१००
४	५४६	श्री मो० ब० ठाकुर .	पश्चिम रेलवे के भूतपूर्व रेलवे भोजन व्यवस्थापकों के कर्मचारियों को पुनर्वासित करने में असफलता ।	१००
४	५४७	श्री मो० ब० ठाकुर .	रेलवे के डिब्बों में भारतीय ढंग से शौचालय बनाने की आवश्यकता ।	१००
४	५४८	श्री मो० ब० ठाकुर .	सभी ट्रेनों, विशेषतया गुजरात मेल में फव्वारे से स्नान की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	१००
४	५४९	श्री मो० ब० ठाकुर .	पश्चिम रेलवे पर बनाये गये नये शोभासन स्टेशन पर सभी	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
			स्थानीय गाड़ियों को रोकने की आवश्रकता ।	
४	५५०	श्री मो० ब० ठाकुर	पश्चिम रेलवे पर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनरों द्वारा महीने में इकट्ठी की जाने वाली राशि के ५०० रुपये से १०० रुपये करने की आवश्यकता ।	१००
८	५५१	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	ग्रान्ड ट्रन्क के रास्ते वाले सभी स्टेशनों पर सिगनैलिंग के लिए इन्टर लॉकिंग पद्धति लागू करने में विलम्ब ।	१००
१५	५५२	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	दक्षिण रेलवे के दक्षिण पश्चिम ब्राड गेज सेक्शन पर आरकोणम से कोयम्बटूर तक लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता ।	१००
१५	५५३	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	कलकलीघाट से धर्मनगर तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता ।	१००
२	५५४	श्री सम्पत	कटपडीं—वेल्लोर—कंचिपुरम लाइन का यातायात सर्वेक्षण पूरा करने में विलम्ब ।	१००
२	५५५	श्री सम्पत	सैलम—बंगलौर लाइन का इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण पूरा करने में विलम्ब ।	१००
२	५५६	श्री सम्पत	दक्षिण—रेलवे पर भूतपूर्व एस० आई० रेलवे के व्हील—टेपर्स और गेजर्स की पदो—न्नति करने में असफलता ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
२	५५७	श्री सम्पत	छोटे-छोटे जोन बनाकर रेलवे प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता।	१००
२	५५८	श्री सम्पत	विभिन्न पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिए रक्षित पदों को भरने में असफलता।	१००
२	५५९	श्री सम्पत	टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उचित रास्ते खोलने की आवश्यकता।	१००
५	५६०	श्री सम्पत	दक्षिण रेलवे को बड़ी संख्या में दिए गए खराब इंजनों के स्थान पर नये देने में असफलता।	१००
१५	५६१	श्री सम्पत	रासीपुरम, नामक्कल तथा मुसीरी होती हुई सैलम से त्रिची तक नई रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता।	१००
१५	५६२	श्री सम्पत	चिन्ना धर्मपुर होती हुई करुर से डिंडीगल तक नई लाइन बनाने की आवश्यकता।	१००
१८	५६३	श्री सम्पत	अधिकांश गाड़ियों में बर्फ तथा ठंडे पानी की व्यवस्था जारी रखने की आवश्यकता।	१००
१८	५६४	श्री सम्पत	मद्रास सैंट्रल स्टेशन पर नये प्लेटफार्म बनाने तथा सुधार कार्य करने में असफलता।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
४	५८७	श्री बि० दासगुप्त	दक्षिण-पूर्व रेलवे के पुरुलिया में लोको शैड में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों की वरिष्टता तथा वेतन पुनः निर्धारित करने का प्रश्न ।	१००
४	५८८	श्री बि० दासगुप्त	दक्षिण—पूर्व रेलवे के ग्राद्रा जिले के ग्रधीन नीमडीह तथा ब्रह्भूम स्टेशनों के ग्रधीक्षक पौन्यट्समैन तथा पौयन्ट्समैन के कर्त्तव्यों का कार्य विश्लेषण करने की ग्रावश्यकता ।	१००
४	५८६	श्री बि० दासगुप्त	दक्षिण—पूर्व रेलवे के ग्राद्रा जिले में पौयन्ट्समैन की शन्टमैनों में पदोन्नति का प्रश्न ।	१००
४	५६०	श्री बि० दासगुप्त	दक्षिण—पूर्व रेलवे के चंडील ग्राद्रा जिले में लोक निर्माण विभाग के ग्रधीन नैमित्तिक श्रमिकों को भरती करने में ग्रनियमिततायें ।	१००
४	५६६	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	कर्मचारियों के तबादले में भेदभाव ।	१००
५	६००	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	कैरिज, लोको तथा वैगन शैडों में सामान के संभरण में विलम्ब ।	१००
५	६०१	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	कैरिज, लोको तथा वैगन शैडों में काम बढ़ना ।	१००
६	६०२	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	चालक कर्मचारियों की शिकायतें ।	१००
६	६०३	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	ग्रधिक समय काम का भत्ता देने में विलम्ब ।	१००

१	२	३	४	५
				रुपये
६	६०४	श्रीमती पार्वती कृष्णन्	भविष्य निधि-दावों के निबटाने में विलम्ब ।	१००
४	६१६	श्री प्र० गं० देव	रेलवे के दैनिक भत्ते नियम, १९४८ बदलने की आवश्यकता ।	१००
४	६१७	श्री प्र० गं० देव	काम पर नियुक्त करने से पूर्व रेलवे के प्रविधिक कर्मचारियों को कम से कम दो वर्ष का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता	१००
५	६१८	श्री प्र० गं० देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर बिलासपुर तथा भोपाल के बीच शहडोल स्टेशन पर जलपान गृह बनाने की आवश्यकता ।	१००
१५	६२५	श्री प्र० गं० देव	दक्षिण-पूर्व रेलवे मे कोचड़ा होती हुई बंसयारी से बरसुआं तक रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता ।	१००
१६	६२६	श्री प्र० गं० देव	ठेकेदारों से टेंडर मंगाकर डिब्बों की मांग शीघ्रता से पूरी करने की आवश्यकता ।	१००

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : हमारे देश में रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है । इसका क्या कारण है ?

मैं मुख्यत: मध्य रेलव के बम्बई डिवीज़न के बारे में ही कहूंगा । इंसानी गलतियों के अलावा रेलवे दुर्घटनाओं के अन्य भी कई कारण हैं । एक कारण तो यह है कि इंजनों तथा लाइनों की ठीक-ठीक मरम्मत नहीं होती । बम्बई डिवीज़न में नेशनल रेलवे मज़दूर यूनियन की रनिंग स्टाफ ब्रांच ने माननीय मंत्री का ध्यान इस की ओर आकर्षित किया है , लेकिन अभी तक कोई खास कार्यवाही नहीं की गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

ड्राइवर लोग जिन त्रुटियों को बताते हैं, उनको पूरी तौर से दूर नहीं किया जाता, कुछ तो इसलिये कि उस के लिये आवश्यक स्टोर्स सुलभ नहीं रहते, और कुछ इसलिये कि मरम्मत का कार्य ठीक से नहीं किया जाता। और उसके कारण जब दुर्घटनायें हो जाती हैं, तो इंसानी ग़लती बता दी जाती है । मरम्मत कारखानों पर इतना अधिक खर्च किया जाता है। फिर भी, क्या मरम्मत के कार्य की कोई विशेष जांच की जाती है ?

दूसरा कारण यह है कि ट्रेनें चलाने का दायित्व संभालने वाले, रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों पर काम का दबाव बहुत बढ़ गया है। हम इंसानी ग़लतियों की आड़ तो लेते हैं, पर यह कभी नहीं देखते कि इंसान एक हद तक ही ठीक-ठीक ढंग से काम कर सकता है। अक्सर रनिंग स्टाफ के लोगों को हर महीने ८० से १०० घन्टे ज्यादा काम करना पड़ता है। तब उसका दोष काम के बोझ को ही दिया जाना चाहिये। रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों की यही शिकायत है। यदि वे इन्कार करते हैं, तो अनुशासन की कार्यवाही करने का डर दिखाया जाता है, मौत्तिल किया जाता है और सफाई मांगी जाती है। इसकी गहराई से छान बीन कराई जानी चाहिये।

इसके अलावा, 'ब्लाक' के काम के लिये रखे गये कर्मचारियों को, अपने काम के अतिरिक्त, वाणिज्यिक क्लर्कों के काम भी करने पड़ते हैं। कहीं-कहीं वाणिज्यिक विभाग का काम होता है, लेकिन बम्बई जैसे डिवीज़नों में तो असंभव है कि एक कर्मचारी दोनों काम संभाल सके। उन्हें दूसरे कामों का दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिये ।

ये कारण मेरे दिमाग की उपज़ नहीं है। ये कारण उन अनुभवी कर्मचारियों ने बताये हैं, जो वर्षों से रेलवे का ही काम कर रहे हैं।

'रनिंग स्टाफ' के लोगों को अन्य स्टेशनों पर जो आराम दिया जाता है, वह भी इस ढंग से कि वे इसका कोई उपयोग ही नहीं कर पाते। यदि किसी ड्राइवर को चार घण्टे के काम के बाद चार घन्टों का आराम इस ढंग से दिया जाय कि वह अपने घर पर आराम न कर सके, तो उसका क्या फायदा ? इसकी जांच की जानी चाहिये।

अक्सर दुर्घटनायें इसलिये होती हैं कि रेलवे प्रशासन ठीक समय पर सुरक्षा विधियां नहीं जुटा पाता। मई १९५३ की दुर्घटना इसी लिये हुई थी कि इन्टरलांकिंग गेट ठीक से जमाये नहीं गये थे। प्लेट फार्म के प्रति संकेतकों की व्यवस्था भी हर जगह नहीं होती । जून १९५४ की घटना इसी वजह से हुई थी।

दूसरी चीज़ यह है कि ड्राइवरों के कई बार कहने पर भी शिफ्टिंग सिगनल्स को ठीक स्थान पर नहीं रखा जाता। सितम्बर १९५५ की दुर्घटना का यही कारण था।

सिवरी की २ जून, १९५७ की दुर्घटना होने से पहले ड्राइवरों के लिये 'वैकुयम गांज' और २४ जून, १९५८ को दीवा की दुर्घटना से पहले स्वयं चालित नियंत्रक सिगनलों की व्यवस्था नहीं की गई थी ।

रेलवे प्रशासन की आंखें तभी खुलती हैं, जब कोई गम्भीर दुर्घटना हो जाती है। उस से पहले सुझावों पर ध्यान दिया ही नहीं जाता ।

इस बात की भी जरूरत है कि ड्राइवरों के जो संहिता बनाई गई है, उसकी भी जांच की जाये। संहिता में बताया जाता है कि आपातकाल में ड्राइवर क्या करें। लेकिन अब वह संहिता बड़ी पुरानी पड़ गई है । तब से स्टेशनों और यात्रियों की संख्या भी बेतरह बढ़ गई है। माननीय मंत्री ने

कहा है कि यदि सभी नियमों का पालन किया जाये, तो दुर्घटनायें होंगी ही नहीं। लेकिन असलियत तो यह है कि यदि एक नियम का पालन किया जाये तो दूसरा भंग हो जाता है। मैंने इस संहिता का अध्ययन किया है। संहिता का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। और इस के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

हमें ड्राइवरों को श्रेय देना चाहिये कि ऐसे पिटे पिटाये, पुराने नियमों के रहते हुए भी वे अपना दायित्व निभा रहे हैं। मुझे तो इस पर आश्चर्य होता है। हमारे प्वांइट्स् मैन इतने कम शिक्षित होते हैं कि उन के लिये इन परस्पर-विरोधी नियमों का समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है। इसलिये सभी दुर्घटनाओं का कारण इंसानी ग़लतियों को न बता कर, इन कारणों की गहराई से छान बीन की जानी चाहिये।

श्री पद्म देव : (चम्बा): उपाध्यक्ष महोदय, सत्य और वास्तविकता का निरीक्षण, परोक्ष और मार्ग दर्शन तथा पथ प्रदर्शन इस माननीय सदन् का कर्त्तव्य है केवल दोष दर्शन से ही गुज़ारा नहीं हो सकता और न ही केवल भांड बन कर और प्रशंसा के पुल बांध देने से काम चल सकता है।

इस माननीय सदन में कुछ लोगों ने बजट के आरम्भ में पूरे ज़ोर के साथ कहा कि बजट को पढ़ने और सुनने के बाद सब में निराशा फैल गई, कर्मचारियों में भी सदन् में भी, और जनतामें भी।. मैं हैरान हुआ यह बात सुन कर के क्योंकि १९५२–५३ में हमारी पूंजी ८६८.५५ करोड़ थी जो कि आज १२२८.६४ करोड़ हो गई है। मार्ग ३४२७४.९८ मील सन् १९५२ में था जो अब ३४८८८.८७ मील हो गया है। इसी तरह जहां आय सन् १९५२–५३ में २७२.२८ करोड़ थी आज सन् १९५७–५८ में वह ३८२.९९ करोड़ हो गई है और सन् १९५८–५९ में ३९५.२३ करोड़ हो गई है। अब इन सारे आंकड़ों की मौजूदगी में यह कहना कि निराशा छा गई है वास्तव में वास्तविकता से मुंह फेरना है या सत्य से इंकार करना है जैसे कि नीतिशास्त्र में कहा भी है :

"उल्लूको यदि न पश्यति दिनकरे सूर्यस्य किं दूषणम्"।

बाहर से जो हम अपनी रेलवेज़ के लिए ज़रूरी सामान मंगाते हैं जैसे रेल के डिब्बे या इंजन आदि, उनकी तरफ़ हमारे रेलवे मंत्रालय का पूरा ध्यान गया हुआ है।

इस के साथ ही साथ मैं कह देखता हूं कि मार्गों के संबंध में, नये पुलों के निर्माण में, मार्गों के नवीकरण की ओर भी रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट हुआ है और कुछ नये मार्गों का निर्माण भी हो रहा है। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि हमारे माननीय रेलवे मंत्री अपने सामने सम्पूर्ण भारतवर्ष का चित्र रखते हैं और चारों ओर उनकी दृष्टि जाती है और उन के दिल में सारे देश के रेलवे की सुविधा प्रदान करने का ध्यान रहता है। किन्तु मालूम नहीं दुर्भाग्य से पहाड़ों के ऊपर, जिन से उनको भी बहुत प्यार है, उनकी दृष्टि क्यों नहीं गई। सौ साल पहले शिमला तक सड़क गयी थी, और आज तक एक इंच भी वहां से आगे नहीं बढ़ी है। यह ठीक है कि अंग्रेजों का राज्य एक पुलिस राज्य था। इंतिजाम का राज्य था। उस के सिवाय उन के सामने और कोई बड़ी बात नहीं थी और शिमला उनकी एक ऐशगाह थी, लेकिन आज तो यह राज्य जन कल्याणकारी राज्य है। खास कर महासू से लाखों मन आलू, फल, लकड़ी और औषधियां मारकेट में जाती हैं लेकिन उन पर भाड़ा इतना पड़ जाता है कि गरीब जनता की जेब में कुछ नहीं जा पाता। अंग्रेज के राज्य में उस तरफ का कुछ सर्वे (सर्वेक्षण) हुआ था लेकिन अब अपने राज्य में कोई भी बात नहीं हुई बल्कि शिमले का जो भाड़ा है वह भी दूसरी जगहों से तीन गुना ज्यादा है। एक गुना मंत्री जी ने कम कर दिया है। इस को मैं समझ सकता हूं कि रेलवे एक कमर्शियल विभाग है लेकिन साथ ही साथ यह नहीं भूलना चाहिये कि यह जनता के कल्याण का भी विभाग है। हिमाचल में अपर महासू में लोहे की कई खानें हैं जो पहले चलती थीं। आज भी उनको चलाया जा सकता है। लेकिन आज जब हम उनको चालू

करने की कोशिश करना चाहते हैं तो सब से पहली बात यह सामने आती है कि ट्रांस्पोर्ट नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय की सेवा में नम्रनिवेदन करूंगा कि इस तरफ भी वह ध्यान दें क्योंकि सब से बड़ी स्ट्रेटजी तो लोगों की गरीबी को दूर करना है, केवल देश पर हमला करने वाले शत्रुओं को ही मारना ही आज की स्ट्रेटजी (नीति) नहीं है। आज के जमाने में गरीबी सब से बड़ा शत्रु है।

इसी तरह से पठान कोट से आगे सड़क जितनी बनी थी उतनी ही बनी है। अगर वह और थोड़ी आगे दुनेरे तक चली जाये तो चम्बा वगैरह के इलाके के लोगों को बहुत फायदा पहुंच सकता है।

तीसरे जोगेन्द्रनगर तक जो सड़क डिसकनेक्ट हो चुकी थी वह चालू हो गई है। परन्तु मंत्री महोदय को मालूम है कि मंडी में सफेद नमक भी निकलना शुरू हो गया है। पहले वहां काला नमक निकलता था। वहां नमक की नदियां बहती हैं।। कास्टिक सोडा के सम्बन्ध में भारत सरकार से बात चीत भी की थी। लेकिन सब से बड़ा सवाल यातायात का है। हमको वहां से पानी जोगेन्द्र नगर नालियां बना कर लाना होगा क्योंकि यातायात की सुविधा नहीं है। आज वहां यातायात के साधन बनाने से बहुत फायदा उठाया जा सकता है। अव्वल तो मनाली तक रेल जानी चाहिये ताकि वहां के फल और आलू मंडी तक आ सके।

राजवन पोंटा तहसील में सीमेंट का कारखाना बन सकता है। लेकिन जब जांच पड़ताल की जाती है तो वही यातायात के साधनों का सवाल उठता है। जगाधरी से नौ दस मील तक अगर रेलवे हो जाय तो उस इलाके के गरीबों को बहुत फायदा पहुंच सकता है। और वहां सीमेंट भी बन सकेगा। इसके अलावा वहां पर लोग बहुत गन्ना पैदा करते हैं। वहां पर खंडसारी की एक फैक्टरी भी बनायी गई थी। लेकिन वहां जो गन्ना होता है वह उसके लिए काफी नहीं होता था और बाहर से गन्ना मंगाने का सवाल था। इसलिए शायद वह खत्म हो गयी होगी या सिसक रही होगी। इसी तरह से किन्त पुर से मंडी की ओर आप लाइन बना सकते हैं। आपके सामने तो सारे देश का नक्शा है। मेरा निवेदन है कि इन पहाड़ी इलाकों की तरफ आप ध्यान दें तो उनकी उन्नति हो सकेगी।

यहां कहा गया कि हम बाहर के माल पर बहुत निर्भर कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने पर ध्यान नहीं देते, और यह भी कहा गया कि तनख्वाहें घटायी जायें। इसके तो हक में मैं नहीं हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद रेलवे बोर्ड को इस बात का ख्याल हो कि हमारे मिनिस्टर कम तनख्वाह लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर कम तनख्वाह लेते हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति कम तनख्वाह लेते हैं। यह ठीक है कि जो लोग बाहर से आये हैं वे तो जितना मांगेंगे देना होगा लेकिन जो लोग इस देश के हैं और जो इस देश को ऊंचा ले जाना चाहते हैं उन के सामने एक चपरासी को तो ७० रुपये मिलें और उनका तीन चार पांच हजार में भी गुजारा न हो यह कहां तक ठीक है। आज के जमाने में यह कुछ शर्म की सी बात नजर आती है। क्या उन के दिल में देश के लिए दर्द नहीं है। मैं समझता हूं कि एक चपरासी और एक क्लर्क भी भूखा मर सकता है अगर वह देखे कि उस से ऊपर वाले भी भूखे मरने को तैयार हैं। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, आज सवाल यह नहीं है कि कोई आदमी करप्ट (भ्रष्ट) क्यों है, लेकिन आज तो बड़ी डाह यह है कि एक आदमी करप्शन से बहुत आगे बढ़ गया और मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। आज हालत यह है कि एक को जितनी तनख्वाह मिलती है दूसरे को उस से उतनी ज्यादा मिलती है कि वह उसका ख्याल भी नहीं कर सकता। तो आज डाह इस बात की है कि मुझे इतना कम क्यों मिलता है। वरना हिन्दुस्तान तो ऐसा देश है कि यहां के आदमी भूखों मरना स्वीकार कर लेंगे अगर उनको मालूम हो कि ऊपर वाले भी देश के लिये वैसा

करने को तैयार हैं। यह तो ठीक है कि कुछ अन्तर रहेगा लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिये कि एक को तो खाना हज्म करने के लिए चूरन खाना पड़े और दूसरे को अपने पेट की अग्नि शान्ति करने के लिए पेट पर पत्थर बांधना पड़े।

लेकिन इस के साथ मैं यह भी कहूंगा कि रेलवे विभाग ने बहुत अच्छा काम भी किया है। इस विभाग में ११,११,०२९ लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह ठीक है कि जितना इन लोगो के लिए इन्तिजाम होना चाहिए अच्छे मकानों का, अच्छे खाने पीने आदि का उतना नहीं है, जितना बच्चों की शिक्षा के लिए इन्तिजाम होना चाहिए उतना नहीं है। लेकिन फिर भी रेलवे विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ किया है। उन के बच्चों के लिए खेल कूद का इन्तिज़ाम किया है, पढ़ाई का, चिकित्सा आदि का जो इन्तिजाम किया वह विचारणीय है।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज कोआपरेटिव सोसाइटीज़ का भी काम बहुत आगे बढ़ रहा है। इस वक्त कोआपरेटिव सोसाइटियों के ११ लाख रेलवे के कर्मचारियों में से आधे के करीब मेम्बर हैं और कोआपरेटिव सोसाइटी का कैपीटल (पूंजी) ६१३.३१ लाख रुपया है।

तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां कुछ खराबियां हैं वहां बहुत सी अच्छाइयां भी हैं।

श्री मूलचन्द दूबे (फर्रुखाबाद) उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेलवे मंत्री को जो बजट उन्होंने पेश किया है उस के लिए बधाई देता हूं। मेरे इलाके में बहुत से स्टेशनों के प्लेटफार्म ढक दिये गये हैं उस के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। परन्तु एक अजीब बात यह मालूम होती है कि आज हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे साल में हैं और वह साल ३१ मार्च को खत्म होने वाला है, पर देखने में यह आता है कि आमदनी तो कम हो रही है और खर्च बढ़ रहा है आमदनी में साढ़े चार करोड़ की कमी हो गयी है तो खर्च में ५ करोड़ बढ़ गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे साल में होना तो यह चाहिये था कि यातायात बढ़ने के साथ साथ रेलवे की आमदनी भी बढ़ती। आनरेबल मिनिस्टर ने फरमाया है कि आमदनी न बढ़ने की बजह यह हुई कि ट्रकों से माल आने जाने लगा। उन्होंने बतलाया कि सन् १९५५-५६ में हमने ११४ मिलियन टन माल उठाया था, सन् १९५६-५७ में १२४ मिलियन टन उठाया, और सन् १९५७-५८ में यह नौबत आयी कि जहां १२ मिलियन टन का इजाफा होना चाहिये था, वहां कुल ५ मिलियन टन का ही इजाफा होगा और सात मिलियन टन की कमी होगी। इसकी वजह यह बतायी जाती है कि बहुत सा माल तो ट्रक ले जाते हैं और गल्ले की यातायात कम हो गई है। जहां तक ट्रकों का ताल्लुक है यह बात कम समझ में आती है कि इनकी वजह से घाटा हुआ है। क्योंकि जहां १४४ मिलियन टन का मामला था वहां कुल सात मिलियन टन की कमी हुई है। यह तो बहुत थोड़ा हिस्सा कम हुआ। प्रश्न यह है कि इतना कम होने का, ट्रकों में माल ज्यादा जाने का और ज्यादा किराये वाला माल जाने का कारण क्या है और इसका इलाज क्या है इसका यह तो इलाज नहीं है कि हम रोड ट्रांसपोर्ट (सड़क परिवहन) को किसी भी तरह का जरा सा भी धक्का पहुंचायें या उसको बन्द कर दें क्योंकि ट्रकों से भी लाखों लोगों की परवरिश होती है, उनको काम मिलता है। अगर आप उन सब लोगों को काम नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ट्रकों पर ज़रा सा भी किसी तरह का प्रतिबन्ध लगाना बड़ी गलत बात होगी। जो किताब रेलवे विभाग द्वारा हम में बांटी गई है उसको देखने से पता चलता है कि साढ़े तीन करोड़ रुपये के करीब रेलवे को कम्पेंसेशन के तौर पर देना पड़ता है उस माल का जो खो जाता है। इस के अलावा और भी करोड़ों रुपये का माल होता है जिसका कोई मुआवज़ा नहीं देना पड़ता है, जिसके बारे में कोई मुकदमे दायर नहीं होते हैं। मेरा खयाल तो यह है कि चाहे वह पब्लिक का माल हो और चाहे खोये हुए माल का रेलवे को मुआवज़ा देना पड़ता हो, हर हालत में नेशनल लास है, कौम का नुकसान है। इस पर हमें किसी न किसी प्रकार की रोक लगानी ही चाहिये।

इस के सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय उस पर विचार कर लें। मैं चाहता हूं कि हम लायज़न आफिसर्स (सम्पर्क अधिकारी) की नियुक्ति करें और वे उन स्थानों पर रखे जहां से ज्यादा माल लादा जाता है। उनका काम यह हो कि जिन व्यापारियों का माल जाता है उन के पास जा कर उनको हर प्रकार की सुविधायें देने का प्रयत्न करें। इस प्रकार की सुविधायें देने का प्रयत्न करने के लिये रेल कर्मचारियों या लायज़न आफिसर्स की नियुक्तियां की गईं तो उसके कई लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह होगा कि आपको माल ज्यादा मिल सकेगा। और दूसरा यह कि आज जो रिश्वत चलती है वह बन्द हो जाएगी और आप का काम भी अच्छी तरह से चल सकेगा। इस से लोगों की जो तकलीफें हैं या जिस कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है वे भी दूर हो जायेंगे और ट्रक्स का मुकाबला भी आप कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर गौर कर लें और हो सके तो लायज़न आफिसर्स नियुक्त करें।

अब मैं एक रेलवे लाइन के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। जितने भी रेलवे मिनिस्टर बने हैं उन के सामने हमेशा मैंने इस के बारे में मांग की है लेकिन सभी इसको किसी न किसी बहाने टालते आ रहे हैं। मैं ने हमेशा चाहा है कि फर्रुखाबाद से शाहजहानपुर को मिलाने के लिए एक रेलवे लाइन बनाई जाए लेकिन हर एक की तरफ से कहा जाता रहा है कि पैसे की कमी है। समझ में नहीं आता है कि यह पैसे की कमी का सवाल क्यों पैदा होता है। एक तरफ तो आप अलाहाबाद से कानपुर तक रेलवे लाइन को डबल कर रहे हैं और पार साल उस पर काम भी शुरू हो गया है। इस लाइन पर अगर पांच छः लाख रुपया फी मील भी खर्च आए तो १२० मील के इस टुकड़े पर सात आठ करोड़ के करीब खँर्च आयेगा। इस दुहरी लाइन को बनाने की जरूरत यह बताई जाती है कि जो इकहरी लाइन है उस पर जितना माल हम ले जाना चाहते हैं या हमें ले जाना चाहिये वह नहीं ले जा सकते हैं। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। मुगलसराय से लखनऊ को तीन लाइनें जाती हैं। आप जितना माल अलाहाबाद से कानपुर वाली लाइन पर ले जा सकें, जितनी वैगंस जा सकें, उतनी वैगंस तो इस रास्ते से भेजें और बाकी मुगलसराय से लखनऊ भेज सकते हैं जहां से लखनऊ तक तीन लाइनें जाती हैं। लखनऊ से शाहजहानपुर और आगे तक के लिये डबल लाइन अपने आप मौजूद है इस वास्ते कोई तुक नज़र नहीं आता है कि आप उसको डबल लाइन बनायें। उसी रुपये से आप शाहजहानपुर और फर्रुखाबाद तक की लाइन बना सकते हैं और इन दोनों को मिला सकते हैं।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि यह सिर्फ लाइन बनाने की ही बात नहीं है। फर्रुखाबाद के पास दो नदियां बहती हैं और ये उसी जिले में हैं। एक तो गंगा है और दूसरी राम गंगा। ये दोनों एक दूसरे से सात आठ मील के फासले पर हैं। इन में हर साल बाढ़ आती है जिसकी वजह से जो करीब सौ मील का रकबा है, उसको नुकसान पहुंचता है। मैं समझता हूं कि यह रकबा हज़ारों मील का है और इस सब रकबे को नुकसान पहुंचता है। इस बाढ़ के कारण जो फसलें हैं वे मारी जाती हैं। १९५३–५४ के नुकसान का मैं ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जब अंदाजा पूछा तो मुझे बताया गया कि नुकसान करीब १६ लाख का हर साल हुआ है और इस नुकसान का अंदाज़ा उन्होंने एक रुपया फी एकड़ के हिसाब से लगाया। यह अनुमान किसी भी तरह से सही मालूम नहीं देता है। मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम ७५ लाख का नुकसान हर साल होता है। और यह नुकसान गल्ले का होता है। गल्ले की फसल तबाह हो जाती है। आप करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर से मंगा रहे हैं और उसको सबसिडाइज़ कर के यहां बेच रहे हैं। लेकिन यहां पर जो करोड़ों रुपये का गल्ला हर साल तबाह हो जाता है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। यह जरूरी है

कि उस गल्ले की हिफ़ाज़त हो। इस तरह से अगर पुल बनाने का इंतिज़ाम हो जाता है और साथ ही साथ अगर रेलवे लाइन निकल जाती है तो वह इलाका जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जिस इलाके के लोगों को हर साल कितनी ही हानि सहनी पड़ती है उससे वह बच सकता है और उत्पादन भी बढ़ सकता है। दुहरी लाइन करने पर आप जो खर्चा कर रहे हैं, उस रुपये का उपयोग आप इस लाइन को बनाने के लिए कर सकते हैं।

दिल्ली में आप यमुना पर एक ब्रिज बना रहे हैं और इस के बारे में कहा यह जाता है कि ग़ाज़ियाबाद और तुगलकाबाद के बीच एक लाइन बनाई जाए और इस के लिए यमुना ब्रिज बनाना आवश्यक है। इस से आप कहते हैं कि कुछ घंटों का फर्क पड़ सकता है माल के आने जाने में। मैं समझता हूं इस तरह की स्कीम किसी भी तरह से ठीक मालूम नहीं देती है। जहां पर लाखों आदमियों को फायदा पहुंच सकता है, लाखों आदमियों की रोटी का इंतिजाम हो सकता है, उनकी गरीबी दूर हो सकती है, खेती का नुकसान बच सकता है, उसको तो आप हाथ में नहीं लेते हैं और इस तरह की स्कीम को हाथ में लेते हैं जिस से कुछ थोड़ा सा फर्क सामान को लाने ले जाने में पड़ सकता है, यह अनुचित मालूम देता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस लाइन को बनाने का मैंने सुझाव दिया है, उस पर माननीय मंत्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस लाइन को बनाने की कोशिश करें।

†**श्री नि० चं० लाश्कर** (कचार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं इतने सारे आश्वासनों के लिये माननीय मंत्री को बधाई देता हूं।

हालांकि रेलवेज़ ने मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र की बड़ी उपेक्षा की है, फिर भी देश के अन्य भागों में रेलवेज़ ने काफ़ी प्रगति की है, नई लाइनें डाली गई हैं। छोटी लाइनें बड़ी लाइनों में बदली गई हैं, यात्रियों को पहले से ज्यादा सुविधायें जुटाई गई हैं और देश में इंजन-डिब्बों का निर्माण होने लगा है। हमें चितरंजन और पैराम्बूर के कारखानों पर गर्व है।

लेकिन आसाम की रेलवेज़ को देखने से तो लगता है कि शायद वे इसी रेलवे मंत्रालय के अधीन नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की रेलवेज़ की हालत ऐसी ही गिरी हुई है।

इन लाइनों की प्रशासकीय और संचालन कार्य-क्षमता बहुत बिगड़ गयी है। माननीय सदस्यों ने भीड़, गाड़ियों के लेट चलने, इत्यादि की जितनी भी त्रुटियां गिनाई हैं, सभी आसाम रेलवेज़ में मौजूद हैं।

लुडविग से बदरपुर जाने वाली रेलवे लाइन को लीजिये। यह लाइन पर्वतीय इलाकों में होकर जाती है उस में बेतरह भीड़ रहती है और इंजन तथा डिब्बों की हालत बहुत गिरी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के ग्यारह वर्ष बाद तक भी आसाम को भारत के अन्य भागों से जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है। सिर्फ इसी रेलवे लाइन से वहां खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं। उस क्षेत्र में नागाओं के उपद्रव भी होते रहते हैं। रेलवे मंत्रालय को उस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

गाड़ियों की रफ़्तार का यह हाल है कि सिलचर से करीम गंज तक का ३० मील का फासला तय करने में ट्रेन को लगभग तीन घंटे लग जाते हैं। देश के विभाजन से पहले खुरमा मेल को यह फासला तय करने में कुल डेढ़ घन्टा लगता था। इसीलिये यात्री परिवहन के अन्य मंहगे साधनों को अपनाना पसंद करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नि० चं० लास्कर]

मेरे निर्वाचिन क्षेत्र में बदरपुर जंकशन है। विभाजन से पहले वह प्रथम श्रेणी का जंकशन था। अब उसे, शाखा लाइन पर होने के कारण, तृतीय श्रेणी में रख दिया गया है। वहां से दिन भर में छै-सात गाड़ियां आती-जाती हैं, लेकिन प्लेटफार्म की व्यवस्था केवल एक दो गाड़ियों के लिये ही है। इस के अलावा, वहां एक ऊपर के पुल की भी जरूरत है।

कटरल जंकशन पर तो प्लेटफार्म पर बिजली तक नहीं है। केवल एक गैस की बत्ती जलाई जाती है। वहां कम से कम गैस की कुछ और बत्तियां तो पहुंचाई जानी चाहियें।

वर्तमान समय-सारणी ऐसी है कि उस के कारण सिलचर से पान्डु जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वहां यात्रियों को तीन घन्टे गाड़ी बदलने के लिये रुकना पड़ता है। पहले की समय-सारणी इस से कहीं अच्छी थी।

कभी कभी तो सिलचर से गोहाटी जाने वाली गाड़ी में पहले दर्जे के मुसाफिरों के लिये कुल चार बर्थें रखी जाती हैं। इसकी गुंजाइश बढ़ानी चाहिये, क्योंकि अब तो विमान सेवा भी बन्द हो गई है।

सालचपारा और अरुन्चल स्टेशनों के बीच श्रीकोना में एक स्टेशन बनाने की उचित मांग पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

पुराने इंजनों और डिब्बों को भी बदला जाना चाहिये। अविकसित क्षेत्र के विकास के लिये सिलचर से जिरीघाट और सिलचर से मिज़ो हिल की तलहटी तक कुछ नई लाइनें डाली जानी चाहियें। परिवहन के गतिरोध के कारण ही, आसाम पिछड़ा हुआ क्षेत्र बना है। तीन साल पहले हम ने रेलवे मंत्री से जब कुछ लाइनों की मांग की थी, तो हमें उत्तर यह मिला था कि वहां उद्योग ही नहीं हैं। जब इस के बारे में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से अनुरोध किया गया, तो उनका उत्तर था कि उद्योग खड़े कैसे किये जायें वहां तो रेलवे ही नहीं है।

तेल परिष्करिणी की मांग भी प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही मानी गई है। अब यदि रेलवे मंत्री सहायता नहीं करेंगे तो बरौनी में दूसरी तेल परिष्करिणी का प्रश्न भी टल जायेगा। इसीलिये हमारी मांग है कि बरौनी से अमीरगांव तक आसाम रेल लिन्क को दोहरा कर दिया जाये। या फिर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाये।

श्री लच्छी राम (हमीरपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले माननीय रेलवे मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है वह काफी उत्साहवर्द्धक और प्रगतिशील है। माननीय मंत्री महोदय ने पिछले वर्षों में अपने विभाग को जिस योग्यता और बुद्धिमत्ता से सम्भाला है वह विभाग की प्रगति को देखते हुए उनकी कार्यकुशलता का परिचायक है।

यह सही है कि रेलवे विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और इतने बड़े विभाग में गड़बड़ियों का होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गड़बड़ियों को यदि दूर किया जाय तो जनता को काफी आराम मिल सकता है। माननीय रेलवे मंत्री महोदय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भ्रष्टाचार की समस्या को सुलझाने के लिये सक्रिय प्रयत्न किया जा रहा है। मैं ने पिछले दफ़ा अपने रेलवे बजट भाषण में कहा था कि स्टेशनों पर छोटे-छोटे जो भ्रष्टाचार होते हैं, बिल्टियां छुड़ाने के सम्बन्ध में, सामान लदान के सम्बन्ध में, उन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आम जनता का इस से बड़ा सम्पर्क रहता है और आम जनता में बड़ा क्षोभ होता है इन बातों को देख कर।

मुझे यह मालूम हुआ कि जो चौकसी संगठन आपके रक्खे गये हैं उन्हें इस तरह का आदेश नहीं है कि वे इस ओर कुछ कदम उठायें। उन्हें तो केवल बड़े-बड़े केसेज पकड़ने की इजाजत है। चौकसी संगठन जो आपने रक्खे हैं वे विभागीय कर्मचारियों के द्वारा ही संगठित किये गये हैं। जहां यह सही है कि विभाग के आदमी रेलवे की गड़बड़ियों से काफी वाकिफ होते हैं और उनसे लाभ हो सकता है वहां उनसे हानि भी हो सकती है।

मैंने पिछली दफा एक प्रश्न किया था उसके उत्तर में मुझे यह बतलाया गया था कि सन् १९५७-५८ में इस विजिलैंस विभाग में ३४३ कर्मचारी काम कर रहे हैं जिन पर कि ८३३,५७३ रुपये खर्च हुए। २५८८ केस पकड़े गये जिनमें से केवल ५० पर मुकद्दमे चले और २२ सजायाब हुए। अब आपके ग़ौर करने की बात यह है २५८८ केस पकड़े गये जिनमें से केवल २२ में ही सजायें हुई और खर्च ८३३,५६३ रुपये हुए इससे यह आभास मिलता है कि जो विभागीय कर्मचारी हैं वे उतनी तत्परता से काम नहीं करते जितनी तत्परता से कि उन्हें करना चाहिये।

मैंने पिछली दफा एक रिपोर्ट की थी कि बीना में कुछ क्वार्टर्स बन रहे हैं और उस सिलसिले में गड़बड़ हुई और जब उसकी जांच हुई तो वे केस सही पाये गये, उन केसों को पकड़े हुए आज डेढ़ वर्ष होने को आ रहा है लेकिन उनके सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के चैअरमैन साहब से मिला और उनको लिख कर भी दिया लेकिन उस सम्बन्ध में क्या एक्शन हुआ उसका पता मुझे अब तक भी नहीं चल पाया है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान केन्द्रीय रेलवे बोर्ड की जो जांच एजेंसियां चलती हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ बड़े-बड़े स्टेशनों पर पुलिस कर्मचारी तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के साथ बड़ी गड़बड़ियां करते हैं। मैं कानपुर रेलवे स्टेशन का नमूना आपके सामने रखता हूं। कानपुर के तीसरे दर्जे के मुसाफिर खाने में सिपाही लोग जिनकी कि साठ गांठ बदमाशों से रहती है, वे सिपाही लोग रात के वक्त सोते हुए मुसाफिरों के पास जाकर अपनी लकड़ी से उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। वे यह इतमीनान कर लेना चाहते हैं कि वास्तव में इनमें से कौन सा मुसाफिर अधिक बेहोशी से सो रहा है और तुरन्त ही व चोर को सलाह देते हैं कि फलां फलां आदमी अधिक बेहोशी से सो रहे हैं और चोर जाकर चुपके से उसके निकट लेट जाता है और खट से उसकी जेब काट कर रफूचक्कर हो जाता है। जब वह शख्स उठता है तो अपनी जेब कटी देख कर परेशान होता है और तब वह सिपाही महाशय उसके पास जाकर पूछते हैं कि भाई क्या हुआ और वह उनको अपनी दास्तान सुनाता है कि भाई रात में सोते हुए मेरी गांठ कट गई है। वास्तव में वह सिपाही उसके पास सहायता के लिए यह सब पूछने के लिए नहीं जाता है बल्कि वह यह जानने के लिए जाता है कि उसका कितना रुपया कटा है ताकि हिस्सा बंटवारा करने में कोई गड़बड़ी न हो। तो यह बातें ऐसे चलती हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड की एजेंसियां जब कभी जांये, तो इस बात की जांच करके देखें।

इसी तरीके से जो १०, १० और १२, १२ मील की छोटी-छोटी लाइनें आपकी चल रही हैं, उन गाड़ियों पर चलने वाले गार्ड साहब ही अपने में सभी तरह के अधिकार सुरक्षित किये हुए हैं। वे ही जनरल मैनेजर हैं जहां चाहते हैं गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और जहां चाहते हैं मुसाफिरों को उतार देते हैं और वे मालगाड़ियों तक में सवारियां ढोते हैं। इन छोटी लाइनों पर जैसे मेरे क्षेत्र में कौंच एंट लाइन में अक्सर देखने में आता है। मैंने इसके बारे में लिखा

[श्री लच्छी राम]

भी है लेकिन इस बारे में क्या हुआ मुझ उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। कुछ जगहों पर जंजीर खींची जान की घटनायें भी बहुत अधिक होती हैं। कानपुर के निकट अक्सर रोजाना ही यह जंजीर खींचने की घटनायें होती रहती हैं। मैंने स्वयं देखा है कि वहां के गांवों के आदमी जंजीर खींचने वालों की पूरी मदद करते हैं । जब जंजीर खींचने वाला उतर कर नीचे आ जाता है तो उसकी मदद के लिये पड़ौस के गांव के तमाम आदमी लाठियां लेकर खड़े रहते हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वे प्रान्तीय सरकार से इस सम्बन्ध में सलाह करें और जिन गांवों के द्वारा यह गड़बड़ियां होती हैं उन पर सामूहिक जुर्माने के रूप में या और जो दूसरे ढंग हों, उनके द्वारा इस गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश करें।

अब चूंकि घंटी बज चुकी है इसलिए और अधिक न कह कर अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर मंत्री महोदय और सदन् का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गत वर्ष मैंने जालौन उरई रेलवे लाइन के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया था। भूतपूर्व रेलवे मंत्री महोदय उस क्षेत्र में गये थे और उन्होंने वहां की तकलीफों को देखकर उस लाइन का सर्वे कराया। वह सर्वे हो चुका है और उसका सर्वे ऐसी स्थिति में है कि रेलवे लाइन बननी चाहिये लेकिन उस रेलवे लाइन का बनना टलता जा रहा है और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस ओर भी आप ध्यान दें। उरई और जालौन में एक आउट एजेंसी भी खुलनी चाहिये। कालपी पुल की मंजूरी हो गई है उसके लिए रुपया मंजूर हो चुका है लेकिन वह पुल नहीं बन रहा है। उसके बनने में कहां रुकावट पड़ रही है, और उसके रास्ते में क्या बाधा है, मेरी समझ में नहीं आता। वह पुल काफी कमजोर हो चुका है और किसी वक्त भी गड़बड़ हो सकती है।

झांसी और कानपुर लाइन पर एक भुवा स्टेशन है, लड़ाई के दिनों में वह बंद कर दिया गया था, १५ मील का फासला है और मेरा निवेदन है कि वह स्टेशन पुनः चालू किया जाय।

मैंने पिछले वर्ष उरई, झांसी और उरई कानपुर के लिये डिजेल गाड़ियां चलाये जाने का सुझाव दिया था। वहां पर एक पैसेंजर गाड़ी चलाये जाने की मांग बहुत पहले से की जा रही है और मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि वह स्वीकार भी हो गई है। अब अगर पूरी नई गाड़ी नहीं चला सकते तो दो डिब्बे की डीजल शटलें ही चला सकते हैं।

अन्त में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह है कि मऊ से उरई तक एक रेलवे लाइन डाली जानी चाहिये क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उसके सम्बन्ध में वहां की जिला कांग्रेस कमेटी और दूसरी संस्थाओं ने भी प्रस्ताव पास किये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस पिछड़े हुए क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने का काम इस पंचवर्षीय योजना में यदि नहीं पूरा किया जा सकता तो उसे अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लेना चाहिये।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय रेलवे मंत्री के सामने चन्द तजवीजें रखना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे उन पर विचार करेंगे।

मेरी सबसे पहली तजवीज यह है कि वेस्टर्न और नार्दर्न रेलवे के अन्दर जो मीटरगेज (छोटी लाइन) का हिस्सा है उसको मिला कर एक नया जोन बना दिया जाय। इसके बारे में

कई दफा पहले भी कहा गया है और मैं आज भी यह बात बतलाना चाहता हूं कि शुरू में जब जोंस् की स्कीम बनाई गई थी तो भी यही फैसला किया गया था कि इस तमाम हिस्से को मिला कर एक नया जोन बना दिया जाय। बाद में मुझे मालूम नहीं किन वजूहात की बिना पर इस तजवीज को बदल दिया गया लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जब से इस हिस्से को दो हिस्सों म तकसीम किया गया है, दोनों हिस्सों के अन्दर जो मीटरगेज का हिस्सा है उसके अन्दर इनएफिशिएंसी (अकार्यक्षमता) बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके लिए मैं दो, चार मिसालें भी पेश करना चाहता हूं।

रिवाड़ी जो कि एक बड़ा भारी रेलवे जंकशन है जहां से वेस्टर्न और नादर्न रेलवे की लाइनें जुदा होती हैं वहां जितनी भी मालगाड़ियां आती हैं वे तकरीबन् ४ घंटे से ज्यादा खड़ी रहती हैं और उससे काफी वक्त जाया होता है क्योंकि रेलवे के रूल्स के मुताबिक यह जरूरी है कि दूसरी जोन या दूसरी रेलवे की रेलगाड़ियों को रिसीव करने से पहले उनको चैक करना होता है और उसमें काफी वक्त लग जाता है।

इसके साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि यह दोनों हिस्से एक दूसरे के पैरलल जाते हैं और तीसरी बात यह है कि अगर कानपुर, इलाहाबाद, या मुगलसराय से कोई मुसाफिर जोधपुर जाना चाहे तो सबस छोटा रास्ता उसको वेस्टर्न रेलवे के जरिए होकर जाना पड़ेगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक तरफ नार्दर्न रेलवे (उत्तर रेलवे) का हिस्सा हो, बीच में वेस्टर्न रेलवे (पश्चिम) का हिस्सा हो और उसके बाद फिर नार्दर्न रेलवे का हिस्सा आजाये। और ऐसी मिसाल आपको इन दो जोनों के सिवा और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं यह अपील करूंगा कि नार्दर्न रेलवे के अन्दर जो मीटर गेज का हिस्सा है उसको निकाल कर वेस्टर्न रेलवे के हिस्से के साथ मिलाकर एक नया जोन बना दिया जाये ताकि इस हिस्से के अन्दर ठीक काम हो सके और ऐफीशेंसी पैदा हो और मुसाफिरों को जो तकलीफें हैं और जो रेलवे का खर्चा ज्यादा बढ़ गया है वह भी कम हो।

दूसरी तजवीज मेरी यह है कि जितनी भी गाड़ियां अहमदाबाद को जाती हैं वे ज्यादातर जयपुर होकर जाती हैं। रात को कोई गाड़ी ऐसी नहीं जो रींगस हो कर जाती हो। इससे वहां के मुसाफिरों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसके लिए मैंने पहले भी कई दफा लिखा लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि जोधपुर मेल दिल्ली से रींगस होती हुई जोधपुर जाये। ऐसा करने से ६० मील का सफर कम तै करना पड़ेगा और उसमें खर्च भी कम हो जायेगा। इसमें भी शायद यह रुकावट पैदा हो सकती है कि यह गाड़ी नादर्न रेलवे ने चलायी है इसलिए वह नार्दन जोन में होकर जाती है। इस-लिए अगर ऐसा न हो सके तो मैं अपील करूंगा कि कोई नई गाड़ी दिल्ली से चलायी जाये जो रींगस होती हुई अजमेर या फुलेरा तक जाये ताकि वहां की पब्लिक को आराम मिल सके।

तीसरी मेरी तजवीज नई रेलवे लाइनों के मुताल्लिक है। मैं समझता हूं कि जगाधरी, चंडीगढ़ और लुधियाना रेलवे लाइन सबसे ज्यादा जरूरी थी। लेकिन मालूम नहीं किन वजूहात के कारण इस रेलवे लाइन को इस साल की स्कीम में शामिल नहीं किया गया। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। उसको डेवेलप करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस लाइन को भी इस साल की तजवीज में शामिल किया जाये जिससे कि चंडीगढ़ को, जो कि राजधानी है, पंजाब के दूसरे हिस्सों से जाने में सुविधा पैदा हो।

इस बात का काफी जिक्र आया है, और मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे को रोड के कम्पिटीशन (प्रतियोगिता) से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है।

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ जितने भी मुसाफिर आते हैं पंजाब के बड़े-बड़े शहरों से वह तमाम के तमाम बजरिया रोड आते हैं। अगर इस रेलवे लाइन को निकाल दिया जाये तो रेलवे की आमदनी भी बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी और मुसाफिरों को भी आराम मिलेगा, और तीसरे चंडीगढ़ शहर, जिसको कि हम बसाना चाहते हैं, उसकी तरक्की के लिए भी आसानी पैदा हो जायेगी।

चौथी तजवीज मेरी यह है कि रोहतक भिवानी के दरमियान भी एक नई रेलवे लाइन निकाली जाये। इस सिलसिले में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप बजरिया रोड भिवानी से रोहतक जाना चाहें तो एक घंटे में पहुंच सकते हैं क्योंकि फासला ३० मील है, लेकिन अगर आप बजरिया रेल रोहतक से भिवानी जाना चाहें तो आपको ८ या ९ घंटे लगेंगे और तकरीबन १५० मील का फासला तै करना पड़ेगा। भिवानी और रोहतक पंजाब के हिन्दी स्पीकिंग एरिया के दो सबसे पुराने हिस्तारिक और कल्चुरल (ऐतिहासिक और सांस्कृतिक) शहर हैं। इसलिए इन दोनों शहरों के दरमियान रेलवे लाइन का बनना बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरी लड़ाई शुरू होने से पहले भी इस किस्म की तजवीज थी। सर्वे हो गया था। काफी रुपया भी खर्च हो गया था। लेकिन अब दोबारा इस काम को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस तरफ भी जरूर ध्यान दिया जाये।

एक बात में थोड़ी डी० आर० एफ० सेक्शन के मुलाजिमान के बारे में खास कर चैकिंग स्टाफ के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। जब से बी० बी० एंड० सी० आई० आर० के इस हिस्से को नार्दर्न रेलवे में मिलाया गया है उनके जो अपग्रेडिंग और सीनियारिटी वगैरह के केसेज हैं वह छः सात साल से चल रहे हैं लेकिन बड़े दुःख की बात है कि अभी तक उनको न कनफर्म किया गया और न अपग्रेड किया गया। यही नहीं बल्कि बहुतों को तो इनके पहले ही अपग्रेड कर दिया गया। इसके बारे में माननीय रेलवे मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया था और उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए हाउस में कहा था कि रेलवेज़ के पुनर्समूहीकरण के पहले कुछ टी० सी० आर० सी० एस० को, सेवा की आवश्यकता के अनुसार, टी० टी० ई० एस०, बना दिया गया था। उसमें वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया था। बाद में, सभी की मिली जुली वरिष्ठता सूची तैयार होने पर देखा गया कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को उचित पदोन्नति नहीं दी गई है। इसीलिये बाद में उसे विनियमित कर दिया गया है।

तो मैं तो उनके उस वायदे को दुहराना चाहता हूं और मैं यह अपील करूंगा कि इन लोगों को प्रोमोट करने से जिनके हुकूक को तल्फ किया गया है जिनको नुकसान पहुंचा है, उनके केसेज को जरूर रेगुलराइज किया जाये और उनको मौका दिया जाये और उनको भी अपग्रेड कर दिया जाये।

अन्त में एक छोटी सी तजवीज और रखना चाहता हूं। माननीय रेलवे मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि कोचेज (सवारी डिब्बों) की कुछ कमी है। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि कोचेज की कमी है, और दूसरी तरफ हालांकि हिन्दुस्तान को आजाद हुए आठ नौ साल हो गये, सैलून्स बाकायदा उसी तरीके से चल रहे हैं। मैं यह अपील करूंगा कि इन सैलून्स को फर्स्ट या सैकिंड क्लास कोचेज में कनवर्ट (बदल) किया जाये ताकि लोगों को भी आराम मिले और कोचेज की कमी भी दूर हो। मुझे आशा है कि इस तरफ पूरा ध्यान दिया जायेगा।

†श्री विमल घोष (बैरकपुर): मैं दो कटौती प्रस्तावों के बारे में कहना चाहता हूं। एक तो कोयले की खपत के बारे में है और दूसरा सामान्य राजस्व में अदा किये जाने वाले लाभांश की अदायगी के बारे में।

कोयले की खपत और उस पर आने वाला खर्च बढ़ता जा रहा है। रेलवेज ने समितियां नियुक्त करने के अलावा इस सम्बन्ध में और कुछ भी नहीं किया है। एक समिति १९५३ में नियुक्त की गई थी। गत वर्ष भी एक समिति नियुक्त की गई थी। पहली समिति का दावा था कि तुरंत ही छः प्रतिशत और बाद में ७ प्रतिशत मितव्ययता की जा सकती है। लेकिन उन सिफारिशों का क्या हुआ? सिर्फ समितियां ही नियुक्त की गई हैं, वास्तव में मितव्ययता नहीं की गई।

हां, यह सुधार अवश्य हुआ है प्रति हजार टन कोयले की खपत से अब गाड़ियां कुछ अधिक मील का फासला तय करने लगी हैं। क्या रेलवे मंत्रालय समझता है कि इससे अधिक कोई सुधार नहीं हो सकता?

रेलवे मंत्री हमेशा यही दलील देते रहे हैं यातायात बढ़ जाने के कारण गाड़ियों की गति धीमी पड़ गई है। लेकिन अभी तक वह इस बात का स्पष्टीकरण नहीं कर पाये कि उसका सीधा प्रभाव माल गाड़ियों की गति पर कैसे पड़ता है। कई जोनल रेलवेज ऐसी भी हैं, जहां यातायात बढ़ने के कारण गाड़ियों की गति धीमी नहीं पड़ी है। माल गाड़ियों की गति धीमी पड़ने का क्या कारण है?

यह तो फौरी समस्या है, लेकिन आगे की समस्या तो इससे भी महत्वपूर्ण है। समस्या यह है कि कोयला कितना सुलभ है और रेलवेज को किस किस्म के कितने कोयले की जरूरत है; इस संबंध में विशेषज्ञ समिति का मत है कि रेलवेज को घटिया किस्म का कोयला ही मिलता है, जिसका मतलब है २० लाख टन कोयला और अधिक लग जायेगा, जिसका मतलब है कि ६ करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय होंगे। घटिया किस्म का कोयला मिलने के कारण ही कोयले का खर्च बढ़ रहा है। लेकिन माननीय मंत्री को यह भी नहीं भूलना चाहिये कि कोयले का अपव्यय भी हो रहा है और उसे रोकना चाहिये।

आगे के लिये विशेषज्ञ समिति का सुझाव है कि जिस कोयले से कोक न बनाया जा सके, उसकी धुलाई का प्रबंध किया जाना चाहिये। जहां तक मैं समझा हूं ऐसे कोयले की धुलाई से हमें ३०–४० प्रतिशत साफ कोयला मिल जायेगा, जब कि कोक बनाये जा सकने वाले कोयले से ५०–६० प्रतिशत साफ कोयला मिल जाता है।

इसलिये रेलवे मंत्री को विचार करना चाहिये कि जिस कोयले से कोक नहीं बनता, उसकी धुलाई के पांच संस्थान स्थापित किये जाने चाहियें या नहीं। उन पर १२—१२१/२ करोड़ रुपये खर्च होंगे और दो–तीन साल स्थापित करने में लग जायेंगे। या फिर हमें विभिन्न स्थानों पर तापीय विद्युत् केन्द्र स्थापित करने चाहियें और रेलवेज का विद्युतीकरण अधिक से अधिक किया जाना चाहिये। इससे रेलवेज की लागत भी कम होगी और गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ जायेगी। और जो स्थान कोयला खानों से बहुत दूर हैं, वहां डीजल से चलने वाले इंजन रखे जायें। कोयला खानों के बहुत ही पास वाले स्थानों पर भाप से चलने वाले इंजन रखे जायें। मैं ठीक–ठीक नहीं कह सकता कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता भविष्य के लिये अधिक सुविधाजनक रहेगा। कहा जाता है कि विद्युत् से चलने वाले इंजनों की कार्यक्षमता, भाप

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विमल घोष]

के इंजनों से, १० प्रतिशत अधिक रहती है। माननीय मंत्री को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में कोई एक निर्णय किया जाना चाहिये। सबसे अच्छी किस्म का कोयला तो इस्पात कारखानों के उपयोग में खप जाता है, और कुछ रेलवेज ले लेती हैं, लेकिन उद्योगों को भी तो उसकी जरूरत है।

दूसरा प्रश्न यह है कि रेलवेज की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि रेलवेज अपने संसाधनों में से विकास निधि के लिये कुछ भी राशि नहीं निकाल पाती। वर्तमान स्थिति यह है कि ५० करोड़ रुपये से अधिक राशि सामान्य राजस्व में चली जाती है, और न तो अवक्षयण निधि और न विकास निधि के लिये ही कोई राशि बच पाती है। विकास निधि के लिये भारत सरकार से ऋण लेना पड़ता है। उस पर व्याज भी देना पड़ता है।

रेलवेज भी तो एक सरकारी उपक्रम है। निजी उपक्रमों में तो यह होता है कि यदि मुनाफा न हो, तो लाभांश अदा नहीं किया जाता। लेकिन रेलवेज को विवश होकर बहुत ही कम दर पर यातायात करना पड़ता है। यदि कोई निजी उपक्रम होता तो वह कम दर वाला यातायात स्वीकार ही न करता, और उससे आय बढ़ जाती। माननीय मंत्री को भारत सरकार के साथ इस समस्या पर बातचीत चलानी चाहिये कि रेलवेज को भी अन्य सरकारी उपक्रमों जैसा ही माना जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: मुझे खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों को भाषण करने का अवसर नहीं मिल सकेगा। किन्तु जैसा कि गत वर्षों में होता रहा है इस वर्ष भी वे सदस्य जिन्हें रेलवे आयव्ययकके सम्बन्ध में किसी भी समय बोलने का अवसर नहीं मिला हो, यदि किसी स्थानीय महत्व के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो लोक-सभा सचिवालय को ९ मार्च, १९५९ के ५ बजे तक किसी विशिष्ट स्थानीय शिकायत के बारे में अपने अपने ज्ञापन दे दें। एक शिकायत के लिये एक ही ज्ञापन दिया जायेगा और यह ज्ञापन १० पंक्तियों से अधिक नहीं होगा। ये ज्ञापन माननीय मंत्री को भेज दिये जायेंगे जो उपयुक्त समय पर इन के उत्तर सभा पटल पर रख देंगे। यदि ज्ञापन म एक से अधिक बातों का उल्लेख होगा तो केवल पहिली बात पर ही ध्यान दिया जायेगा। लेकिन जिन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है उनके ज्ञापनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा। जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं और उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला है तो वे अपने ज्ञापन में कह सकते हैं कि अमुक अमुक कटौती प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

†**श्री जगजीवन राम** : श्री विमल घोष ने रेलों में खपत होने वाले कोयले का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में सामान्य चर्चा के समय आंकड़े देकर मैंने प्रकाश डाला है और उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कोयले की स्थिति बुरी नहीं है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि चोरी आदि को रोक कर इसकी खपत को कम किया जा सकता है। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में इंजिनों को किस प्रकार चलाया जायेगा। अच्छे किस्म के कोयले की कमी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि हम धीरे धीरे डिजल और बिजली द्वारा इंजिनों को चलाने का प्रयत्न करेंगे किन्तु कुछ समय तक डिजल, बिजली और भाप द्वारा इंजन चलाने का काम चलेगा। अधिक से अधिक क्षेत्रों में डिजल से इंजिन चलाने का प्रयत्न किया जारहा है किन्तु इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसके लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है और भाप द्वारा चलाने से मामूली से विदेशी विनिमय की जरूरत है। और देखा जाये तो एक

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार से बिल्कुल ही विदेशी विनिमय की आवश्यकता नहीं पड़ती क्यों कि हम अपने यहां इंजिन बना रहे हैं। डिजल इंजिनों के मामले में अवर्त्तक व्यय के लिये भी विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि हमारे देश में डिजल का उत्पादन नहीं होता। जब हमारे यहां डिजल अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगेगा तो विदेशी विनिमय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले उन क्षेत्रों में जहां कि यातायात की काफी भीड़ रहती है तथा जिन क्षेत्रों से काफी दूर से कोयला लाया जाता है उन्हीं क्षेत्रों में डिजल इंजिन चलाये जायेंगे। इस प्रकार के क्षेत्रों में सबसे पहले केरल राज्य का स्थान है। यही बात बिजली द्वारा इंजिन चलाने के साथ लागू है। मान लीजिये कि घटिया किस्म के कोयले को इंजिन चलाने के लिये प्रयोग में नहीं लाया जाता, और इसे बिजली पैदा करने के लिये काम में लाया जाता है तो भी मेरा विचार है कि इसके लिये अधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिये चार अथवा पांच कोयला धोने के लिये स्थान बनाने पड़ेंगे। इसलिये इसका निर्णय करने से पूर्व कि अभी कुछ वर्षों तक भाप द्वारा इंजिन चलाये जायें अथवा घटिया किस्म के कोयले को धोकर उसे बिजली बनाने के काम में लाया जाये, कई महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा। और इस सम्बन्ध में श्री घोष ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं भी इसी प्रकार सोच रहा था।

सामान्य राजस्व के प्रति रेलों में अंशदान के बारे में मैं तर्क नहीं करना चाहता कि अगर ये गैर-सरकारी संस्थायें होतीं तो इनकी स्थिति क्या होती। यह स्वाभाविक है कि गैर-सरकारी समवायों में जब तक लाभ नहीं होता तब तक लाभांश की घोषणा नहीं की जाती। किन्तु यहां बात ऐसी नहीं है। अभिसमय समिति ने इस सम्बन्ध में जांच की। माननीय सदस्य भी उसके सदस्य थे। उस समिति ने यह निश्चय किया कि कितनी राशि अवक्षयण निधि में जानी चाहिये और कितनी राशि सामान्य राजस्व में जानी चाहिये। माननीय सदस्य को संभवतः ज्ञात होगा कि अवक्षयण निधि की उस राशि को जिसकी अभिसमय समिति ने सिफारिश की थी हमने बढ़ा दिया है। सामान्य राजस्व को रेलों के अंशदान का जहां तक सम्बन्ध है हम उतनी ही राशि दे रहे हैं जितनी कि अभिसमय समिति ने सिफारिश की थी। जैसा कि मैंने अपने आय-व्ययक भाषण में उल्लेख किया था और बाद में भी कहा है कि हम संसद् सदस्यों की एक रेलवे अभिसमय समिति बनायेंगे और अभिसमय समिति जो भी सिफारिश करेगी उन्हें क्रियान्वित करने का हम प्रयत्न करेंगे।

†**श्री विमल घोष**: जहां तक कि रेलवे अभि समय समिति की बात है वह तो रेलवे मंत्री तथा वित्त मंत्री की सहमति पर निर्भर करती है।

†**श्री जगजीवन राम** : अभिसमय समिति विस्तृत रूप से इन बातों की जांच करेगी इसलिये रेलवे मंत्रालय के लिये यह उपयुक्त समय नहीं है कि अभिसमय समिति ने जो सिफारिशें की हैं उनका वह पालन न करें। जहां कहीं भी हमने इस समिति की सिफारिशों की अवहेलना की है वह भलाई के लिये ही की है। अवक्षयणनिधि में भी समिति की सिफारिशों की अपेक्षा हमने अधिक ही अंशदान दिया है।

श्री एन्थनी ने अपने भाषण में कहा है कि एक द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी उत्तर रेलवे में गत दस वर्ष के कार्य कर रहे हैं किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है किन्तु यह बात बिल्कुल गलत है। उत्तर रेलवे में आजकल द्वितीय श्रेणी के ३० कर्मचारी स्थानापन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं जिनमें से १४ कर्मचारियों को स्थायी बनाने के आदेश दे दिये गये हैं और शेष कर्मचारियों के मामले की जांच हो रही है। इस के बाद उन्होंने गोपनीय रिकार्ड का उल्लेख किया है। इसके बारे में यह आदेश दिया हुआ है कि यदि किसी पदाधिकारी को प्रतिकूल रिपोर्ट है तो उसे दिखाना चाहिये और उस पर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

उसे हस्ताक्षर भी करना चाहिये। यदि वह पदाधिकारी देखता है कि वह प्रतिकूल रिपोर्ट न्यायसंगत नहीं है तो वह इसके विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और यदि आवश्यकता भी पड़े तो उच्चपदाधिकारियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा भी की जा सकती है। सम्भवतः उन्हें नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। पदोन्नति के सम्बन्ध में अर्थात् एक श्रेणी से दूसरी उच्च श्रेणी में परिवर्तन करते समय केवल वरिष्टता पर ही ध्यान नहीं देना चाहिये। इसका आधार प्रवरण होना चाहिये। २०० से ३०० रुपये वाले पद प्रवरण पद नहीं है बशर्ते कि किसी पद विशेष पर व्यक्तित्व दायित्व अधिक न हो। अन्यथा ये पद वरिष्टता के आधार पर ही दिये जाते हैं।

गोपनीय रिपोर्ट के बारे में भी कठिनाई है। इस सम्बन्ध में किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया है। इसमें एक उच्चपदाधिकारी एक पदाधिकारी के कार्य और उसकी योग्यता के सम्बन्ध में प्राशंसात्मक शब्द लिखता है। यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई रिमार्क किसी पक्षपात के आधार पर लिखा गया है तो इसकी मान्यता उस व्यक्ति से सम्बन्धित पिछले रिमार्कों के आधार पर निश्चित की जायेगी। मैंने भी इसी आधार पर जांच की है। यदि कोई व्यक्ति पिछले ६–७ वर्षों से अच्छी रिपोर्ट पाता रहा है और अचानक ही उसकी रिपोर्ट एक वर्ष खराब हो जाती है और उसके बाद फिर वह अच्छी रिपोर्ट पाने लगता है तो निश्चय ही यह संदेह का कारण उत्पन्न करता है कि अमुक वर्ष उसकी रिपोर्ट खराब क्यों थी। मेरा विचार है कि प्रवरण समितियां, अथवा सेवा आयोग निश्चय ही इन सब बातों पर विचार करेगा।

निवृत्ति वेतन योजना कर्मचारियों को काफी विस्तृत रूप से समझा दी गई है। पदाधिकारियों को भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी उनके पास योजना के सम्बन्ध में कोई बात पूछने आता है तो वह उसे समझा दें। श्री एन्थनी ने इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन सुझाए हैं। मुझे खेद है कि उन संशोधन को क्रियान्वित इसलिये नहीं किया जा सकता क्यों कि हमने जो निवृत्ति वेतन योजना चालू की है वह वही है जो सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ लागू होती है और इसमें परिवर्तन करने का अभिप्राय यह होगा कि इसको सभी के ऊपर प्रभावी किया जाये न कि केवल रेलवे कर्मचारियों पर।

बहुत से सदस्यों ने प्रतीक्षा हाल, प्रतीक्षालय स्टेशनों पर यात्रियों के लिये सुविधा कठपुला बनाने अथवा कठपुला को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने के बारे में उल्लेख किया है। इन सब के बारे में व्यक्तिगत रूप से उल्लेख करना मेरे लिये यहां संभव नहीं है। जैसा कि सभा को ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में इस सदन के माननीय सदस्यों तथा क्षेत्रीय रेलों के मुख्य प्रबन्धकों की बैठकें होगीं जिनमें इन सब बातों पर विचार किया जायेगा और उनके दूर करने के सम्बन्ध में उपाय सोचे जायेंगे।

पुलों के बारे में तो यही कहना है कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बातचीत करें और यदि उन राज्य सरकारों की सिफारिशें हमारे पास आ जायेंगी तो इस कार्य को करने में जल्दी की जा सकती है क्योंकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का वित्तीय दायित्व निहित रहता है।

राज्य सरकारों को हम यह लिखने वाले हैं कि वे अपनी योजनाओं में कितने पुल आदि बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि हम भी अपनी रेलवे योजना में उनको सम्मिलित कर लें। इसलिये अच्छा है कि माननीय सदस्य इसे पहले राज्य सरकारों को लिखें क्योंकि हमें भी यह मामला राज्य सरकारों को ले जाना पड़ता है।

श्री पाणिग्रही ने पूर्व और दक्षिणपूर्व रेलवे में बिजली का उपयोग करने के लिये कब तक बिजली मिल जायेगी इस सम्बन्ध में पूछा है। इसमें कुछ कठिनाई है और प्रत्येक राज्य को बिजली मिलने के सम्बन्ध में कुछ न कुछ कठिनाई होती है। रेलों को विद्युत्-संचालित करने का कार्यक्रम रिहन्द, दामोदर घाटी, हीराकुड और अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करता है। शुरू में ज्ञात हुआ था कि हमें पूरी बिजली नहीं मिल सकेगी किन्तु बाद को योजना आयोग तथा रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों की बैठकें हुईं जिनमें यह तय पाया कि किस-किस स्थान से कितनी-कितनी बिजली मिलेगी और जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे कार्यक्रम की समाप्ति तक हमें बिजली मिल जायेगी।

उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या कोयला और कच्चे लोहे तथा निर्यात करने तथा हमारे तीन बड़े-बड़े इस्पात के कारखानों का माल ढोने की क्षमता हमारी रेलों की हो जायेगी। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने इन इस्पात कारखानों और निर्यात की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये प्रबन्ध कर लिया है। यहां तक कि आजकल हम सभी की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है। दक्षिण पूर्व रेलवे पर कुछ कठिनाई है क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है। इस रेलवे के कुछ खंडों में बिजली लगने वाली है और उसी का कार्य हो रहा है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि जिन पदों की वृद्धि की घोषणा फरवरी, १९५७ में की गई थी उनको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि इसे अभी तक पूर्ण रूपेण क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसमें कुछ कठिनाई है और जैसा कि प्रायः भूतलक्षी की प्रभावी चीजों में हुआ करता है किन्तु फिर भी मैं व्यक्तिगत रूप से इसे देख रहा हूं और उपमंत्री भी इसकी प्रगति के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से जांच कर रहे हैं। पिछले तीन चार महीनों में इस बारे में काफी प्रगति हुई है और आगामी २–३ महीनों में यह काम समाप्त हो जायेगा।

श्री चं० कृ० नायर ने दिल्ली के चारों ओर बनाये जाने वाली रेल का उल्लेख किया है। इसमें यह कठिनाई है कि यह रेलवे लाइन पूसा इन्सटीट्यूट तथा डिफेन्स कोलोनी के बीच में होकर जायेगी। और वहां जगह मिलने में कठिनाई है। और जब तक जगह नहीं मिलती तब तक कठिनाई है। और यदि इसे उन स्थानों से हटाकर बनाया गया तो इस रेलवे लाइन का महत्व ही समाप्त हो जायेगा।

श्री भरूचा ने दुर्घटनाओं का जिकर किया है। दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सदैव यह नहीं कहा जा सकता कि वे मानव की भूल से ही होती हैं। हमें दुर्घटना के कारण का विश्लेषण करना चाहिये। हो सकता है कि यह किसी और कारण से हुई हो जैसे कि रेलवे लाइन, इंजिन आदि की गड़बड़ी के कारण। जब कोई दुर्घटना होती है तो मैं स्वयं यह देखा करता हूं कि इसका मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले मैं यह देखता हूं कि जो ड्राइवर इस गाड़ी को ले जा रहा था उस ने गाड़ी का चार्ज लेने से पूर्व आराम लिया था अथवा नहीं उससे पूर्व उसने कितने घंटे कार्य किया था आदि आदि बातें प्रायः देखता हूं। बहुत से मामलों में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ड्राइवर ने काम प्रारम्भ करने से पूर्व आराम किया था, अथवा उसने, अधिक घंटे कार्य नहीं किया था। श्री राजाध्यक्ष निर्णय में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि कार्यारम्भ करने से पूर्व ड्राइवर को कितना आराम मुख्यालय में करना चाहिये तथा कितना आराम अन्य स्टेशनों पर। माननीय मित्र श्री भरूचा जी इस सम्बन्ध में जानते हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि गाड़ी जाने के लिये तैयार है और ड्राइवर का सन्देश मिलता है कि वह बीमार है या उसे काम है इसलिये वह नहीं आ सकता ऐसी स्थिति में हमें अवश्य ही किसी ड्राइवर का प्रबन्ध करना पड़ता है। यह ठीक है कि एक ड्राइवर को १० घंटे काम

[श्री जगजीवन राम]

करने के बाद स्टेशन से बाहर रहने पर २४ घंटे का ओवर टाइम मिलता है। किन्तु हमें यहां ओवर टाइम का वर्णन नहीं करना है हमें तो यह देखना है कि क्या उसे उचित आराम मिला है अथवा नहीं।

प्राय यह देखा जाता है कि कभी कभी ६–७ व्यक्ति एक साथ मना कर देते हैं कि वे काम करने के लिये असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना की जाये जो काफी काम कर चुका है और जिसे काफी आराम करने का भी अवसर नहीं मिला है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** (खम्मम) : ओवर टाइम मासिक न देकर इसे साप्ताहिक क्यों न किया जाये। फिर यह कठिनाई नहीं आयेगी। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि एक ड्राइवर एक दिन तो १४ या १५ घंटे काम करता है और अगले दिन वह केवल ४ या ५ घंटे ही काम करता है।

†**श्री जगजीवन राम** : यह बात नहीं है। इस बात की बराबर जांच की जा रही है जिन स्टेशनों पर काफी काम नहीं है वहां क्लोकमैन को और दूसरे काम करने के लिये भी भेज दिया जाता है किन्तु जहां काफी काम होता है वहां वह केबिन को भेज दिया जाता है।

श्री त्रिदीब कुमार चौधरी ने फरूखाबाद का उल्लेख किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह सरकार के विचाराधीन है। निमिता तथा अन्य स्थानों के बारे में अन्तरगठन व्यवस्था जारी की जायेगी। टेली संचार व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। रेल की सड़कों को बदलने का काम भी शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा और इसके समाप्त होते ही वहां गाड़ियों की चाल में भी काफी सुधार हो जायेगा सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि उनके यहां का क्षेत्र काफी पिछड़ा है इसलिये वहां रेलवे लाइन होनी चाहिये। श्री पाणिग्रही ने भी इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये हैं। मेरा उन से निवेदन है कि वे यह मालूम करें कि अमुक राज्य का क्षेत्रफल कितना है उसमें कितने मील लम्बी रेलवे लाइन है, वहां की कुल जनसंख्या कितनी है तो एक मील लम्बी रेलवे लाइन कितने क्षेत्रफल और कितनी जनता के लिये है। इससे उन्हें पता चल जायेगा कि अमुक क्षेत्र वास्तव में पिछड़ा है अथवा नहीं।

कोई क्षेत्र पिछड़ा है अथवा नहीं यह बात दूसरी है किन्तु नई रेलवे लाइन बनाना अन्य दूसरी बातों पर निर्भर करता है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में योजना आयोग ने निर्धारित किया था कि उन क्षेत्रों में नई रेलवे लाइन बनाई जायें जहां कि नये उद्योग पड़ें, कोयले का विकास हो और बन्दरगाहों का विकास किया जाये। मैंने आयव्ययक का भाषण में बताया था कि इसी आधार पर रेलवे लाइन बनाई जायेगी। किन्तु इसके अलावा, रेलवे मंत्रालय का विचार उन क्षेत्रों में भी नई रेलवे लाइन बनाने का है जहां परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं हैं, और वहां काफी मात्रा में खनिज पदार्थ, जंगलात आदि अथवा कृषि उत्पादन होता है। देश के विभिन्न भागों के विभिन्न सदस्यों की मांगों के बारे में मैंने सुना है। इस बारे में मैं उन्हें यही बताना चाहता हूं कि मैं उन मांगों को योजना आयोग के समक्ष रखूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	१,७८,४५,०००
३	चालू तथा अन्य लाइनों को भुगतान .	१९,७७,०००
४	सामान्य कार्यवहन व्यय—प्रशासन .	३५,४७,२१,०००
५	सामान्य कार्यवहन व्यय—मरम्मत तथा संधारण	१,०९,८९,३४,०००
६	सामान्य कार्यवहन व्यय—संचालक कर्मचारी	६६,२७,११,०००
७	सामान्य कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन)	६२,४४,५२,०००
८	सामान्य कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन .	२०,५५,७९,०००
९	सामान्य कार्यवहन व्यय—विविध व्यय	२६,०१,१२,०००
१०	सामान्य कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण	९,२४,३५,०००
११	अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग .	४५,००,००,०००
१२	साधारण राजस्व में देय लाभांश	५४,४०,७१,०००
१३	चालू लाइनों पर काम (राजस्व) श्रम कल्याण . .	१,३१,८३,०००
१४	चालू लाइनों पर काम (राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त	१३,७०,५३,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण—पूंजी और अवक्षयण रक्षित निधि .	४५,०९,३८,०००
१६	चालू लाइनों पर विस्तार . .	३,७२,३०,९५,०००
१७	चालू लाइनों पर काम—प्रतिस्थापन . . .	९९,४९,५२,०००
१८	चालू लाइनों पर काम—विकास निधि . .	३१,४९,००,०००
१९	विविध प्रभार—विकास निधि . . .	५७,९५,०००
२०	विकास निधि में विनियोग . . .	२१,१८,७४,०००

स्ट्रैप्टोमाइसीन और डीहाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिये किये गये करार के सम्बन्ध में प्रस्ताव

†**श्री परूलकर** (थाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत सरकार द्वारा हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड में स्ट्रैप्टोमाइसीन और डीहाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिये मैसर्स मर्क एण्ड कम्पनी आफ रावे, न्यू जर्सी के साथ किये गये करार पर चिन्ता प्रकट करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह यह बात स्पष्ट करे कि उक्त करार देश के हित में है।"

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मर्क एण्ड कम्पनी के साथ किया गया समझौता वस्तुतः सरकारी क्षेत्र में स्थापित दवाई उद्योग पर आघात करने और देशी तथा विदेशी एकाधिकार प्राप्त औषधिनिर्माताओं तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया है। इस जालसाजी में मनुभाई शाह का भी बहुत बड़ा हाथ है।

उक्त समझौते से हमारे देश को तीन मुख्य हानियां होंगी। पहिला, समझौते की अवधि के अन्दर ही इस से हमारे देश को १,५०,००,००० रुपये की हानि हो सकती है। दूसरे, इसके कारण उपभोक्ताओं को स्ट्रेप्टोमाइसीन निम्नतम कीमत में उपलब्ध नहीं हो सकेगी और तीसरे इससे देशी तथा विदेशी दवा-व्यापारियों को खूब लाभ कमाने का मौका मिलेगा।

माननीय मंत्री पर लगाये गये दोषारोपण को सिद्ध करने के पूर्व, मैं आपको यह बताऊंगा कि औषधि उद्योग पर एकाधिकार रखने वाले देशी और विदेशी व्यापारी किस प्रकार जनता का शोषण करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं अपने देश के प्रमुख विशेषज्ञ, जनरल सोखी जिन्होंने देश को औषधि निर्माण में स्वावलंबी बनाने में महत्व पूर्ण योग दिया है, का कथन सभा के समक्ष रखूंगा 'इकानामिक जरनल' में लिखे हुए एक लेख में उन्होंने कहा है कि यूरोप और अमेरिका में यह प्रथा है कि वहां के औषधि कारखाने अपने द्वारा निर्मित दवाइयों का मूल्य, दवाओं के उत्पादन व्यय से दस गुना रखते हैं। जिस से उन के वर्तमान, भूत और भविष्य की सभी गवेषणाओं तथा अन्य खर्चों का व्यय निकल आये। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक अन्य प्रकाशन 'ज्योति' में उन्होंने लिखा है कि कच्चे रसायन तथा कच्चे माल के नाम पर भारत में लगभग २० करोड़ रुपये की दवायें विदेश से आती हैं उन पर देशी व विदेशी व्यापारी अपना कमीशन लगाते हैं, जो १० से १५ करोड़ रुपयों के लगभग होता है। इस प्रकार भारतीय जनता ३० से ३५ करोड़ रुपये तक प्रति वर्ष व्यय करती है। उदाहरण के रूप में उन्होंने यह बताया था कि १६४० में सल्फर थाइजाल हमारे देश में २२० रु० प्रति पाउन्ड आती थी और ८०० रु० प्रति पांउड बिकती थी हाफकिन इन्सटिट्यूट में जब उस औषधि का निर्माण किया गया तो एक पाउन्ड का उत्पादन व्यय १४ रुपये था।

इतना ही नहीं जब विदेशों से दवाई निर्माण के संबंध में उपकरण या टेक्नीकल जानकारी मांगी जाती है तो वे उसकी अत्याधिक कीमत मांगते हैं। जब भारत में पेंसिलीन का कारखाना खोलने की योजना बनाई गई तो एक अनुभवी अमेरिकन कम्पनी ने इसके लिये ३२,६५.००० डालर मांगे थे। जब कि विश्व स्वास्थ्य संघ के सहयोग से यह कारखाना १२ लाख डालरों में तैयार हो गया।

अब मैं समझौते पर आता हूं। इस में यह व्यवस्था की गई है कि हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक फैक्टरी पिंपरी में एक संयंत्र लगाया जायेगा जिसमें ४५ टन स्ट्रैप्टोमाइसीन का उत्पादन किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्ट्रेप्टोमाइसीन के अतिरिक्त कोई अन्य औषधि यथा एरियोमाइसीन तथा अन्य एन्टीबायोटिक दवाइयों का उत्पादन नहीं किया जायेगा। वस्तुतः ऐसा जानबूझ कर किया गया है जिससे कि देशी तथा विदेशी व्यापारी एरियोमाइसीन के आयात तथा विक्री द्वारा लाभ उठा सकें। इस सम्बन्ध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एरियोमाइसीन के एक ग्राम का उत्पादन व्यय आठ या नौ आने से अधिक नहीं आ सकता है जब कि एक ग्राम एरियोमाइसीन की विक्री दर इस समय ९–८–० से १३ रुपये तक हैं ।

५२ संश्लेषित दवाओं में से ३२ दवाएं, जो लोकप्रिय, लाभदायक तथा खूब बिकने वाली हैं उन के निर्माण के लाइसेंस देशी या विदेशी फर्मों को दिये जा चुके हैं। ये फर्में विदेशों से ये दवाइयां कच्चे माल के नाम पर मंगाती हैं। यहां उन्हें साफ कर शीशियों में भर कर 'भारत निर्मित' नाम के झूठे लेबिल के अन्तर्गत बेच देती हैं । इस सम्बन्ध में जब रूसी विशेषज्ञों का एक दल भारत आया था तो उस ने भारत सरकार के सामने एरियोमाइसीन तथा अन्य एन्टीबायोटिक्स विटामिन डी-२ व बी-१२ के निर्माण की एक योजना रखी थी जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया था।

अब मैं समझौते की शब्दावली को लेता हूं । खंड ८ (क) में कहा गया है कि संयंत्र द्वारा निर्मित स्ट्रेप्टोमाइसीन की विक्री पर यह कम्पनी, मर्क एण्ड कम्पनी को भारत में २ १/२ प्रतिशत और भारत से बाहर ५ परसेंट देगी। इस प्रकार १० वर्ष की अवधि में जब तक यह समझौता लागू रहेगा हमें १,५०,००,००० रुपये मर्क एण्ड कम्पनी को रायल्टी के रूप में देने होंगे। परिणाम यह होगा कि भारत की जनता को उक्त औषधि अधिक महंगे दामों में उपलब्ध होगी।

इसी समझौते के खंड ११ (क) में यह शर्त रखी गई है कि टेक्नीकल जानकारी कुछ एक चुने हुए कर्मचारियों को दी जायेगी जो उसे किसी अन्य व्यक्तियों को प्रगट नहीं करेंगे इत्यादि। परिणाम यह होगा कि भारत में एन्टीबायोटिक औषधियों के निर्माण व गवेषणा आदि के कार्य पर रोक लग जायेगी और तत्सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार नहीं हो सकेगा ।

[**श्री मोहम्मद इमाम** पीठासीन हुए]

मजे की बात यह है कि उक्त खंड भारत सरकार द्वारा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक कारखाने की स्थापना करते समय विश्व स्वास्थ्य संघ से किये गये समझौते के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि उस समझौते में कहा गया है कि कारखाना किसी ऐसी स्थिति को पैदा होने से रोकेगा जिस से टैक्नीकल जानकारी पर प्रतिबंध लगे। वस्तुतः इस कारखाने के निर्माण का एक उद्देश्य यह था कि यह उत्पादन केन्द्र अन्य केन्द्रों के लिये प्रशिक्षित स्कूल का कार्य करेगा। उक्त दोनों समझौते एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। तथापि मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर स्पष्ट नहीं में दिया। ये दोनों बातें परस्पर बिरोधी हैं। समझौते के खंड १ में कहा गया है कि समझौते के अनुसार जो स्ट्रैप्टोमाइसीन बनाई जायेगी उस में २० प्रतिशत स्ट्रैप्टोमाइसीन और ८० प्रतिशत डाइ हाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसीन होगी। जब कि बाजार में ऐसे स्ट्रैप्टोमाइसीन की सब से अधिक मांग है, जिस में ५० प्रतिशत डाइ हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसीन होती है । दूसरे प्रकार की स्ट्रेप्टोमाइसीन बनाने के लिये संयत्र में कुछ परिवर्तन करने होंगे जिस में कई लाख रुपये व्यय होगें। साथ ही मर्क एण्ड कम्पनी ने यह वायदा किया है कि देश की अवशेष मांग को पूरा करने के लिये कम्पनी ८० प्रतिशत तक माल, अन्य कम्पनियों से प्राप्त सब से कम टेंडर से भी ५ परसैंट कम लेकर, माल देगी। इस शर्त को पूरा नहीं किया गया है । एक अनुभवी अमरीकी कम्पनी फिगर्स में भी यहां स्ट्रप्टोमाइसीन का कारखाना खोलने में दिलचस्पी रखती थी लेकिन उस से वार्ता समाप्त होने से पूर्व ही मर्क के साथ यह समझौता कर दिया गया ।

[श्री मोहम्द इमाम]

अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे लिये मर्कस से इस प्रकार का समझौता करना आवश्यक था। भले ही इस से देश का अहित होता हो। दूसरे, क्या मर्कस के अतिरिक्त हमारे पास किसी भी क्षेत्र से इस से अच्छा प्रस्ताव नहीं आया था। वस्तुतः दोनों ही बातें गलत हैं। क्योंकि भारत सरकार के पास एन्टीबायोटिक्स का कारखाना खोलने के लिये रूस की सरकार का प्रस्ताव आया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया। जब उनकी शर्तें मर्क एण्ड कम्पनी की शर्तों से कहीं ज्यादा अच्छी थीं। इस संबंध में जब लोक-सभा में श्री हरीश चन्द्र माथुर और राज्य सभा में डा० दुबे ने प्रश्न पूछे तो मंत्री महोदय ने टालू प्रकार के जबाब दिये। वे जबाब, नितांत असंगत और विषय से परे हैं। वस्तुतः उक्त मंत्री इस प्रकार के उत्तर देने में सिद्धहस्त हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यदि माननीय मंत्री इस प्रकार के देश के हितों के विरोधी समझौते करते हैं तो वे अपने पद पर बने रहने योग्य नहीं हैं।

म यह आक्षेप पूर्ण उत्तरदायिता और जानकारी होने के बाद लगा रहा हूं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री आचार** (मंगलौर) : औचित्य प्रश्न पर, मैं सभापति महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि अमुक व्यक्ति अमुक पद के योग्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय इस बात पर पहले यह निर्णय दे चुके हैं कि इस प्रकार की बातें करना शिष्टाचार और सभा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए अनुचित है। अतः माननीय सदस्य को चाहिये कि वे अपने शब्दों को वापस लेवें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। तथापि मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे अपेक्षाकृत नम्र शब्दों का प्रयोग करें। और सीधे किसी पर बुरी नियत रखने का आरोप करना, या किसी के संबंध में संदिग्ध बातें कहना अच्छा नहीं है।

†**श्री पारूलकर** : मैं आपके समक्ष यह तथ्य रख रहा था कि रूस की सरकार द्वारा रखा गया प्रस्ताव इस अमरीकी कम्पनी की शर्तों से कहीं अच्छा था। यह बात नीचे लिखि शर्तों से स्पष्ट हो जाती है। पहिला, रूसी सरकार के विशेषज्ञ यहां केवल स्ट्रेप्टोमाइसीन ही नहीं अपितु अन्य एन्टीबायोटिक दवाइयां भी बनाते। उन्हें कोई रायल्टी नहीं देनी होती। तीसरे संयंत्र में औषधि निर्माण सम्बन्धी टेक्नीकल जानकारी पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहता। इतना ही नहीं वे हमें २$^{1}/_{2}$ प्रतिशत की दर से ऋण देने को भी तैयार थे, जिन्हें हमें रुपयों में और आसान किश्तों पर अदा करना था। लेकिन इसके स्थान पर मर्क के साथ समझौता किया गया। इस समझौते के फलस्वरूप पहिला प्रहार डा० गणपति पर किया गया। डा० गणपति के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वे हमारे देश में औषधि निर्माण के प्रमुख विशेषज्ञ हैं, उनकी खोजों के परिणामस्वरूप ही सल्फो थियोसिन का उत्पादन ५० प्रतिशत बढ़ सका है और विश्व में सबसे सस्ते तरीके का उत्पादन करने वाले भी वही हैं। उन्हें प्राग में एन्टीबायोटिक के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सभापति बनने को निमंत्रित किया गया था। तथापि जब शर्त के अनुसार कर्मचारियों की जांच होने लगी तो उनकी सेवायें समाप्त कर उन्हें बम्बई सरकार को वापस भेज दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : डा० गणपति का इस समझौते से क्या सम्बन्ध है । सामायतः हम सभा में ऐसे लोगों की चर्चा नहीं करते हैं जो सभा में अनुपस्थित हों। क्योंकि इससे अवांछनीय चर्चा उठाने का मौका मिलता है।

†**श्री परूलकर** : मैं व्यक्तिगत मामले नहीं ले रहा हूँ। अपितु मेरे कथन का आशय यह है कि इस समझौते के फलस्वरूप देश की वैज्ञानिक गवेषणा क्षेत्र में आघात होगा। इससे हमें एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक की सेवाओं से बंचित होना पड़ा है। यह बहुत गम्भीर विषय है।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उक्त वैज्ञानिक की नियुक्ति के समय बम्बई सरकार को भारत सरकार के उत्पादन मंत्रालय द्वारा भेजे गये एक पत्र की ओर आकर्षित करता हूँ जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि डाक्टर गणपति को पैनिसिलीन संगठन में स्थायी रूप में नहीं खपा लिया जायेगा। लेकिन इसके बावजूद उन्हें उनके प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर वापस भेजा जा रहा है।

अतः मेरा निवेदन है कि यह एक गम्भीर मामला है। इसकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जाय जो रूस की सरकार तथा अमरीकी फर्मों के साथ हुई पूरे पत्र व्यवहार की जाँच करे जिससे सच्ची बात प्रकाश में आ सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करती हूँ। इसका आशय यह है कि मूल प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये कि भारत में औषधि उद्योग की स्थापना के संबंध में रूस, अमेरिका की गैर-सरकारी कंपनियों, जर्मनी इत्यादि देशों से पत्र व्यवहार की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये और वह समिति यह दिर्णय करे कि क्या ये समझौते देश के हित में हुए हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन बहुत व्यापक है और मूल प्रस्ताव के क्षेत्र से बाहर है; इस कारण नियम विरुद्ध है।

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्): मैं कार्य मंत्रणा समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

स्ट्रेप्टोमाईसीन और डीहाइड्रो स्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिये किये गये करार के संबन्ध में प्रस्ताव--(जारी)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह मसला देश के लिये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खाद्यान्नों का मसला। देश की गरीब जनता बहुत ऊंची कीमतों के कारण, एन्टी-बायोटिक्स

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

दवाओं को और खास-खास दवाओं को नहीं खरीद पाती। सभा में इस सम्बन्ध में कई बार चर्चा हो चुकी है। प्रथम संसद में औषध अधिनियम के संशोधन की चर्चा के समय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि विदेशी फर्मों के एकाधिकार के कारण बड़ी मुनाफाखोरी चल रही है। दवायें १०० प्रतिशत मुनाफे पर बेची जाती हैं।

इन कीमतों को कम करने के लिये जरूरी है कि सरकारी क्षेत्र में औषध-निर्माण की एक एकीकृत योजना बनाई जाये। राजकुमारी अमृत कौर ने बताया था कि सोवियत वैज्ञानिक हमारे देश में आकर अपनी ऐसी योजना रखने वाले हैं। इन ढाई सालों में हमने सुना है कि सोवियत की ओर से हमारे देश में स्ट्रेपटोमाइसिन और ऐरोमाइसीन ही नहीं, बल्कि औषध निर्माण का एक पूरा कारखाना स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा गया था। सोवियत समाजवादी देश है, इसलिये वह दवाओं के पेटेण्ट कराने, और उससे मुनाफे कमाने में यकीन नहीं करता। सोवियत देश तो यह मानता है कि विज्ञान समूचे विश्व की जनता के उपयोग के लिये है, निजी मुनाफों के लिये नहीं। सोवियत ने यही प्रस्ताव रखा था।

लेकिन हमे संदेह इस बात से होता है कि सोवियत से वार्ता चलने के बीच में ही, मैर्कस् के साथ यह करार इतनी जल्दी क्यों कर लिया गया है। यह करार ठीक इसी वक्त क्यों किया गया ? क्या हमारे मंत्रालय को यह पता नहीं था कि मैर्कस् फर्म कौन और क्या है?

औषध-निर्माण जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत सरकार ने १९४९ में एक पेनसिलीन कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में टेकनिकल सहायता के लिये स्वीडन की एक फर्म—मेसर्स कांगोल जेल—से वार्ता आरम्भ की थी और मार्च १९४९ में करार सम्पन्न हो गया था। उस समय आशा थी कि दो वर्षों में कारखाना बन जायेगा। लेकिन बाद में, क्या हुआ ?

इस फर्म ने १९५६ में अमरीका के मेसर्स मैर्कस से एक करार किया। वह करार पेनीसिलीन के निर्माण की अधिक उन्नत विधियों का लाभ उठाने के लिये किया गया था। लेकिन मेसर्स मैर्कस ने उसी फर्म को भारतीय पेनीसिलीन फैक्टरी के लिये व्यावहारिक ज्ञान जुटाने से इन्कार कर दिया। तब भारत सरकार को मेसर्स मैर्कस से करार करना पड़ा। इसी समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में एन्टीबायोटिक्स का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। अन्त में भारत सरकार ने उसी को मान लिया।

प्रतिवेदन से पता चलता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पेनीसिलीन के साथ ही स्ट्रेप्टो-माइसिन के निर्माण के लिये अतिरिक्त उपकरण भी जुटाने को तैयार था। लेकिन फिर भी मैर्कस् के साथ यह नया सौदा किया गया है। हमारी सरकार मेसर्स मैर्कस् के बारे में सब कुछ जानती थी, वह यह भी जानती थी कि इस करार से क्या अड़चनें पैदा होंगी। फिर भी, यह करार क्यों किया गया?

मैंने तो यह सुना है कि मंत्रालय, मंत्रालय के अधिकारी और यहां तक कि मंत्रणा समिति भी, कम से कम उसके कुछ सदस्य तो अवश्य ही सरकारी क्षेत्र में औषध निर्माण का

एकीकृत कारखाना स्थापित होने देने का विरोध कर रहे थे। इसीलिये इस करार में यह जल्द बाजी की गई है।

दूसरे एक बड़ी महत्वपूर्ण औषधि के बारे में, मैं सुन रही हूँ कि सरकार उसका काम भी निजी अनुज्ञप्तिधारियों पर छोड़ना चाहती है। तपेदिक की वह औषध है——पी० ए० सी०, जिसका निर्माण तो भारत में सोवियत कारखाना करेगा, लेकिन सरकार उसके परिष्करण का काम निजी अनुज्ञप्तिधारियों को सौंपना चाहती है। उसका नतीजा यह होगा कि मूल रासायनिक तो सोवियत कारखाना काफी कम लागत पर तैयार कर देगा, लेकिन उसका परिष्करण करने वाली निजी फर्में उस पर बेशुमार मुनाफे कमायेंगी, जिससे उस औषध के दाम बहुत अधिक चढ़ जायेंगे। मैंने सुना है कि रेलवे मंत्री और मंत्रालय के एक—दो लोग और भी पेन्टर कराने की विधि को हटा देने का विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से वे निजी फर्मों के मुनाफे बनाये रखना चाहते हैं। लेकिन वह तो इस सभा द्वारा अनुमोदित नीति के प्रतिकूल होगा। जनता को सस्ती दवायें नहीं मिल सकेंगी।

श्री परुलकर ने इस करार के दो खण्डों का उल्लेख नहीं किया था। करार के खण्ड २ (भ) में स्पष्ट व्यवस्था है कि मेसर्स मैर्कस् प्रस्तावित कारखाने के नमूने, निर्माण, संस्थापन और संचालन या उसके सम्बन्ध में किये गये अन्य निर्णयों का कोई दायित्व ग्रहण नहीं करेगा। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ करार में स्पष्ट व्यवस्था है कि वह इस बात का पूरा दायित्व ग्रहण करेगा कि यहां निर्मित पेनीसिलीन संसार की सबसे अच्छी किस्म के मुकाबले की हो। करार करने वाले लोगों ने, अनजाने में या जानबूझ कर, यह त्रुटि रहने दी है।

इसी तरह खण्ड २ (घ) में भी बड़ी खतरनाक व्यवस्था यह की गई है कि मेसर्स मैकर्स यह भी जानकारी जुटायेगा कि स्ट्रैप्टोमाइसिन के कारखाने के लिये जरूरी सामग्री और उपकरण कहां से लिये जायें। इसमें यह भी जोड़ा जाना चाहिये था कि 'यदि वह सामग्री भारत में सुलभ न हो, तो. . . .।' इस व्यवस्था का यह खतरा है कि हम उसी देश के लोगों को सारे ठेके दे दें, जहां से कि टैकनिकल कार्यकर्ता जुटाये गये हों।

एक खण्ड में यह व्यवस्था की है कि हमारे टेकनीकल विशेषज्ञ अमरीका जाकर छै: महीने तक मैर्कस् के कारखाने में निर्माण की विधियों की जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन छै: महीनों में वे कुछ सीख पायेंगे या नहीं, यह तो सिखाने वालों पर निर्भर करता है। अक्सर वे अपनी सभी विधियां बताते ही नहीं।

फिर खण्ड ३ (क) में व्यवस्था है कि भारत सरकार मेसर्स मैर्कस् को इंजीनियरिंग और टेकनीकल सेवाओं के लिये अदायगी करेगी, जो २५,००० अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगी। पता नहीं यह अदायगी हर महीने होगी, या कुल मिलाकर।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : कुल मिला कर।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: लेकिन विदेशी मुद्रा के ऐसे संकट के समय अमरीकी डालरों में अदायगी करने का वचन नहीं देना चाहिये था। वेतन कम से कम रुपयों में अदा किये जा सकते थे।

माननीय मंत्री का कहना है कि मैसर्स मैर्कस् इस संबंध में हमें आधुनिकतम व्यावहारिक ज्ञान से परिचित रखेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम उन के नये आविष्कारों का पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे, बल्कि मैसर्स मैर्कस् ही हमारे हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स संस्थापन से प्राप्त होने वाले व्यावहारिक ज्ञान का अधिक लाभ उठा लेगा।

इस समवाय की पृष्ठ भूमि क्या है? पिछले अगस्त में रायटर के, दिनांक ३ अगस्त, १९५८ की, एक सूचना के अनुसार अमरीका के फ़ेडरल ट्रेड कमीशन ने जिन छै: समवायों पर आरोप लगाये थे, उन में मैसर्स मैर्कस् भी शामिल हैं। कमीशन का एक आरोप था कि उन छै: समवायों ने आपस में साठ-गांठ कर के कुछ 'आश्चर्य जनक दवाओं' पर अपना एकाधिकार कायम कर लिया है और वे सभी आपस की साठ-गांठ से इन दवाओं के मूल्य काफी ऊंचे रखते हैं। अमरीका की जनता ने १९५७ में उन दवाओं पर ३५८ करोड़ रुपये खर्च किये थे और ऐसे समवाय के साथ हमने करार किया है। औषध विधेयक पर चर्चा के समय, सभा में स्वर्गीय श्री गिडवानी ने कहा था कि ये बड़ी-बड़ी एकाधिकारी फर्में अपनी इच्छा से जब चाहें दवाओं के दाम चढ़ा और गिरा सकते हैं। वे सस्ती लागत की दवाओं पर भी बेतरह मुनाफेखोरी करती हैं।

दूसरी चीज़ यह है कि अब हमारे सरकारी क्षेत्र के कई कारखानों में बड़े ही महत्वपूर्ण उपोत्पाद काफी मात्रा में निकलेंगे जैसे कि कोलतार, इत्यादि। सरकारी क्षेत्र का औषध उद्योग उनका उपयोग क्यों नहीं कर सकता? औषध-निर्माण के उद्योग में हमें जरा मुनाफेखोरी नहीं होने देनी चाहिये। तभी जनता को दवायें सस्ती मिल सकेंगी। इसलिये हमें मैर्कस् के साथ किये गये इस करार पर, और सोवियत कारखाने के प्रस्ताव के प्रश्न पर एक नये सिरे से विचार करना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि मैसर्स मैर्कस् के साथ हमारी सरकार का इतना अनुराग क्यों है। मैं चाहती हूं कि इस करार की पूरी तौर पर जांच की जाये।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा): मैं श्री परुलकर के भाषण के समय उपस्थित नहीं था। इसलिये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने माननीय मंत्री के बारे में क्या कहा था। लेकिन मैं यह जानता हूं कि माननीय मंत्री एक बड़े योग्य मंत्री हैं। फिर भी वह, इस करार का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकते। औषध-निर्माण की ये विदेशी फर्में मौत की सौदागर हैं, मुनाफेखोर हैं। पार्केडेविस जैसी विश्व-विख्यात फर्म ने अभी कुछ दिन पहले कई लाख रुपये के सीमा-शुल्क की अपवंचना की थी।

'ग्लैक्सो' ने सारे व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा लिया है। उस के निदेशक श्री कीय राय ने सभी भारतीय फर्मों को अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया है।

बंगाल कैमिकल्स जैसी भारतीय फर्म भी आयात अनुज्ञप्तिधारियों की सूची में नहीं आ पाती।

'ड्यूमैक्स' भी एक बड़ी फर्म है। 'सीबा' ने विदेशी समाचार पत्रों में भारतीय वस्तुओं का विज्ञापन इस ढंग से किया है कि उस से हमारे देश की मानहानि होती है। अब उस ने इस के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षमा भी मांगी है। वह हमारे देश से करोड़ों रुपये बाहर ले जाती है। हमारे देश की गरीब जनता से मुनाफेखोरी कर के उसे विदेशों में बदनाम करना ठीक नहीं है, चाहे बाद में उसकी माफी ही क्यों न मांग ली जाये।

अब 'अतुल इंडस्ट्रीज' के संस्थापक श्री भूलाभाई देसाई का कहीं नाम भी सुनाई नहीं देता। अब वह कस्तूरभाई लाल भाई के हाथ में हैं। क्या भारत सरकार अमीरों को ही और अमीर बनाना चाहती है ?

इसी तरह साराभाई केमिकल्स् जैसी कई मिलों की मालिक फर्म को बड़े-बड़े परिमाण में आयात करने की अनुज्ञप्तियां दी जा रही हैं।

आखिर, भारत सरकार की नीति क्या है ? वह अमीरों को और भी अमीर बनाना चाहती है। भारत सरकार, यदि चाहे तो बिना किसी भारतीय या विदेशी फर्म की सहायता के ही, जनता के लिये आवश्यक दवाओं का निर्माण कर सकती है। 'अलंम्बिक केमीकल्स्' को ३,४०,२५० रुपयों के मूल्य की पेनीसिलीन के आयात की अनुज्ञप्ति दी गई है।

इसी प्रकार 'ग्लैक्सो' और 'ड्यूमेक्स' को भी १२ और १३ लाख रुपयों के आयात की अनुज्ञप्तियां दी गई हैं।

यह सब बताने का मतलब यही है कि पूरी परिस्थिति बड़ी निराशाजनक है।

हमने 'मैर्कस' जैसी फर्म के साथ यह करार क्यों किया है, जो अमरीका में इतनी बदनाम है ? हमें सोवियत की सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये था।

उस सोवियत प्रस्ताव के होते हुए भी, यह करार क्यों किया गया ? देश में दवायें इतनी मंहगी हैं कि संसद्-सदस्य तक उन्हें नहीं खरीद पाते। दो आने की दवा के पांच रुपये देने पड़ते हैं।

सरकार औषध-निर्माण उद्योग की उपेक्षा इसलिये कर रही है कि विदेशी एकाधिकारी फर्में, वे मौत के सौदागर, उस पर हावी हैं, और वे हमारे उच्चाधिकारीयों को प्रभावित कर लेते हैं। इसे रोकना चाहिये। हिन्दुस्तान बायोटिक्स जैसे राष्ट्रीय उपक्रम में ऐसी बदनाम विदेशी फर्म को शामिल नहीं किया जाना चाहिये। हमें अपने ही देश के प्रतिभाशाली लोगों को आगे बढ़ाना चाहिये और उनकी कमी नहीं है।

फिर विदेशी मुद्रा के संकट को देखते हुए, हमें अदायगी रुपयों में करने की व्यवस्था रखनी चाहिये थी। हम तो ऐसी विदेशी सहायता चाहते हैं जो हमारे देश में कारखाने खड़े कर दे और आज से दस वर्ष बाद हम से उसका खर्च ले ले।

इस करार में एक व्यवस्था यह भी है कि भारतीय और विदेशी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यदि कोई शर्त भंग की जाये, या उसका उलंघन किया जाये, तो मैर्कस के सहमत हुए बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। मैर्कस् का निर्णय ही अन्तिम होगा। हमें मैर्कस् एण्ड कम्पनी के बराबर ही अधिकार क्यों नहीं दिया गया है ? इस करार में कई ऐसी त्रुटिपूर्ण व्यवस्थायें हैं जो देश के हित के प्रतिकूल हैं।

[श्री मनुभाई शाह]

यह मसला हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य से संबन्ध रखता है। इस समय हमें केवल तीन वर्ष के लिये ही विदेशी सहायता स्वीकार करनी चाहिये। दस वर्ष की अवधि बहुत ज्यादा है। यह भी अनुचित है कि हम विदेशी फर्म को इस प्रकार कुल बिक्री का ढाई प्रतिशत और कुल मुनाफे का पांच प्रतिशत दें, और वह भी डालरों के रूप में।

मैं यह चाहता हूं कि ऐसे सभी अनुचित करारों को रद्द किया जाना चाहिये।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इस प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत करने के लिये विरोधी पक्ष के सदस्य का कृतज्ञ हूं। वस्तुतः हम ऐसे अवसर की तलाश में ही थे कि सरकार की समस्त औषधी संबंधी नीति और इस समझौते का सभा तथा देश के समक्ष स्पष्टीकरण किया जा सके।

विचाराधीन समझौता, वैज्ञानिक और आर्थिक सभी दृष्टियों तथा भारत सरकार की इस बुनियादी नीति के अनुसार भी, कि सभी आवश्यक और प्राण रक्षक औषधियों का निर्माण यथाशीघ्र भारत में, सरकारी क्षेत्र में किया जाये; राष्ट्रीय हित में किये गये सर्वोत्तम समझौतों में से एक हैं।

माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में यह संकेत दिया है कि यह समझौता गैर-सरकारी उद्योग के हितों में है। मैं सभा को यह बता दूं कि यह समझौता सरकारी क्षेत्र के साथ एक प्राण रक्षक औषधि बनाने के प्रयोजन के लिये किया गया है।

उन्होंने यह प्रश्न रखा है कि जब भारत सरकार के पास कई वैकल्पिक प्रस्ताव आये थे तब ठेका इसी फर्म को क्यों दिया गया। इस संबंध में लगभग आधे दर्जन फर्मों से जिन में स्क्विब्ज़, फिज़र्स तथा कुछ इटली की फर्में थीं, के साथ बात चीत की गई थी। इस बात चीत से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इन में कोई भी फर्म अपने पेटेंट के अधीन भारत में स्ट्रैप्टोमाइसीन के निर्माण में दिलचस्पी नहीं रखती है। इन में से अधिकांश फर्मों को मर्क ने ही पेटेंट प्रदान किये हुए थे और मर्क विश्व में इस क्षेत्र में अग्रणी है।

जहां तक शर्तों का संबंध है रायल्टी या टेक्नीकल शुल्क के नाम पर देश को रुपया देना होता है। यह रुपया अन्ततः देश के बाहर ही जाता है। माननीय सदस्य ने बताया था कि दस वर्षों की अवधि में हमें इस मद में १·५ करोड़ रुपये चुकाने होंगे। यदि माननीय सदस्य इस राशि का हिसाब लगायें तो उन्हें ज्ञात होगा कि प्रति वर्ष हमें ३ या ३ १/२ लाख रुपया चुकाना होगा क्योंकि हमें केवल २ १/२ प्रतिशत के हिसाब से रायल्टी देनी है। इस प्रकार १० वर्ष में यह राशि ३० से ४० लाख रुपये होती है। २५० रु० से ३०० रु० प्रति किलोग्राम की कीमत से ४५००० किलोग्राम का मूल्य १ से १·५ करोड़ रुपये तक होता है इसका २ १/२ प्रतिशत ३ लाख रुपये के लग-भग होता है। इस प्रकार १० वर्ष में हमें ३० लाख या देश के बाहर ४५ लाख रुपये रायल्टी के रूप में चुकाने होंगे।

यह कहा गया है कि इस करार के अनुसार एरियो माइसीन, टेरा माइसीन टेटरा साइ क्लीन्स् इत्यादि अन्य एन्टीबायोटिक दवाइयों का उत्पादन नहीं किया जायेगा। वस्तुतः विभिन्न फर्मों से केवल स्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के विचार से बातचीत की गई। अन्य परियोजनाओं के लिये हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, इस सम्बन्ध में भारत की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के पथप्रदर्शन में

†मूल अंग्रेजी में

कार्य करेगा जिस ने पूर्णतः भारतीय विधि से उक्त दवाइयां बनाने का तरीका विकसित किया है। हम भारतीय वैज्ञानिकों के श्रम को प्रोत्साहन देना चाहते हैं अतः यह प्रणाली हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स में क्रियान्वित की जायेगी। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि यह प्रक्रिया लगभग अन्तिम रूप से निश्चित हो चुकी है और हम बहुत शीघ्र टेटरासाक्लीन्स, एरियोमाइसी टेरामाइसीन का उत्पादन अग्रिम योजना के रूप में प्रारम्भ करने वाले हैं। वस्तुतः इतने पर भी रूसी परियोजना की निर्माण योजना के अनिवार्य अंश के रूप में एक सौ टन टेटरासाइक्लीन और अन्य प्रकार की एन्टीबायोटिक दवायें शामिल की गई हैं। जब कि देश में टेटरासाइक्लीन की वर्तमान खपत सात या दस टन से अधिक नहीं है। रूसी परियोजना के अन्तर्गत एरियोमाइसीन, टेरामाइसीन तथा अन्य एन्टीबायोटिक दवायें शामिल हैं। मैं ने रूस के साथ होने वाले इस समझौते की चर्चा इस कारण नहीं की थी क्योंकि यह समझौता अन्तिम स्थिति पर है और मेरे कथन से भ्रांति पैदा होने का खतरा था। वस्तुतः हम स्वयं रूस के साथ तत्सम्बन्धी करार करने को उत्सुक हैं जिस से उन्हें किसी प्रकार का संदेह या शंका न हो कि हम उन के सहयोग या सहकारिता को किसी से कम कदर करते हैं। हम ने अपने सर्वोच्च अधिकारियों को वहां भेजा हुआ है और हम आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र ही यह समझौता पूरा हो जायेगा और यह परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।

जहां तक विश्व स्वास्थ्य संघ और यूनिसेफ के साथ हुए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के भंग होने का प्रश्न है मैं इस सम्बन्ध में सभा को बता चुका हूं कि स्वयं यूनिसेफ इत्यादि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं ने हमें यह राय दी कि स्ट्रैप्टोमाइसीन इत्यादि के लिये आम पेटेंट मिलना संभव नहीं होगा। पेनिसिलीन का पेटेंट अब समाप्त हो गया है। उस के सम्बन्ध में विश्व के सभी देशों में गवेषणा हो रही है क्योंकि १० या १५ वर्ष बाद औषधियों की टैक्नीकल जानकारी आम बात हो जाती है। इस सम्बन्ध में एक टैक्नीकल विशेषज्ञ ने यह सलाह दी है कि स्ट्रैप्टोमाइसीन के निर्माण में मर्क सर्वोत्तम फर्म है। उनकी एक सलाह यह भी थी कि अन्य आवश्यक दवायों के लिये हम किसी अन्य फर्म से बातचीत करें। हम ने स्ट्रैप्टोमाइसीन के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संघ और संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि (यूनिसेफ) व संयुक्त राष्ट्रीय टैक्नीकल सहायता संस्था (अन्टा) से टैक्नीकल जानकारी मांगी थी लेकिन उन की जानकारी में पेनिसिलीन की तरह स्ट्रैप्टोमाइसीन के लिये कोई खुली जानकारी नहीं थी जिसे वे हमें बता सकते।

इस बात पर विश्वास करना गलत है कि रूस या कोई अन्य देश हमें अपनी गवेषणाओं से लाभ उठाने देंगे और हम उन की प्रक्रिया का खुले तरीके से प्रयोग कर सकेंगे।

हम ने रांची तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिये रूस से करार किये हुए हैं। उन परियोजनाओं में विशेष प्रकार की टैक्नीकल जानकारी, कल्चर बनाने तथा आद्यरूपों की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ रांची में भारी मशीन संयंत्र योजना, कोयला खनन उपकरणों, दुर्गापुर तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में रूस से समझौता हुआ है तथापि उन में भी उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि उन की अनुमति के बिना हम को किसी को भी तत्सम्बन्धी टैक्नीकल जानकारी बताने का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने अपने करार के खंड १ में यह स्पष्ट लिखा है कि भारतीय अधिकारियों को जो टैक्नीकल मसविदे या लाइसेंस दिये जायेंगे, वे केवल भारतीय उपक्रमों में ही प्रयुक्त किये जायेंगे और किसी अन्य देश को नहीं दिये जा सकेंगे। इस के विरुद्ध कार्य करने के लिये रूस की अनुमति लेना आवश्यक होगा। मर्क के समझौते में भी यही बात कही गई है कि हम इस का उपयोग कर सकेंगे तथापि दूसरों को इसे प्रगट नहीं कर सकेंगे। चाहे सौदा रूस के साथ किया जाय या जर्मनी के, वाणिज्यिक सौदों में सामान्यतः यह शर्त रहती है कि बिना उस पक्ष की अनुमति के हम

[श्री मनुभाई शाह]

टैक्नीकल जानकारी किसी अन्य पक्ष को नहीं दे सकते हैं। वस्तुतः विश्व के किसी भी पक्ष के साथ किये जाने वाले आर्थिक समझौते की यह एक मोटी शर्त है।

इस समझौते में कर्मचारियों की जांच पड़ताल की शर्त इसलिये रखी गई है कि यह केवल टेक्नीकल जानकारी लेने या देने का संबंध नहीं है अपितु वहां कल्चर और स्ट्रेन (संबद्ध और अंशु) के डिब्बों से काम पड़ता है। उन को चुरा लेने पर सारी प्रक्रिया और सारा रहस्य प्रगट हो जाता है। इस लिये सभी टैक्नीकल, रासायनिक और औषधि निर्माण सम्बन्धी समझौते में एक खंड यह भी रहता है कि यह कार्य केवल विश्वस्त व्यक्तियों को ही सौंपा जायेगा। इसलिये जांच सम्बन्धी खंड रखा जाता है। इस का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हर बार हर व्यक्ति की जांच पड़ताल की जायेगी। वस्तुतः कुछ ऐसे व्यक्ति चुने जायेंगे जो कि विश्वसनीय होंगे। और जो प्रक्रिया तथा कल्चर इत्यादि का रहस्य अन्य किसी व्यक्ति को प्रगट नहीं करेंगे। समझौते में इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि व्यक्तियों का चुनाव कम्पनी के संतोष के आधार पर होगा। इन शब्दों का तात्पर्य यह है कि शर्तों के रूप में हम जो कुछ भी उल्लिखत करें वे ऐसी हों कि मर्क कम्पनी उन्हें स्वीकार करे और उन्हें विश्वास हो कि इस उपक्रम में उनको विशिष्ठ प्रक्रिया पर पूरी तरह निगरानी रखी जायेगी।

श्री परुलकर ने यह प्रश्न पूछा था कि डाइहाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसीन की मांग घटने पर भी स्ट्रेप्टोमाइसीन का प्रतिशत केवल २० क्यों रखा जा रहा है। इस प्रश्न पर हमारे टेक्नीकल जानकारों ने पूरा विचार कर लिया है। इस सम्बन्ध में हमारे पास उन का लिखित समझौता है। वस्तुतः यह एक प्रामाणिक सूत्र है। यह समझौता टेक्नीकल विशेषज्ञों की सलाह पर किया गया है तथापि यह अन्तिम बात नहीं है। हम ने इस बात का ध्यान रखा है कि स्ट्रैप्टोमाइसीन का प्रतिशत ५० भी किया जा सकता है। देश के रोगियों के लाभ को देखते हुए इस का अनुपात बढ़ाना और घटाना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। यह बात समझौते में नहीं है। तथापि इस सम्बन्ध में पत्रव्यवहार हुआ है। वस्तुतः इस अनुपात को घटाने बढ़ाने की हमें पूरी स्वतन्त्रता है।

अब मैं श्री जोकीम आल्वा द्वारा उठाये प्रश्न को लेता हूं। वस्तुतः हमारे देश की औषधि नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि दवाइयां हमारे देश में उपलब्ध कच्चे माल से तैयार की जायें। श्री रेणुचक्रवर्ती ने कहा है कि कोलतार तथा उस से उत्पन्न पदार्थों के महत्व पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और उनका निर्माण देश में करना चाहिये। सरकार की भी पिछले तीन-चार वर्षो से यही नीति रही है। इसीलिये हम ने नये लायसेन्स देते समय यह शर्त अनिवार्य कर दी है कि सारी औषधियों, मख्यतः देश में उपलब्ध बुनियादी प्रकार के कच्चे माल से तैयार की जायेंगी और इन का आयात नहीं किया जायेगा। उन में से प्रत्येक के लिये तीन या चार वर्षों की एक क्रमिक योजना रखी गई है। उन से दवाओं को बुनियादी प्रकार के कच्चे माल से तैयार करने को कहा गया है ताकि माध्यमिक प्रकार के कच्चे माल से इस माध्यमिक स्थिति में सहयोग करने के लिये हम अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बेयर्स की फर्म से एक प्रथक समझौता कर रहे हैं। रूस में भी इन की पृथा अन्य ख्याति प्राप्त रासायनिक फर्मों की प्रक्रियाओं को प्रयुक्त किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में देश की स्थिति इस प्रकार है। बड़े पैमाने के क्षेत्र में हमारे देश में १२० दवाई की फर्में हैं। छोटे पैमाने पर २००० औद्योगिक उपक्रम हैं। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों में एक है। भविष्य में रूसी सहायता से इस क्षेत्र में ५ अन्य उपक्रम खुलेंगे। जर्मनी के सहयोग से माध्यमिक क्षेत्र में एक अन्य उपक्रम खुलेगा। वस्तुतः हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि दवाइयां देश में उपलब्ध बुनियादी प्रकार के कच्चे माल से बनाई जायं और वे सर्वोत्तम किस्म की तथा कीमतों में बहुत सस्ती हों। मैं यह भी बता देना चाहता हूं

कि इस अमरीकी फर्म द्वारा प्रस्तुत यह विशेष उत्पादन रूसी तथा अन्य देशों की फर्मों द्वारा उत्पादित औषधि से भी सस्ता होगा। वस्तुतः मर्कस द्वारा उत्पादित की जाने वाली स्ट्रैप्टोमाइसीन इसी संबंध में आये अन्य प्रस्तावों से कहीं सस्ती होगी।

जहां तक कीमत और किस्म का प्रश्न है वहां भी यह समझौता पूर्णतः उपयुक्त है। माननीय सदस्य ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका के मूल्य संघ विरोध विधि का कुछ अंश पढ़ा था। इस विधि के द्वारा उस कम्पनी पर रोक लगती है। जिस के कार्यों से कई परियोजनायों पर प्रभाव पड़ता है। वहां का न्यायिक आयोग जब कभी यह देखता है कि कोई फर्म अत्याधिक मूल्य ले रही है तो उस को नोटिस जारी किया जाता है। केवल पांच फर्मों के प्रति ऐसा किया गया है। संभव है मर्कस के विरुद्ध भी आरोप लगाया गया हो और उस से जवाब मांगा गया हो। तथापि इस का इस समझौते से कोई संबंध नहीं है न उस का कीमतों से कोई संबंध है। रूस तथा किसी भी अन्य फर्मों की सहकारिता से उत्पादन किये जाने वाली दवाओं तथा पेनिसिलीन, स्ट्रैप्टोमाइसीन इत्यादि के मूल्य निश्चित करने के विषय में हमें पूरी स्वतन्त्रता है।

हमारी औषधि नीति का तीसरा आधार यह है कि चाहे कैसी भी फर्म हो उसे केवल भारतीय कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण देना होगा। हम सभा के सन्मुख पर जानकारी रख चुके हैं कि फर्मों का तेजी में भारतीयकरण हो रहा है। हम ने हाल ही में एक प्रैस विज्ञप्ति निकाल कर यह बताया है कि यह एक विशेष वेतन क्रम के ऊपर यह प्रतिशत ८० प्रतिशत होना चाहिये। इस समय यह प्रतिशत ५० से ६० है और प्रगति उत्तरोत्तर जारी है। वस्तुतः सभी परियोजनाओं पर, जिन में दवाई परियोजनायें भी शामिल हैं, यह शर्त लागू होती है।

वस्तुतः आर्थिक स्वतंत्रता का यह तात्पर्य नहीं है कि हम अन्य देशों से प्रक्रियायें ही सीखते रहें। यदि हम ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारा देश कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिये हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक कारखाने में गवेषणा का कार्य प्रारम्भ किया जाय। इस सम्बन्ध में बहुत सा काम हो रहा है। राष्ट्रीय रसायनशाला पूना में विटामिन 'सी' का उत्पादन किया जा चुका है। हिन्दुस्तान एन्टीबोयाटिक्स कारखाने में दो प्रकार की टेटरा साइक्लन्स बनाई जा चुकी है। वह दिन दूर नहीं है जब कि भारतीय वैज्ञानिक, अपने देश में ही भारतीय पेटेंटों और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की दवायें बनाने में समर्थ होंगे। यही हमारा मूल आदर्श है।

देश में औषधि उद्योग पर ४० से ५० करोड़ रुपया लगा हुआ है। इसमें केवल १० से ११ करोड़ तक विदेशी पूंजी है। निस्संदेह विटामिन 'ए' ग्लेक्सो ड्यूमेक्स इत्यादि के विज्ञापनों द्वारा यह भ्रांति पैदा होती है कि इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी बहुत अधिक लगी हुई है। तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में लगी हुई विदेशी पूंजी का प्रतिशत केवल १५ से २० तक है। हमने इस बात का आग्रह किया है कि इन सभी औषधि कारखानों के टेक्नीकल अधिकारी, मैनेजर, प्रबन्धक निदेशक व वैज्ञानिक इत्यादि सभी भारतीय होने चाहियें।

अब मैं सभा को इस करार से हुए लाभ के सम्बन्ध में बताऊंगा। इस बड़ी परियोजना के लिये हमें जो २५,००० डालर देने होंगे वे वस्तुतः बहुत कम हैं क्योंकि इसके एवज में मर्क हमें सम्पूर्ण ड्राइंग, डिजाइन इत्यादि दे रही है। इसके कारण हम उनसे स्ट्रैप्टोमाइसीन, विश्व के समस्त

[श्री मनुभाई शाह]

देशों से आये हुए टेंडरों की तुलना में कम कीमत पर खरीद सकेंगे। पहिले यह तय हुआ था कि ८० प्रतिशत मर्क कम्पनी से तथा २० प्रतिशत अन्य कम्पनियों से खरीदा जायेगा। इस शर्त पर कि वे निम्नतम टेंडर से ५ प्रतिशत कम पर स्ट्रैप्टोमाइसीन देने के लिये तैयार हों। तथापि मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि अब इस अनुपात को ८०:२० के स्थान पर ५०:५० कर दिया गया है जिससे अन्य औषधि निर्माता भी इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। इसके फलस्वरूप लायसेंस देने की पिछली अवधि में पहिली बार ७२ लाख और दूसरी बार २५ लाख रुपये की बचत हुई। जहां तक ग्लेक्सो का सम्बन्ध है ग्लेक्सो ने उस समय सब से कम कीमत मांगी थी। इसलिये हम ने समझौते के अनुसार ८० प्रतिशत मर्क से और २० प्रतिशत ग्लेक्सो से खरीदा था। अब हम ५० प्रतिशत मर्क से बाकी अन्य फर्मों से खरीदेंगे। यदि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को इस सम्बन्ध में अग्रेतर जानकारी की आवश्यकता है तो वे मुझ से पूछ सकती हैं मैं उन्हें पूरी जानकारी दूंगा। इस समय में इस मामले के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस समझौते के परिणामस्वरूप ही हमने पहिले वर्ष ९७ लाख रुपये बचाये हैं और अगले वर्ष आशा है कि इससे भी अधिक रुपयों की बचत होगी। पहिले देश में आयात होने वाली स्ट्रैप्टोमाइसीन की कीमत ४०० रु० किलोग्राम थी। किन्तु पहिले टेंडर के फलस्वरूप होने वाली प्रतिद्वंद्विता से उसकी कीमत गिर कर २५० रु० प्रति किलोग्राम हो गई। दूसरे टेंडर में इसकी कीमत घटकर १६० रु० प्रति किलोग्राम हो गई। वस्तुतः कीमतों में यह गिरावट इस समझौते के कारण ही हुई।

हम इस बात का भी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि औषधि निर्माण सम्बन्धी उपकरण हमारे देश में बनाये जायें। मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती से इस बात से सहमत हूं कि हमें यथाशक्ति विदेशों से आयात नहीं करना चाहिये। इसी कारण यद्यपि सारी परियोजना की कुल लागत १,७०,००,००० रुपये है तथापि इसमें से ८५ से ९० लाख रुपये उपकरणों इत्यादि के निर्माण में देश में ही व्यय किये जायेंगे। और केवल वह सामान जिसका उत्पादन देश में संभव नहीं है बाहर से मंगाया जायेगा। हम ने उन्हें अपनी ओर से खरीदने का अधिकार नहीं दिया है। मैं इस सम्बन्ध में सभा की भावना भली-भांति जानता हूं कि जो फर्म हमारे साथ सहयोग कर रही है उसे निर्माण सम्बन्धी मशीनों इत्यादि के संभरण में एकाधिकार नहीं देना चाहिये। हमें केवल उनकी टेक्नीकल जानकारी की आवश्यकता है। हम संयंत्र का कुछ अंश बाहर से खरीदेंगे अवशेष का निर्माण भारत में ही किया जायेगा। यह फर्म देश में ही आवश्यकतानुसार उपकरण इत्यादि बनाने में हमारा पथप्रदर्शन इत्यादि करने की सेवाओं के लिये हमसे कोई शुल्क नहीं लेगी।

मुझे यह जानकर अचम्भा हुआ कि डा० गणपति के पदनिवृत्त होने तथा इस समझौते में कोई पारस्परिक सम्बन्ध है। कर्मचारियों की जांच पड़ताल इत्यादि से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि यह समझौता न भी किया जाता तो भी, डा० गणपति की विश्वसनीयता तथा गोपनीय रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो जानकारी हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के पास हैं, उन्हें पुनः अपने पद पर वापस जाना होता। उनके जाने के पश्चात् हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स में २९ से ३० लाख मेगा यूनिट्स उत्पादन किया गया जो उक्त कारखाने का अधिकतम उत्पादन था। मैं इस मामले को विस्तार से नहीं लेना चाहता, क्योंकि डा० गणपति या किसी भी कर्मचारी का मामला पूर्णतः हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के निदेशक बोर्ड की इच्छा पर निर्भर करता है। वे एक वैज्ञानिक अधिकारी हैं हम उनके लिये सौभाग्य की कामना करते हैं। बम्बई सरकार उन्हें हैफकिन इन्सटिट्यूट या जहां कहीं भी भेजे वहां उनकी सेवाओं से लाभ उठाया जायेगा। हिन्दुस्तान एन्टीबायो-

टिक्स के उत्पादन एकक में बहुत अच्छे वैज्ञानिक और सर्वोत्तम जीवाणु विशेषज्ञ डा० तिरुमलचार हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे देश में डा० गणपति या डा० तिरुमलचार जैसे अनेक वैज्ञानिक पैदा होंगे और उन्हें यथायोग्य स्थान दिया जायेगा।

यह बात गलत है कि हम किसी भारतीय को इसलिये उसके पद से हटाते हैं कि अमुक विदेशी सहयोगी फर्म ऐसा चाहती हैं। चाहे हमें उससे कितना ही लाभ हो, लेकिन यदि किसी भारतीय के साथ इस प्रकार का पक्षपात किया जायेगा तो हम उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। डा० गणपति के सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है कि वे अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर वापस भेज दिये गये। जब वे एक विशेष स्थिति में दूसरों के साथ मिल कर आशान्वित तरीके से कार्य करने में असमर्थ रहे तो हमें हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के निदेशक बोर्ड की सिफारिश स्वीकार करनी पड़ी और उन्हें वापस भेजना पड़ा। जहां तक रूस की परियोजनाओं का सम्बन्ध है हम भी उनको उतना ही महत्व देते हैं जितना हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत मूल परियोजना का प्रतिवेदन तथा संशोधित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिससे हम स्वयं इस बात का निर्णय कर सकें कि कौन सा समझौता हमारे हक में अधिक अच्छा था।

†**श्री मनुभाई शाह** : रूसी विशेषज्ञों द्वारा एक सामान्य प्रतिवेदन दिया गया कोई परियोजना प्रतिवेदन नहीं दिया गया। परियोजना प्रतिवेदन टेक्नीकल प्रकार के प्रतिवेदन होते हैं जिनमें सभी बातें विस्तार से दी हुई रहती हैं। जब उस पर हस्ताक्षर हो जायेंगे तो वह सभा पटल पर रख दिया जायेगा, जिससे माननीय सदस्यों को उत्पादन की किस्म, तरीका तथा उसमें विदेशी अंश इत्यादि के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी हो सके।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री पल्लकर** : मेरी बातों का अभी भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है। वस्तुतः हम रूसी प्रस्ताव के पक्ष में इसलिये नहीं हैं कि वह रूस से आया है अपितु इसलिये हैं कि आर्थिक दृष्टि से वह हमारे लिये अपेक्षाकृत हितकर है।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं कह चुका हूं कि यह प्रस्ताव, रूस इत्यादि सभी देशों से आये प्रस्तावों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक अच्छा है।

†**श्री पल्लकर** : मेरी दूसरी बात जिसका उत्तर नहीं दिया गया यह है कि मैंने कहा था रूस में औषधि निर्माण के सम्बन्ध में कोई गोपनीयता नहीं रखी जाती है। जनरल सोखैवी और डा० शिरशेट ने रूस की यात्रा से लौट कर भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा है उसमें भी उन्होंने स्पष्टतः यह उल्लेख किया है कि रूस में औषधि निर्माण को विशुद्ध विज्ञान समझा जाता है। भारत सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि इस सम्बन्ध में कोई गोपनीयता नहीं बरती जायेगी तथा सबको स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री परुलकर]

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि माध्यमिक दवाओं के निर्माण के लिये, पश्चिम जर्मनी की एक फर्म बैपर्स से समझौता किया गया है। इस संयंत्र के लिये हमें १८ करोड़ रुपये देने होंगे जबकि रूस हमें इसी प्रकार का संयंत्र ११ करोड़ रुपये में दे रहा था।

वस्तुतः मंत्री महोदय ने अपनी आदत के अनुसार प्रश्नों के सीधे उत्तर न देकर, इधर-उधर की असंगत बातें कह कर विषय को टाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ६ मार्च, १९५९/१५ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

† मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ५ मार्च, १९५९]

१४ फाल्गुन १८८० (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .		२२८१—२३०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
९२५	दिल्ली प्रशासन में हिन्दी	२२८१—८३
९२६	निवेली तापीय बिजली घर	२२८३—८५
९२७	इंजीनियरों की अखिल भारतीय सेना . . .	२२८६–८७
९२८	यमुना के किनारे वाले गांवों का हटाया जाना . .	२२८७—८९
९२९	प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति . . .	२२८९—९१
९३२	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां . .	२२९१—९४
९३३	नेवेली लिग्नाइट परियोजना	२२९४—९६
९३४	सैनिक गाड़ियों की मरम्मत	२२९६–९७
९३५	रूरकेला में धमन भट्टी	२२९७–९८
९३७	ब्रिटिश काउंसिल द्वारा छात्रवृत्तियां . . .	२२९८–९९
९३८	हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियां . . .	२२९९–२३००
९३९	तेल उद्योग	२३००–०१
९४२	दिल्ली जन सम्पर्क समिति . . .	२३०१–०२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
९	होशियारपुर में तेल के लिये ड्रिलिंग . . .	२३०२–०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२३०३—५०
तारांकित प्रश्न संख्या		
९३०	नाबालिगों का धर्म परिवर्तन	२३०३
९३१	आसाम में सेना का प्रयोग	२३०३
९३६	पब्लिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा . .	२३०४
९४०	प्रतिरक्षा निधियों का व्यपगत होना . . .	२३०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
९४१	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेल	२३०४
९४३	नागार्जुनकोण्डा अवशेष	२३०५
९४४	मुद्रण प्रविधि के लिये केन्द्रीय संस्था	२३०५
९४५	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की बस्तियां	२३०५
९४६	सोने का उत्पादन	२३०५–०६
९४७	पट्टा धन	२३०६
९४८	बीकानेर में लिग्नाइट निक्षेप	२३०६
९४९	अमेरिका में भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण	२३०७
९५०	पश्चिमी बंगाल में कोयले के निक्षेप	२३०७
९५१	विदेशों से सौदे	२३०८
९५२	यूनेस्को	२३०८
९५३	दिल्ली पोलीटेक्नीक	२३०९
९५४	रूरकेला धमन भट्टी संयंत्र	२३०९
९५५	जीवन बीमा निगम	२३०९–१०
९५६	अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष सम्मेलन	२३१०
९५७	भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय	२३१०
९५९	पश्चिम क्षेत्रीय परिषद्	२३११
९६०	प्रादेशिक और देवनागरी लिपियों में चार्ट	२३११
९६१	रूरकेला में समान का पुनः लदान	२३११
९६२	सोने के बांड सम्बन्धी योजना	२३१२
९६३	सड़क दुर्घटनायें	२३१२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३८८	विदेशी	२३१२
१३८९	हिमाचल प्रदेश हाई और हायर सेकन्डरी स्कूल	२३१२–१३
१३९०	पंजाब में समाज सेवा शिविर	२३१३
१३९१	पंजाब में भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी	२३१३
१३९२	कर्मचारियों का स्थायी किया जाना	२३१४
१३९३	औद्योगिक मजदूरों की पदोन्नति	२३१४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१३९४	बेकार माल	२३१४
१३९५	मानव शास्त्र के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२३१५
१३९६	विशेष पुनर्गठन एकक	२३१५
१३९७	भंगी बस्तियों के लिये केन्द्रीय ऋण	२३१५
१३९८	उड़ीसा के शैक्षणिक विकास कार्यक्रम	२३१५-१६
१३९९	चोरी-छिपे लाया गया सोना	२३१६
१४००	इस्पात के तार का निर्माण	२३१६-१७
१४०१	उड़ीसा राज्य युवक कल्याण बोर्ड	२३१७
१४०२	बिहार में शिक्षितों की बेकारी	२३१७—१८
१४०३	उड़ीसा में अग्रिम परियोजनायें	२३१८
१४०४	पाकिस्तानियों के लिये भारतीय नागरिकता	२३१८
१४०५	राजस्थान में शैक्षणिक विकास	२३१८-१९
१४०६	मैट्रिक से आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२३१९
१४०७	मैसूर में स्मारक	२३१९-२०
१४०८	सचिवालय में एम्पोरियम	२३२०
१४०९	स्वविवेक निधि	२३२०-२१
१४१०	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की बेदखली	२३२१
१४११	मैसूर में फैरो-मैंगनीज़ संयंत्र	२३२१
१४१२	संग्रहालयों के विकास के लिये मैसूर की योजना	२३२१
१४१३	अखिल भारतीय वैधिक वर्ग	२३२२
१४१४	कोलम्बो योजना	२३२२
१४१५	कुरुक्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय	२३२२
१४१६	संघ राज्य-क्षेत्रों के सचिवालयों का पुनर्गठन	२३२३
१४१७	इस्पात पुनर्बेलन मिलों के लिये कच्चा माल	२३२३
१४१८	सांची स्मारक	२३२३
१४१९	फतहपुर-सीकरी स्मारक	२३२३-२४
१४२०	लाल किले के दर्शक	२३२४
१४२१	जामा मस्जिद	२३२४
१४२२	विदेशों में भारतीय पूंजी का विनियोग	२३२४-२६
१४२३	भारत भूपरिमाप विभाग	२३२६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१४२४	भारत भूपरिमाप विभाग	२३२६-२७
१४२५	भारत भूपरिमाप विभाग	२३२७
१४२६	भारत भूपरिमाप विभाग	२३२७-२८
१४२७	अनुसूचित आदिमजातियों का कल्याण	२३२८-२९
१४२८	उर्दू	२३२९
१४२९	छात्रवृत्तियां	२३३०
१४३०	सरकारी कर्मचारियों द्वारा चलाये जाने वाले न्यास	२३३०
१४३१	दिल्ली की विमुक्त जातियां	२३३०
१४३२	समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, दिल्ली	२३३१
१४३३	दिल्ली में यातायात	२३३१-३२
१४३४	बीजापुर की तेल मिलें	२३३२
१४३५	हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये शौवल	२३३२-३३
१४३६	पंजाब में पुस्तकालय	२३३३
१४३७	खनिज सोतों का सर्वेक्षण	२३३३-३४
१४३८	नीचे उड़ते हुए विमान से लड़की का घायल होना	२३३४
१४३९	कोणार्क का मन्दिर	२३३४
१४४०	मनीपुर प्रशासन का कराधान कार्यालय	२३३४
१४४१	असैनिक सेवाओं में सैनिक पदाधिकारी	२३३५
१४४२	आन्ध्र प्रदेश में लौह-अयस्क	२३३५
१४४३	संस्कृत की शिक्षा	२३३६
१४४४	औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम	२३३६
१४४५	भारत का राज्य बैंक	२३३६-३७
१४४६	आय-कर इन्स्पेक्टरों की भर्ती	२३३७
१४४७	वाराणसी में विचाराधीन आय-कर सम्बन्धी मामले	२३३७
१४४८	शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन	२३३८
१४४९	हिमाचल प्रदेश में जनता कालेज	२३३८
१४५०	हिमाचल प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	२३३८
१४५१	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	२३३९
१४५२	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	२३३९-४०
१४५३	आर्मी बेस वर्कशाप, दिल्ली	२३४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४५४	हिमाचल प्रदेश में खेल-कूद का संवर्धन . .	२३४०
१४५५	भारत का राज्य बैंक	२३४०–४१
१४५६	दिल्ली की जेल में बन्दियों की संख्या . . .	२३४१
१४५७	बुनियादी शिक्षा सप्ताह	२३४१–४२
१४५८	खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति	२३४२
१४५९	गैर-सरकारी क्षत्र को ऋण	२३४२
१४६०	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टरेट, मैसूर . . .	२३४२–४३
१४६१	मयूरभंज में सोने के निक्षेप	२३४३
१४६२	तीन वर्ष का डिग्री कोर्स	२३४३
१४६३	पंजाब में बाद की देखभाल का कार्यक्रम . . .	२३४३–४४
१४६४	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र	२३४४
१४६५	अन्दमान द्वीप समूह में बाहर के लोगों का बसाया जाना .	२३४४
१४६६	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में कर्मचारियों का स्थानान्तरण .	२३४४–४५
१४६७	मलमूत्र ढोना	२३४५
१४६८	आदिमजाति क्षेत्रों में विदेशी धर्म-प्रचारक . .	२३४५
१४६९	मद्रास में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . .	२३४५–४६
१४७०	दिल्ली में सामुदायिक विकास विभाग . . .	२३४६
१४७१	तस्कर व्यापार	२३४६–४७
१४७२	जीवन बीमा निगम	२३४७
१४७३	पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान . . .	२३४७
१४७४	विदेशी भाषाओं का अध्ययन	२३४७–४८
१४७५	मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा . . .	२३४८
१४७६	दिल्ली के राजनैतिक पीड़ित	२३४८–४९
१४७७	पंजाब उच्च न्यायालय	२३४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश:) **विषय** **पृष्ठ**

अतारांकित प्रश्न संख्या

१४७८ राजकीय कोयला खानों की विस्तार परियोजनायें . २३४९

१४७९ पारिभाषिक शब्दों की पुस्तिका . . २३४९—५०

१४८० संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें . . २३५०

१४८१ उप-सचिव बनाने के लिये तालिका . . . २३५०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २३५२

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा ४ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २१ फरवरी १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २०६ ।

(दो) सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (मार्का दरें) नियम, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या २०७।

(२) औद्योगिक वित्त निगम नियम, १९५७ की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश । . . . २३५३

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने २ मार्च, १९५९ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १० फरवरी, १९५९ को पारित किये गये रूप में दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, १९५९ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—१९५९–६० . २३५३—२४१३

रेलवे के बारे में अनुदानों की मांग संख्या २ से २० पर और आगे चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २४१७

छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विषय	पृष्ठ
स्ट्रेप्टोमाइसीन और डी हाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसीन बनाने के लिये करार के संबंध में प्रताव	२४१४—२८

श्री परुल्कर ने स्ट्रैप्टोमाइसीन और डी हाइड्रोस्ट्रैप्ट्रोमाइसीन बनाने के लिये करार के बारे में चर्चा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री परुल्कर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया तथा प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

शुक्रवार, ६ मार्च, १९५९/१५ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिए कार्यावलि—

१९५८-५९ के लिये रेलवे के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा ।